लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
91	12	(ग) और (ख)	(ग) और (घ)
112	नीचे से 14	2575	2576
161	9	श्री अनीत कुमार	श्री अनंत कुमार
171	10	260	2606
188	15	2610	2618
190	17	2641	2621
224	नीचे से 17	श्री अनिल कुमार	श्री अनंत कुमार
404	21	श्री एम॰ वी॰ वीरेन्द्र कुमार	श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 14, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1996/19 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	261 से 263 और 265	1—43
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	264 और 266 से 280	44—70
अतारांकित प्रश्न संख्या	2520 से 2728	70—312
सभा पटल पर रखे गये पत्र		312—316
लोक लेखा समिति		
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण – **सभा पटल पर रखे गये**		317—318
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण – **सभा पटल पर रखे गये**		318
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
गेहूं की कीमतों में वृद्धि		
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव		319—327
नियम 377 के अधीन मामले		349—353
(एक) चम्बल नदी के कारण हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता		
डा. राम लखन सिंह		349—350
(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं के लाभार्थ वर्ष 1995 में घोषित रियायतों के पैकेज को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता		
श्री संतोष कुमार गंगवार		350
(तीन) "काम के अधिकार" को मूल अधिकारों में शामिल किए जाने की आवश्यकता		
कुमारी ममता बनर्जी		350—351
(चार) निजी क्षेत्र में श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता		
श्री भेरुलाल मीणा		351
(पांच) सीतामढ़ी जिले में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए बिहार राज्य सरकार को धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता		
श्री नवल किशोर राय		352
(छह) अगरतला में और उसके आस-पास दूरदर्शन सुविधा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता		
श्री बाजू बन रियान		352
(सात) मध्य प्रदेश के सतना जिले में बिरहुली रेलवे फाटक पर हुई रेल दुर्घटना के पीड़ित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता		
श्री सुख लाल कुशवाहा		353

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(आठ) सिक्किम को समुचित बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री भीम प्रसाद दाहल	353
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक—पारित	354—394
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विजय गोयल	354—361
श्री बलाई चन्द्र राय	361—364
श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"	364—366
श्री नीतीश कुमार	366—369
श्री आर.एल.पी. वर्मा	369—370
डा. यू. वेंकटेस्वरलु	371—376, 383—387, 388—392
खण्ड वार विचार	392—394
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
डा. यू. वेंकटेस्वरलु	394
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक	395—412
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस.आर. बोम्मई	395
श्री जगमोहन	396—400
कुमारी ममता बनर्जी	400—404
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	404—408
श्री सैयद मसूदल हुसैन	408—411
प्रो. रासा सिंह रावत	411

लोक सभा

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1996/19, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

चीनी मिलों की पिराई क्षमता

+

***261. श्री नीतीश कुमार :**

श्री कचरु भाऊ राउत :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चीनी मिलों की राज्यवार पिराई क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1995-96 के पिराई मौसम के दौरान राज्यवार गन्ने की कुल कितनी मात्रा की पिराई की गई;

(ग) क्या चीनी मिलें 1996-97 के पिराई मौसम में गन्ने के सम्पूर्ण उत्पादन की पिराई करने में सक्षम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू मौसम के दौरान गन्ने का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा चीनी मिलों की पिराई क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) 30.9.1996 तक देश में स्थित चीनी मिलों की कुल पिराई क्षमता 9,11,937 टन गन्ना प्रतिदिन थी। देश में चीनी मिलों की संस्थापित प्रतिदिन गन्ना पिराई क्षमता को राज्यवार दर्शाने वाला उपाबंध-I संलग्न है।

(ख) चीनी मौसम 1995-96 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान देश में चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने की कुल मात्रा को राज्यवार दर्शाने वाला उपाबंध-II संलग्न है।

(ग) से (ङ). गन्ने की खपत न केवल चीनी उत्पादन करने वाली इकाईयों द्वारा की जाती है बल्कि खाण्डसारी और गुड उत्पादकों तथा चूसने, बीज आदि के लिए भी होती है। 1994-95 तक अखिल भारत प्राप्ति दर यानि चीनी मिलों द्वारा गन्ने का उपयोग 54.4 प्रतिशत था। 1995-96 में यह 61.6 प्रतिशत तक बढ़ गया। 1996-97 के लिए गन्ना उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान 1995-96 के दौरान 2829.45 लाख टन के उत्पादन के प्रति कम यानि 2719.69 लाख टन है। दूसरी ओर, ऐसा अनुमान है कि कुछ और लाइसेंसशुदा क्षमता, संस्थापित कार्यरत क्षमता में बदल जाएगी जिससे कुल पेराई क्षमता में वृद्धि होगी।

उपाबंध-I

देश में चीनी मिलों की राज्यवार अधिसूचित पिराई क्षमता प्रतिदिन (टन) जानकारी देने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	30.9.1996 की स्थिति के अनुसार पेरा गया गन्ना प्रतिदिन (टन)
1.	हरियाणा	27800
2.	पंजाब	44766
3.	उत्तर प्रदेश	260607
4.	बिहार	43674
5.	पश्चिम बंगाल	1819
6.	असम	3313
7.	उड़ीसा	12919
8.	राजस्थान	3766
9.	मध्य प्रदेश	11075
10.	महाराष्ट्र	229228
11.	गुजरात	51350
12.	आंध्र प्रदेश	69325
13.	तमिलनाडु	81350
14.	कर्नाटक	63405
15.	केरल	2540
16.	पांडिचेरी	2750
17.	नागालैंड	1000
18.	गोवा	1250
	जोड़	9,11,937

उपाबन्ध-II

1995-96 (अक्तूबर-सितम्बर) मौसम के दौरान देश में चीनी मिलों द्वारा पिराई किए गए गन्ने की राज्यवार कुल मात्रा का विवरण दर्शाने वाला विवरण

(अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य	पेरा गया गन्ना (लाख टन में)
1	2	3
1.	हरियाणा	54.23
2.	पंजाब	72.43

1	2	3
3.	उत्तर प्रदेश	502.34
4.	बिहार	43.31
5.	पश्चिम बंगाल	1.22
6.	असम	0.91
7.	उड़ीसा	9.47
8.	राजस्थान	3.36
9.	मध्य प्रदेश	13.76
10.	महाराष्ट्र	515.60
11.	गुजरात	107.81
12.	आंध्र प्रदेश	90.30
13.	तमिलनाडु	190.01
14.	कर्नाटक	128.76
15.	केरल	1.51
16.	पांडिचेरी	6.50
17.	नागालैंड	0.15
18.	गोवा	1.90
	अखिल भारत	1743.57

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिराई क्षमता के बारे में जो जवाब दिया है, वह सत्य से परे प्रतीत होता है। यह पूरे देश का सवाल है, बिहार के बारे में भी इसमें आपसे राज्यवार पूछा गया है। बिहार में अधिकांशतः चीनी मिलें बन्द हैं, खासकर जितनी वहां सरकारी चीनी मिले हैं, वे सब बन्द है। वहां पुरानी टैक्नोलोजी के चलते गन्ना मिलों की पिराई क्षमता बहुत ही कम है, जितनी उनकी उत्पादन क्षमता है, उससे 30-35 प्रतिशत से भी कम पर वे कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का यह जवाब असंतोषजनक है।

मैं आपके मध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि गन्ना मिलों की पिराई क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें बेहतर टैक्नोलोजी लाने के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है? अगर उसकी कोई योजना है तो उसकी कार्ययोजना क्या है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बिहार में अभी खासकर के जो पिराई क्षमता है, वह अभी मैं बताना चाहता हूं 43,674 लाख टन प्रतिदिन क्रशिंग की क्षमता है।

श्री नीतीश कुमार : कुछ अपनी जानकारी से भी बता दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य समझदार भी हैं और हाशियार भी हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि बिहार में जो मिल सिक हैं, एक तो बहुत पुरानी मिले हैं और यह सही है कि पुरानी मिलों की क्षमता घट गई है, क्रशिंग कैपेसिटी घटी है, उसी क्रशिंग कैपेसिटी को माडर्न टैक्नोलोजी में बदलने के लिए हमारे पास प्रावधान है। जो एस.डी.एफ. (शुगर डवलपमेंट फंड) है, उसके तहत हम एस.डी.एफ. से पुरानी मिलों को सरकारी सहायता देते हैं। यदि माननीय सदस्य ऐसी मिलों की सूची दे दें, जिन मिलों को यह माडर्न करना चाहते हैं तो निश्चत रूप से हम उसपर विचार करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी को धन्यवाद, सूची देने की जरूरत नहीं है, उनके पास है, लेकिन फिर भी मैं भेज दूंगा। गन्ने की पिराई क्षमता बढ़ाने के लिए और देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेहतर क्वालिटी की चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ताकि निर्यात को भी बढ़ावा मिल सके, इन सभी दृष्टिकोणों से क्या सरकार चीनी उद्योग में डीलाइसेंसिग का विचार रखती है, अगर सरकार का विचार है तो कब तक डीलाइसेंस कर देंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सरकार के विचाराधीन है और एक्टिव कंसिडरेशन है। इसीलिए विचारोपरांत ही समय बताया जा सकता है, लेकन हम जल्द ही इस पर फैसला करने का विचार करेंगे।

श्री कचरु भाऊ राउत : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में गन्ने की पिराई के बारे में जानकारी दी है। पिराई का मौसम खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में कितने क्षेत्र में और कितने टन गन्ने की पिराई नहीं हुई? पिराई नहीं होने से काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है, क्या शासन उनकी मदद करने का विचार कर रहा है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महाराष्ट्र में ज्यादातर को-आपरेटिव चीनी मिले हैं। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत अच्छी है, जो जानकारी मुझे प्राप्त है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सही जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप जवाब तो सुनिए। महाराष्ट्र में जो गन्ने को सवाल है, पिछली बार भी यह सवाल उठाया गया था कि गन्ना खेत में खड़ा रह गया और क्रशिंग नहीं हुआ। इसकी मैंने जांच कराई है। महाराष्ट्र सरकार ने लिखा है कि यह गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहा। सेकंड ग्रोथ जो बाद में होता है, वह कुछ खड़ा रहा, लेकिन जो फर्स्ट ग्रोथ है, वह खड़ा नहीं रहा।

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि जो चीनी मिलें कम शक्ति की हैं, उनकी सूची दें, मैं चीनी विकास निधि से मदद करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 170 चीनी मिलें है। उनमें से आधी से अधिक 800 से 1200 टन क्षमता की हैं। इसके पहले सरकार ने उनकी केपेसिटी बढ़ाने के लिए पिपराई, बैतालपुर, लक्ष्मी गंज और भटनी के लिए करीब पाच साल पहले एप्रूवल दिया था, लेकिन आज तक एक रुपया भी आपकी विकास निधि से नहीं मिला। अभी धर्मसंकट है कि चीनी मिलों की पिराई के लिए किसानों को 72 रुपये देना सरकार ने तय किया है, लेकिन वे नहीं दे रह हैं। आज भी पांच अरब रुपये चीनी मिलों पर बकाया हैं जो मिलें पडरोना, कटकुइयां में हैं, उन पर 17 करोड़ बाकी है, वहां के लोगों ने आंदोलन किया है, लोग जेल गए

हैं। आपको यह भी मालूम है कि आधे से अधिक गन्ना आधी कीमत पर कोल्हू क्रेशर में जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितनी चीनी मिलों को कितने प्रदेशों में कितना पैसा आपने दिया है और जो 72 रूपये प्रति क्विंटल मूल्य देने की बात कही है, वह देंगे। क्या गन्ने के बकाया शीघ्र भुगतान के लिए आप जल्द कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसके बावजूद भी मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुए कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

जानकारी यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में , जैसा कि उन्होंने अभी पेमेंट के बारे में कहा है, लगभग देय राशि 3455 करोड़ रुपये थी, जिसमें से भुगतान 3202 करोड़ रुपए का हो गया है और लगभग 253 करोड़ रुपए, जो कि 7.3 प्रतिशत बनता है, बकाया है, जिसके भुगतान की प्रक्रिया चालू है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। कृपया सुन लीजिए...**(व्यवधान)** चार चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने का मामला चार साल पहले एप्रूव हो चुका है, उसको आपने कितना रुपया दिया है? इसके साथ ही 72 रुपए उत्तर प्रदेश को देने के लिए आपने तय किया है, लेकिन मिले दे नहीं रही है। ...**(व्यवधान)** भारत सरकार जितना ...**(व्यवधान)** जो बकाया है, उसमें आपने कितना रुपया दिया है? मान्यवर, यह प्रश्न बहुत जरूरी है।...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैनें पहले ही जिक्र किया, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न के बाहर है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव एक्सपैंशन का, टी.सी.डी. कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मेरे पास लम्बित नही है। अभी तक...**(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र : पांच मिले हैं ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप लिख कर दीजिए, मैं तुरन्त उसका निष्पादन करूंगा। एक्सपैंशन का कोई सवाल नहीं रहता है ...**(व्यवधान)** एक्सपैंशन के केसेज को हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं। अभीतक 50 से अधिक चीनी मिलों को एक्सपैंड करने की अनुमति दी जा चुकी है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जितनी चीनी मिलें हैं, 1995-96 में जितना गन्ना था, उतना गन्ना क्रश नहीं हुआ है, पिराई नहीं हुई है। पन्द्रह लाख मीट्रिक टन गन्ना वेसे ही खेत में खड़ा रहा। इसके बारे में मैंने पहले भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं, केन्द्रीय शासन की तरफ से उनको कौन सी मदद दी गई है? हमारे महाराष्ट्र से कम से कम 2000 करोड़ रुपया विकास निधि करके केन्द्रीय शासन को मिलता हैं। जो निधि केन्द्रीय शासन को आती है, उसके अन्दर विकास निधि करके महाराष्ट्र की चीनी मिलों के अन्दर जो भी गन्ना आता है, उससे किसानों को दी जाती है। इसके बारे में 125 करोड़ रुपया पूरे महाराष्ट्र के वास्ते केन्द्र ने दिया है, लेकिन जो दो हजार करोड़ रुपया महाराष्ट्र ने केन्द्रीय शासन को दिया है, उसको डवेलपमेंट फन्ड करके केन्द्रीय शासन ने नहीं दिया है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, महाराष्ट्र सरकार जो गन्ना क्रश नहीं कर सकी है, जो बहुत कम गन्ना है और क्रश नहीं हुआ है, उसके लिए मदद के रूप में 5000 रुपए प्रति एकड़ देगी...**(व्यवधान)** पांच हजार प्रति एकड़...**(व्यवधान)**

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं है।...**(व्यवधान)** एक पाई नहीं मिली है।...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जहां नहीं मिला हैं, वहां की सूचना दीजिए। उनको मदद देने का हमारा पोजिटिव...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : आप 5000 रुपए प्रति एकड़ देने वाले हैं-ऐसा आप कह रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री बनवारी लाला पुरोहित : आज तक एक रुपया भी मदद नहीं हुआ है।...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हां, जहां गन्ना क्रश नहीं हुआ है, वहां पांच हजार प्रति हैक्टेयर की दर से मदद दी जाएगी।...**(व्यवधान)**

दूसरी बात, माननीय सदस्यों ने गन्ना किसानों का सवाल उठाया है...**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस : आप यह पूरे देश में देंगे या यह केवल महाराष्ट्र के लिए है?...**(व्यवधान)** यह जो निधि पांच हजार प्रति हैक्टेयर की है, वह खाली महाराष्ट्र के लिए है या पूरे देश के लिए है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, यह सुविधा किन राज्यों को देगें, आप महाराष्ट्र को देंगे या पूरे देश को देंगे?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। मैं इस प्रश्न का महत्व जानता हूं। पहले भी किसी ऐसे अवसर पर इनकी सूची बनाई गई थी जब प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सकते थे। कल मैंने इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 262 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी।

प्रो. पी.जी. कुरियन : चीनी मिलें, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं है और भी जगह हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी ने जो यह घोषणा की थी कि किसानों को 5,000 रुपये दिए जायेंगे, यह नियम क्या केवल महाराष्ट्र में ही लागू होगा कि अन्य सभी राज्यों पर भी लागू होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

प्रो. पी.जी. कुरियन : मेरे चुनाव क्षेत्र में दो चीनी मिलें हैं और दोनों रुग्ण हैं।...**(व्यवधान)** यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं यह मामला कहा उठाऊं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घण्टे की चर्चा में भाग ले सकते हैं।

प्रो. पी.जी. कुरियन : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बैठ जाएं। हम अगले प्रश्न पर पहले ही पहुंच चुके हैं। मैं जानता हूं कि सभी इसी विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं।,यह अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य प्रभावित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम एक प्रश्न पर एक घण्टा खर्च नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम अगले प्रश्न पर आ चुके हैं।

(व्यवधान)

वन मंत्रियों का सम्मेलन

***262. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्य वन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय लिए गए?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। राज्य वन मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में दिनांक 26-27 अगस्त, 1996 को आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन का संरचना सामान्य वानिकी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष मुद्दों और वन्य जीव से संबंधित कार्य देखने वाले तीन दलों में की गई थी। सम्मेलन में जिन बिन्दुओं पर चर्चा की गई, उन्हें सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

विवरण

मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

सामान्य वानिकी

1. अवक्रमित क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन

अच्छे काष्ठ वाले वनों में संयुक्त वन प्रबंधन का विस्तार करने का निर्णय, राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति के गठन के पश्चात संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित मामलों की पूरी जांच किए जाने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने पर लिया जायेगा।

संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण सामाजिक आर्थिक टकराव हुआ है जिससे वनों से दूर रहने वाले लोगों के भोगाधिकार लाभों की क्षति होगी लेकिन ऐसे लाभ उन्हें विगत में पारम्परिक रूप में मिल रहे थे। इस बात पर सहमति हुई थी कि इस सीमा से बाहर रहने वाले लोगों की मूल वास्तविक आवश्यकताओं को संयुक्त वन प्रबंध के एक अभिन्न भाग के रूप में वानिकी का विस्तार किया जाए। वानिकी कार्य योजनाओं में स्थल विशिष्ट योजना तथा संयुक्त वन प्रबंध को शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम समुदायों को प्रशिक्षण के लिए व्यापाक दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए जिसमें गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

2. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक रिपोर्टों (सांख्यिकीय) की प्रगति

भारतीय वन सर्वेक्षण और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रीकरण के लिए अनुकूल डांटाबेस की आवश्यकता पर बल दिया गया।

3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

भारत सरकार के नीति-निर्देश कि जब तक प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों की कम से कम 70 प्रतिशत तक प्राप्ति नहीं हो जाती, वन संरक्षण अधिनियम के तहत कसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा, प्रभावी सिद्ध हुए हैं। कई व्यवहार्य और प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण 1990 के अन्तरण के बाद के लिए इस सीमा को घटा कर 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है। तथापि, बाद के वर्षों में व्यवहार्य कार्यात्मक बाधाओं का समाधान करके और प्रक्रियाओं से सामंजस्य स्थापित करके इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

जन उपयोगी सेवाएं, उदाहरणतयः जल आपूर्ति योजनाएं, स्कूल, अस्तपाल आदि जैसे मामलों में 5 हेक्टेयर तक वन भूमि के अन्तरण के मामलों सहित परियोजनाओं को सुझाने के लिए भारत सरकार के एक प्रतिनिधि सहित राज्य समिति के माध्यम से राज्य सरकार को

शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। तथापि, यह शक्तियां, राज्य सरकार की सलाह से भारत सरकार द्वारा बनाए गए अच्छी तरह से निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत पूरी सावधानी के साथ प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।

नदी के किनारों से शिलाखण्ड और/या रेत हटाने के मामलों के संबंध में प्रतिपूरक वनीकरण के अनुबंध को हटाए जाने की आवश्यकता है।

खनन एवं खनिज विनियमीकरण विकास अधिनियम के तहत क्षेत्रों में खन्न पट्टे की अनुमति या नवीकरण के मामलों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय वन नीति में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से गुण-दोष के आधार पर मामलों को छोड़कर, अधिग्रहण की गई भूमि का नियमतीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

4. भारतीय वन सेवा संवर्ग प्रबन्धन

भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नियमित करने में राज्य सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए और शीघ्र ही भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर सभी लंबित मामलों पर कार्यवाही करनी चाहिए। राज्य सरकारें जहां पर संवर्ग पुनरीक्षण होना है, को निवेदन किया गया था कि वह जल्दी ही अपने प्रस्ताव भेज दें।

कुल भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण करके राज्य सरकारों को वन प्रभागों के संवर्ग को अधिसूचित करना चाहिए। इससे संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (केन्द्रीय सरकार) पूर्व मंजूरी लिए बिना प्रभागों के संवर्ग विखंडन पर नियंत्रण लगेगा। आम मत था कि संवर्ग अधिकारियों का संवर्ग पदों में तैनाती की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए।

राज्य सरकारों को भारत सरकार में उपयुक्त और इच्छुक अधिकारियों के नामांकन भेजने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। राज्य सरकारों को भारतीय वन सेवा अधिकारियों की सचिवालय पदों और सम्बद्ध विभागों तथा/या संगठनों मे तैनाती के मामले का अनुसरण करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्रालय को भी केन्द्रीय सरकारी सचिवालय में वन अधिकारियों को शामिल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए ताकि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण का पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके।

5. केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों कार्य निष्पादन और प्रगति

विद्यमान वनीकरण स्कीमों में निम्नलिखित पहलू शामिल किए जाएं:

- स्कीमों में संयुक्त वन प्रबंधन तंत्र शामिल किया जाए।
- प्रशिक्षण घटकों का सुदृढ़ीकरण
- औषधीय पौधों को उगाने पर जोर
- पुनर्जनन क्षेत्रों में कोटेशनल/नियंत्रित चराई
- निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण

जवाहर रोजगार योजना तथा ग्रामीण क्षेत्र और विकास मंत्रालय की अन्य स्कीमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए निधियों के निर्धारण की पूर्व प्रक्रिया को बहाल किया जाए। राज्य सरकारें इस प्रकार के निर्धारण के लिए योजना आयोग से अनुरोध कर सकती हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है।

6. राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करना

राज्यों को राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम के संकलन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों के द्वारा राज्य वानिकी कार्यवाही कार्यक्रमों को जल्दी मंजूरी देनी चाहिए।

7. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निधियों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि दानदाता ऐजेंसियों से समय बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध पर सामन्यतया अनुकूल विचार नहीं किया जाता है।

8. कर्मचारियों का प्रशिक्षण

सहायक वन संरक्षण तथा फारेस्टरों के रूप में रेंजरों की पदोन्नति या उपरेंजरों की रेंजरों के पद पर पदोन्नति के लिए पदोन्नति से जुड़े प्रशिक्षण शुरू करने की अवधारणा पर कार्रवाई की जाए। राज्य सरकारें पदोन्नति से जुड़े प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए अधीनस्थ वन सेवा नियमों में उपयुक्त संशोधन करने पर सहमत हो गई हैं।

9. वृक्ष सुधार कार्यक्रम

आई सी एफ आर ई द्वारा शुरू किए जा रहे अनुसंधान के उपयुक्त विस्तार के जरिए फील्ड स्तर पर उपयुक्त प्रौद्योगिकियां अपनाई जानी चाहिए।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों, जो वन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार दिए जाने के संबंध में कानून

इसके दूरगामी निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अन्य समुदायों के अधिकारों के संबंध में इस मामले की जांच करनी चाहिए। आदिवासियों सहित स्थानीय समुदायों द्वारा लघु वनोपज एकत्र करने का अधिकार पहले ही राज्यों में विद्यमान है और रायल्टी या तो लगाई जाती है या मामूली होती है। मात्र लघु वनोपज अधिकारों के स्वामित्व को अन्तर्गत करने से तब तक समुदायों को लाभ नहीं होगा जब तक कि इसका समर्थन व्यापार के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र द्वारा न किया जाए। जहां अपेक्षित हो, रायल्टी माफ करने सहित लघु वनोपजों व्यापार से स्थानीय समुदायों को मिलने वाले लाभों में सुधार के लिए राज्य सरकारें इस मामले की जांच करने पर सहमत हो गई हैं। लघु वनोपज वाले वन क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन तंत्र को शुरू करने और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

11. क्या उद्योगों द्वारा प्रदत्त निधियों से कच्ची सामग्री उगाने के लिए वन क्षेत्रों को वन निगमों को दिया जाए

इस बात पर आम सहमति थी कि अंतिम निर्णय लेते समय स्थानीय समुदाय के हितों का सर्वोच्च ध्यान रखा जाए।

12. काष्ठ आधिरित उद्योगों की स्थापना के बारे में

आमतौर काष्ठ उद्योगों और विशेष रूप से आरा मिलों की स्थापना के लिए पूर्व केन्द्रीय अनुमोदन को सम्मेलन ने सहमति नहीं दी। इस बात पर बल दिया गया कि अधिकतर राज्य सरकारों ने उचित रोकथाम और संतुलन बनाए रखा। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारों को एक समान नियम और विनियम बनाने के योग्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार व्यापक दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित मामले

वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर सभी जिला परिषदों के साथ बातचीत शुरू करने की आवश्यकता है। क्षेत्र के भीतर सीमाओं की तुलना में सामान्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ उठाए जाने की आवश्यकता है जिसके ब्यौरे राज्यों द्वारा शीघ्र दिए जायेंगे।

वननाशन और झूम खेती द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान उपग्रह प्रतिबिंबिकों का प्रयोग करके की जायेगी ताकि क्षेत्रों की शिनाख्त हो सके और वन नाशन को रोकने के लिए विशेष कार्रवाई की जा सके। वानिकी, विशेषकर झूम खेती द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के विकास, क्षेत्र के झूमियों के पुनर्वास के लिए अधिक आबंटन के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया जायेगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जिला परिषदों के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुप्रयोग का [illegible] करेगा।

इमारती लकड़ी के अवैध आवागमन और व्यापार को रोकने के लिए रेलवे से अधिक सहयोग की अपेक्षा है और राज्य सरकारों द्वारा कुछ विशेष कार्रवाई भी सुझाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वन उत्पादों के प्रभावी नियंत्रण के लिए पड़ौसी देशों के साथ बातचीत करने सहित जिला परिषद एवं राज्य स्तर पर अधिक चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

राज्यों की आरा मिलों सहित काष्ठ आधारित उद्योगों को जारी रखने या न रखने के लिए इमारती लकड़ी सतत उपलब्धता का मूल्यांकन करना चाहिए।

वननाशन की समस्याओं, इमारती लकड़ी आधारित उद्योगों पर नियंत्रण और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिवों सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक आयोजित की जायेगी।

वन्यजीव

सुब्रमनियम समिति की मुख्य सिफारिश की समीक्षा की गई थी। सिफारिशों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के लिए उच्च स्तरों पर राज्य सरकारों को सुग्राही बनाए जाने की आवश्यकता है। हर माह बाद स्थिति की पुनरीक्षा करने पर सहमति हुई थी और राज्यों से कहा गया था कि वे इस बारे में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वन्यजीव सेक्टर के लिए बजट आबंटन अधिकांश राज्यों में कुल वानिकी बजट के लिए प्रस्तावित 15 प्रतिशत से कम था। राज्य बजट और विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक निधियों की मांग करके इस स्थिति में सुधार किया जाए। वन्यजीव से संबंधित सभी जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को नौंवी योजना में अधिक तेजी से तथा योजना आयोग द्वारा स्थापित नौंवी कार्य योजना द्वारा सुझाई गई स्कीमों के रूप में सात नई स्कीमों सहित जारी रखा जाए। तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात "वन्यजीवों का चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार का नियंत्रण" प्रकृति शिक्षा और इन्टरप्रिटेशन" तथा "गैंडों का संरक्षण" की व्यापक समीक्षा की जाए।

वन्यजीवों तथा वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों वाली राज्य स्तरीय समन्वय समिति की अवधारणा को मंजूर किया गया था और राज्यों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्डों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि इनकी बैठकें नियमति रूप से नहीं हो रही थीं। इस स्थिति में सुधार के लिए कानून की अपेक्षाओं के अनुसार नियमित बैठकें आयोजित की जाएं।

औषधीय पौधों के दोहन और व्यापार पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है। केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय औषधीय पोधों, उनके भागों और उत्पादों पर फील्ड स्टाफ के उपयोग के लिए अभिनिर्धारण मैनुअल तैयार करेगा।

राज्यों को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा उपयोग करना चाहिए और वन्यजीव ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती करनी चाहिए ताकि उपयुक्त तैनातियां सुनिश्चित की जा सकें।

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए प्राथमिकता दी जाए। यदि राजस्व अधिकारी इस बढ़े हुए कार्य को करने में असमर्थ हों तो राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए कलैक्टर के रूप में वन अधिकारियों सहित किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके द्वारा राज्य वन मंत्रियों के सम्मेलन में दिए गए उस वक्तव्य की ओर

दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने सम्मेलन को सरकार के इस निर्णय से अवगत करवाया था कि यद्यपि बहुत सी अनुपजाऊ वन भूमि पूरे देश में उपलब्ध है तथापि सरकार की यह नीति है कि किसी उद्योग को यह भूमि बट्टे अथवा आबंटित नहीं की जाएगी। हम उस भावना की प्रशंसा करते हैं कि वनों को संरक्षित किया जाए।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि इस अनुपयुक्त भूमि को किसी भी तरह से उपयोग नहीं हो सकता अथवा यदि इसे उपजाऊ भूमि नहीं बनाया जा सकता, तब यदि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक उपक्रम अथवा कोई औद्योगिक संस्था इस भूमि पर पेड़ लगाकर इस अनुपजाऊ भूमि को उपयोगी बनाने की पेशकश करता है, क्या मंत्री जी उन्हें इस बात का अवसर देंगे कि अनुपजाऊ भूमि को उपयोगी बना सके? मैं मंत्री महोदय से केवल यही जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सदस्य का जो प्रश्न है, वह बहुत साफ-साफ क्लियर है।

[अनुवाद]

हमने इन प्रश्नों के उत्तर सदन के पटल पर रख दिए हैं

[हिन्दी]

यह प्रश्न उससे संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं? क्या आप संतुष्ट है?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान आपका संतुष्ट होना ज्यादा महत्वपूर्ण है?

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : महोदय, उसमें क्या डिसीजन लिया गया, उसी के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते थे तो जो डिसीजन लिया गया था, उस बारे में हमने कह दिया है। मान्यवर, जहां तक इनका सवाल है तो न रहते हुए भी मैं जवाब देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी इस नीति से हटने को तैयार है कि यदि औद्योगिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठान अपना धन खर्च करके उस बंजर भूमि को उपयोगी बनाना चाहें, तो वह बंजर भूमि बट्टे या अन्तरण पर उद्योगों को न दी जाए। दूसरे शब्दों में अनुपजाऊ भूमि के लिए सरकार धन खर्च न करे।

अध्यक्ष महोदय : डा. रेड्डी, आप अपना यह तरीका जारी नहीं रख सकते। कृपया बैठ जायें। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप शान्ति से बैठिए और आराम से उत्तर सुनिए। आप आवेग में क्यों आ जाते हैं?

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : इस बारे में पिछली सरकार ने उद्योगों का लीज पर देने का प्रस्ताव मंत्रालयों द्वारा कैबिनेट के विचारार्थ भेजा था। कैबिनेट ने मंत्रियों की एक समिति गठित की थी। इस समिति ने मंत्रालयों को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हम भी सम्बद्ध पक्षों से विचार कर रहे हैं और उनसे सलाह-मशविरा करके ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसमें हम किसी भी परिस्थिति में अपने वनों की भूमि को किसी भी उद्योगपति को लीज पर देने या हस्तांतरित करने के पक्ष में नहीं है। हम किसी भी ऐसी नीति को लागू करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं जो वन-रोपण, वनों के संरक्षण और प्रबंधन में वनों से जुड़े हुए निवासियों के हितों को नजर-अंदाज करती हो। जो भी नीति बनेगी, उसका केन्द्र-बिन्दु वनों से जुड़े हुए मूल-निवासी ही होंगे। जो भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, उसमें इन लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। इस मूल सिद्धांत से हम समझौता नहीं कर सकते हैं और यही हमारी राष्ट्रीय-नीति 1988 का आधार है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरा अगला अनुपूरक प्रश्न यह है

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत अच्छा है, आप संतुष्ट हो गए।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

अब मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। हमारे देश में, इस समय कुल भूमि का 19 प्रतिशत भूमि अर्थात 6,40,000 वर्ग मी. भूमि वन-भूमि है। हम सभी जानते हैं आजकल विभिन्न कारणों से वनोकरण की प्रक्रिया ढ़ीली हुई है और मैं संयुक्त प्रबन्धनीय ढ़ाचे के शुरू करने की सरकारी नीति को समझता हूं, मेरा तात्पर्य यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वन-संरक्षण के कार्य में जुटे हैं। उन्होंने बताया है कि वन-संरक्षण के लिए 5,000 करोड़ रुपये दिये गए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद और अथक प्रयासों के बावजूद वह वन-भूमि को संरक्षित नहीं कर पा रहे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वनों के हितों में और भविष्य में वनीकरण के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : मान्यवर, जहां तक इसे प्रश्न का सवाल है जो 500 करोड़ रुपया...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : 5000 करोड़ रुपये...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : यह 5000 करोड़ रुपये है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : जो 1995 की रिपोर्ट दी गई है, जिसमें वनों में कमी दर्शायी गयी है वह असल में नगण्य है। वनों में केवल 0.1 प्रतिशत की कमी आई है और यह कमी मुख्यतः नार्थ-ईस्टर्न राज्यों की वजह से आई है। वहां की स्थिति से आप अवगत हैं। जहां तक बाकी राज्यों का सवाल है उनमें अधिकांशतः बढ़ोत्तरी ही हुई है। अगर उत्तर-पूर्वी राज्यों में जो कमी आई है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के राज्यों में बढ़ोतरी ही हुई है। अगर आप चाहेंगे तो उसका भी मैं विवरण दे दूंगा कि किस-किस राज्य में बढ़ोत्तरी हुई है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य था जहां संयुक्त वन प्रबन्धन समितियां गठित की गई थी। हमारे पास अरावरी का उदाहरण है। मिदनापुर के उस जिले को अरावरी माडल कहा जाता है जहां बेकार वन-भूमि का विकास किया गया और साल के जगल खराब थे, साल वन खराब थे और वहां स्थानीय लोगों ने स्थानीय पंचायत की मदद से संयुक्त वन प्रबन्धन समिति बनाकर उन वनों का विकास किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का वन क्षेत्र के विकास हेतु तथा बंजर भूमि का विकास करने के लिए ऐसी संयुक्त वन प्रबन्धन समितियां गठित करने का विचार है।

मेरे प्रश्न के भाग 'ख' यह है कि त्रिपुरा सरकार ने बंजर भूमि को रबर के उत्पादन के लिए प्रयुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। त्रिपुरा राज्य के इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अध्यक्ष महोदय, यहां तक कमेटी के गठन का सवाल है, अभी तक 12 हजार कमेटियों का जाइंट फारेस्ट मैनेंजमेंट योजना के तहत गठन हो गया है जिसमें 15 राज्य शामिल हो गये हैं। जहा तक त्रिपुरा का सवाल है, वह मामला विचाराधीन है जिस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने कहा कि वेस्टलैंड और फारेस्ट लैंड उद्योगपतियों को नहीं देना चाहते है, उसके लिये तो मैं इनका धन्यवाद देता हूं लेकिन जो आदिवासी पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं और जिनका वनों से घनिष्ठ संबंध रहा है, वे विस्थापित होकर कहीं न कहीं रह रहे हैं और जैसाकि आपने बताया कि फारेस्ट लैंड कम हो रही है तो क्या उन आदिवासियों को डेवलेप करने के लिये जंगल विकसित करने हेतु या हरियाली लगाये जाने के लिये कोई सोशल फारेस्ट स्कीम सरकार के पास है जिससे आदिवासियों को मदद मिल सके?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अध्यक्ष महोदय, जाइंट फारेस्ट मैनेजमेंट स्कीम में सब कुछ दिया गया है और उसके तहत ही सरकार आदिवासियों की ओर ध्यान दे रही है और इस कारण से हम किसी इंडस्ट्री को लीज पर वन नहीं देने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 263

श्री प्रमोद महाजन : प्रश्न संख्या 263

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : प्रश्न सं. 263

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, आप मंत्री जी है। मैं मंत्री नहीं हूं। आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न पूछिए मत।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे तो पुरानी आदत है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

दिल्ली में अपराध की घटनाएं

+

***263. श्री प्रमोद महाजन :**

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1995 की तुलना में 1996 के दौरान आज तक माहवार हत्याओं विशेषरूप से वृद्ध दम्पत्तियों की हत्याओं, चोरी, डकैतियों, अपहरण, बलात्कार, छेड-छाड़ और महिलाओं पर अत्याचार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरन देश में अन्य महानगरों में प्रकाश में आने वाले ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बढ़ रहे ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जानकारी अनुलग्नक-I में दर्शाई गई है।

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास सम्प्रति उपलब्ध जानाकरी अनुलग्नक-II से VI में दर्शाई गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अपराध की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं-

(1) गश्त लगाने की मौजूदा बीट प्रणाली की समीक्षा करके इसे अधिक प्रभावी बनाया गया है। कुख्यात अपराधियों

पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे अपराधिकयों पर, जिनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और जो प्रायः पुलिस के जाल से बच निकलते हैं, कड़ी नजर रखे जाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। "अजनबी सूचियां" जारी करके वर्ष 1995 के दौरान एक लाख से अधिक अजनबियों को, बाहर निकाला गया।

(2) हताश हो गए अपराधियों की गतिविधियों के बारे में निरन्तर आसूचना विकसित की जाती है तथा इन अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मारे जाते हैं। रात में, विशेषतौर से अंधेरी रात में गश्त बढ़ा दी गई है क्योंकि अपराधियों की ऐसी रातों में अपराध करने की प्रवृत्ति होती है।

(3) जेल से रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों तथा उनके द्वारा जीवनोपार्जन हेतु अपनाए गए तरीकों का सत्यापन किया जाता है तथा उन पर निगरानी रखी जाती है।

(4) नये जोश के साथ नौकरों के सत्यापन का अभियान चलाया गया। ऐसे अभियानों को विभिन्न कालोनियों में चलाया गया ताकि नागरिकों को अपने नौकरों का सत्यापन कराने हेतु प्रेरित किया जा सके।

(5) राजधानी की विभिन्न कालोनियों में "अपने पड़ौसी पर नजर रखो" नामक योजना शुरू की गई है। बीट अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से समय-समय पर मुलाकातें की जाती हैं।

(6) जघन्य अपराधों का पता लागने हेतु जांच-पड़ताल के अत्याधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

(7) दिल्ली पुलिस के अधीन हाल ही में एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया है ताकि जघन्य अपराधों सहित गंभीर अपराधों से गंभीरता के साथ निपटा जा सके, तथा

(8) अधुनातम यू.एच.एफ. ट्रंक्ड रेडियो कम्यूनिकेशन सिस्टम की स्थापना करके पुलिस नियंत्रण कक्ष के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने हाल ही में एक स्कीम को मंजूरी प्रदान की है ताकि पुलिस संचार प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा शिकयतों, इत्यादि पर जवाबी कार्रवाई करने में कम समय लगे।

विभिन्न राज्यों में अपराध की स्थिति के बारे में संबंधित राज्य सरकारें अपराध की समीक्षा, प्रबोधन और उस पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं, क्योंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं।

अनुलग्नक-I

1995 में पहले 11 महीनों और 1996 की समकालीन अवधि के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सूचित किए गए, हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण/व्यपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले माह-वार।

		जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नवम्बर
हत्या**	1995	31	39	41	47	39	50	46	42	43	52	48
	1996	42	36	48	43	50	47	45	44	49	44	31
लूटपाट	1995	31	29	24	59	62	47	51	48	54	54	43
	1996	50	41	46	49	50	39	42	54	62	59	64
डकैती	1995	4	2	1	3	6	4	1	2	3	3	10
	1996	3	1	4	4	2	2	2	1	5	3	1
अपहरण/	1995	72	70	97	115	112	118	121	119	110	99	102
व्यवहरण	1996	105	107	123	100	103	100	133	105	110	86	95
बलात्कार	1995	22	27	25	39	41	30	38	26	45	26	30
	1996	33	49	40	42	51	54	45	57	38	29	19
महिलाओं का	1995	24	27	35	48	44	45	60	51	60	45	42
उत्पीड़न	1996	42	42	57	62	80	68	63	69	64	52	60
दहेज मृत्यु	1995	8	15	13	17	15	27	12	7	13	11	17
	1996	14	8	13	15	11	11	14	10	11	11	12
भा.द.सं. 406	1995	9	10	7	8	4	1	2	3	5	4	6
(दहेज से संबंधित)	1996	1	1	5	1	3	1	1	2	1	-	3
भा.द.सं. 498-क	1995	60	75	70	69	121	102	91	85	96	83	106
(पति या ससुराल वालों द्वारा अत्यचार	1996	58	46	60	60	76	98	84	84	86	82	67
दहेज निषेध	1995	1	1	1	1	2	2	0	0	1	3	-
अधिनियम	1996	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
महिलाओं का	1995	46	54	76	79	79	81	78	80	79	66	72
अपरहण/व्यपहरण	1996	77	75	93	74	74	81	101	76	91	61	53
महिलाओं के साथ	1995	75	80	861	259	195	193	189	300	198	147	142
छेड़खानी	1996	140	129	167	135	127	171	175	138	344	278	140

** नोट: इनमें से 1995 के पहले 11 महीनों के दौरान वृद्ध दम्पतियों की हत्या से संबंधित मामलों की संख्या पांच थी और 1996 की समकालीन अवधि के दौरान तीन।

अनुलग्नक–II

1995 में पहले 11 महीनों और 1996 की समकालीन अवधि के दौरान, मुम्बई में सूचित किए गए, हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण/व्यपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले माह–वार।

		जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नवम्बर
हत्या	1995	27	20	35	36	30	33	26	25	27	40	30
	1996	25	32	31	27	37	29	16	25	उ.न.	25	उ.न.
लूटपाट	1995	56	52	55	25	88	84	48	57	63	59	71
	1996	44	56	59	45	31	50	57	75	उ.न.	–	उ.न.
डकैती	1995	6	10	9	4	14	18	5	8	14	13	17
	1996	12	9	7	9	9	5	8	5	उ.न.	5	उ.न.
अपहरण/	1995	21	26	21	24	23	20	13	19	16	18	17
व्यपहरण	1996	16	14	17	20	8	16	2	21	उ.न.	14	उ.न.
बलात्कार	1995	13	15	16	21	18	27	26	17	10	18	10
	1996	15	6	17	6	13	10	6	8	उ.न.	9	उ.न.
महिलाओं का	1995	31	28	36	28	37	38	38	48	24	42	26
उत्पीड़न	1996	32	16	29	28	14	11	26	29	उ.न.	20	उ.न.
दहेज मृत्यु	1995	2	1	1	3	4	3	3	1	1	1	4
	1996	1	2	–	1	2	–	–		उ.न.	–	उ.न.
भा.द.सं.498–क	1995	15	15	32	26	31	28	25	27	28	32	28
(पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार)	1996	13	2	6	6	12	10	11	12	उ.न.	8	उ.न.
महिलाओं के साथ	1995	2	1	–	–	3	1	2	2	3	–	–
छेड़खानी	1996	–	5	3	1	–	–	–	–	उ.न.	2	उ.न.

अनुलग्नक-III

1995 में पहले 11 महीनों और 1996 की समकालीन अवधि के दौरान, कलकत्ता में सूचित किए गए, हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण/व्यपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले माह-वार।

		जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नवम्बर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हत्या	1995	8	7	7	5	12	5	8	11	5	8	6
	1996	7	7	4	11	12	6	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
लूटपाट	1995	11	11	10	8	16	17	13	11	15	8	19
	1996	21	6	14	11	9	26	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
डकैती	1995	1	1	4	1	5	3	3	4	4	1	1
	1996	2	2	3	–	–	2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
अपहरण/	1995	8	8	13	11	8	11	8	16	7	6	7
व्यपहरण	1996	8	4	4	12	9	12	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
बलात्कार	1995	2	–	6	7	3	1	3	10	2	6	6
	1996	–	2	1	2	2	3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
महिलाओं	1995	4	6	16	22	15	15	10	8	10	11	12
का उत्पीड़न	1996	7	15	14	8	19	8	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
दहेज मृत्यु	1995	–	–	1	1	1	2	2	1	1	–	1
	1996	1	–	1	1	1	1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
भा.द.सं. 498-क	1995	5	10	15	10	7	14	15	10	5	8	4
(पति या ससुराल	1996	16	4	15	15	10	13	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
वालों द्वारा												
अत्याचार)												
महिलाओं के साथ	1995	2	–	2	–	1	–	3	1	–	1	1
छेड़खानी	1996	2	1	–	–	–	1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

अनुलग्नक-IV

1995 में पहले 11 महीनों और 1996 की समकालीन अवधि के दौरान, चिन्नाई में सूचित किए गए, हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण/व्यपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले माह-वार।

		जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नवम्बर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हत्या	1995	6	8	5	9	12	10	8	5	9	6	6
	1996	6	उ.न.	उ.न.	5	6	6	5	1	5	उ.न.	उ.न.
लूटपाट	1995	13	6	13	7	6	4	6	7	9	1	6
	1996	5	उ.न.	उ.न.	4	4	9	9	3	10	उ.न.	उ.न.
डकैती	1995	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-
	1996	-	उ.न.	उ.न.	-	1	-	-	-	-	उ.न.	उ.न.
अपहरण/	1995	1	1	2	-	1	3	-	1	-	-	1
व्यपहरण	1996	4	उ.न.	उ.न.	1	4	2	3	-	2	उ.न.	उ.न.
बलात्कार	1995	1	3	2	3	1	1	1	-	-	-	-
	1996	2	उ.न.	उ.न.	1	-	3	2	1	-	उ.न.	उ.न.
महिलाओं का	1995	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	2
उत्पीड़न	1996	2	उ.न.	उ.न.	-	-	2	-	1	2	उ.न.	उ.न.
दहेज मृत्यु	1995	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	1996	1	उ.न.	उ.न.	-	-	-	-	-	3	उ.न.	उ.न.
भा.दं.सं. 498-क	1995	-	-	3	-	2	3	3	6	-	2	1
(पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार	1996	5	उ.न.	उ.न.	8	8	8	12	6	-	उ.न.	उ.न.
महिलाओं के	1995	3	9	6	3	6	6	28	15	-	9	33
साथ छेड़खानी	1996	20	उ.न.	उ.न.	5	18	-	-	-	-	उ.न.	उ.न.

अनुलग्नक-V

1995 में पहले 11 महीनों और 1996 की समकालीन अवधि के दौरान, बंगलौर में सूचित किए गए, हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण/व्यपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले माह-वार।

		जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नवम्बर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हत्या	1995	17	20	13	15	17	24	19	14	16	15	उ.न.
	1996	15	8	15	13	24	17	17	20	12	21	उ.न.
लूटपाट	1995	29	43	41	42	38	55	41	51	51	53	उ.न.
	1996	42	21	33	31	44	43	35	54	51	40	उ.न.
डकैती	1995	2	5	2	4	5	2	2	3	6	2	उ.न.
	1996	5	4	2	3	2	2	4	2	5	3	उ.न.
अपहरण/	1995	15	14	15	14	12	10	8	5	14	14	उ.न.
व्यपहरण	1996	7	7	5	6	9	11	13	7	16	11	उ.न.
बलात्कार	1995	1	6	5	5	2	3	3	4	5	1	उ.न.
	1996	2	6	3	3	3	2	3	2	2	2	उ.न.
महिलाओं का	1995	18	19	18	10	15	8	19	8	19	11	उ.न.
उत्पीड़न	1996	12	13	16	12	6	15	12	13	17	9	उ.न.
दहेज मृत्यु	1995	6	11	8	4	6	4	9	2	3	4	उ.न.
	1996	2	3	10	5	2	3	8	7	9	6	उ.न.
भ.द.स. 298-क	1995	19	10	-	26	14	12	14	17	21	14	उ.न.
(पति या ससुराल	1996	13	10	19	16	8	14	15	12	12	9	उ.न.
वालों द्वारा												
अत्याचार)												
महिलाओं के	1995	8	1	-	9	1	4	5	6	7	1	उ.न.
साथ छेड़खानी	1996	3	2	3	5	3	3	3	3	6	4	उ.न.

अनुलग्नक-VI

1995 में पहले 11 महीनों और 1996 की समकालीन अवधि के दौरान, हैदराबाद में सूचित किए गए, हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण/व्यपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, पति या ससुराल वालों द्वारा अत्याचार और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले माह-वार।

		जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्त.	नवम्बर
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हत्या	1995	8	3	7	7	5	5	3	11	11	1	2
	1996	6	6	8	8	13	8	9	5	13	10	उ.न.
लूटपाट	1995	3	6	2	5	4	3	9	5	3	3	3
	1996	7	2	6	4	4	6	–	5	3	6	उ.न.
डकैती	1995	2	3	1	–	–	–	1	1	1	–	1
	1996	2	–	–	–	1	2	2	–	5	–	उ.न.
अपहरण/	1995	9	2	10	7	8	1	3	9	8	7	5
व्यपहरण	1996	10	3	6	3	12	4	3	9	9	10	उ.न.
बलात्कार	1995	3	–	4	3	2	1	3	5	6	2	5
	1996	3	–	–	2	6	1	2	5	2	2	उ.न.
महिलाओं का	1995	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्पीड़न	1996	7	1	3	–	5	3	2	1	9	2	उ.न.
दहेज मृत्यु	1995	1	–	3	2	4	2	5	3	–	4	4
	1996	6	2	2	4	2	2	4	3	1	3	उ.न.
भा.दं.सं. 498-क	1995	27	44	17	34	11	26	18	9	–	22	21
(पति या ससुराल द्वारा अत्याचार)	1996	32	36	13	49	29	12	16	11	10	17	उ.न.
महिलाओं के साथ	1995	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेड़खानी	1996	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	उ.न.

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में प्रतिवर्ष अपराधों की संख्या बढ़ती रहती है लेकिन दुर्भाग्य से गत पांच वर्षों के उत्तरों को यदि आप देख लें तो उत्तर में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अपराधों की संख्या कितनी बढ़ती है, इसके उत्तर में एक वाक्य से पता लगता है- "कि अपराधों को रोकने के लिए राजधानी की सरकार ने, अपनी पड़ोसी पर नजर रखों, इस प्रकार की एक योजना प्रारम्भ की है।" पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखो, यहां से निकलकर पड़ोसी पर नजर रखो। इस प्रकार की योजना की नौबत सरकार पर आई तो इससे पता लगता है कि अपराधों में कितनी बढ़ोत्तरी हो रही है? इसमें तो उत्तर बहुत सर्वसाधारण है, इसलिये विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर अपराधों की संख्या देखें तो पता चलता है कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी रही है लेकिन जो उत्तर है उसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के संबंध में किसी विशेष कदम उठाने का उल्लेख नहीं दिखाई देता है। इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में क्या विशेष कदम उठाये हैं या उठाने वाले हैं? दिल्ली पुलिस बल में महिलाओं की संख्या कितनी है, उस संख्या में बढ़ोत्तरी करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है, पूर्ण महिला पुलिस थानों में कितनी महिलायें हैं, उसमें किस प्रकार से वृद्धि हो, इस दिशा में सरकार क्या विचार कर रही है, मैं यह जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, कोई भी, कम से कम पुलिस भी दिल्ली में अपराध की स्थिति से संतुष्ट होने का दावा नहीं कर सकती है। निश्चित तौर पर सरकार भी संतुष्ट नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ हमने अपराध सारिणी में अपराधों की भिन्न श्रेणियों के बारे में बड़े-बड़े आंकड़े दिए हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि सभी प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। इसे देखने से पता चलता है कि दिल्ली में कुछ तरह के अपराधों में निश्चित तौर पर कमी आ रही है जिस तरह के अपराधों में कमी आई है मैं उसके बारे में कुछ भी छुपाने का मेरा इरादा नहीं है।

डकैती जैसे अपराध में कमी आई है। आप जानते हैं कि डकैती की विधायी परिभाषा साधारण लूटपाट से भिन्न है, इसमें चार या अधिक लोग एक गुट के रूप में अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अतः डकैती डालने और फिरौती के लिए लोगों को अगुआ करने, जिसमें महिलाओं का अपरहरण शामिल है जैसे गंभीर अपराधों में कई कारणों से कमी आई है। काल की घटनाएं न्यूनाधिक रूप से उतनी ही हैं।

लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई हैं। आम अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है। एक या दो वर्ष पूर्व की तुलना में हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाएं दिल्ली में काफी कम हुई है। दहेज से संबंधित तथा महिलाओं से संबंधित अन्य मामलों में भी कमी आई है। वृद्ध दंपत्तियों पर अत्याचार के मामलों, जोकि पूछे गए प्रश्न का एक भाग है, में भी कमी आई है। अतः यह एक प्रकार का मिश्रित अनुभव है। कुछ अपराधों में वृद्धि हुई है, कुछ में कमी आई है।

माननीय मंत्री ने विशेष तौर पर महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के बारे में प्रश्न पूछा है। मेरे विचार से महिलाओं के प्रति अति जघन्य अपराध बलात्कार है तथा इस बारे में किसी सुधार की मैं कोई बात नहीं कर सकता हूं। वास्तव में बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई है। मैं कह सकता हूं कि एक-दो साल पहले तक लोग हमेशा विभिन्न कारणों से पुलिस स्टेशन जाने को तैयार नहीं होते थे। कभी-कभी मामला दर्ज ही नहीं कराया जाता था और कई बार पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी भी मामलों को दर्ज करने में अनाकानी करता था। जनता भी पुलिस के पास जाने तथा शिकायत दर्ज करने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित महसूस नहीं करते थे। पिछले वर्ष, अर्थात, 1995 में बिना किसी भेदभाव के सभी पुलिस स्टेशनों को कड़ी हिदायतें दी गई थीं तथा पुलिस स्टेशनों की देख-रेख करने वाले सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि प्रथम सूचना की सभी रिपोर्टें तत्परता से दर्ज की जाएं। अतः अपराधों की वास्तविक रिपोर्टिंग में कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है जिससे हमें इस बारे में अधिक सूचनाएं मिली हों।

स्वाभाविक तौर पर जिस प्रश्न से हम सभी तथा स्वयं मैं चिंतित हूं वह यह है कि और कौन अतिरिक्त उपाय और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि उपराध की स्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण में लाया जा सके।

मैं कह सकता हूं कि - किसी भी चीज पर पर्दा डालने की मेरी कोई मंशा नहीं है - दिल्ली का सामाजिक और आर्थिक वातावरण दिनोंदिन खराब होता जा रहा है। इस बात को हर कोई जानता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक सब प्रकार का वातावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है तथा स्थिति सभी प्रकार के अपराध करने के अनुकूल बन गई है।

यह एक प्रकार की कठिन लड़ाई है जिससे हमें निपटना हैं। लेकिन हम इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से ले रहे हैं तथा पुलिस प्रशासन उनके पकड़ने के तरीके, दोषियों को सामने लाने और उन्हें सजा देने की प्रक्रिया में यथासंभव सुधार का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में हम सुधार की कोई रिपोर्ट देने में सफल होंगे।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, उन्होंने सामान्य उत्तर दिया है। कृपया उनसे मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने को कहिए। मैंने उनसे पूछा था कि वे महिलाओं के बारे में अर्थात दिल्ली पुलिस, कुल पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या आदि के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। कृपया उनसे कहिए कि वे बताएं कि इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सामान्य सामाजिक आर्थिक समस्या का उल्लेख किया है इसके प्रश्चात मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री इन्दजीत गुप्त : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि पुलिस बल में अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती की जाये तथा दिल्ली के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम महिलायें हों। हमने इस दिशा में प्रगति की है। वे वास्तविक आंकड़े जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे उस बारे में पहले नोटिसे दें। मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूं। मैं उन्हें इसकी जानकारी दे दूंगा।

मेरे विचार से जहां तक महिलाओं के प्रति अत्याचार का संबंध है - मामलों में स्वयं कोई सुधार नहीं हो सकता है। हमें और भी कदम उठाने होंगे। जो टिप्पणी उन्होंने अच्छे पड़ौसी अथवा पड़ौसियों पर नजर रखने आदि के बारे में प्रारंभ की थी वह इस कारण भी न्यायसंगत है कि यदि वे हामरे द्वारा दिए गए सारे आंकड़ों को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि दहेज के कारण मौत अथवा ससुराल वालों द्वारा दुल्हन को सताने या बलात्कार, महलिाओं से छेड़छाड़ के मामलों में अधिकतर लोग उनके परिवारों अथवा उनकी जान-पहचान वाले होते हैं जोकि ये सब कृत्य करते हैं। इसलिए इसे भी ध्यान में रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मेरी आपत्ति केवल भाषा पर थी।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, दस मिनट हो गये हैं।

[अनुवाद]

मंत्रियों को भी क्षेप में बालेना चाहिए तथा सदस्यों को भी मतलब की बात करनी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : मैं बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा तथा स्पष्ट उत्तर की उम्मीद करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, दो प्रकार के और नये अपराध बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उसके लिए विशेष क्या कर रही है। पहला अपराध है पुलिस द्वारा किया हुआ अपराध, और कम से कम गत वर्ष यह पाया गया है कि 5 इंस्पेक्टर, 22 सब-इंस्पेक्टर, 19 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और 106 कांस्टेबिल ये सीधे क्रिमिनल केसिज में इंवोल्व्ड हैं। इनमें सरकार क्या कदम उठा रही है और दूसरा अपराध यह पाया गया जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इन दिनों दिल्ली में बच्चों के क्राइम्स बढ़े हैं। मैं केवल एक आर्टीकल का हैडिंग पढ़ दूं तो मेरा मतलब समझ में आ जायेगा।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है :

> "गंभीर अपराध, अब बच्चों का खेल बन गए हैं, राजधानी में बच्चों के संगठित समूह उबर कर सामने आए हैं।"

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : तो इस विषय में सरकार अभी से क्या प्रयास कर ही है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह सच है कि कार्यवाही की जा रही है तथा कई पुलिस कांस्टेबलों और उन अधिकारियों के विरुद्ध मुकद्दमें चलाए जा रहे हैं जो हिरासत में हुई मौतों अथवा एफ.आई. आर. दर्ज करने से मना करने में दोषी पाए गए हैं। पहले ऐसा नहीं किया जा रहा था। अब ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। मामले दर्ज किए जा रहे हैं तथा उन पर मुकद्दमें चलाए जा रहे हैं। मेरे विचार से यह सही दिशा में एक कदम है तथा इसे तीव्रता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह मानवाधिकारों के प्रश्न से भी संबंधित है।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है मेरे विचार से यह छोटा अपराध नहीं है, जिसे आसानी से दरकिनार किया जा सके। नि संदेह, सदस्य के लिए यह साधारण बात भी हो सकती है। लेकिन प्रश्न भी सामान्य होते हैं। मैं क्या कर सकता सकता हूं।

कारखानों और उद्योगों की भारी वृद्धि के कारण बाल श्रमिकों की संख्या दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करके पड़ौसी राज्यों और क्षेत्रों से यहां पर बड़ी संख्या में बच्चे लाए जाते हैं और उनसे अवैध तरीके से काम लिया जाता है। उनको ऐसे विभिन्न व्यवसायों में कार्य हेतु लगाया जाता है जहां पर उनको लगाया नही जा सकता है। ये बच्चे तथा अन्य बच्चे भी इनमें से कुछ अपराधियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और इस कारण बच्चों के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है। हमें यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने होंगे कि इसे कैसे रोका जाए। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा यदि वे मुझे अब देना चाहें, वे मुझे अलग से भी सुझाव दे सकते हैं। मैं इन प्रस्तावों पर निश्चित तौर पर पूरा ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जग बहादुर सिंह पटेल : चूंकि इस प्रश्न का संबंध दिल्ली के अतिरिक्त राज्यों से भी है तथा कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के संबंध में जानकारी चाहता हूं। उत्तर प्रदेश इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन है। वहां विगत 12 अगस्त को एक पूर्व विधायक, श्री जवाहर पंडित की हत्या ए.के.-47 से, सिविल लाईन क्षेत्र में, शाम के 7.00 बजे कर दी जाती है ...**(व्यवधान)** इस प्रश्न का संबंध अन्य राज्यों से भी है। उसके बाद, 19 अगस्त को जब जोनल आफिस का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी वहां जाते हैं तो मृतक विधायक की पत्नी के द्वारा सरकारी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र मेरे माध्यम से उन्हें दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि उनका भी इस साजिश में हाथ था। उस प्रार्थना पत्र को

माननीय प्रधानमंत्री जी राज्यपाल महोदय को एन्डोर्स कर देते हैं, जिसे राज्यपाल महोदय सी.बी.सी.आई.डी. की इंक्वायरी के लिए सौंप देते हैं लेकिन आज तक वह प्रकरण ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ए.के.-47 से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अनके राजनैतिक लोगों की हत्याएं की गई हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में आज तक ए.के.-47 से जितनी हत्याएं हुई हैं, क्या उनमें कोई गैंग पकड़ा गया, कोई ए.के.-47 बरामद हुई तथा मृतक जवाहर पंडित के केस में, क्या माननीय गृह मंत्री जी मामले की जांच, जब सी.सी.बी.आई.डी ने उसे ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, सी.बी.आई. से कराने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, किसी व्यक्तिगत मामले से निपटना मेरे लिए संभव नहीं है। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्तिगत मामला है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि वे हमें मामले की पूरी जानकारी दें तो हम निश्चित तौर पर इसे देखेंगे।

एक और मुद्दा है श्री प्रमोद महाजन जानना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने हेतु विशिष्ट तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और मैंने उन्हें बताया था कि उन्हें जानकारी दे दूंगा। अब मेरे पास कुछ जानकारी है। यदि आप चाहें तो मैं इसे उन्हें दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उन्हें दे सकते हैं। हमें दुबारा उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं सभा को सूचित कर सकता हूं। मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, पहले दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय तथा गैर-जमानती घोषित किया गया था। दूसरे भारतीय दंड संहिता में एक नयी धारा जोड़ी गयी है, जिसे महिलाओं पर उनके पति और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। तीसरे, साक्ष्य अधिनियम में कुछ नयी धाराएं जोड़ी गई हैं जिनमें यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय यह मान लेता है कि किसी विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने या दहेज के लिए मरने और क्रूरता किए जाने की बात साबित हो जाती है तो एस.डी.एम. द्वारा उन परिस्थितियों में जांच अनिवार्य है जहां किसी महिला की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में होती है। धारा 376 में संशोधन किया गया है तथा हिरासत में बलात्कार के मामले में पुलिस अधिकारी के लिए सजा दस वर्ष के कड़े कारावास की है। यह प्रावधान किया गया है। दहेज के कारण मृत्यु परिभाषा में यह प्रावधान है कि यदि किसी महिला को शादी के सात वर्ष के भीतर जला दिया जाता है और यह दर्शाया जाता है कि उसके साथ क्रूरता बरती गई है तो उसके पति या संबंधियों को मौत का जिम्मेवार माना जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन : उन्होंने जो पढ़ा है वह दस वर्ष पहले का कानूनी प्रावधान है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये प्रावधान दस वर्ष पहले नहीं बनाए गए थे।

श्री प्रमोद महाजन : ये सभी कानूनी प्रावधान हैं। आपने केवल धाराओं को पढ़ा है और इससे अधिक कुछ नहीं... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, प्रश्न के "सी" भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने बहुत लंबा-चौड़ा वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की है कि दिल्ली में अपराधों की घटनाओं को कम करने के लिए वे क्या-क्या उपाय कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, वे उपाय कुछ भी रहे हों, लेकिन सचाई यह है कि दिल्ली में अपराधों की घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है और मेरा अपना संसदीय क्षेत्र दक्षिण दिल्ली इसका सबसे बुरी तरह शिकार हो रही है। जो तीन वृद्ध दम्पतियों की हत्याओं की बात बताई गई उनमें से दो केसेस मेरे अपने हल्के में हुए हैं। जनकपुरी में दो दम्पतियों को दिनदहाड़े, दिन के दो बजे, छुरों से मारकर, खून के तालाब भर कर चले गये और आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। दूसरी घटना में एक परिवार के पांच आदमियों, बूढ़े पति-पत्नी, उनके बेटे-बहू और पोते को मार कर चले गए और पुलिस ने यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि पारधी जाति के क्रिमिनल ट्राइब के लोग आए हैं, जो लोगो को मार कर चले गए हैं। हम उन्हें नहीं पकड़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कुछ कहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इव-टीजिंग की घटनाएं भी यदि आप कंपेरेटिव चार्ट बंगलौर, हैदराबाद, मुम्बई और चेन्नई का देखें, तो दिल्ली में घटनाएं बढ़ी हैं। जहां दिल्ली के अलावा इन महानगरों में तीन-तीन, पांच-पांच और सात-सात जुर्म एक माह में दर्ज हुए हैं वहां दिल्ली में कम से कम 75 और ज्यादा से ज्यादा 85। जुर्म एक महीने में दर्ज हुए हैं। यानी इव-टीजिंग के अन्य महानगरों के मुकाबले में दिल्ली में 100 गुने जुर्म ज्यादा दर्ज हुए है। इसलिए मैं केवल माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वे इस बयान से संतोष किए बिना क्या दक्षिण दिल्ली के सांसदों की एक विशेष बैठक केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाएंगे ताकि हम वस्तुस्थिति से भी अवगत करवा सकें और कोई प्रभावी कार्य-योजना भी इन अपराधों को कम करने की सुझा सकें?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आलोचना से बचने के लिए हम जरूर एक विशेष बैठक बुलाने के लिए तैयार हैं,

[अनुवाद]

लेकिन मैं केवल दक्षिण दिल्ली के पक्ष में भेदभाव नहीं करना चाहता हूं। दिल्ली के अन्य भाग भी हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, सारी दिल्ली के सांसदों को बुलाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप दिल्ली के सभी संसद सदस्यों की बैठक बुला सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है, अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण दिल्ली के सांसदों की बैठक बुलाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे सभी दिल्ली के संसद सदस्यों की बैठक बुला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो गृह मंत्री जी ने कहा वह बिलकुल सही नहीं है। दिल्ली की हालत बहुत खराब है। दिल्ली के ला-एंड-आर्डर की हालत बहुत खराब है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब किसी को एस.एच.ओ. लगना हो, तो उस थाने की कीमत तय है--कहीं पांच लाख रुपए और कहीं 10 लाख रुपए और कोशिश यह होती है कि पुलिस के माध्यम से उन अपराधों को किया जाता है।

यह बात सही है कि औरतों के खिलाफ जो रेप के केसेस हैं वे बढ़ रहे हैं और अब यह...* में राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बातों से लोगों को बढ़ावा मिलता है।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। इसको रिकार्ड से निकला जाए।...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...**(व्यवधान)**

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दिल्ली के मंत्री के बारे में जो कहा है, उसे रिकार्ड से निकाला जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, उनके विरूद्ध भी क्या जो आपने टास्कफोर्स बनाई है वह एक्शन लेगी, ताकि दूसरे लोग भी खबरदार हो जाएं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जो लोग अपराध करते हैं, अपराधी हैं, वे कोई भी हों, किसी भी पालिटिकल पार्टी के हों, मंत्री हों या अन्य हों, हम सबके ऊपर बराबर नजर से एक्शन लेंगे और ले रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में निवेश

***265. श्री अनन्त कुमार हेगड़े :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश में लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(च) क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (छ). एक विवरण सभापटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख). नौवें दशक के दौरान सामान्य तथा कृषि में सकल पूंजी निर्माण* में कमी आई थी, किन्तु दसवें दशक के दौरान इसमें वृद्धि आई है, जैसा कि नीचे दिए गए ब्यौरे से पता चलता है :-

वर्ष	सकल पूंजी निर्माण (1980-81 के मूल्यों पर करोड़ रु.)	
	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र
1990-91	4594	1154
1991-92	4729	1002
1992-93	5371	1060
1993-94	5586	1178
1994-95	5857	1095

* (कृषि में सकल पूंजी निर्माण में भूमि सुधार कार्यों, बागानों संरचनाओं, मशीनरी तथा उपकरणों के अधिग्रहण में निवेश तथा स्टाक में की गई वृद्धि को दर्शाया गया है।)

(ग) से (ङ). आठवीं योजना (1992-97), के दौरान, बागवानी, मात्स्यिकी वर्षासिंचित कृषि, लघु सिंचाई के लिये बुनियादी ढांचे के सृजन तथा कटाई उपरान्त प्रबंधन जिनके लिये विशिष्ट योजनाएं लागू की जा रही हैं, जैसे कृषि और उससे जुड़े कार्यकलापों के लिये पर्याप्त निवेश प्रस्तावित किया गया है। कृषि के लिये बुनियादी ढांचे में निवेश को बढावा देने के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत एक नये ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की व्यवस्था की गयी है।

1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम नाम से एक नई योजना आरम्भ की गई है जिसमें चुनींदा बड़ी और बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी करने के प्रयोजन से राज्यों को ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री अनन्त कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या कृषि क्षेत्र में निवेश में लगातार कमी आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है?

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंटरी पूछिये।

श्री अनन्त कुमार हेगड़े : मेरा यही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

श्री चतुरानन मिश्र : जो सवाल हैं, वही तो उसमें लिखा हुआ है, उसका मैं क्या उत्तर दूं।

श्री राम कृपाल यादव : वे नये सदस्य हैं, उनको बता दिया जाय कि उनको क्या करना है।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि मुझे आप दो सप्लीमेंटरी पूछने देंगे, क्योंकि पहले वाला भी मुझे ही पास ओवर हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : दो तो नहीं होंगे, 'ए' और 'बी' कर लो।

श्री सत्यदेव सिंह : नहीं साहब, दो कर दीजिए।

अध्यक्ष जी, पिछले पांच छह वर्षों से लगातार अच्छी वर्षा इस देश में हुई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि कृषि उत्पादकता और उत्पादन दोनों में संतोषजनक स्थिति रही है, लेकिन यह स्थिति आपके द्वारा, सरकार के प्रयास से और प्रयत्न से नहीं बनी है। अगर एक भी बारिश ठीक से नहीं हो तो अगले वर्ष जो स्थिति कृषि की बनेगी, वह बड़ी शोचनीय बनेगी। आपने यह कहा है कि संतोषजनक है, दसवें दशक में इन्वेस्टमेंट, कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कुछ बढ़ा है। यह बड़ी स्थिति खराब है, 70 प्रतिशत देश की श्रमिक आबादी कृषि पर आज भी निर्भर है, लेकिन कृषि में निवेश नहीं हो रहा है। दुनिया में नये कानून बन गये हैं, कृषि का व्यापार बढ़ने वाला है। वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन से आपने अपने को सम्बद्ध किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 में रियल पब्लिक सैक्टर इन्वैस्टमेंट कृषि में 1520 करोड़ रुपये था, जो घटकर 1993-94 में 1075 करोड़ रह गया। परिणाम यह है कि हम कोई भी फिक्स असैट्स का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिंचाई की परियोजनाएं नहीं चल रही हैं, नहरें नहीं बन रही हैं, सड़के का निर्माण हो पा रही हैं। आप सिर्फ सब्सिडी तक अपने को सीमित रखकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हो। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो इन्वैस्टमेंट घट रहा है जो प्राइवेट सैक्टर का इन्वैस्टमेंट जो 1970 में 2.8 परसेंट एव एनम था, वह घटकर 1.9 प्रतिशत 1980 में रह गया तो बिना इस पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सेक्टर के इन्वैस्टमेंट के सरकार किस प्रकार से सोचती है कि वह कृषि के उत्पादन को बढाए रखेगी और आज कृषि उत्पादन जो स्थिर हो गया है, इसमें कोई गुणात्मक अंतर आएगा, यह मेरा पहला प्रश्न है?

अध्यक्ष महोदय : यह आपका आखिरी है।

[अनुवाद]

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, मैं आपसे एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय मैं बहुत संगत और छोटा प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं नियम नहीं तोड सकता। मैंने आपको प्रश्न इस तरीके से करने को कहा था कि आप इसे (क) और (ख) के रूप में पूछ सकें। मैंने आपको यह अवसर दिया। लेकिन मैं आपको अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दे सकता हूं। यह नियम के विरूद्ध है।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि कृषि में जो पूंजी का निवेश हो रहा है, जो सरकार के मातहत या पब्लिक सैक्टर के मातहत हो रहा है, इसमें कुछ कमी हुई है। 1980-81 में 1796 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ था, लेकिन वह घटकर 1994-95 में 1095 करोड़ पर चला गया है। यह तो सच है, लेकिन वर्तमान सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा पूंजी सिंचाई में और दूसरे ग्रामीण विकास में, खासकर के खेती में लगायें, लेकिन एक विषय है, जिस तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इधर सरकार जो पूंजी दे रही है, वह जैसे मान लीजिए, कुंआ बनाने के लिए मिलियन वैल स्कीम के तहत है, तो वह प्रोफिट प्राइवेट सैक्टर के हाथ में चला जाता है।

इसलिए प्राइवेट सेक्टर की पूंजी में वृद्धि हुई है और पब्लिक सेक्टर की उसमें कमी हुई है। वर्तमान सरकार इस पर सचेष्ट हुई है और हम और पूंजी लगाने पर विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सत्यदेव सिंह : एक अन्य अनुपूरक प्रश्न करने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अंतर्गत इसकी इजाजत नहीं है। आप इसे क्यों नहीं समझते? मैंने आपको अवसर दिया था लेकिन आपने इसका लाभ नहीं उठाया। यदि आप नहीं जानते कि अवसर का लाभ कैसे उठाया जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आजकल खेती में सबसे ज्यादा बिजली की कमी है और उसके कारण सिंचाई काफी प्रभावित हो रही है। क्या कृषि मंत्री जी बिजली में बढ़ोत्तरी के लिए और साथ ही बिजली की कमी दूर करने के लिए जेनरेटर्स पर सब्सिडी देने का प्रावधान करेंगे ताकि किसान निर्बाध रूप से सिंचाई कर सकें?

श्री चतुरानन मिश्र : हम बिजली मंत्री नहीं हैं, हरियाली के मंत्री हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मजाक भी नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन लें।

श्री चतुरानन मिश्र : जहां तक डीजल इंजल की बात है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसका कारण पावर फेलयोर है। डीजल इंजन के लिए डीजल विदेश से आता है। इसलिए सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि जो चीज देश में हो सकती है उस पर पैसा लगाएं या विदेश में ज्यादा पैसा दें। हमारा ख्याल है कि पहला पक्ष ज्यादा फायदेमंद है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने मजाक में कहा कि हम हरियाली के मंत्री हैं, उजाले के नहीं हैं। मंत्री जी ने कृषि में निवेश लगाने की बात कही। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक जमीन वाले भी हैं, लेकिन सिंचाई का प्रबन्ध नहीं होने के कारण वे निवेश नहीं करते। जहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है, वहां सिंचाई में निवेश को बढ़ावा दें, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था सिंचाई में करेगी या कराएगी?

श्री चतुरानन मिश्र : मैं सिंचाई मंत्री नहीं हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और उनके विचारों को सिंचाई मंत्री के पास भेज दूंगा।

श्री नवल किशोर राय : इस समय कृषि के क्षेत्र में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उर्वरक की कठिनाई के कारण कृषि प्रभावित होती रही है। बिहार में डी.ए.पी. पर सरकार ने छूट दी, लेकिन किसानों को वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार उर्वरक नीति बनाएगी और कृषि में सुविधाजनक उपाय से उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएगी?

श्री चतुरानन मिश्र : माननीय सदस्य की आलोचना सही है। बिहार सरकार ने उर्वरक का दाम तय करने में काफी देर लगाई, जिससे काफी कम उत्पादन हुआ है। वह विभाग हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा उर्वरक पहुंचे।

श्री नवल किशोर राय : उत्तर बिहार में बिलकुल नहीं है, यह आपका भी क्षेत्र है। ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने स्वीकार किया है कि आपकी आलोचना सही है। लेकिन बिहार सरकार ने दाम तय करने में देर लगा दी।

श्री नीतीश कुमार : यह डीकंट्रोल की पालिसी के चलते हो रहा है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है और शून्य काल नहीं।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : आप एक-एक करके पूछें।

श्री नीतीश कुमार : भारत सरकार नियंत्रित नहीं करेगी, क्या राज्य सरकार करने में सफल हो जाएगी।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. असीम बाला : कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में असन्तुलन है। कृषि में निवेश क्षेत्रीय आधार पर किया गया है तथा कुछ क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों को जिन्हें पूर्व में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी और जहां कृषि पर निवेश पूर्व योजनाओं में कम था, कोई प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री चतुरानन मिश्र : इस प्रश्न की जांच की गई है। अब हम बागवानी पर बल दे रहे हैं। विशेषकर पूर्वोत्तर के लिए अधिक से अधिक धन आबंटित किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कृषि ऐसा विषय है जिसे क्षेत्रवार ही लिया जाना चाहिए और तभी हम उत्पादन और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्य से पूर्ण तौर पर सहमत हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मोबाइल वैनस की खरीद के लिए सहायता

***264. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुगम्य स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वैनस की खरीद हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1994-95, 1995-96, तथा 1996-97 के दौरान अब तक प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई उक्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोबाइल वैन खरीदने के लिए दी गई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :-

(लाख रु. में)

राज्य	1994-95		1995-96		1996-97 (अक्तूबर 96 तक)	
	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या	राशि	वाहनों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश					128	16
2. अरुणाचल प्रदेश			100	20		
3. हिमाचल प्रदेश	40	10	40	5	112	14
4. जम्मू और कश्मीर	53	16	140.40	13		
5. केरल	40	10				
6. मध्य प्रदेश	100	25	100	25		
7. महाराष्ट्र	240	60	80	15		
8. मणिपुर	36	9	60	15		
9. मेघालय			14	4		
10. मिजोरम	32	8	24	6		
11. उड़ीसा			33.30	10	86.70	30
12. राजस्थान	104	26				
13. तमिलनाडु			12	3		
14. त्रिपुरा	7	-*	48	10		
15. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	8	2				
16. लक्षद्वीप			4	1		
जोड़	660	166	655.70	127	326.70	60

* गत वित्तीय वर्ष में चार मोबाइल वैनों के लिए स्वीकृत राशि का बकाया भाग।

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

***266. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में आरंभ की गयी सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत क्या उपलब्धि रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए वार्षिक लक्ष्य 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दो भागों में निर्धारित किए जाते हैं, पहले भाग में निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पौध वितरण और दूसरे भाग में, वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि पर किया गया वनीकरण है। इनमें सामाजिक वानिकी के भाग के रूप में किया गया वृक्षारोपण भी शामिल होता है।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय की वनीकरण स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I संलग्न है।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के राज्यवार लक्ष्यों और उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राज्य/संघ शासित प्रदेशों 1993-94 से 1995-96 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं. शासित प्रदेश	(लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1169.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	413.32
3.	असम	483.73
4.	बिहार	785.47
5.	गोवा	64.38
6.	गुजरात	1113.22
7.	हरियाणा	1566.92
8.	हिमाचल प्रदेश	1472.95
9.	जम्मू और कश्मीर	1357.25
10.	कर्नाटक	1589.95
11.	केरल	348.82
12.	मध्य प्रदेश	2655.12
13.	महाराष्ट्र	446.78
14.	मणिपुर	1029.26
15.	मेघालय	843.71
16.	मिजोरम	1444.51
17.	नागालैंड	159.30
18.	उड़ीसा	1252.68
19.	पंजाब	1122.50
20.	राजस्थान	2770.11
21.	सिक्किम	1302.46
22.	तमिलनाडु	498.18
23.	त्रिपुरा	322.40
24.	उत्तर प्रदेश	2065.89
25.	पश्चिम बंगाल	1432.09
	जोड़	27710.88

विवरण-II

वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के संबंध में राज्यवार/वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां

(क्षेत्र हैक्टेयर में)
(पौधे लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1993-94				1994-95				1995-96			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1950.00	70000.00	917.19	34530.00	1000.00	35000.00	418.69	44642.00	1100.00	45000.00	1436.40	75782.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	7500.00	5.00	7500.00	6.00	8232.00	7.33	8341.00	7.00	9078.00	7.00	9078.00
3.	असम	30.00	27500.00	20.76	18144.00	25.00	25000.00	21.46	16941.00	27.50	27500.00	0.00	0.00
4.	बिहार	750.00	50000.00	190.03	46855.39	750.00	50000.00	32.39	5214.00	825.00	55000.00	13.86	2530.00
5.	गोवा	30.00	1800.00	33.46	1854.00	35.00	1900.00	20.86	1652.00	38.50	2090.00	25.72	1327.00
6.	गुजरात	1500.00	68000.00	1631.76	73711.66	1500.00	54000.00	1566.72	69983.00	1650.00	59400.00	1707.65	67101.73
7.	हरियाणा	300.00	37500.00	231.81	33823.00	250.00	27000.00	55.15	31430.00	250.00	29700.00	51.94	33438.00
8.	हिमाचल प्रदेश	75.00	35000.00	33.19	32395.00	20.00	35000.00	48.49	36500.00	22.00	26200.00	35.74	29976.00
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	20000.00	42.01	15928.20	70.00	22000.00	33.14	7802.00	60.00	22000.00	67.71	19972.00
10.	कर्नाटक	450.00	42500.00	274.19	46429.36	450.00	48000.00	559.74	58452.00	495.00	52800.00	310.88	65712.00
11.	केरल	300.00	15000.00	136.61	3127.69	300.00	16000.00	51.27	14360.00	330.00	17600.00	28.09	14916.77
12.	मध्य प्रदेश	400.00	125000.00	439.00	125187.19	450.00	135000.00	438.12	135000.00	495.00	148500.00	294.60	55362.36
13.	महाराष्ट्र	1200.00	18000.00	1141.25	100062.17	1000.00	121000.00	1339.30	136523.36	1100.00	133100.00	1017.96	121288.52
14.	मणिपुर	30.00	9500.00	22.00	6928.00	30.00	10000.00	24.45	7415.00	33.00	11000.00	11.85	8941.00
15.	मेघालय	125.00	19000.00	54.88	11604.00	75.00	20000.00	17.10	7575.00	82.50	22000.00	4.00	2700.00
16.	मिजोरम	10.00	14000.00	16.31	16750.00	20.00	18000.00	23.25	14130.00	22.00	19800.00	9.92	6313.00
17.	नागालैंड	120.00	7500.00	54.30	2799.00	75.00	7500.00	53.80	1710.00	82.50	8250.00	74.70	4350.00
18.	उड़ीसा	550.00	75000.00	390.04	70819.00	300.00	72000.00	448.23	64687.00	330.00	79200.00	183.68	34660.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	पंजाब	80.00	18000.00	51.78	17800.00	45.00	17000.00	34.81	13593.00	49.50	18700.00	48.81	9650.00
20.	राजस्थान	400.00	65000.00	453.34	67238.00	300.00	79000.00	353.82	88437.00	330.00	86900.00	388.32	95280.00
21.	सिक्किम	18.00	8500.00	10.85	8484.13	20.00	9200.00	26.79	0.00	22.00	10120.00	22.00	9586.00
22.	तमिलनाडु	1000.00	114000.00	1124.32	86016.51	1000.00	75000.00	1007.30	92561.30	1100.00	82500.00	567.42	22515.00
23.	त्रिपुरा	50.00	17700.00	28.14	8603.54	21.50	7728.00	25.98	7171.00	23.65	8500.00	21.72	12078.59
24.	उत्तर प्रदेश	3200.00	85000.00	2929.00	83723.24	3500.00	92000.00	3015.00	72025.00	2000.00	101200.00	2160.86	82550.24
25.	पश्चिम बंगाल	800.00	45000.00	800.00	38200.00	758.00	38000.00	1118.35	41285.00	833.80	41800.00	500.00	32000.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.00	3300.00	5.00	3488.67	6.00	3700.00	5.00	3506.59	5.00	3300.00	5.30	4133.60
27.	चंडीगढ़	0.00	500.00	0.05	8.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	495.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	12.00	1100.00	12.02	894.60	14.90	1000.00	14.39	788.50	15.95	1100.00	13.38	916.90
29.	दमन व दीव	1.00	150.00	0.94	62.00	1.00	150.00	1.03	47.00	1.10	165.00	1.94	76.00
30.	दिल्ली	50.00	2000.00	43.51	1740.40	55.00	2200.00	42.21	1688.00	15.00	500.00	20.95	838.00
31.	लक्षद्वीप	4.00	50.00	4.27	54.20	4.10	60.00	4.30	61.00	4.51	66.00	4.54	66.00
32.	पांडिचेरी	4.00	200.00	0.00	120.33	4.00	200.00	2.18	131.30	4.40	220.00	4.63	94.20
	जोड़	13509.00	1165300.00	11097.61	963888.17	12085.10	1031320.00	10810.65	984102.05	11354.91	1123784.00	9031.57	823233.46

आसान शर्तों पर दिए गए ऋण का दुरूपयोग

*267. **श्री मधुकर सरपोतदार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बार्ड ने देश में बागवानी और पुष्प कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की अपनी योजना का दुरूपयोग किये जाने के बारे में जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे; और

(घ) सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). ऋण के अनियमित वितरण के कुछेक मामले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के देखने में आए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और परिवहन लागत

*268. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और परिवहन पर प्रति क्विंटल कुल कितना व्यय किया;

(ख) क्या खाद्यान्नों की परिवहन और भण्डारण लागत में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1994-95 और 1995-96 के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं और चावल के लिए एक साथ मिलाकर) की वसूली, भण्डारण और ढुलाई पर वहन किया गया खर्च निम्नानुसार है। वर्ष 1996-97 के लेखों को अंतिम रूप दे देने के पश्चात ही इस वर्ष का पता चल सकेगा।

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिस पर का खर्च किया गया	1994-95	1995-96
(1) वसूल किए गए खाद्यान्नों पर वसूली प्रासंगिक खर्च	72.31	74.43
(2) भण्डारण लागत	7.94	10.97
(3) ढुलाई की गई मात्रा पर ढुलाई लागत	50.10	50.27

(ख) और (ग). सामान्य मुद्रा स्फीति के अलावा, गोदाम स्टाफ के वेतन की बकाया राशि का प्रावधान करने के कारण और 1994-95 की तुलना में 1995-96 में कम भण्डारण क्षमता का उपयोग होने के कारण यूनिट भण्डारण लागत में वृद्धि दिखाई दी है। ढुलाई की गई वास्तविक मात्रा के संबंध में यूनिट परिवहन लागत 1994-95 और 1995-96 में कमोबेश स्थिर रही है।

(घ) इस वृद्धि को रोकने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछेक निम्नानुसार है :-

(क) भारतीय खाद्य निगम 75 प्रतिशत औसत भण्डारण क्षमता उपयोगिता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है जबकि 1.11.1996 को स्थिति के अनुसार उपयोगिता 51 प्रतिशत है।

(ख) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए हैं कि वह अपने प्रचालनों में किफायत बरतें।

(ग) भाड़े के खर्च में कमी करने के लिए सरकार द्वारा वसूली-संचलन का यथानिर्धारित अनुपात 1:1.35 बनाए रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

उर्वरक इकाईयों का अधिग्रहण

*269. **श्री महबूब जहेदी :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभ अर्जित कर रही इफको, कृभको, एनएफएल आदि उर्वरक कंपनियों से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन (एचएफसी) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) को कुछ इकाईयों का अधिग्रहण करने को कहा जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का एचएफसी और एफसीआई के संयंत्रों को फिर से चालू करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). सरकार ने इफको, कृभको तथा एनफएल सहित किसी भी लाभ कम रहे उर्वरक उपक्रम द्वारा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.(एफसीआई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) की इकाईयों के अधिग्रहण किये जाने के विकल्प का पता लगाया था। उर्वरक उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए इन उपक्रमों की अपनी चल रही विस्तार परियोजनाओं और संयुक्त उद्यमों के प्रति पूर्व वचनबद्धता के कारण ऐसे किसी प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

(ग) एफसीआई और एनएफसी के पुनरूद्धार पैकेजों को अप्रैल 1995 में सिद्धान्त रूप में मंजूरी दी गयी थी। इन पैकेजों में इन उपक्रमों को पूंजी पुनर्संरचना तथा वित्तीय राहतों के अलावा, 1994 के मूल्य स्तर पर 2201.13 करोड़ रुपये के नये निवेश से एफसीआई के सिन्दरी, रामागुण्डम तथा तालचर इकाईयों और एचएफसी की दुर्गापुर, बरौनी व नामरूप इकाईयो के पुनरूद्धार के बारे में सोचा गया था। तथापि इन पैकेजों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इन पुनरूद्धार पैकेजों को पुनः तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। इस दल ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण किये जाने की दृष्टि से पुनरूद्धार पैकेजों की तकनीकी व्यवहार्यता का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए एक सलाहकार संगठन की नियुक्ति की। सलाहकार संगठन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर यह दल पुनरूद्धार पैकेजों को पुनः तैयार करेगा। पुनः तैयार किये गये पुनरूद्धार पैकेजों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय वित्त पोषण व्यवस्था हो जाने तथा बीआईएफआर जो अर्द्ध न्यायिक संगठन है, के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति

***270. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री शिवराज सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना को समाप्त करने का है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनके लिए प्रायोजित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में योजना-वार निर्धारित अधिकतम आय सीमा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार आय सीमा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्धारित आय की अधिकतम सीमा 44,500/- रु. प्रति वर्ष है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित आय की अधिकतम सीमा 60,000/- रु. प्रति वर्ष है।

(ग) से (ङ). अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आय की सीमा पहले ही संशोधित की जा चुकी है जो 1.10.1995 से प्रभावी है और 44,500/- रु. प्रतिवर्ष संशोधित अधिकतम आय सीमा में औद्योगिक श्रमिकों के अक्तूबर, 1995 तक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ध्यान रखा गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत आय सीमा में दो वर्षों में एक बार संशोधन किया जाए और इसे औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध किया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के मामले में 60,000/- रु. प्रति वर्ष की वर्तमान आय सीमा को बढ़ाकर 1,20,000/- रु. प्रतिवर्ष कर दिया जाए।

(च) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जबकि पूर्व वित्त वर्ष में केन्द्रीय सहायता के वास्तविक उपयोग तथा खर्च न की गई केन्द्रीय सहायता, की धनराशि उनके पास यदि कोई हो, की गणना करते समय निरपवाद रूप से देय केन्द्रीय सहायता प्रदान करते समय स्रोत के साथ समायोजित कर दी जाती है जिससे अव्ययित केन्द्रीय सहायता इकट्ठी नहीं होती। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के निपटान पर एकमुश्त धनराशि रख दी जाती है जो छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय शुल्क तथा छात्रों को भारत लौटने के लिए हवाई यात्रा शुल्क का सीधे भुगतान करते हैं। कल्याण मंत्रालय भी चुनिन्दा उम्मीदवारों के विदेश जाने के लिए हवाई यात्रा टिकटें बुक कराता है। यह प्रणाली इस योजना के अंतर्गत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करती है।

[अनुवाद]

पुरूलिया में हथियार गिराया जाना

***271. श्री राम नाईक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरूलिया में हथियार गिराये जाने संबंधी मामले की कोई जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या पुरूलिया में हथियार गिराये जाने सम्बन्धी मामले को पूरी तरह निपटा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में शस्त्र गिराये जाने से संबंधित मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द कर दिया गया है। जांच-पड़ताल के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, भा.द.सं. शस्त्र अधिनियम, भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और एयरक्राफ्ट अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत अपराधों के लिए 14 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। जांच-पड़ताल के दौरान, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद भी बरामद किए।

(ग) और (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि फरार अभियुक्तों का पता लगाने के लिए और उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जोकि मामले में संभाविक रूप से संलिप्त हो सकते हैं, आगे जांच-पड़ताल जारी है। विदेशों में, धन के लेन-देन के बारे में जांच भी, इन्टरपोल और लेटर रोगेटरी (अनुरोध पत्र) के जरिए की जा रही है। जांच पड़ताल के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। जांच पड़ताल से, इस मामले में आनन्द मार्गियों के एक वर्ग की संलिप्तता का पता चला है। जांच से यह भी पता चलता है कि शस्त्र और गोलाबारूद, राज्य के खिलाफ युद्ध चलाने के लिए प्राप्त किए गए थे।

(ङ) सरकार, स्थिति के प्रति सचेत है और उसने इस संबंध में सभी कदम उठाए हैं जिसमें शामिल है :- आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा मौजूदा विनियमों का और भी सख्ती से प्रवर्तन करना और संबंधित केन्द्रीय एवं राज्यीय एजेन्सियों के बीच गहन समन्वय स्थापित करना।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

***272. श्री शरत पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं :-

1. यह विभिन्न वन और संबद्ध अधिनियमों और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में राज्यों द्वारा किए गए संशोधन को अद्यतन बनाता और समेकित करता है।

2. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए प्रारूप में उपयुक्त नए उपबंधों का प्रस्ताव किया गया है।

3. प्रस्तावित विधान में उसे पारिस्थितिकीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक आधार वाला कानूनी लिखित बनाने हेतु एक नई दिशा प्रदान की गई है। यह प्रारूप की प्रस्तावना और उसमें विहित कुछ अध्यायों से स्पष्ट हैं। अंतरण खेती वाले क्षेत्रों को उचित प्रबंध के लिए सुझाव दिए गए उपाय उसकी और पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार गदरी क्षेत्रों और निजी स्वामित्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपबंध बनाए गए हैं।

4. प्रस्तावित संशोधन में वानिकी से संबंधित कई और परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। ये कृषि वन, "बायोमास" "दावेदार" "अवक्रमिक वन" "मंडलीय वन अधिकारी "वन" भूमि" "लाइसेंस, लाइसेंसधारी "प्राकृतिक स्थिति, प्रणाली "व्यक्ति" बागवानी" रेडसैंडर्स राजस्व अधिकारी, चंदन की लकड़ी, आरा मशीन से कटाई" "आरा मशीन" आरागत" अंतरण खेती" वाहक "क्षेत्राधिकार" "वाहन" ग्राम वन समिति" और कार्य योजना है।

   इन शब्दों को मौजूदा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है।

5. ग्राम समुदायों को निवास स्थानों के आस-पास वनों के प्रबंधन में अधिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। यह प्रस्तावित है कि ग्राम वन समितियों को इस प्रकार गठित किया जाए कि एक ग्राम ऐसे एक वन के लिए जिम्मेदार हो। ग्राम स्तर की संस्थाओं को ऐसे वनों का संरक्षण और प्रबंध तथा वहां से वन उत्पाद का विनियोग करना है।

6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषकर निजी भूमि से लकड़ी काटने और उसकी ढुलाई पर कई मौजूदा प्रतिबंधों से छूट दे दी गई है। ये ऐसी कार्यविधि की व्यवस्था की गई है जिसके अधीन वृक्ष उगाने वाले स्वयं को मंडल वन अधिकारी के पास पंजीकृत करा सके। राज्य वन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वृक्ष उगाने वाले निर्दिष्ट अवधि के भीतर वृक्ष काटने और उसकी तथा अन्य वन उत्पाद की ढुलाई करने के लिए उपयुक्त अनुमति प्राप्त करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव दिया गया है, जिसके अधीन ग्राम ग्राम वनों और अन्य सामुदायिक भूमि की प्रभारी ग्राम संस्थाएं वृक्ष लगाने और चारे की खेती के लिए व्यष्टियों को निर्धारित क्षेत्र सौंप सके। इसके ऐसे क्रियाकलापों में लोगों की भागीदारी प्रोत्साहित करने की संभावना है। निजी भूमि जोतो को उस सीमा तक जहां उन पर वृक्षारोपण (उद्यान कृषि के अतिरिक्त) अथवा वाणिज्यिक नकदी फसल लगी हो, भूमि हदबंदी कानून की सीमा से छूट दिया जाना प्रस्तावित है। निजी भूमि जोतों को उस सीमा तक

जहां इन पर वृक्षारोपण (उद्यान कृषि के अतिरिक्त) अथवा वाणिज्यिक नकदी फसल लगी हो, भूमि हदबंदी कानूनों की सीमा से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वनरोपण और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए वित्त जुटाया जाता है। उपयुक्त उपबंध किए जाने की मांग की गई है। राज्य सरकारें विशेष रूप से केवल वन संरक्षण और विकास के लिए पृथक निधि सृजित करने के लिए वन उत्पादों की बिक्री पर उपकर लगा सकती है। ग्राम समुदायों को भी इस प्रयोजन के लिए संसाधन जुटाने हेतु इसी प्रकार का उपकर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। निजी उत्पादकों से उन्हें प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वन उत्पाद की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव किया गया है।

8. वन-आधारित उद्योगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई विनियामक उपाय किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्ची सामग्री के रूप में वन उत्पाद का प्रयोग करने वाले उद्योग ऐसी कच्ची सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्थापित नहीं किए जाते हैं, अपेक्षित उपबंध किए गए हैं। उद्योगों को वन उत्पाद की आपूर्ति करने और ऐसे विलेखों में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए पट्टों/करारों को समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को भी व्यापार का अधिग्रहण करने और अधिसूचित वन उत्पादों की बिक्री करने की शक्ति प्रदान की गई है।

9. आरा मशीन से लकड़ी काटने, कतिपय किस्म के वन उत्पाद का प्रसंस्करण, चंदन की लकड़ी और रेडसैंडर्स आदि के स्वामित्व, व्यापार और प्रसंस्करण का नियंत्रण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की मांग की गई है।

10. यह निर्दिष्ट करते हुए वनों का प्रबंध केवल अनुमोदित प्रबंध योजनाओं के अनुसार किया जाएगा, विशेष उपंबधों का प्रस्ताव किया गया है।

भारत सरकार को प्रस्तावित अधिनियम को लागू करने का निरीक्षण करने की कतिपय शक्तियां दी गई हैं। भारत सरकार को राज्यों को कतिपय निर्देश जारी करने उदाहरणार्थ, कतिपय वन क्षेत्रों को आरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित करने, अंतरण खेती के अधीन वाले क्षेत्रों में कतिपय किस्मों के भूमि उपयोग व्यवहारों को लागू करने, कार्य योजनाओं को तैयार और संशोधन के लिए उन्हें कहने के लिए भी शक्तियां दी गई हैं।

11. यह निर्दिष्ट करते हुए कि किसी आरक्षित वन को विअधिसूचित करने की प्रतिपूर्ति राज्य में अन्यत्र उसके बराबर किसी क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करके की जाती है, उपयुक्त उपबंधों का प्रस्ताव किया गया है, संरक्षित वनों की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है और इनमें से उपयुक्त क्षेत्रों को आरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

12. वन भूमि पर अतिक्रमण को ससंद आदि द्वारा उस आशय को अपनाए जाने वाले प्रस्ताव के बिना कार्यपालक आदेशों द्वारा नियमित किया जाएगा।

13. मौजूदा अधिनियम के दंडात्मक उपबंधों को अधिक सख्त बनाया जा रहा है। कुछ अपराध, विशेषकर, जैसे जिनमें 10,000 रुपये से अधिक मूल्य का वन उत्पाद शामिल हो, के लिए अधिक सजा मिलेगी। कुछ अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है और कुछ मामलों में धारा 78 के अधीन न्यूनतम अनिवार्य कैद की सजा की व्यवस्था की गई है। वन संरक्षण के उत्तरदायित्व से प्रभारित वन और अन्य अधिकारीगणों द्वारा भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं।

14. अधिनियम के अधीन कार्यविधियों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। वन अधिकारियों को वन अपराधों में शामिल औजारों, उपस्करों, मशीनरी, संयंत्रों, वाहनों आदि को जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। वन अपराधों के निवारण और उनका पता लगाने के लिए अंतर्विभागीय सहयोग अनिवार्य बना दिया गया है।

15. प्रस्तावित संशोधन का अंतिम प्ररूप विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

***273. श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की देश में वर्तमान समय में 80,000 हैक्टेयर की भू-परिसम्पत्तियां हैं तथा इसे 800 करोड़ रुपये के अपने वार्षिक व्यय के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) क्या इसके समानान्तर संगठन नामतः वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान परिषद अपने बजट का 40 प्रतिशत अपने संसाधनों से पूरा करता है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी क्रमिक रूप से उसी "पैटर्न" पर लाने का है;

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) इस समय देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास करीब 19529 हैक्टेयर भूमि है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपने वार्षिक खर्च के लिए सरकार पर निर्भर

करना पड़ता है जो वर्ष 1996-97 में योजना तथा गैर-योजना दोनों के लिए अनुमानतः 529.30 करोड़ रुपये है।

(ख) तथापि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बताया है कि उनके कुल बजट का करीब 26 प्रतिशत उनके अपने संसाधनों से पूरा होता है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी आवश्यकताओं को यथा संभव स्वयं पूरा करने के महत्व को महसूस किया है।

(घ) और (ङ). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डा.एस.एस. जोहल की अध्यक्षता में संसाधनों के उपयोग की विधियों तथा अपने संसाधनों के सृजन की क्षमता का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

पिराजिनामाइड का उत्पादन

274. श्री हरिन पाठक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पिराजिनामाइड का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) इसकी कुल वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाता है;

(घ) पिराजिनामाइड की उत्पादन लागत तथा बाजार मूल्य क्या है;

(ङ) क्या इस औषधि का बिक्री मूल्य निर्धारित है; और

(च) इस औषधि का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) पिराइराजिनामाइड का लघु क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। केवल संगठित क्षेत्र में होने वाले उत्पादन का अनुवीक्षण किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संगठित क्षेत्र में पिछले तीन साल का उत्पादन इस प्रकार है :-

1993-94		47.02 टन
1994-95		49.40 टन
1995-96	:	83.93 टन

(ख) औषधों व भेषजों संबंधी कार्यदल ने 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निम्नलिखित मांग अनुमान लगाया है :-

1996-97		275 एम टी
1997-98		303 एम टी
1998-99		333 एम टी
1999-2000		366 एम टी
2000-01		403 एम टी
20001-02	:	443 एम टी

(ग) निर्यात व आयात नीति के अनुसार पिराइराजिनामाइड ओ जी एल के अंतर्गत आता है। यदि कोई कमी हो तो उसे आयात के द्वारा पूरा किया सकता है। फिलहाल, आयात नहीं के बराबर रहा है और इस औषध की लगभग समस्त मांग को स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(घ) से (च). पूर्ववर्ती डी पी सी ओ के अनुसार दिनांक 25.11.93 की अधिसूचना के अंतर्गत पिराइराजिनामाइड की अंतिम अधिसूचित कीमत 1679/-रुपए प्रति कि.ग्रा. थी। डी पी सी ओ, 1995 के अनुसार यह कीमत नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। साथ ही सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति में संशोधन" के परिणामस्वरूप यह औषध प्रेस नोट सं. 4(1994 श्रृंखला) दिनांक 25.10.94 के तहत लाइसेंस मुक्त भी है।

अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में और जातियों को शामिल किया जाना

***275. श्री ए.सी. जोस :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में कुछ और समुदायों को शामिल करने संबंधी दावों की जांच के लिए एक अन्य आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य समुदायों के अनुरोधों पर विचार करने हेतु आयोग कब तक गठित कर दिया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उष्ण कटिबन्धीय (मैंग्रोव) वन

***276. श्री भक्त चरण दास :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मैनग्रोव वनों का राज्यवार क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या सरकार ने देश में मैनग्रोव वनों के संरक्षण और विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मैनग्रोव वनों के संरक्षण और विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वन प्रतिवेदन 1995 की स्थिति के अनुसार देश में 4533 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में कच्छ वनस्पति फैली हुई है। कच्छ वनस्पति क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ). 1985-86 के दौरान कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई थी और यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी है। नमभूमि, कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्तियों संबंधी राष्ट्रीय समिति सरकार को नीतिगत दिशा निर्देशों, गहन संरक्षण के लिए कच्छ वनस्पति के अभिनिर्धारण, प्रबंधन कार्य योजनाओं की निगरानी और तैयारी और अनुसंधान क्रियाकलापों के संबंध में सलाह देती है। इस योजना के अधीन गहन संरक्षण और प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए वरीयता के आधार पर कच्छ वनस्पति के 15 क्षेत्रों को चुना गया है। अभिनिर्धारित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों के लिए प्रबंधन कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रबंधन कार्य योजना के अधीन क्रिया कलापों में शामिल हैं -सर्वेक्षण और सीमांकन, प्राकृतिक पुनरूद्भादन, वनीकरण, नर्सरी विकास संरक्षण उपाय, शिक्षा और जागरूकता।

संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में शामिल हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व। इसमें कच्छ वनस्पति भी शामिल है जोकि उनकी अवस्थिति के अनुसार उनकी सीमाओं के अन्दर होती है।

(ङ) कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के विकास, बाघ परियोजना और जैव मंडल रिजर्व संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य वन प्रतिवेदन 1995 के अनुसार कच्छ वनस्पति, क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

1.	आंध्र प्रदेश	383
2.	गोवा	3
3.	गुजरात	689
4.	महाराष्ट्र	155
5.	उड़ीसा	195
6.	तमिलनाडु	21
7.	पश्चिम बंगाल	2119
8.	अंडमान व निकोबार	966
9.	कर्नाटक	2
		4533

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य	कच्छ वनस्पति क्षेत्र	1993-94 (रु. लाखों में)	1994-95	1995-96
1.	पश्चिम बंगाल	सुन्दरबन	140.94	0.50	106.95
2.	कर्नाटक	कोंडापुर	17.58	-	20.00
3.	गुजरात	गल्फ ऑफ कच्छ	3.33	5.60	13.85
4.	गोवा	गोवा	4.80	9.56	5.80
5.	तमिलनाडु	पिचावरम		2.44	4.50
		मुथुपेट	57.24	117.75	18.23
6.	महाराष्ट्र	अचरा/रत्नागिरि	1.59	-	-
7.	अंडमान व निकोबार	ग्रेट निकोबार	11.30	25.00	31.57
8.	उड़ीसा	भित्तरकनिका	15.94	17.00	-
9.	आंध्र प्रदेश	कोरिंगा	6.74	2.61	-
			259.46	80.45	200.90

चीनी का निर्यात

*277. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को हाल ही में चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय का देश में चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). वर्तमान मौसम के लिए राज्य व्यापार निगम को अक्तूबर, 96 में एक लाख टन का निर्यात कोटा आबंटित किया गया है। देश में स्टाक की अच्छी स्थिति को देखते हुए इस निर्यात के कारण चीनी की कीमतों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

वक्फ अधिनियम, 1995

*278. **श्री मुख्तार अनीस :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ अधिनियम, 1995 लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के अंतर्गत किन राज्यों में राज्य वक्फ बोर्डों का गठन किया गया है;

(ग) क्या वक्फ बोर्डों की वक्फ संपत्तियों से संबंधित सिविल वादों को न्यायाधिकरणों को अंतरित करने में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) वह राज्य कौन-कौन से हैं जिनमे वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण कराए गए हैं;

(च) इस सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी एजेंसियों के कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों को खाली करने अथवा बाजार दर से उनका किराया देने के लिए कहा है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। वक्फ अधिनियम, 1995 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर देश में 1.1.1996 से लागू किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य वक्फ बोर्डों का गठन किया गया है।

(ग) और (घ). न तो किसी राज्य सरकार ने और न किसी वक्फ बोर्ड ने अपने द्वारा अनुभव की गई कठिनाई के बारे में सूचना दी है।

(ङ) और (च). वक्फ अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण किए गए। वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत ऐसे सर्वेक्षणों के संबंध में सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) जी, हां। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1976 में चुनिन्दा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के उप राज्यपाल को लिखा था कि या तो वे राज्य सरकार के विभागों अथवा स्थानीय निकायों के विपरीत कब्जे वालों वक्फ सम्पत्तियों को खाली करें अथवा वक्फ बोर्डों की भूमि के लिए उचित बाजार मूल्य का भुगतान करें अथवा वक्फ बोर्डों के साथ स्थायी पट्टा करें।

चीनी मिलों को ऋण

*279. **श्री सोहन वीर :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चीनी मिलों में आधुनिक मशीनें/उपस्कर लगाने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1994-95, 1995-96, और 1996-97 के दौरान अब तक चीनी विकास निधि से ऋण के लिए आवेदन किया है;

(ग) उन चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें ऋण मंजूर किया गया और मंजूर किए गए ऋण की राशि कितनी है; और

(घ) शेष आवेदन-पत्रों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ). सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

चीनी उत्पादक यूनिटों में उपकरणों/मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए दो योजनाएं हैं। सामान्य योजना का लक्ष्य प्रवर्तकों के अंशदान के भार को शेयर करना है। इस योजना के अधीन चीनी विकास निधि से पेशकश किया गया ऋण गैर-एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रथा (एम.आर.टी.पी.) से सम्बन्धित कम्पनियों के मामले में प्रवर्तकों के अंशदान के 80 प्रतिशत तक अथवा परियोजना की कुल पात्र लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होता है, इनमें से जो कम हो, तथा एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रथा से संबंधित कम्पनियों के

मामले में प्रवर्तकों के अंध अंशदान के 70 प्रतिशत अथवा परियोजना की कुल पात्र लागत के 65 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होती है। तथापि, प्रवर्तक को परियोजना की कुल लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान करना होता है।

चीनी विकास निधि के ऋण पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष का रियायती साधारण ब्याज होता है और इसमें चूक होने पर 2 $^{1}/_{2}$ प्रतिशत दण्डात्मक दर का प्रावधान है। वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी के एक वर्ष पश्चात् अथवा 8 वर्ष पश्चात्, इनमें से जो भी पहले हो, शुरू होती है। ऋण और ब्याज 5 वार्षिक किस्तों में अदा करना होता है।

अन्य योजना में, जहां चीनी प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा आधुनिकीकरण किया जाता है वहां प्रौद्योगिकी सुधार को बढ़ावा देने के लिए और रियायत की पेशकश की जाती है। ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान किसी प्रकार का नया परिवर्तन का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं और इस प्रकार परियोजना के लिए उनके ऋण की सीमा कुल लागत के 30 प्रतिशत तक सीमित होती है। अतः चीनी विकास निधि के ऋण की पात्रता परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है। इस मामले में भी प्रवर्तक को कुल परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत लाना होता है। इस ऋण पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज होता है। परन्तु छूट अवधि कम करके 5 वर्ष रह जाती है।

चीनी विकास निधि योजना के अधीन सभी ऋण आई.एफ.सी.आई., आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.आर.बी.आई. और एन.सी.डी.सी. जैसी विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के मूल्य निर्धारण के आधार पर मंजूर किए जाते हैं।

विवरण–II

उन चीनी मिलों, जिन्होंने 1994–95, 1995–96, और 1996–97 के दौरान चीनी विकास निधि से ऋण के लिए आवेदन किया है, राज्यवार स्वीकृत ऋण और उन चीनी मिलों के नाम जिनके लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सका, को बताने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1	2	3	4
	1994–95		
	(आन्ध्र प्रदेश)		
1.	मै. के.सी.पी. लि., वयूरू, आन्ध्र प्रदेश	460.00	
	(बिहार)		
2.	मै. रीगा शुगर कंपनी लि., रीगा, बिहार	300.00	
3.	मै. विष्णु शुगर मि. लि., बिहार	400.00	
	(कर्नाटक)		
4.	मै. दूधगंगा एस.एस.के. नियमित, कर्नाटक	455.00	
	(महाराष्ट्र)		
5.	मै. सतारा एस.एस. के.लि., सतारा,	361.00	
	महाराष्ट्र		
6.	मै. दौतल एस.एस.के. लि., लोलहापुर, महाराष्ट्र	725.00	
	(उत्तर प्रदेश)		
7.	मै. कनोरिया शुगर एंड जनरल मैन्यू.कं.लि., उत्तर प्रदेश	573.00	
8.	मै. प्रतापपुर शुगर एंड इन्ड. लि., देवरिया	660.00	
	(उत्तर प्रदेश)		
9.	मै. के.एम. शुगर मिल्स लि., उत्तर प्रदेश	404.00	

1	2	3	4
	1995–96		
	(गुजरात)		
10.	मै. श्री राकामराज विभाग खाण्ड उद्योग मन्डली लि.	760.99	
	(हरियाणा)		
11.	मै. द सरस्वती शुगर मि. लि. यमुनानगर	727.91	
12.	मै. भीमा एस.एस.के. लि., महाराष्ट्र	514.00	
	(तमिलनाडु)		
13.	मै. कोठारी शुगर एण्ड कैमि. लि. तमिलनाडु		इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि आई.एफ.सी.आई. ने चीनी विकास निधि के घटक को ध्यान में रखे बिना ऋण स्वीकृत कर दिया।
	उत्तर प्रदेश		
14.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. कोल्हा एण्ड पलिया यूनिट, उ.प्र.		अस्वीकृत क्योंकि स्थायी समिति द्वारा यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।
15.	मै. शेरवानी शुगर सिन्डीकेट लि. उत्तर प्रदेश	885.60	
16.	मै. बलराम पुर चीनी मिल्स बलराम पुर गोण्डा, उ.प्र.	785.00	
17.	मै. मंसूरपुर शुगर मि.लि. उत्तर प्रदेश	–	अनुमोदित वित्तीय संस्थान द्वारा परियोजना का मूल्यांकन नहीं किया गया था। चीनी फैक्ट्री को परामर्श दिया गया है कि परियोजना का मूल्यांकन कराया जाए और तब आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
18.	मै. कनौरिया शुगर एण्ड जनरल मैन्यु क.लि. उत्तर प्रदेश	–	स्थायी समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया क्योंकि यूनिट ने पिछले वर्ष आधुनिकीकरण के लिए पहला ऋण लिया था।
19.	मै. स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यु कं.लि. आनन्दनगर उत्तर प्रदेश गणेश शुगर लि.	–	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड ने एफ.आई. एफ.सी.आई. को प्रचालन एजेन्ट नियुक्त किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
20.	मै. डी.एस.एम. शुगर मिल्स, कासडीपुर, उत्तर प्रदेश	–	यूनिट को स्थायी समिति द्वारा उठाये गये तकनीकी मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
	1996–97		
	कर्नाटक		
21.	मै. वाणीविलासा को. शुगर फैक्ट्री लि. चित्रदुर्ग, कर्नाटक	–	नीतिगत निर्णय के लिए लम्बित है क्योंकि यूनिट ने केवल एफ्ल्यूअंट ट्रीटमेंट प्लांट के वित्त पोषण के लिए आवेदन किया है।
22.	मै. श्री. पान्डवपुरा एस.एस.के. लि. जिला मांडिया कर्नाटक	–	स्थायी समिति द्वारा ऋण स्वीकृत
23.	मै. मालप्रभा को. शुगर फैक्ट्री लि. हुबली, बेलगांव	–	एन.सी.डी.सी. से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
	महाराष्ट्र		
24.	मै. श्री पान्डुरंग एस.एस.के. लि. श्रीपुर, सोलापुर, महाराष्ट्र	–	स्थायी समिति द्वारा ऋण स्वीकृति

1	2	3	4
25.	मै. यसवन्त एस.एस.के. लि. चन्तामणिनगर, हवेली, पुणे महाराष्ट्र	-	आई.एफ.सी.आई. से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
	उत्तर प्रदेश		
26.	मै. अवध शुगर मिल्स लि. रोजा यूनिट शाहजहांनपुर उ.प्र.		उठाये गये तकनीकी मुद्दों के संबंध में यूनिट को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है।
29.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. पालियाकलाम खीरी उ.प्र.		योजना की तकनीकी व्यवहार्यता पर स्पष्टीकरण प्राप्त होना है।
30.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि., गोला यूनिट, उत्तर प्रदेश	-	वही
31.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स बभनान फैक्ट्री पो.आ. बभनान, उ.प्र.	-	28.10.1996 को आवेदन प्राप्त हुआ। यह मामला स्थायी समिति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति

*280. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति के अभाव में तटीय क्षेत्रों के पंरपरागत मछुआरों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर नियंत्रण न होने का क्या प्रभाव हुआ है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). मात्स्यिकी विषय पर भारत सरकार की नीति का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों सहित विभिन्न दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है। फिर भी, मात्स्यिकी नीति पर समेकित विवरण की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें मात्स्यिकी से सम्बन्धित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति का प्रारूप सभी राज्यों को भेजा गया तथा उसे केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड के भी समक्ष रखा गया। बोर्ड ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति के विवरण का अनुमोदन किया है।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति के प्रारूप में निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(1) जलीय संसाधनों और आनुवांशिक विविधताओं का संरक्षण;

(2) मछली के उत्पादन और मछुआरों, मत्स्य पालकों तथा मत्स्य उद्योग की आवश्यकता में वृद्धि करना;

(3) तटवर्ती तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार का सृजन;

(4) पंरपरागत मछुआरों तथा मत्स्य पालकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना;

(5) उत्तरदायी तथा स्थायी मात्स्यिकी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मछली और समुद्री उत्पादकों के निर्यात में वृद्धि करना।

नीति के प्रारूप में समुद्री मात्स्यिकी, अंतर्वर्ती मात्स्यिकी, जल कृषि, विपणन सुविधाओं सहित अवसंरचना, मत्स्य सहकारी समितियों के विकास, जन शक्ति अनुसंधान और प्रशिक्षण विस्तार, ऋण सुविधाओं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीमा कवर का प्रावधान किया गया है।

(घ) देश में वर्ष 1992-93 में समुद्री क्षेत्रों से 25.75 लाख मी. टन मछली का उत्पादन हुआ, जो 1995-96 में बढ़कर 27.07 लाख मी.टन हो गया। इसमें गहरे समुद्र क्षेत्र का योगदान लगभग 30,000 मी.टन ही है तथा शेष उत्पादन परंपरागत तथा छोटे पैमाने के मशीनीकृत क्षेत्रों का है। इस प्रकार तटवर्ती क्षेत्रों के परंपरागत मछुआरों पर गहरे समुद्र में मत्स्य का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं

2520. **श्री अशोक प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल और चीन सहित देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित किये गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). देश के पश्चिमी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराकर तथा स्थानीय जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाकर संवेदनशील क्षेत्रों के संतुलित विकास के उद्देश्य से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यह कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान भी जारी रखा गया तथा बंगलादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाले पूर्वी राज्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमवर्ती क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं के निदान के लिए खासतौर से बनाई गई क्षत्रीय विशिष्ट योजनाएं ही शामिल की जाती हैं। ये योजनाएं दूरवर्तिता, गम्यता सीमा पार से खतरे की अवधारणा, तस्करी, घुसपैठ, तोड़-फोड़ आदि जैसी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के प्रावधान संबंधी अपर्याप्तताओं जैसे घटकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। प्रत्येक राज्य में अवस्थित अलग-अलग योजनाओं को, राज्य स्तर पर बनी एक संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ी में डकैती

2521. **श्री बची सिंह रावत 'बच्चा' :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी सं. 4055, ब्रहमपुत्र एकसप्रैस के यात्रियों द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर, 1996 को उस रेलगाड़ी में हुई डकैती के संबंध में कोई शिकायत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डाकुओं द्वारा लूटी गई नकदी और बहुमूल्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इस घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए;

(घ) घायल यात्रियों को तत्काल प्रथमोपचार उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं;

(ङ) प्रभावित यात्रियों को मुआवजे की कितनी राशि प्रदान की गई;

(च) क्या संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना के 10 घंटे बाद दर्ज करवाई गई थी; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ). रेलों में होने वाले अपराध को दर्ज करना, उसका पता लगना और उसकी रोकथाम करना राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) की जिम्मेदारी है, जो कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के नियंत्रणाधीन कार्य करती है। रेल गाड़ियों-वार अपराधों, स्थानीय स्तर पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों इत्यादि से संबंधित सूचना, केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय

2522. **श्री ललित ठरांव :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड में संरचनात्मक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त बोर्ड के और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से स्थानों को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत "वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र" अधिसूचित किया गया है और इस संबंध में सरकार की क्या राय है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कोई ढांचागत परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित करती है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हेवली तथा पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों को पूर्णतः वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी नए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया है।

[अनुवाद]

वन भूमि पर अतिक्रमण

2523. **श्री चिन्तामन वांगा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संस्थाओं से वन भूमि पर आदिवासियों ने अतिक्रमण को नियमित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न मंचों पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के बारे में इस मंत्रालय ने दिनांक 18.9.1990 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से इस बारे में प्राप्त प्रस्तावों की उपरोक्त वर्णित दिशानिर्देशों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है। अब तक 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 50 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, 2 को सिद्धान्त रूप में मंजूर किया गया है, 8 राज्य सरकारों के पास जरूरी ब्यौरों के अभाव में लंबित है और एक प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है। गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में अनुमोदन जारी किया गया है।

सिक्किम में नदी घाटी परियोजनाएं

2524. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में नदी घाटी परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या धन के समुचित उपयोग का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा वार्षिक निरीक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) पर्यावरण एंव वन मंत्रालय ने सिक्किम में नदी घाटी परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

2525. श्री ओ.पी. जिंदल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की उपज को बढ़ाने हेतु अनेक राज्य सरकारें विदेशों से सहायता मांग रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विदेशों से सहायता मांगने के बारे में कृषि मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पशु प्रशिक्षण संस्थान

2526. श्री पी.सी. थामस : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** 23 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माट्टूपट्टी में पशु प्रशिक्षण संस्थान के विकास हेतु अनुदानों की स्वीकृति के लिए केरल सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए भी सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग). केरल सरकार को प्रस्ताव में संशोधन करने की सलाह दी गई है ताकि इसे खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता के लिए प्रस्तुत किया जा सके। राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार से प्राप्त 282.9 लाख रुपये के एक परियोजना प्रस्ताव को अनेक मदों के स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया है तथा इसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2527. श्री मुख्तार अनीस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने मानवाधिकार आयोग स्थापित कर लिए हैं;

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के बीच समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन राज्यों में अपने कार्यालय खोले हैं जिन्होंने अपने ऐसे आयोग स्थापित नहीं किए हैं; और

(घ) 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम।

(ख) मानवाधिकारों को शासित करने वाले कानून में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के मध्य

समन्वय की किसी औपचारिक प्रणाली का प्रावधान नहीं है। तथापि, किसी राज्य के मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II और सूची-III में निहित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित मामलों तक सीमित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन किसी राज्य आयोग में लंबित किसी भी मामले की जांच करने से वर्जित किया गया है। इसी प्रकार, कोई राज्य आयोग उस मामले की जांच नहीं कर सकता यदि उस मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 की उप-धारा (5) का परंतुक) द्वारा पहले ही की जा रही हो। ये प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोग के बीच मान-सम्मान सुनिश्चित करने तथा अनुलिपिकरण से बचने अथवा उसको न्यूनतम करने के उद्देश्य से बनाये गए हैं।

(ग) जी नही, श्रीमान्।

(घ) तीन करोड़ रुपये।

डीएपी के मूल्य को कम करना

2528. श्री संदीपान थोरात : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीएपी के मूल्य की 7.783 रु. प्रति टन कम करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उर्वरक उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). सरकार ने डी ए पी सहित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर रियायत बढ़ाने के समय 6 जुलाई, 96 को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को किसानों के लिए सर्वाधिक, लाभदायक मूल्यों को तय करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में सरकार ने डी ए पी के लिए पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा तय मूल्य (773 रुपए प्रति मी.टन) में राज्य/केन्द्र शासित प्रशासन के साथ भागीदारी भी की है।

विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने रबी 1996-97 के लिए डी ए पी और अन्य फास्फेटिक उर्वरकों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित किए हैं। बिहार में कर सहित 8,200/- रुपए प्रति मी. टन से उत्तर प्रदेश में कर सहित 9,160/- रुपए प्रति मी. टन के भिन्न-भिन्न मूल्यों को अनुमानतः निर्माताओं/पूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करने के पश्चात तय किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की चोरी

2529. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में अब तक के दौरान पंजाब में भारतीय खाद्य निगम में करोड़ों रुपये की चावल तथा गेहूं की चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी रिपोर्ट अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र द्वारा सूचित किए गए चोरी के मामले में अन्तर्ग्रस्त हानियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या	हानि की राशि (रुपयों में)
1994-95	2	2,31,048.00
1995-96	1	2,50,000.00
1996-97	2	2,07,975.00

(ग) और (घ). जी, हां। पंजाब को छोड़कर, मामलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) ये मामले जांच करने और जहां कहीं आवश्यक हो, मुकदमा चलाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों को सूचित किए गए हैं। इसके अलावा, दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

(च) भण्डारण क्षमता और चल रही स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील केन्द्रों पर स्थित गोदामों/खाद्य भण्डारण डिपुओं की सुरक्षा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पहरा और निगरानी स्टाफ, राज्य सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आने वाले और जाने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाती है ताकि गेट पास के साथ स्टाक का मिलान किया जा सके। गोदामों के ताला लगाने, सीलबन्द करने और खोलने के लिए निर्धारित कार्यविधिक का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जब कभी अपेक्षित होता है तब कानून लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों की सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। अति संवेदनशील डिपुओं के लिए पुलिस गश्त का प्रबंध किया जाता है। नियमित आधार पर स्टाक की प्रत्यक्ष जांच और गोदामों का अचानक निरीक्षण किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (सितम्बर, 1996 तक) के दौरान गेहूं और चावल की चोरी और उठाईगीरी से संबंधित मामलों का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	1994-95		1995-96		1996-97	
		मामलों की सं.	राशि (रुपये)	मामलों की सं.	राशि (रुपये)	मामलों की सं.	राशि (रुपये)
1.	उत्तर प्रदेश	7	141341.20 (55617.20)*	2	111480.00	-	-
2.	राजस्थान	8	52481.09 (5347.00)*	1	2412.00	-	-
3.	महाराष्ट्र	16	50419.15	5	56353.00	1	3694.00
4.	मध्य प्रदेश	4	11957.00	-	-	-	-
5.	आंध्र प्रदेश	1	7033.00*	-	-	-	-
6.	बिहार	1	703.00	-	-	-	-
7.	पश्चिम बंगाल	2	16478.30	-	-	-	-
8.	कलकत्ता	26	1027726.31	-	-	-	-
	जोड़	65	1308139.05	8	170245.00	1	3694.00
	(*) पहले से ही वसूल हुई राशि घटाएं	-	67997.20	-	-	-	-
	निवल योग :	65	1240141.85	8	170245.00	1	3694.00

[अनुवाद]

यूरिया का आयात

2530. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान एनएफएल तथा पीपीसीएल द्वारा यूरिया आयात न करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ख) क्या मानक बोली संबंधी शर्तें बदल दी गई थीं तथा 1994-95 में यूरिया के आयात हेतु संदेहास्पद प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या आयातकर्ता अभिकरण एनएमटीसी द्वारा उक्त बात एनएफएल तथा पीपीसीएल में ध्यान में लाई गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बोली संबंधी प्रक्रिया को सरल, और कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) एमएमटीसी लि. और रबी 1994-95 के दौरान तदर्थ आधार पर शामिल की गई नई आयातक एजेंसियों अर्थात् नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) और पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पीपीसीएल) के बीच अवांछित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए एनएफएल तथा पीपीसीएल को अरब की खाड़ी और कामन वैल्थ आफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस) के प्रमुख स्रोत क्षेत्र में एमएमटीसी के परम्परागत आपूर्तिकर्ताओं से यूरिया न प्राप्त करने के लिए निदेश दिए गए थे। एनएफएल और पीपीसीएल 1994-95 के दौरान यूरिया की किसी भी मात्रा की डिलीवरी नहीं कर सके क्योंकि गैर-परम्परागत आपूर्तिकर्ता जिन्हें उन्होंने आदेश दिए थे, इसका निष्पादन नहीं कर सके।

(ख) से (ङ). जबकि एनएफएल तथा पीपीसीएल द्वारा अपनाई गई निविदा शर्तों में एमएमटीसी के अधिकांश मानक शर्तों का पालन किया गया था, तथापि एनएफएल और पीपीसीएल की धरोहर जमा राशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) (ईएमटी) के अध्यधीन थे। इसी तरह की ई एम डी शर्तें एमएमटीसी द्वारा भी कुछ समय के लिए अपनाई गई। बाद में यूरिया आयातों के स्रोतीकरण के संबंध में प्रतिबंधों को हटाने के पश्चात् 1995-96 के दौरान यूरिया आयात के लिए प्रक्रियाओं को सभी सरणीबद्ध एजेंसियां के लिए मानकीकृत कर दिया गया। इनको सुस्पष्ट बनाने के लिए इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

असम-मिजोरम सीमा विवाद

2531. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम और मिजारम के बीच सोमा-विवाद की जानकारी है; और

(ख) ऐसे विवादों को सुलझाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पूर्व गृह मंत्री द्वारा 6 फरवरी, 1994 को एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें संबंधित अधिकारियों के अलावा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने असम और मिजारम के मुख्य मंत्रियों से इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने और दोनों ओर से जारी कार्यवाहियों को रोकने का अनुरोध किया था। दोनों मुख्यमंत्रियों ने तुरन्त गृह मंत्री के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि तनाव को समाप्त करने और समस्या को तुरंत सुलाझाने के उत्सुक हैं ताकि शरारती तत्वों द्वारा जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं का शोषण करने की गुंजाइश ने रहे।

तदोपरान्त, दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की भी 15 फरवरी, 1994 को बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा सीमा विवाद के मुद्दे को हल किया जाएगा। इल मामले में आगे हुई प्रगति का राज्य सरकारों से पता लगाया जा रहा है।

अल्पसंख्यक विकास हेतु धनराशि

2532. श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम द्वारा आंध्र प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ख) उद्योगों तथा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने हेतु अल्पसंख्यकों को अलग-अलग कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त आयोग को कितनी मार्जिन राशि दी जा रही है;

(घ) वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए है तथा गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा इन परियोजनाओं हेतु कितनी मार्जिन राशि दी गयी है;

(ङ) आज तक कितने आवेदनों पर विचार किया गया है और कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गयी है; और

(च) आज की स्थिति के अनुसार कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं और इसमें कितनी धनराशि शामिल है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). संलग्न विवरण-I पर है।

(ङ) और (च). संलग्न विवरण -II पर है।

विवरण -I

		1994-95	1995-96	1996-97 (30.11.96 तक)
1.	वितरित राशि (रुपये लाख में)	-	98.00	16.71
2.	उद्योगों के लिए	-	-	-
3.	स्वरोजगार योजनाओं के लिए	-	-	-
4.	ए.पी.एम.एफ.सी. के लिए सीमान्त धन सहायता	-	98.00	16.71
5.	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			
(क)	आवधिक ऋण के लिए	-	-	1800
(ख)	सीमान्त धन	1700	254	271

विवरण-II

		आवधिक ऋण	एन.एम. ऋण	कुल
1.	विचार किए गए आवेदन पत्रों की संख्या	-	1954	1954
2.	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	-	130.70	130.70
3.	निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में)	-	114.71	114.70
4.	दिनांक 5.12.96 तक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	1800	271	2071
5.	लम्बित आवेदन पत्रों में शामिल राशि	180	20.43	200.43

अफगानी और तिब्बती शरणार्थी

2533. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अफगान और तिब्बत के शरणार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या इन शरणार्थियों के संरक्षण हेतु काबुल के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ग) क्या चीन के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता के समय दलाई लामा के मामले पर बातचीत करने का कोई प्रयास किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 97,908 तिब्बती और 18,551 अफागरनी शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) दलाई लामा एक पूज्य धार्मिक विभूति के रूप में भारत में है। भारत तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र मानता है। तिब्बत के बारे में भारत की सुविख्यात नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।

विवरण

31.10.1996 की स्थिति के अनुसार भारत में अफगान शरणार्थियों का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शरणार्थियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
बिहार	2
चंड़ीगढ़	1
दिल्ली	15589
गोवा	5
हरियाणा	2832
हिमाचल प्रदेश	8
जम्मू और कश्मीर	5
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	26
उड़ीसा	1
पंजाब	25
राजस्थान	5
उत्तर प्रदेश	43
पश्चिम बंगाल	7
जोड़	18551

भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के राज्य-वार आंकड़े

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शरणार्थियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	400
अरुणाचल प्रदेश	6004
दिल्ली	3022
हिमाचल प्रदेश	19346
जम्मू और कश्मीर	5704
कर्नाटक	31467
मध्य प्रदेश	1650
महाराष्ट्र	1100
मेघालय	42
पंजाब	72
सिक्किम	5025
उड़ीसा	3900
उत्तर प्रदेश	12737
बिहार	53
पश्चिम बंगाल	7386
जोड़	97908

गैर कानूनी अप्रवासी न्यायाधिकरण

2534. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गैर-कानूनी अप्रवासी न्यायाधिकरण को वर्षवार कितनी शिकायतें/आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) न्यायाधिकरण ने वर्षवार कितनी शिकायतें/आवेदन पत्रों का निपटान किया;

(ग) न्यायाधिकरण ने वर्षवार कितने गैर-कानूनी अप्रवासियों का पता लगाया;

(घ) न्यायाधिकरण द्वारा गैर-कानूनी अप्रवासियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) न्यायाधिकरण ने वर्षवार कितनी शिकायतों/आवेदनपत्रों को निरस्त किया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय उर्वरक निगम का विपणन प्रभाग

2535. डा. असीम बाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन भारतीय उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग के कार्यकारी प्रमुख का कार्यालय प्रारम्भ में ही कलकत्ता से ही कार्य कर रहा है;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम के विभाजन के पश्चात् 1978 में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के निर्माण से ही वह हि.उ.नि. के विपणन प्रभाग के कार्यकारी प्रमुख के कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था;

(ग) क्या हाल ही में इस कार्यालय का स्थानान्तरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय 1978 तक कलकत्ता में स्थित था।

(ख) से (घ). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) के महा प्रबन्धक का कार्यालय जो 1978 में एच.एफ.सी. का गठन होने पर कलकत्ता से कार्य कर रहा था, प्रभावी नियंत्रण तथा समन्वय के हित में 1989 में नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया था। विपणन कार्यालय के बिक्री कार्यकलापों के अतिरिक्त उर्वरकों की प्रभावी आपूर्ति तथा वितरण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के विभागों/मंत्रालयों सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ सम्पर्क का कार्य भी करता है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्रों का बंद किया जाना

2536. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कृषि विज्ञान केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में अपनी अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से आदिवासी/पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). योजना आयोग ने सूचित किया है कि जब तक कि IX वीं योजना में अपनाये जाने वाली निधि प्रणाली के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक फिलहाल कृषि विज्ञान केन्द्रों को धन देना जारी रखा जाये।

(ङ) और (च). गुजरात के आदिवासी/पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों सहित योजना आयोग के निर्णय के बारे में सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को सूचित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रयोगशाला उपकरण

2537. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिलावटी दूध की आपूर्ति पर नियंत्रण लगाने की दृष्टि से दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए दूध के थोक व्यापारियों के लिए मदर डेयरी द्वारा लगाए गए प्रयोगशाला उपकरणों जैसे ही उपकरण लगाया जाना बाध्यकारी बनाये जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग). दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक दूध का कारोबार करता है उसे अपने परिसर में दूध की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं को रखना है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड

2538. श्री हाराधन राय : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एचएफसी का मुख्यालय दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करने के लिए वर्ष 1978 में कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कार्यालय को दिल्ली के स्थान पर कलकत्ता ले जाना व्यवहार्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). वर्ष 1978 में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) के गठन की प्रारम्भिक अवस्था में एच एफ सी का मुख्यालय दिल्ली के बाहर कलकत्ता स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, अन्य बातों, के साथ-साथ मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा आपत्ति, पुनर्वास के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने तक सरकार के साथ निकट की पारस्परिक कार्यवाही हेतु, मुख्यालय को दिल्ली में रखने के लाभ तथा स्थानान्तरण से संबंधित प्रशासनिक खर्च से बचने की आवश्यकता

जैसे कारणों से यह निर्णय कार्यान्वित नहीं किया गया था। मुख्यालय को कलकत्ता स्थानातरित करना वर्तमान सरकार के इन दिशानिर्देशों के तहत भी व्यवहार्य नहीं है कि दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई जेसे महानगरों की अपेक्षा अन्य स्थानों पर किया जाए।

"आयल पाम" कृषि संबंधी अनुसंधान

2539. श्री सौम्य रंजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव तकनीकी विभाग की पहल पर आरम्भ की गई "आयल पाम डेमोन्सट्रेशन प्रोजेक्ट (ओ पी डी पी)" द्वारा ऊतक संवर्धन प्रसार सहित "आयल पाम" कृषि के विभिन्न पहलुओं संबंधी अनुसंधान तथा विकास कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुए परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के सम्बन्ध में उक्त परिणाम की वाणिज्यिक संभाव्यता क्या है; और

(घ) देश में आयल पाम कृषि किन परिस्थितियों में संभव है तथा राज्यवार किन-किन क्षेत्रों में इसकी कृषि संभव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने ऊतक कल्चर संबर्धन सहित तेल-ताड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। सीडलिंग एक्सप्लांटस पर किए गए अनुसंधान के परिणामस्वरूप टिश्यू कल्चर पौधे प्राप्त हुए जिन्हें मिट्टी में लगा (स्थानांतरित कर) दिया गया है। लेकिन, तेल-ताड़ के टिश्यू कल्चर संवर्धन पर अनुसंधान अभी प्रयोगशाला स्तर पर है और इसके तत्काल व्यावसायीकरण की कोई संभावना नहीं है।

(ग) देश के 8 राज्यों में तेल-ताड़ की खेती के तहत अभी तक लगभग 28,000 हैक्टर क्षेत्र ही लाया गया है। किसानों के खेतों में इसकी प्रारंभिक पैदावार उत्साहवर्धक रही है।

(घ) देश में तेल-ताड़ की खेती सिंचित दशाओं में, 18-22° सै0 (कम से कम) से 29-33° सै0 (अधिकतम) तापमान पर, प्रति वर्ष 1800 घंटे धूप मिलने पर हो सकती है। तेल-ताड़ के लिए राज्यवार क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	कुल क्षेत्र (लाख हैक्टर)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4.00
2.	असम	0.10
3.	गुजरात	0.61
4.	गोआ	0.10
5.	कर्नाटक	2.50
6.	केरल	0.05
7.	महाराष्ट्र	0.10
8.	उड़ीसा	0.10
9.	तमिलनाडु	0.30
10.	त्रिपुरा	0.05
11.	पश्चिमी बंगाल	0.10
	कुल	8.01

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

2540. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली दुग्ध योजना की अनेकों योजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी योजनाएं कब से लंबित हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग

2541. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन भूमि का गैर वन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए मामलों का निपटान करने की दृष्टि से विभिन्न राज्य मुख्यालयों में सरकार द्वारा तैनात किए गए मुख्य संरक्षकों और अन्य समस्त अधिकारियों को स्वीकृति की कोई परिवर्धित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भोपाल में तैनात मुख्य संरक्षक के पास उनकी स्वीकृति हेतु अथवा मामलों को आगे केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए कितने मामले लम्बित पड़े हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी हां। वन (सरंक्षण) अधिनयम, 1980 के अधीन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने की शक्तियों के लिए भारत सरकार के मुख्य वन संरक्षक (कैंड) को प्राधिकृत किया गया है ताकि वह अतिक्रमण और खनन के विनियमन के अतिरिक्त 5 हेक्टेयर तक वन भूमि के विपथन संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप से निपटा सकें। राज्य सलाहकार समूह के परामर्श से सो.सी.एफ. केन्द्रीय को मंत्रालय के निर्णय के लिए प्रस्तावों, जिसमें 5 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक के वन क्षेत्र का विपथन तक के वन क्षेत्र शामिल है, को संसाधित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पास लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या 48 है।

असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान

2542. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तरी रेलवे ने हाल में दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर सक्रिय असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक ऐसे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या इस तरह के अभियानों को नियमित रूप से समय-समय पर चलाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). दिल्ली रेलवे पुलिस, दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर असामजिक तत्वों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाती रही है। चालू वर्ष के दौरान इन अभियानों के फलस्वरूप 3787 व्यक्ति (असामाजिक तत्व) गिरफ्तार किए गए।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. का विस्तार

2543. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलवॉय स्थित "फैक्ट" को विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में अलवॉय स्थित फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार हेतु कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) 618 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उद्योगमण्डल में 900 टन प्रतिदिन क्षमता का एक नया अमोनिया संयंत्र स्थापित कर रहा है। यह परियोजना जून/जुलाई, 1997 में चालू की जानी है।

अम्बालामेडु में 88.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 900 टन प्रतिदिन क्षमता का एक सल्फयूरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने के लिए फैक्ट के प्रस्ताव पर पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रतीक्षा है।

उद्योगमण्डल में 114.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 300 टन प्रतिदिन क्षमता के एक मेथानोल संयंत्र का निर्माण करने के प्रस्ताव को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

टेफुलिया कोरिडॉर को खोलना

2544. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिनाजपुर को बंगलादेश होते हुए जलपाईगुड़ी से जोड़ने हेतु टेफुलिया कोरिडॉर को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि बंगलादेश होते हुए दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी को जोड़ने के लिए टेकुलिया कोरिडॉर खोलने का प्रस्ताव बंगलादेश की सरकार के साथ नहीं उठाया गया है। बंगला देश होते हुए समग्र मल्टी माडल ट्रांजिट सुविधाओं के प्रति बंगला देश की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

स्कूल जाने वाले बच्चे

2545. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कितने स्कूली बच्चों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या ये दुर्घटनाएं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मियों के न होने/रेड लाइट नहीं होने के कारण होती हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस समस्या से निपटने में यातायात पुलिसकर्मियों की अत्यधिक कमी से अवगत है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जून, 1996 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में सड़क दुघटनाओं में मारे गए ऐसे बच्चों की संख्या 14 थी।

(ख) और (ग). गति को चैक करने के लिए स्टाफ की तैनाती के अलावा प्रात:काल के दौरान यातायात सिगनल कार्य करते रहते हैं।

(घ) और (ङ). दिल्ली पुलिस की यातायात यूनिट में पुलिस कार्मिकों की कमी थी, लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने इस यूनिट के लिए 1102 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा रंगरूट इस समय प्रशिक्षणरत हैं।

प्रकृति संरक्षण यात्रा

2546. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ड वाईड फण्ड फार नेचर द्वारा नवम्बर, 96 में दिल्ली में कोई पहली प्रकृति संरक्षण यात्रा आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें भाग लेने वालों की संख्या सहित इसकी पृष्ठभूमि क्या है;

(ग) क्या इस यात्रा का कोई उद्देश्य था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी ऐसी यात्राएं आयोजित करने हेतु हिदायतें देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). विश्व प्रकृति निधि-भारत ने सूचित किया है कि उन्होंने नवम्बर, 1996 में दिल्ली में प्रकृति संरक्षण के लिए पदयात्रा आयोजित की थी जिसका उद्देश्य दिल्ली की कुछ पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसमें लगभग 900 स्कूली बच्चों ने भाग लिया।

(ङ) और (च). देश में गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें प्रकृति सरंक्षण पदयात्रा शामिल हैं, आयोजित करवाई गई थी। इनमें प्रमुख शहर भी शामिल हैं। समय-समय पर वित्तीय सहायता देकर ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनका समर्थन किया जाता है।

बागवानी/मात्स्यकी योजनाएं

2547. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई बागवानी, फलदार वृक्षारोपण और मात्स्यिकी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने राज्य वार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी-कितनी धनराशि दी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

2548. श्री अनिल कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आजाद हिन्द फौज के एक विंग "बाल सेना" की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त "बाल सेनानियों" को स्वतंत्रता सेनानियों को दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या उन्हें अभिशंसा पत्र और भत्ता अथवा पेंशन दी जानी चाहिए;

(घ) क्या "बाल सेनानियों" को ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ). सम्मान पेंशन और अन्य सुविधायें केवल उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की जाएंगी जिनके दावे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के मापदण्डों को पूरा करते हों।

[अनुवाद]

नेशनल कोआपरेटिव कन्जूमर फेडरेशन आफ इंडिया

2549. श्री दिनशा पटेल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल काआपरेटिव कन्जूमर फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के मूल उद्देश्य और कार्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने नेशनल कोआपरेटिव कन्जूमर फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दी जाने वाली बजटीय सहायता वापस ले ली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार नेशनल कोआपरेटिव कन्जूमर फेडरेशन आफ इंडिया लिमिडेड को फिर से बजटीय सहायता देने पर विचार कर रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा यह सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के मूल उद्देश्य तथा कार्य उपभोक्ता सहकारी संघों को उनकी प्रचालनात्मक और प्रबंधकीय दक्षता को सुधारने और बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रोत्साहक मार्गदर्शन देने के अलावा, उनको आपूर्ति समर्थन प्रदान करना भी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (ख). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बर्मा से विस्थापित भारतीय

2550. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा से विस्थापित भारतीयों को रोजगार तथा जीवनयापन के लिए लाइसेंस जारी करने तथा उन्हें श्रेणी-III और IV की सरकारी नौकरी प्रधान करने का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त प्रावधान अब भी चालू है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). वर्ष 1965 में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए थे कि बर्मा से प्रत्यावर्तित लोगों को कारोबार हेतु ऋण प्रदान करने के अलावा उन्हें जहां किसी व्यवसय या व्यापार के लिए लाइसेंस, परमिट, आदि की आवश्यकता होती है, वहां इन्हें प्रदान करने के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। यह अनुदेश अभी भी लागू हैं। ग्रुप "ग" और "घ" पदों पर नियुक्ति हेतु बर्मा के विस्थापितों को पहले सीमा आयु और फीस में छूट दी जाती थी। तथापि, 31.12.1990 से इन छूटों को वापस ले लिया गया क्योंकि 1974 के बाद बर्मा से किसी प्रकार का संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गन्ने के विकास हेतु धनराशि

2551. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गन्ने के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत् विकास नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र सहित 21 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इस योजना के तहत फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण एवं किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, बीज उत्पादन, फार्म उपस्करों की आपूर्ति तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ऊत्तक संवर्द्धन प्रयोगशालाओं, ऊष्मा उपचार संयंत्रों की स्थापना आदि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र को 536.8 लाख रुपये केन्द्रीय अंश के तौर पर आबंटित किए गए हैं। अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा महाराष्ट्र को 1996-97 के दौरान गन्ने संबंधी अनुसंधान के लिए 7.16 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी है।

[हिन्दी]

वेश्यावृत्ति

2552. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वेश्यावृत्ति निरोधक कानून के अन्तर्गत राज्यवार कितनी महिलाएं गिरफ्तार की गई;

(ख) क्या उन महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्त करने के लिए किसी प्रकार की सुविधा/सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कृत्य को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). वेश्यावृत्ति की बुराई से निपटने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। रोजगार और आय सृजन करने वाले कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है, विशेषतौर पर उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों से वेश्याओं की आपूर्ति अधिक होती है। जिन महिलाओं और बच्चों की नैतिकता खतरे में हो अथवा जो विपत्ति में हो उनकी मदद के लिए सरकार लघु अवधि के लिए ठहरने के आवास, परिवार परामर्श केन्द्र तथा किशोर गृह जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध कराती है। वेश्याओं और उनके बच्चों के पुनर्वास में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों में देह व्यापार को रोकने के लिए कानूनों को कड़ाई से लागू करने पर बल दिया जाता है।

विवरण

1992 से 1994 के दौरान अनैतिक देह-व्यापार (निवारण) अधिनियम के अधीन गिरफ्तार की गई महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	885	992	627
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	2	–	3
4.	बिहार	--	6	21
5.	गोवा	86	94	44
6.	गुजरात	9	12	4
7.	हरियाणा	–	–	3
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	2	1	–
10.	कर्नाटक	3500	2633	2344
11.	केरल	30	83	84
12.	मध्य प्रदेश	1	–	3
13.	महाराष्ट्र	459	909	934
14.	मणिपुर	–	–	7
15.	मेघालय	–	–	4
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	3
18.	उड़ीसा	50	15	40
19.	पंजाब	1	17	7
20.	राजस्थान	36	115	37
21.	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	5205	8172	6336
23.	त्रिपुरा	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	207	151	177
25.	पश्चिम बंगाल	188	54	86
	कुल (राज्य)	10581	13254	10764
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
27.	चंड़ीगढ़	–	–	–
28.	दादर व नगर हवेली	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	5
30.	दिल्ली	152	96	137
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	299	164	75
	कुल (संघ शा.क्षेत्र)	451	268	217
	कुल (समस्त भारत)	11032	13514	10981

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

2553. श्री जी. वेंकट स्वामी :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोही दल बंगलादेश और म्यांमार से हथियारों की प्राप्ति के लिए थाईलैंड का इस्तेमाल करते रहे हैं;

(ख) क्या विद्रोही दलों को हथियार लाने से रोकने के लिए इस मामले को थाईलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ उठाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में थाईलैंड सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). पूर्वोत्तर में सक्रिय कुछ विद्रोही ग्रुपों द्वारा थाईलैंड के क्षेत्र के दुरूपयोग किए जाने के बारे में सरकार को जानाकरी हैं। हमारी चिन्ताओं से थाईलैंड की सरकार को अवगत करा दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न विद्रोही ग्रुपों को थाईलैंड से हथियार प्राप्त करने से रोकें। थाईलैंड की सरकार ने हमारी सुरक्षा संबधी चिंताओं को पूरी तरह से समझा है और उन्होंने, अपनी भूमि से अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों को रोकने में, हर सम्भव सहायता देने मेंसहायोग करने का आश्वासन दिया हैं।

जेनरेटरों द्वारा प्रदूषण

2554. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में विद्युत की अनुपलब्धता के कारण जेनरेटरों के उपयोग से होने वाले प्रदूषण से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनेरेटरों से निकलने वाली वायु तथा इनसे होने वाले शोर पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) राजधानी में विद्युत की अनुपलब्धता के कारण जेनरेटरों के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, जेनरेटरों से निकलने वाले गेसीय धुएं तथा शोर से वायु प्रदूषण पैदा होता है।

(ख) और (ग). जेनरेटरों से पैदा होने वाले वायु तथा शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए कणिकीय पदार्थों के संबंध में सामान्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित कर लिए गए हैं।

(2) निर्माण के चरण में जेनरेटरो के लिए शोर के मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(3) विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों के लिए शोर के बारे में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वायु और शोर प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में राजामणि समिति की सिफारिशों को अमल में ला रही है।

[हिन्दी]

जहरीली वर्षा के कारण मौत

2555. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में प्राकृतिक जहरीली वर्षा के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इन आपदाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) : (क) राज्य सरकार से ऐसी किसी घटना की सूचना प्राप्त नही हुई है।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा सम्मेलन

2256. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेन्नई में हाल ही में आयोजित खाद्य सुरक्षा सम्मेलन और "एक्सपो 96" में भाग लेने वाले प्रख्यात लोगों द्वारा दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों और सिफारिशों पर क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर "भूख मुक्त योजना" को आरम्भ करने और इसे नौवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए किए गए अनुरोध के बारे में पता है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक आपदाओं के शिकार व्यक्तियों हेतु बीमा

2557. श्री एम. जगन्नाथ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आये तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होने वाले व्यक्तियों को जिला परिषदों के माध्यम से किए गए समूहिक बीमे से राहत मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध एक कल्याणकारी उपाय के रूप में प्रत्येक जिले में अनिवार्य सामूहिक बीमा कराये जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं। फिलहाल जिला परिषदों के जरिए ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लॉटरी

2558. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर को दिल्ली में लॉटरी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में "दिल्ली लॉटरी" के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) इस प्रस्ताव/अनुरोध के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या लॉटरी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस सम्बंध में विधेयक कब तक लाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ज). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्री ने लाटरी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय विधायन अधिनियमित करने के लिए प्रधान मंत्री को लिखा है। मामले की जांच की जा रही है।

सरसों अनुसंधान केन्द्र

2559. डा. राम लखन सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश में विशेषतौर पर मुरैना और भिंड जिलों में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति देने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) उपर्युक्त जिलों में ये केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में तोरिया तथा सरसों पर अनुसंधान कार्य के समन्वय हेतु 1993 में राजस्थान के भरतपुर के एक राष्ट्रीय तोरिया तथा सरसों अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की थी। इस समय मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत एक सरसों केन्द्र भी कार्य कर रहा है जिसमें 6 वैज्ञानिक हैं तथा आठवीं योजना में मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका बजट 15.93 लाख रु. का रखा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण

2560. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों के स्वतंत्र कार्यकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकर ने राज्य की विभिन्न कल्याण योजनाओं में लगे गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर अपना नियंत्रण लगाने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में निर्धारित किए गए मानकों तथा मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों के स्वतंत्र कार्यकरण के लिए इस प्रकार कोई पृथक नीति नहीं है।

(ख) भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेत्रहीन, बहरे और गूंगे व्यक्ति

2561. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार नेत्रहीन, बहरे, गूंगे और विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि लगभग 16.15 मिलियन लोग चलन, वाणी तथा श्रवण एवं दृष्टि विकलांगता सहित शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1. विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत, विकलांगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अंतर्गत पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों, को शामिल किया गया है। आवर्ती पदों जैसे कर्मचारी वेतन अनुरक्षण शुल्क, फुटकर व्यय तथा अनावर्ती मदों जैसे भवन निर्माण उपस्कर तथा फर्नीचर के लिए कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। परियोजना जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, होस्टलों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थापना सेवाओं इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास

इस योजना मे विकलांगता के चार प्रमुख क्षेत्रों-अस्थि, श्रवण तथा वाणी, दृष्टि तथा मानसिक मंदता में विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा उनके स्तर में सुधार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 90 प्रतिशत की सीमा तक सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत उन जिलों में विद्यालय स्थापित करने को प्राथमिकता दी गई है जहां इस समय विशेष विद्यालय नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों व्ययों के लिए सहायता दी जाती है।

3. जनशक्ति विकास के लिए प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

यह योजना के अंतर्गत व प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 90 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

5. राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग जनसंख्या की बहुआयामी समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निम्नलिखित चार राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण, व्यावसायिक दिशा निर्देश, सलाहकार्य, अनुसंधान, पुनर्वास, विकास उपर्युक्त सेवा माड्यूल के विकास के क्षेत्र में प्रमुख प्रलेखन तथा सूचना केन्द्रों के रूप में ही कार्य करते हैं।

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता
3. अली यावर अंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद।

इस संस्थानों के अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से सेवा संस्थानों के रूप निम्नलिखित दो संस्थाओं को स्थापित किया गया है :-

1. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान ओलटपुर, उड़ीसा

6. रोजगार

निःशुक्ल व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक उपबन्ध है कि सरकार प्रत्येक स्थापना में कम से कम 3 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिनमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में निम्नलिखित विकलांगताओं से पीडितों के लिए प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षण होगा।

(क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि,

(ख) श्रवण विकृति, तथा

(ग) चलन संबंधी विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्काघात।

विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "ग" तथा "घ" में 3 प्रतिशत आरक्षण कानून के लागू होने से पहले भी रहा है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा तदनुसार आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिकत, विकलांगों को "सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में आयु की छूट" तथा "चिकित्सा संबंधी मानकों" में छूट दी भी दी जाती है।

2. विकलांग व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 47 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 41 सैल विकलांग व्यक्तियों के लिए खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी समुचित रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की मदद करते हैं।

3. विकलांगों की शेष योग्यता का मूल्यांकन करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा उनको रोजगार प्रदान करने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

4. स्वरोजगार को निम्नलिखित के जरिए बढ़ावा दिया गया है :-

(क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा बिक्री, स्टालों को ओस्कों तथा दुकानों का आवंटन;

(ख) ब्याज की रियायती दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आवंटन में वरीयता ;

(घ) पेट्रोल पंपों, मिट्टी के तेल के डिपुओं इत्यादि के वितरण में आरक्षण।

7. सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को बिकाऊ, आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से निर्मित सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता करना है जो उनका शारीरिक, समाजिक तथा मनौवैज्ञानिक पुनर्वास बढ़ते है। यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियों, रजिस्टर्ड समितियों, न्यासों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों और कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों एजेन्सियां कार्यरत हैं।

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 3600/- रु. तक के मूल्य के सहायक यंत्र और उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाते है। यदि उनकी मासिक आय 1220 रुपये तक है और यदि आय 1201 रुपये और 2500 रुपये के बीच में है तो यह 50 प्रतिशत लागत पर प्रदान किए जाते हैं।

8. भारत सरकार ने अभी हाल ही में निःशुल्क (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम अपंग व्यक्तियों, जिसमें मानसिक विकलांग भी शामिल हैं, के लिए अपंगता का निवारण तथा शीघ्र जांच, शिक्षा, रोजगार, भेदभाव न हो आदि का प्रावधान करता है।

9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को समर्थ बनाने हेतु रियायती दरों पर वित्त का अतिरिक्त माध्यम प्रदान करने के लिए की जा रही है।

विदेशियों का दौरा

2562. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत का दौरा करने वाले विदेशियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दौरा करने वालों में पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है;

(ग) जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले विदेशियों विशेषरूप से पाकिस्तानी कितने हैं; और

(घ) जम्मू और कश्मीर में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले विदेशियों की राष्ट्रीयता सहित संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) वर्ष 1993, 1994, 1995 तथा 1996 (अगस्त तक) के दौरान क्रमशः 1678648, 1895486, 2141446 तथा 1442737 विदेशियों ने भारत की यात्रा की।

(ख) इसी अवधि के दौरान उनमें से 54194, 44039, 34769 तथा 32547 पाकिस्तानियों ने भारत की यात्रा की।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वस्तुओं को जब्त किया जाना

2563. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा 11.11.96 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर निर्यात के लिए लंदन जा रहे "ऊनी वस्त्र" अंकित पैकेट से कुछ वस्तुओं को जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पांच दिनों के भीतर यह दूसरी जब्ती थी;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की जांच आदि किए जाने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). इस मंत्रालय के अधीन उत्तरी क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण कार्यालय ने 11.11.1996 को ऊनी सामान की एक खेप में 12 शहतूश शालों, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन से लंदन भेजी जा रही थी, पकड़ा था। सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा शुल्क के प्राधिकारियों ने शालों को जब्त किया। इसके बाद 18.11.96 को आई.एन.ए. बाजार के समीप दिल्ली हाट की एक दुकान से एक बार फिर शहतूश की पांच शालों को जब्त किया। 20.11.96 को न्यायालय के समक्ष जब्त सम्पत्ति प्रस्तुत की गई।

(ग) इन मामलों में अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब्त की गई शालों से ऊनी रेशे एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें भारतीय वन्य जीव, संस्थान के पास आपराधिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।

(घ) वन्य जीव और उनके शरीरांगों तथा उत्पादों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों को उपाबंध में दिया गया है।

उपाबंध

वन्य जीव और उनके शरीरांगों और उत्पादों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :-

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I से 4 में शामिल पशुओं के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।
2. बाघ, हाथियों, गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
3. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 441 वन्यजीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
4. इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें सभी प्रमुख प्रवर्तन संगठनों जैसे सीमा शुल्क, राजस्व, सतर्कता, सी.बी.आई., पुलिस, बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., आर.पी.एफ. विदेश डाकघर और ट्रैफिक इंडिया के प्रतिनिधियों और वन्य जीव प्राधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि वन्यजीव और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए प्रभावशाली अंत:विभागीय सहयोग और समन्वय किया जा सके।
5. फरवरी, और नवम्बर, 1995 तथा 1996 में सभी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वन्यजीव और अन्य संबद्ध कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये।
6. वन्यजीव के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।
7. वन्य प्राणिजगत और वनस्पतिजगत की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस), जिसके अधीन संकटापन्न प्रजातियों और उनके अंगों तथा उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कठोर रूप में नियंत्रित किया जाता है, में भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है।
8. वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी के संबंध में सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जाता है।
9. इस मंत्रालय द्वारा वन्यजीव और वन्यजीव उत्पाद के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए विशेष उपाय करने की सिफारिश की है और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य उक्त उपायों का अनुसरण कर रहे हैं।
10. देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में अधिकांशत: वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय गठित किए गए हैं ताकि वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोका जा सके।

उदारीकरण की नीति

2564. श्री बादल चौधरी :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अनिल बसु :
डा. असीम बाला :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों से बाघ परियोजना कार्यक्रमों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उदारीकरण योजनाओं के अन्तर्गत निर्णय लेते समय परियोजनाओं के बचाव के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण बाघ परियोजना कार्यक्रम पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। बाघ रिजर्वों में तथा इनके आस-पास विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव की मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत संवीक्षा की जाती है। इन अधिनियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को आबंटित निधियां

2565. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को वर्ष 1995-96 में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) केरल राज्य को वर्ष 1995-96 हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें से कितना उपयोग किया गया है; और

(ग) केरल राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए वर्ष 1993-94 में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995-96 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को 65 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया राज्यवार कोई आबंटन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 321.48 लाख रुपए मंजूर किए तथा 1995-96 के दौरान केरल को 385.88 लाख संवितरित किए।

(ग) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा केरल राज्य में उपयोग के लिए 22.50 लाख रुपए संवितरित किए गए।

पारादीप फास्फेट निगम को घाटा

2566. श्री मुरलीधर जेना : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप फास्फेट निगम को घाटा होने का क्या कारण है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इसे एक लाभकारी सरकारी उद्यम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). पारादीप फास्फेट्स लि. ने वर्ष 1995-96 के दौरान 2.24 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बांसों का काटना

2567. श्री सनत मेहता : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कागज मिल द्वारा नर्मदा नदी के निकट स्थित शूल पनेम्बर अभ्यारण में बड़े पैमाने पर बांसों को काटने के सम्बंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यारण क्षेत्र में बांस अथवा अन्य वृक्षों की इस प्रकार की जाने वाली कटाई के सम्बंध में सरकार की मूल नीति क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-33 के अधीन राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डेन वन्यजीव के हित में किसी आवास में सुधार करने के लिए अभ्यारण क्षेत्रों में ऐसे उपाय कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझता है। इसमें बांस या अन्य पेड़ों को काटना भी शामिल है। गुजरात के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यारण के आवास और जैव विविधता में सुधार करने के समग्र हित की दृष्टि से शूल पाणेश्वर अभ्यारण में सघन बांस की वृद्धि को चुनकर हटाना वांछनीय है।

(ग) और (घ). राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने सूचित किया है कि न्यायालय के एक मामले के उत्तर में गुजरात उच्च न्यायालय ने एक न्यायालय आयोग नियुक्त किया है जिसने अपने जांच प्रतिवेदन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। दो अन्य मामलों में गुजरात उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. और गुजरात वन-विभाग को इस मामले की जांच करने का निदेश दिया है। वन विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को याचिकाकर्ताओं अर्थात् गुजरात राज्य और सेन्ट्रल पल्प मिल की शिकायतों की जांच करने का आदेश दिया है। यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष न्याय-निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

पी.पी.सी.एल. उर्वरक कारखाना

2568. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के "पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड" से उत्पादित उर्वरक स्थानीय किसानों को नहीं दिए जाते हैं;

(ख) क्या उक्त कारखानें से उत्पादित उर्वरकों को सिर्फ अन्य राज्यों में बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उक्त कारखाने के उर्वरकों को खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा स्थानीय किसानों को उचित दर पर उपलब्ध करायेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी पी सी एल) का अमझोर, बिहार स्थित एकक सिंग सुपर फास्फेट (एस एस पी) उर्वरक का उत्पादन करता है। वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान कुल बिक्री की 54-66 प्रतिशत बिक्री बिहार में ही हुई थी। बिहार की आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात ही पड़ौसी राज्यों को भी आपूर्ति की गई है।

(घ) एस एस पी नियंत्रणयुक्त उर्वरक है। पी पी सी एल बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य पर अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से किसानों को एस एस पी उपलब्ध कराने के लिए सुसज्जित है।

[अनुवाद]

ताज महल

2569. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा और शिकोहाबाद स्थित उद्योग अभी भी वायु प्रदूषण फैलाकर ताज महल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी उद्योगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। अगरा और शिकोहाबाद में दोषी उद्योग पहले से ही बंद हैं और जो उद्योग चल रहे हैं वे सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों का अनुपालन कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ

2570. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने हाल ही में एक नई डेयरी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना के परिणमस्वरूप दुग्ध उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना हेतु कितना केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना किसी शुल्क के दुग्ध उत्पादों के अनियंत्रित आयात के संबंध में सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के अनुपालन से संघ को काफी नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घरेलू उद्योग की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ ने सितम्बर, 1995 में गांधीनगर के नजदीक एक नई डेयरी शुरू की है।

(ख) नई डेयरी प्रतिदिन दस लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण कर सकती है। इस परियोजना के लिए ऑपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम के तहत 105 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ). विगत कुछ वर्षों में देश में दुग्ध उत्पादों का बड़ी मात्रा में कोई आयात नहीं हुआ है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा उसी के अनुसार आयात-निर्यात नीति निर्धारित की जाती है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

2571. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.) का कुल बजट कितना है;

(ख) 1990-91 और 1994-95 में इस संस्थान द्वारा कितनी औषधों का उत्पादन किया गया तथा बाजार में शुरू तथा कितने टीकों, स्वास्थ्य औषधों और नैदानिकों को बिक्री हेतु बाजार में भेजा गया;

(ग) क्या "रियन्डर पेस्ट टेस्ट किट्स" विदेशों से आयात किए जा रहे हैं जबकि आई.वी.आर.आई. और आई.सी.ए.आर. इनका देश में ही उत्पादन करने में सक्षम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 2,960.18 लाख रुपये।

(ख) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में वर्ष 1990-91 तथा 1994-95 में क्रमशः 31 तथा 26 औषधियों का उत्पादन किया गया है। ये औषधियां प्रतिरक्षा-विज्ञान (जीवाणु-टीके, विषाणु-टीके/रोग नैदानिक) से संबंधित हैं।

बाजार में इस्तेमाल के लिए भेजे गए नये टीके, लाभप्रद दवाइयां तथा रोग-नैदानिक टीके निम्नलिखित हैं :-

टीके

1) शीप पाक्स सैल कल्चर टीका

2) रेबीज सैल कल्चर टीका

लाभप्रद दवाइयां

खाज तथा दाद के लिए दवाइयां

नैदानिक

1) ट्यूबरक्यूलीन पी पी डी

2) जोहनिन पी पी डी

3) मेलेइन पी पी डी

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2572. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रम वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या उर्वरक विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में अपनी योजना हेतु निवेश परिव्यय में कमी को पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 के लिए 5484 करोड़ रुपए की धनराशि कुल योजना अवधि परिव्यय के रूप में नियत की गई है,

जबकि इसका 62 प्रतिशत पहले चार वर्षों मे ही खर्च कर दिया गया;

(घ) क्या योजना आयोग ने भी निवेश परिव्यय योजना की मंजूरी दे दी है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एकक किस सीमा तक प्राप्त कर पायेंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शरीश राम ओला) : (क) से (ङ). उर्वरक क्षेत्र के लिए आठवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 5484 करोड़ रुपए हैं। इसमें से 1996-97 के लिए अनुमोदित परिव्यय 2670.02 करोड़ रुपए है। योजना के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1995-96 के दौरान कुल व्यय 2762 करोड़ रुपए है जो आठवीं योजना के कुल परिव्यय का 18.69 प्रतिशत है। आशा की जाती है कि आठवीं योजना अवधि में उर्वरक क्षेत्र में वास्तविक कुल व्यय आठवीं योजना परिव्यय के लगभग बराबर होगा।

मूंगफली का उत्पादन

2573. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य मूंगफली का उत्पादन करते हैं तथा इन राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार मूंगफली का कितना वार्षिक उत्पादन है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मूंगफली की खेती करने वाले किसानों को उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सहायता देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). 1996-97 के दौरान खरीफ मूंगफली का उत्पादन 62.7 लाख टन होने का अनुमान है, जो खरीफ 1995-96 के दौरान हुए उत्पादन (56.36 लाख टन) की तुलना में अधिक है।

(घ) मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। बीजों के उत्पादन एवं वितरण, मिनिकिटों के वितरण, छिड़काव यंत्रों, जिप्सम तथापायराइट्स, उन्नत कृषि उपस्करों तथा राइजोबियम कल्चर के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन एवं सामान्य प्रदर्शन किए जाते हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली का वर्षवार एवं राज्यवार उत्पादन

('हजार टन)

क्र.सं.	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	2545.7	1772.6	2426.0
2.	बिहार	4.9	4.7	4.0
3.	गुजरात	676.6	2380.1	1027.0
4.	हरियाणा	1.7	1.8	2.0
5.	हिमाचल प्रदेश	0.4	0.4	-
6.	जम्मू व कश्मीर	0.2	0.2	-
7.	कर्नाटक	1198.9	953.5	889.0
8.	केरल	9.5	9.1	13.0
9.	मध्य प्रदेश	275.0	229.2	291.0
10.	महाराष्ट्र	769.2	628.7	679.0
11.	उड़ीसा	114.0	96.4	95.0
12.	पंजाब	9.0	8.0	8.0
13.	राजस्थान	209.3	196.2	164.0
14.	तमिलनाडु	1865.6	1844.8	1912.0
15.	त्रिपुरा	2.2	2.2	--
16.	उत्तर प्रदेश	119.4	100.3	107.0
17.	पश्चिम बंगाल	21.1	21.1	29.0
	अन्य	6.2	5.8	7.0
	कुल :	7828.9	8255.1	7653.0

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन निर्धारण हेतु मापदंड

2574. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानी होने के क्या मापदंड हैं ताकि इसके विभिन्न लाभ तथा विशेषाधिकार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकें;

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या सुविधाएं, विशेषाधिकार तथा रियायतें उपलब्ध हैं तथा इस पर कुल वित्तीय परिव्यय कितना है;

(ग) इस प्रकार का लाभ उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कुल कितनी संख्या है;

(घ) क्या गृह मंत्रालय के पास पेंशन को स्वीकृति हेतु कोई दावा बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के संबंध में, कम से कम 6 महीने की कैद नजरबंदी/निष्कासन, प्रशासन के आदेश के विरूद्ध फरारी (भूमिगत) के रूप में सजा भुगती हो, वह पेंशन प्रदान करने के लिए विचार किए जाने का पात्र है। सरकारी नौकरी का चले जाना, सम्पत्ति की जब्ती/कुर्की, 10 कोड़े और डंडे खाने की सजा पाना, लाठी चार्ज के कारण स्थायी रूप से अपंग होना जैसी अन्य यातनाओं को भी पेंशन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ मान्यता दी गयी है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्राप्त करने वालों को दी गयी विभिन्न सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पेंशन की अदायगी और अन्य लाभों के भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 190 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

(ग) जब से यह योजना शुरू की गई है तब से लेकर अभी तक 1.62 लाख मामलों में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की गयी है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या के बारे में पृथक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं जो इस समय वास्तव में पेंशन या अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) और (ङ). 30.11.1996 की स्थिति के अनुसार, हाल ही में प्राप्त 14 नए आवेदन पत्र, सरकार के पास निपटाने के लिए लम्बित पड़े थे।

विवरण

केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्तकर्ताओं को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाओं के ब्यौरे।

(1) स्वतंत्रता सेनानियों को और उनकी विधवाओं/परिचारक को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी) की सुविधा।

(2) केन्द्र सरकार के सब अस्पतालों में और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा भी दी गई है।

(3) दिल्ली/नई दिल्ली में उनके नाम या उनके आश्रितों में से किसी के नाम कोई निजी मकान न होने पर दिल्ली में डाक्टरी इलाज कराने के प्रयोजन हेतु अखिल भारतीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल के रिहायशी आवास की सुविधा दी जाती है।

(4) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, के लिए बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास की सुविधा।

(5) व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिभारों के बिना और मात्र आधे किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों ने पेंशन और कुछ अन्य सुविधाओं के उन लाभों का भी विस्तार किया है जो प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं।

लेवी चीनी का मूल्य

2575. श्री जी.एम. कुन्दूरकर :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ की मांग पर सरकार लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चीनी का प्रस्तावित लेवी मूल्य क्या है; और

(ग) किसानों के तथा चीनी उद्योग की विपणन नीति के हितों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने अपने 20.11.1996 के अभ्यावेदन में लेवी चीनी का निर्गम मूल्य बढ़ाकर 11.30 रुपये प्रति किलोग्राम करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की बिक्री

2575. श्री मनहरण लाल पांडेय :
श्री गंगा राम कोली :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार खुले बाजार में उपलब्ध कराई गई गेहूं और चावल की मात्रा और दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) खुले बाजार में गेहूं और चावल का प्रति क्विंटल बिक्री मूल्य क्या था;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने ये खाद्यान्न बाजार भाव से कम मूल्यों पर बेचे थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). पिछले एक वर्ष के दौरान खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम

द्वारा बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा और मूल्यों को बताने वाले विवरण I, II, और III संलग्न हैं।

(ग) और (घ). भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोखिम में डाले बिना खाद्यान्नों के बाजार मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक और भारतीय खाद्य निगम की इकनामिक लागत से कम मूल्य पर गेहूं और चावल की बिक्री करता है।

विवरण–I

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिसम्बर, 1995 से नवम्बर, 1996 के दौरान खुले बाजार में गेहूं और चावल की बेची गई मात्रा बताने वाला विवरण

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बेची गई मात्रा (अनन्तिम)	
		गेहूं	चावल
1	2	3	4
1.	पंजाब	216.41	43.73
2.	हरियाणा	258.29	25.43
3.	उत्तर प्रदेश	111.65	29.04
4.	दिल्ली	54.28	3.49
5.	राजस्थान	140.02	5.43
6.	हिमाचल प्रदेश	20.91	-
7.	जम्मू और कश्मीर	46.42	-
8.	पश्चिम बंगाल	73.13	8.24
9.	बिहार	118.60	0.43
10.	उड़ीसा	96.35	-
11.	महाराष्ट्र	127.40	31.20
12.	गुजरात	136.77	17.33
13.	मध्य प्रदेश	141.89	55.86
14.	तमिलनाडु	102.62	1.00
15.	आंध्र प्रदेश	80.94	-
16.	कर्नाटक	75.05	-
17.	केरल	39.78	21.92
18.	असम	1.62	-

विवरण–II

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिसम्बर, 1995 से नवम्बर, 1996 तक बेचे गये गेहूं की दरों को बताने वाला विवरण

(दर प्रति टन)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	दिसम्बर, 95 से मार्च, 96	अप्रैल, 96 से जुलाई, 96 तक	अगस्त, 96 से 17 सित. 96 तक	18 सितम्बर, 96 से नवम्बर, 96 तक
1	2	3	4	5	6
1.	चण्डीगढ़	4150	4410	4550	4900
2.	जयपुर	4300	4600	4765	5115
3.	दिल्ली	4150	4410	4550	4900
4.	लखनऊ	4300	4600	4800	5150
5.	कानपुर	4300	4600	4810	5160
6.	वाराणसी	4360	4660	4894	5244
7.	बरेली	-	4410	4550	4900
8.	शिमला	4250	4550	4681	5031
9.	जम्मू	4200	4500	4655	5005
10.	श्रीनगर	4200	4500	4655	5005
11.	पटना	4420	4720	4963	5313
12.	रांची	4450	4750	5056	5406

1	2	3	4	5	6
13.	गुवाहाटी	4600	4900	5188	5538
14.	कटक	4500	4800	5143	5493
15.	भुवनेश्वर	4500	4800	5149	5499
16.	कलकत्ता	4510	4810	5091	5441
17.	सिलिगुड़ी	4520	4820	5110	5460
18.	इंदौर	4350	4650	4925	5275
19.	ग्वालियर	4280	4580	4753	5103
20.	रायपुर	4430	4730	5066	5416
21.	अहमदाबाद	4570	4870	5007	5357
22.	सूरत	4570	4870	5016	5366
23.	बम्बई	4600	4900	5080	5430
24.	नागपुर	4560	4860	5005	5355
25.	हैदराबाद	4650	4950	5142	5492
26.	विशाखापत्तनम	4670	4970	5223	5573
27.	बंगलौर	4670	4970	5280	5630
28.	मैसूर	4690	4990	5299	5649
29.	बेलगांव	4690	4990	5198	5548
30.	मद्रास	4680	4980	5234	5584
31.	कोयम्बटूर	4700	5000	5303	5653
32.	मदुरै	4710	5010	5333	5683
33.	कोचीन	4740	5040	5334	5684

अन्य केन्द्रों में स्थित डिपुओं पर खुली बिक्री के मामले में नवम्बर, 1995 से निकटतम प्रमुख केन्द्र के लिए निर्धारित दर लागू होंगी।

पत्तन शहरों और उनके आसपास 50 किलोमीटर के क्षेत्रों में गेहूं के मूल्य 16.1.1996 से 4773/- रुपये है और 1.4.1996 से जुलाई, 1996 तक 5073/- रुपये है।

बरेली को अतिरिक्त केन्द्र के रूप में शामिल किया गया है और यहां 1.2.1996 से 4150/- रुपये टन तथा 1.4.1996 से 4410/- रुपये प्रति टन के मूल्य लागू हैं।

विवरण–III

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिसम्बर, 1995 से नवम्बर, 1996 तक बेची गई चावल की दर बताने वाला विवरण

(दर रुपये प्रति टन)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिसम्बर, 95 से जून, 1996		जुलाई, 96 से नवंबर, 96	
		बढिया	उत्तम	बढिया	उत्तम
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	7050	7350	7050	7350
2.	हरियाणा	7000	7300	7000	7300
3.	उत्तर प्रदेश	6900	7200	6900	7200

1	2	3	4	5	6
4.	राजस्थान	7000	7150	7500	7650
5.	जम्मू और कश्मीर	6680	7000	6680	7000
6.	दिल्ली	6740	7060	6740	7060
7.	महाराष्ट्र	6630	6950	7130	7450
8.	गुजरात	6630	6950	7130	7450
9.	मध्य प्रदेश	6630	6950	7130	7450
10.	पश्चिम बंगाल	6630	6950	7130	7450
11.	बिहार	6630	6950	7130	7450
12.	उड़ीसा	6630	6950	7130	7450
13.	तमिलनाडु	6630	6950	7130	7450
14.	कर्नाटक	6630	6950	7130	7450
15.	आंध्र प्रदेश	6630	6950	7130	7450
16.	केरल	6630	6950	7130	7450

[अनुवाद]

बाल विवाह

2577. श्री भक्त चरण दास :
श्री डी.पी. यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बाल विवाह पर रोक लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस आयोग ने बाल विवाह के संबंध में मसौदा विधेयक प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार द्वारा समाज से इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1994

2578. श्री के. परसुरामन : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पारित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के उपबंधों का देश में विभिन्न पशुचिकित्सा केन्द्रों द्वारा पालन किया गया है;

(ख) क्या ग्रामीण किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के उपबंधों का उन राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाता है जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को स्वीकार किया है।

(ख) और (ग). भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नियंत्रण मुक्त उर्वरकों हेतु मूल्य निर्धारण संबंधी मानदण्ड

2579. श्री अय्यन्ना पटरुचु :
श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरदकालीन फसलों हेतु नियंत्रण मुक्त उर्वरकों के लिए मूल्य निर्धारण संबंधी नए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मानदण्डों को विलंब से घोषित किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). चूंकि यूरिया एक नियन्त्रित मद है, अतः इसे 10.6.1994 से देश भर में और 3320/- रुपये प्रति मीटरी टन के समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। फास्फेट युक्त तथा पोटाशियम युक्त उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है और इनके मूल्य पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण विगत समय में किए गए के अनुसार सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ मूल्य के संबंध में बातचीत करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था। तदनुसार, अधिकांश राज्य सरकारों ने पहले ही रबी 1996-97 के लिए इन विनियन्त्रित उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित कर दिए हैं।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा विद्युत और जल प्रभार की वसूली

2580. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा विद्युत और जल प्रभार की वसूली संबंधी अनुबंध वर्ष 1995 में निविदा आमंत्रित किए बगैर की "साफ्टवेयर कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड" को दे दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अनुबंध के नवीकरण से पूर्व उक्त फर्म के विगत कार्यनिष्पादन विशेषकर वसूल की गयी धनराशि को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में समय पर जमा किए जाने का सत्यापन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त फर्म के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। इस आधार पर कि अनुबन्ध प्रदान करने और नई पार्टी द्वारा इस प्रणाली को चालू किए जाने के बीच काफी समय लगेगा, जिससे बिल बनाने और बिजली व पानी के प्रभारों को एकत्र करने में विलम्ब होने के कारण राजस्व की हानि हो सकती है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने निविदा आमंत्रित करके नई पार्टी का चयन करने के बजाय प्रश्नाधीन फर्म के साथ अनुबंध को बढाना अधिक उपयुक्त समझा।

(ग) और (घ). प्रश्नाधीन फर्म का पिछला कार्य सन्तोषजनक समझा गया था, लेकिन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा यह मूल्यांकन, इस बात का सत्यापन किए बगैर ही किया गया था कि क्या उपभोक्ताओं से वास्तव में वसूल की गयी नगदी, इस पार्टी द्वारा पूरी की पूरी जमा की जा रही थी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

2581. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री गंगा राम कोली :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में गेहूं का आटा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान प्रतिमाह, मद-वार उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्य क्या रहे;

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन उपभोक्ता वस्तुओं का समर्थन मूल्य इनके विक्रय मूल्य से काफी कम है;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रकार की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). देश के चार बडे शहरों में पिछले तीन महीने के दौरान गेहूं के आटे तथा अन्य चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए आबादी में वृद्धि के कारण इन वस्तुओं की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर, किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि तथा निवेशों, खासतौर पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि होने के कारण ढुलाई की लागत में वृद्धि जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(घ) और (ङ). वर्ष 1996-97 के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार हैं :-

मद	(रु. प्रति क्विंटल) अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य (1996-97)
1	2
1. धान	
(क) कॉमन	380 रु.
(ख) फाइन	395 रु.
(ग) सुपर फाइन	415 रु.

1	2
2. गेहूं	380 रु.
3. मोटे अनाज	
(क) जौ	295 रु.
(ख) मक्का	320 रु.
(ग) ज्वार, बाजरा, रागी और जौ	310 रु.

समर्थन मूल्य जो प्रतिपूरक मूल्य के रूप में हैं जो बाजार मूल्यों के उनसे नीचे गिर जाने की दशा में किसानों को देय होते हैं, ताकि किसानों की आय को कायम रखा जा सके। बाजार मूल्यों में उतार-चढाव अन्य बातों के साथ-साथ उस वस्तु की समग्र मांग, उसके उत्पादन तथा अन्य सामान्य बाजार परिस्थितियों से प्रभावित होती है।

(च) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कतिपय दीर्घकालिक उपायों के अलावा खाद्य तेल और दालें जैसी कम आपूर्ति वाली मदों के खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि इन मदों की समग्र उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। कुछ वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी भंडारों के माध्यम से भी बाजार मूल्य से कम मूल्य पर की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में जमाखोरों और कालाबाजारियों तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार में लिप्त अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

चुनिंदा केन्द्रों पर माह के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

	25.9.96	30.10.96	29.11.96
	1	2	3
आटा*			
दिल्ली	7.50	7.50	8.00
पुणे	12.00	12.00	12.00
कलकत्ता	9.00	7.00	7.00
कोयम्बटूर	10.25	10.25	10.50
चावल			
दिल्ली	11.00	11.00	11.50
मुंबई	9.00	9.50	10.00
कलकत्ता	10.00	10.00	10.00
मद्रास	9.40	10.00	11.00
गेहूं			
दिल्ली	6.00	6.50	6.00
मुंबई	7.50	8.00	8.50
कलकत्ता	6.00	6.00	6.00
मद्रास	10.00	11.00	11.00
चना			
दिल्ली	16.00	16.00	17.00
मुंबई	18.00	17.00	17.00
कलकत्ता	18.00	18.00	18.00
मद्रास	16.20	17.00	17.00
तुर			
दिल्ली	30.00	28.00	30.00
मुंबई	32.00	30.00	28.00
कलकत्ता	32.00	31.00	32.00
मद्रास	31.00	32.00	34.00
चीनी			
दिल्ली	15.50	15.00	15.00
मुंबई	14.60	13.90	13.50
कलकत्ता	16.00	15.50	15.50
मद्रास	13.20	13.00	13.00
मूंगफली का तेल			
दिल्ली	5.00	50.00	50.00
मुंबई**	46.00	44.00	40.00
कलकत्ता**	56.00	56.00	56.00
मद्रास	43.00	41.00	38.00
सरसों का तेल			
दिल्ली	40.00	40.00	40.00
मुंबई	38.00	40.00	38.00

	1	2	3
कलकत्ता	38.00	38.00	38.00
मद्रास	45.00	45.00	45.00
वनस्पति			
दिल्ली	39.00	39.00	39.00
मुंबई	42.00	42.00	40.00
कलकत्ता	45.00	45.00	45.00
मद्रास	40.00	43.00	42.00
चाय (खुली)			
दिल्ली	83.00	88.00	88.00
मुंबई	86.00	84.00	80.00
कलकत्ता	90.00	90.00	90.00
मद्रास	120.00	120.00	125.00
आलू			
दिल्ली	9.00	10.00	10.00
मुंबई	8.00	9.50	9.00
कलकत्ता	4.50	5.00	5.50
मद्रास	7.00	8.00	10.00
प्याज			
दिल्ली	7.00	10.00	9.00
मुंबई	6.00	7.50	8.00
कलकत्ता	6.50	7.00	9.00
मद्रास	7.00	7.00	10.00
नमक (पैकेट में)			
दिल्ली	5.00	5.00	5.50
मुंबई	5.00	6.00	5.50
कलकत्ता	6.00	5.00	5.00
मद्रास	5.00	5.00	5.00

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति

* : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

** : रिफाइन्ड तेल

वन उत्पादों का विपणन

2582. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका प्रणाली समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वन उत्पादों को इकट्ठा करने तथा इनका विपणन करने हेतु प्रबंध किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वन विभाग द्वारा उक्त उत्पादों के इकट्ठा करने तथा इनके विपणन से अर्जित लाभ में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का प्रतिशत कितना-कितना है तथा इस संबंध में वर्तमान नियम क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वन विभाग द्वारा वन उत्पादों के विपणन से प्रत्येक राज्य को हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के रसायन और उर्वरक एकक

2583. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के रसायन तथा उर्वरक इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार के कोडरमा, गिरीडीह तथा हजारी बाग में उर्वरक इकाइयां स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा ये कहां-कहां स्थापित की जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के ब्यौरे और उनके स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार उर्वरक प्लांट स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। उद्यमी पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बाद भारत में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

1. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र की इकाइयां और उनके स्थान :-

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान (राज्य)
1	2	3
1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) :	
	(1) आईडीपीएल, ऋषिकेश	उत्तर प्रदेश
	(2) आईडीपीएल, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
	(3) आईडीपीएल, गुडगांव	हरियाणा
	(4) आईडीपीएल, चेन्नई	तमिलनाडु
	(5) बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	बिहार
2.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) :	
	(1) एचएएल, पिम्परी, पुणे	महाराष्ट्र
3.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (बीआईएल)	
	(1) बीआईएल, बारानगर, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
	(2) बीआईएल, देहरादून	उत्तर प्रदेश
4.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एसएसपीएल) :	
	(1) एसएसपीएल, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
5.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) :	
	(1) बीसीपीएल, मानिकतला, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
	(2) बीसीपीएल, पानीहाटी, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
	(3) बीसीपीएल, मुम्बई	महाराष्ट्र
	(4) बीसीपीएल, कानपुर	उत्तर प्रदेश
6.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) :	
	(1) आरडीपीएल, जयपुर	राजस्थान
7.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (यूपीडीपीएल) :	
	(1) यूपीडीपीएल, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
8.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) :	
	(1) ओडीसीएल, भुवनेश्वर	उड़ीसा
9.	कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) :	
	(1) केएपीएल, बंगलौर	कर्नाटक
10.	महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल) :	
	(1) एमएपीएल, नागपुर	महाराष्ट्र
11.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल) :	
	(1) एमएसडीपीएल, इम्फाल	मणिपुर

1	2	3
12.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) :	
	(1) एचओसीएल, रसायनी	महाराष्ट्र
	(2) एचओसीए, कोचीन	केरल
13.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) :	
	(1) एचएफएल, मेडाक	आन्ध्र प्रदेश
14.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) :	
	(1) एचआईएल, रसायनी	महाराष्ट्र
	(2) एचआईएल, अल्वेई	केरल
	(3) एचआईएल, नई दिल्ली	नई दिल्ली
15.	दि सदर्न पेस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड (एसएसपीएल) :	
	(1) एसएसपीएल, पश्चिम गोदावरी	आन्ध्र प्रदेश
16.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) :	
	(1) आईपीसीएल, बडोदरा	गुजरात
	(2) आईपीसीएल, गंधार	गुजरात
	(3) आईपीसीएल, नागोथाणे	महाराष्ट्र
17.	पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड (पीसीएल) :	
	(1) पीसीएल, बडोदरा	गुजरात
	(2) पीसीएल, नलधारी	गुजरात

II. सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयां और उनके स्थान :

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान (राज्य)
1	2	3
क.	नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक उर्वरक बनाने वाली प्रमुख इकाइयां :	
	सरकारी क्षेत्र :	
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-नांगल-I	पंजाब
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-नांगल-II	पंजाब
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-भटिंडा	पंजाब
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.- पानीपत	हरियाणा
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.-विजयपुर	मध्य प्रदेश
6.	फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ट्रेवनकोर लि.- उद्योग मंडल	केरल
7.	फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ट्रेवनकोर लि.- कोचिन-I	केरल
8.	फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ट्रेवनकोर लि.-कोचिन II	केरल
9.	राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि.-ट्रांबे	महाराष्ट्र
10.	राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि.-ट्रांबे-4	महाराष्ट्र
11.	राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि.-ट्रांबे-5	महाराष्ट्र

1	2	3
12.	राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि.-तहल	महाराष्ट्र
13.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. नामरूप-I	असम
14.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. नामरूप-II	असम
15.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. नामरूप-III	असम
16.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. दुर्गापुर	वेस्ट बंगाल
17.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. बरौनी	बिहार
18.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन इंडिया लि. -सिंदरिमून	बिहार
19.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. -गोरखपुर	यू.पी.
20.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.-रामागुंडम	आंध्र प्रदेश
21.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.-तलोहर	उड़ीसा
22.	स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया -राहूतमेखाना	उड़ीसा
23.	प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड-प्रदीप	उड़ीसा
24.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.-मद्रास	तमिलनाडु
25.	नयवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि.-नयवेली	तमिलनाडु
कॉपरेटिव सेक्टर-		
1.	इंडिया फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.-कलोल	गुजरात
2.	इंडिया फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.-कांडला	गुजरात
3.	इंडिया फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.-फूलपुर	उत्तर प्रदेश
4.	इंडिया फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.-आंवला	उत्तर प्रदेश
5.	कृषक भारतीय कोआपरेटिव लि. हजिरा	गुजरात
ब.	**उप-उत्पाद के रूप में उर्वरक उत्पादन करने वाली अन्य इकाइयां**	
	सरकारी क्षेत्र	
1.	स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया-राउरकेला	उड़ीसा
2.	स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया- दुर्गापुर	वेस्ट बंगाल
3.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी-बरनपुर	वेस्ट बंगाल
4.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया-भिलाई	मध्य प्रदेश
5.	स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया-बोकारो	बिहार
6.	राष्ट्रीय इस्पात निगम-विझाग	आंध्र प्रदेश
क.	**सिंगल सुपर फॉस्फेट का उत्पादन करने वाली इकाइयां**	
	सरकारी क्षेत्र	
1.	असम स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.-चंद्रपुर	असम
2.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.-खेत्री	राजस्थान
3.	महाराष्ट्र एग्रो इंडस डेवलपमेंट कारेपोरेशन-प्रभादेवी, बॉम्बे	महाराष्ट्र
4.	पायराइट्स फॉस्फेटस एण्ड केमिकल्स लि. आमझोर	बिहार

[अनुवाद]

विस्थापितों के लिए पैकेज कार्यक्रम

2584. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1995 के दौरान पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए 1726 करोड़ रुपये का पैकेज कार्यक्रम प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रस्ताब में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है- पश्चिम बंगाल में स्क्वेटर्स कालोनियों को नियमित किए जाने के लिए प्रयुक्त राज्य सरकार की भूमि की लागत की प्रतिपूर्ति तथा विस्थापित व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए उपायों के पैकेज हेतु धन उपलब्ध कराए जाने संबंधी मांगें।

(ग) पश्चिम बंगाल में स्क्वेटर्स कालोनियों को नियमित किए जाने हेतु धन, 1987 में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप जारी कर दिया गया था। इस निर्णय का पुनः खोलने का कोई आधार नजर नहीं आता । जहां तक आर्थिक पुनर्वास संबंधी मांग का संबंध है, सरकार का मत है कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा विस्थापित व्यक्तियों को पहले ही आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है और समझा जाता है कि वे, राज्य की आम जनता के साथ घुल-मिल चुके हैं और इसीलिए उन्हें आगे कोई सहायता, राज्य सरकार द्वारा अपनी सामान्य विकास योजनाओं में से प्रदान की जानी चाहिए। राज्य सरकार को पहले ही उपर्युक्त स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

जम्मू तथा कश्मीर में सुरक्षा बलों पर व्यय

2585. श्री पी. नामग्याल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1994,1995 तथा 1996 के दौरान कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बहाल करने तथा उग्रवाद पर नियंत्रण रखने हेतु जम्मू तथा कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कुल कितना व्यय किया गया तथा इसमें से कुल कितना व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : यह जानकारी सदन में प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्ति

2586. कुमारी ममता बनर्जी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आम दवाओं के खुदरा मूल्य में वृद्धि

2587. श्री मोहन रावले :
श्री वीर सिंह महतो :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कॉमन ड्रग्स रिटेल प्राइसेस शूटिंग अप" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा आम दवाओं के मूल्यों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) आम दवाओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार निर्माताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मंत्रालय सूत्रयोगों के मूल्यों का लगातार तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस प्रकार के एक नवीनतम अध्ययन में पाया गया है कि इन 21 सूत्रयोगों के मूल्य बढ़े हैं। तथापि यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि ये सारे आम उपयोग वाले सूत्रयोग हैं।

(घ) मूल्य नियंत्रित दवाइयों के मामले में इनके मूल्य औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य नियंत्रण से बाहर वाली दवाइयों के मामले में यदि असामान्य मूल्य वृद्धि जानकारी में आती है तो इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए संबंधित निर्माता के साथ मामले को उठाया जाता है।

(ङ) जब कभी मूल्य नियंत्रित सूत्रयोगों के मूल्यों में अतिक्रमण का मामला विभाग की जानकारी में आता है तो राज्य औषध नियंत्रकों के माध्यम से डी.पी.सी.ओ., 1995 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

झीलों में जल की कमी

2588. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के चिलका तथा अन्सुप झीलों में जल की कमी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा एशिया की इन दो प्रसिद्ध झीलों में जल की और अधिक कमी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार की रिपोर्टों के अनुसार चिल्का झील को गाद जमाव, मुहाने में रोधक होने तथा क्षारीयता में कमी की समस्याओं के कारण खतरा है। इससे वनस्पतिजात और प्राणिजात में परिवर्तन हुआ है।

अंशुपा झील में अवैध कब्जों और कैचमैंट क्षेत्र में वननाशन के कारण गाद जमाव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की एक नमभूमि के रूप में नामोदिष्ट किया गया है और इसे राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शामिल किया गया है। केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार को इस कार्यक्रम के तहत कैचमैंट क्षेत्र में मृदा संरक्षण, नालाबाना के वासस्थल सुधार, डाटाबेस सृजन तथा जागरूकता पैदा करने के लिए 112.30 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। दसवें वित्त आयोग के विशेष समस्या अनुदान के तहत "चिल्का झील के परिरक्षण" के लिए उड़ीसा सरकार को 27 करोड़ रुपए की राशि देने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार उड़ीसा सरकार द्वारा 1996-2000 के लिए चिल्का झील के लिए तैयार एक कार्रवाई योजना को वित्त मंत्रालय की अन्तःमंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति ने मंजूर कर दिया है।

उड़ीसा सरकार ने कैचमैंट क्षेत्र में पौधरोपण, खरपतवार हटाकर, मछली पालन विकास आदि के जरिए गाद नियंत्रण के लिए अंशुपा झील में अनेक उपाय किए हैं। राज्य सरकार ने 1990-91 से 1992-93 तक मृदा संरक्षण उपायों के लिए 10.05 लाख रुपए खर्च किए हैं। कटक जिला पर्यावरणीय सोसायटी को अंशुपा झील में विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियां शुरू करने के लिए एक नॉडल एजेंसी के रूप में शिनाख्त की है। खरपतवार हटाने, मछली पालन विस्तार, मृदा संरक्षण तथा झील के चारों ओर नारियल और आम के वृक्षों की पौधरोपण के लिए जैसी गतिविधियों के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा 9.43 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना संबंधी स्कीम को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर नहीं किया गया है।

लातूर के भूकम्प पीड़ित

2589. श्री टी. गोपाल कृष्ण :
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लातूर के भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास हेतु भारतीय तथा विदेशी दानकर्ताओं से कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन पीड़ितों के पुनर्वास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा इस कार्य हेतु अब तक वास्तविक रूप से कितना व्यय किया गया है; और

(ग) सरकार भूकम्प पीड़ितों हेतु धनराशि के उपयोग की किस तरह से निगरानी कर रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1993 में लातूर में आये भूकम्प के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिये भारतीय तथा विदेशी दाताओं से 255.48 करोड़ रुपये की राशि के रूप में प्राप्त हुई है।

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में एक महाराष्ट्र आपातकालीन भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसकी परियोजना लागत 1182 करोड़ रुपये है जिसमें विश्व बैंक से प्राप्त 835 करोड़ रुपये का ऋण, महाराष्ट्र सरकार का 141 करोड़ रुपये का योगदान, भारत सरकार का 59 करोड़ रुपये का योगदान और दाताओं से प्राप्त 147 करोड़ रुपये का दान भी शामिल है। अभी तक इस परियोजना पर 735 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) महाराष्ट्र आपातकालीन भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम का क्रियान्वयन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है जिसमें रिपोर्टिंग, मानीटरिंग और लेखाकंन की सुस्थापित प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

इस कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उच्च स्तरीय समीक्षा की जाती है। विश्व बैंक का दल कार्यक्रम की तथा ऋण के उपयोग का नियमित मूल्यांकन करता है।

पंजाब उग्रवादी

2590. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रकार की रिपोर्टों से अवगत है कि वित्तीय सहायता हेतु पंजाब में आतंकवादी तथा उग्रवादी ग्रुप विदेशी स्रोतों के साथ अपने संबंध बनाये रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में उग्रवादियों के हाथों में आने वाला कितना विदेशी धन है; और

(ग) इस राज्य में उग्रवादी दलों की संख्या तथा ठिकाने क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). वर्ष, 1996 के दौरान गिरफ्तार किए गए पंजाब के आतंकवादियों से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि विदेश में रहने वाले उग्रवादी, भारत में रहने वाले उग्रवादियों/समर्थकों/शरणदाताओं को धन उपलब्ध करवा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब में अवैध हवाला कारोबार से संबंधित 25.34 लाख रु. की राशि बरामद की गई है। उग्रवादियों की संख्या बिलकुल ठीक-ठीक अथवा सुनिश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती चूंकि भारत में और भारत से बाहर उनकी गतिविधियां चोरी-छिपे होने के कारण इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सरकार सतर्क है। इस वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1996, तक सुरक्षा बलों द्वारा 83 उग्रवादी/समर्थनकर्ता/आश्रयदाता पकड़े गए। पंजाब के उग्रवादियों के हवाला कारोबार का पता लगाने के प्रति पुलिस एवं प्रवर्तन प्राधिकारी सतर्क हैं।

स्वापक पदार्थों/मादक द्रव्यों का व्यापार

2591. श्री रामसागर :
श्री उत्तम सिंह पवार :
श्री आर. सम्बासिवा राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान राज्य-वार जब्त किए गए मादक द्रव्यों के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य-वार इनका अवैध व्यापार किन-किन स्थानों पर होता है;

(ग) इस अवैध व्यापार के बढ़ने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार में पड़ौसी देश संलिप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) एक विवरण II संलग्न है।

(ग) स्वापक पदार्थ मादक द्रव्यों का व्यापार चोरी-छिपे होने वाले कार्य है, इसलिए दी गई किसी अवधि के दौरान यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह कार्य बढ़ रहा है अथवा घट रहा है।

(घ) और (ङ). पश्चिमी सीमा पर दक्षिण-पश्चिम एशिया तथा पूर्वी सीमा पर गोल्डन ट्राइएंगल, जो अवैध स्वापकों की पैदावार करने वाले दो बड़े क्षेत्र हैं, की समीपता के कारण भारत नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए अति संवेदनशील है।

(च) एक विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

मादक द्रव्यों/नशीले पदार्थों की राज्य-वार जब्ती के मामलों की संख्या

अवधि (जून-नवम्बर, 1996)

राज्य	मामले
आन्ध्र प्रदेश	30
असम	26
बिहार	4
चंडीगढ़	8
दिल्ली	258
गुजरात	75
गोवा	7
हिमाचल प्रदेश	8
हरियाणा	21
जम्मू और कश्मीर	13
केरल	4
मेघालय	56
महाराष्ट्र	101
मणिपुर	19
मध्य प्रदेश	279
मिजोरम	4
नागालैंड	30
उड़ीसा	13
पंजाब	118
राजस्थान	98
तमिलनाडु	1062
त्रिपुरा	17
उत्तर प्रदेश	1377
पश्चिम बंगाल	30
जोड़	3658

विवरण–II

मादक द्रव्य तथा नशीले पदार्थों के जब्ती स्थानों के राज्य–वार नाम

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		स्थान
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
3.	असम	गुवाहाटी, सिलचर
4.	बिहार	पटना, पूर्वी चम्पारण, फॉरबिसगंज
5.	गोवा	मापुसा
6.	गुजरात	अहमदाबाद, वलसाड़, दातीवड़े
7.	हरियाणा	पानीपत
8.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू, मनाली
9.	जम्मू और कश्मीर	अखनूर, आर.एस.पुरा. सम्बा
10.	कर्नाटक	बेलगाम
11.	केरल	त्रिवेन्द्रम,कालीकट, इदुक्की, अरनाकुलम
12.	मध्य प्रदेश	खंडवा, प्रतापगढ़, रायपुर, जाओरा, मन्दसौर, जबलपुर, रतलाम, बिलासपुर,
13.	महाराष्ट्र	मुम्बई, पुणे
14.	मणिपुर	इम्फाल
15.	मेघालय	शिलांग
16.	मिजोरम	आईजोल
17.	नागालैंड	कोहिमा
18.	उड़ीसा	सोनपुर
19.	पंजाब	अमृतसर, फिरोजपुर,
20.	राजस्थान	बाड़मेर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, रामगढ़, श्री गंगा नगर
21.	सिक्किम	सूचित नहीं किया गया
22.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन, चेन्नई, अरूविकारी, नागरकोइल, त्रिरूचेन्दुर
23.	त्रिपुरा	सूचित नहीं किया गया
24.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, फतेहपुर
25.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुडी, कलकत्ता, 24 परगना
26.	दिल्ली	आई.जी.आई. एयरपोर्ट, आजादपुर, पहाड़गंज
27.	दमन और दीव	सूचित नहीं किया गया
28.	पांडिचेरी	तदैव
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तदैव
30.	लक्षद्वीप	तदैव
31.	दादर और नगर हवेली	तदैव
32.	चंडीगढ़	चंडीगढ़

विवरण–III

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या एवं उनकी राष्ट्रीयता

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		गिरफ्तार	
		भारतीय	राष्ट्रीयता वाले विदेशी
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	51	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	–
3.	असम	42	–
4.	बिहार	0	–
5.	गोवा	3	4 : 2 नेपाली, 1 ब्रिटिश, 1 ईरानी
6.	गुजरात	111	–
7.	हरियाणा	0	–
8.	हिमाचल प्रदेश	7	–
9.	जम्मू और कश्मीर	18	–
10.	कर्नाटक	0	–
11.	केरल	5	–
12.	मध्य प्रदेश	304	–
13.	महाराष्ट्र	111	16 : 9 तंजानियन, 1 अफ्रीकन, 2 घानावासी, 4 नाईजीरियन।
14.	मणिपुर	31	–
15.	मेघालय	5	–
16.	मिजोरम	4	–
17.	नागालैंड	42	–
18.	उड़ीसा	0	
19.	पंजाब	125	–

	1	2	3	
20.	राजस्थान	114	–	
21.	सिक्किम	0	–	
22.	तमिलनाडु	1062	–	
23.	त्रिपुरा	0	–	
24.	उत्तर प्रदेश	1367	3	: 3 नेपाली
25.	पश्चिम बंगाल	5	–	
26.	दिल्ली	274	6	: 3 अफगानी, 1 कनाडियन, 2 की राष्ट्रीयता सूचित नहीं की गई।
27.	दमन और दीव	0	–	
28.	पांडिचेरी	0	–	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	–	
30.	लक्षद्वीप	0	–	
31.	दादर और नगर हवेली	0	–	
32.	चंडीगढ़	3	–	
	कुल	3684	35	

खाद्यान्नों का निर्यात/आयात

2592. श्री विजय पटेल :
श्री सुशील चन्द्र :
श्री बृजमोहन राम :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 1996-97 में अब तक कितने मूल्य के कुल कितने गेहूं और चावल का देश-वार निर्यात और आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने गेहूं उत्पादों के निर्यात की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों और 1996-97 (अप्रैल, 1996 से सितम्बर, 1996 तक) के दौरान गेहूं और चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात के देशवार ब्यौरे विवरण-I और II संलग्न हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (31.10.1996 तक) के दौरान आयातित गेहूं और चावल की मात्रा और इसके अनुमानित मूल्य का देशवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	जिन्स	देश	मात्रा (लाख टन में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)
1993-94	गेहूं	आस्ट्रेलिया	1.76	95.27
		संयुक्त राज्य अमेरिका	3.00	157.14
	चावल	वियतनाम	0.56**	
1994-95 1995-96 1996-97 (30.10.96 तक)		कोई आयात नहीं किया गया।		

** वियतनाम के प्रति बकाया पुराने जिन्स उधार पर ब्याज बकायों के भुगतान के प्रति।

(ख) से (घ). 30.9.1996 तक बिना किसी सीमा के "गेहूं उत्पादों" के निर्यात की अनुमति थी। इस मद को "प्रतिबंधित सूची" के अंतर्गत लाया गया था और 1996-97 के दौरान गेहूं के कम उत्पादन/वसूली को ध्यान में रखते हुए पहली अक्तूबर, 1996 से 31 मार्च, 1997 तक की अवधि के लिए निर्यात हेतु 1,50,000 टन की सीमा निर्धारित की गई थी।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया बासमती चावल का देश-वार निर्यात

मात्रा टन में
मूल्य लाख रुपये में

देश	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अल्जीरिया	–	–	5	1.26		
अंगोला	2794	337.30				

1	2	3	4	5	6	7
अर्जेन्टीना	–	–			148	28.95
आस्ट्रेलिया	653	180.53	606	159.56	992	264.60
आस्ट्रिया	279	92.92	178	55.11	210	47.91
बहामास	–	–	42	8.66	–	–
बहरीन	7027	1516.79	9136	1867.66	8401	1765.67
बांग्लादेश	–	–	111	22.24	372	78.93
बेल्जियम	1210	256.06	2860	586.17	3567	770.77
भूटान	300	58.04	–	–	–	–
बोस्तवारा	21	5.87	–	–	–	–
ब्राजील	–	–	10	2.01		
बुरूंडी	–	–	42	11.21	90	14.95
कनाडा	5438	1480.15	4737	1218.42	5456	1279.42
केनेरी	–	–	19	5.35		
चीन टैप.	–	–	220	33.33		
कोमोरोस	–	–	10	1.64		
साइप्रस	16	3.69	29	6.76		
डेनमार्क	774	193.81	691	172.61	1394	354.76
इजीप्ट	80	19.01	78	18.76	126	29.52
इस्तोनिया	–	–	–	–	100	23.24
फ्रांस	4360	910.85	6931	1356.35	6535	1423.60
जर्मनी	1925	480.85	2496	633.27	4150	961.18
घाना	–	–	4	1.53		
ग्रीस	84	22.13	105	26.72	168	42.43
हांगकांग	145	42.28	155	45.69	105	34.31
हंगरी	–	–	–	–	644	70.34
ईरान	2100	197.36	2295	544.42	200	59.02
आयरलैण्ड	–	–	21	5.12		
इजरायल	44	10.18	86	22.61	232	60.23
इटली	372	86.89	483	112.89	1091	275.66

1	2	3	4	5	6	7
जापान	20	7.19	49	14.70	51	11.55
जार्डन	102	33.22	259	62.92	106	27.59
कीनिया	19	1.94	162	35.35	523	165.27
कोरिया	84	17.11	3	0.88		0.04
कुवैत	30007	7374.32	61030	11707.01	36032	7725.14
लेबनान	141	39.91	182	46.09	96	27.86
लाइबीरिया	2	0.59	2	0.76	1	0.19
लिथुआनिया	-	-	-	-	10	3.15
मलावी	2	0.52	10	2.86	-	-
मलेशिया	672	162.72			28	11.08
मालदीव	-	-	60	15.60	115	25.96
मारीशस	1510	275.85	113	31.89	22	6.59
मोल्दविया	-	-	10	3.06	-	-
मोरक्को	-	-	-	-	-	0.01
मोजांबिक	51	14.16	-	-	109	12.23
नेपाल	990	240.68	-	-	40	7.79
नीदरलैंड	1568	297.76	619	122.58	383	72.91
नीदरलैंडटीं	-	-	21	4.71		
न्यूजीलैंड	64	17.01	36	11.20	92	25.93
नाइजीरिया	-	-	42	8.67		
नार्वे	325	88.80	409	108.01	348	96.66
ओमान	6122	1213.62	7653	1497.33	5031	1110.20
पनामा	-	-	41	13.63	1	0.39
फिलीपिन्स	-	-	1402	264.97	21	5.19
पुर्तगाल	4	1.22	63	15.01	35	8.96
कतर	2422	593.41	2257	521.22	1162	301.12
रोयूनियन	168	47.79	126	22.05	63	19.70
रोमानिया	18	3.95			21	6.42
रसिया	419	98.78	1434	317.02	3416	894.54

1	2	3	4	5	6	7
सं. अरब	335640	63858.23	238276	42823.34	182074	37008.44
सेनेगल	-	-	-	0.09	-	
सेशेल्स	105	29.13	249	75.80	2426	556.97
सिंगापुर	387	114.87	467	136.36	646	170.73
स्लोवेनिया	-	-			1	0.32
द. अफ्रीका	381	88.93	808	219.77	3984	780.37
स्पेन	116	31.24	58	17.93	100	31.70
श्रीलंका	12451	1306.39	145	24.97	467	99.00
स्वीडन	173	44.26	166	43.51	130	38.94
सूडान	19	5.21	-	-	-	-
सीरिया	21	5.61	-	-	-	-
स्विट्जरलैंड	733	201.27	322	81.58	591	133.03
तन्जानिया. गण.	64	16.26	42	12.48	62	16.71
थाईलैंड	-	-	-	-	2	0.76
त्रिनिडाड	-	-	42	11.55	-	-
तुर्की	-	-	10	3.19	108	25.07
ट्यूनिशिया	-	-	-	-	70	13.88
यूगाण्डा	28	4.51	33	7.28	28	7.10
सं.अ.अ.	44329	10155.32	37364	9022.58	34908	7506.07
यू.के.	46861	9738	41976	8306.13	46672	11650.82
यूक्रेन	-	-	-	-	8265	805.36
सं.रा.अम.	13538	4090.90	14624	3952.51	29868	8079.81
उजबेकिस्तान	-	-	2	0.46		
यमन गण.	20	4.40	118	33.29		
जैरे गण.	12	3.29	13	3.81	150	33.25
जाम्बिया	3	0.61	7	2.52	18	4.88
जिम्बाब्वे	-	-	20	5.67	1	0.60
अन्य देश	20	3.09	-	-		-
जोड़	527233	106126.78	442125	86531.66	392258	85115.76

मात्रा टन में
मूल्य लाख रुपये में

देश	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अमेरी समोआ	-	-	-	-	5500	578.85
अंगोला	-	-	-	-	26911	2109.81
आस्ट्रेलिया	27	3.53	73	11.39	167	24.45
बहरीन	7692	863.94	3412	314.20	5925	589.63
बांग्लादेश		-	125668	8869.18	1741861	94727.77
बेल्जियम	15	0.49	-	-	450	49.98
बहामास	42	3.27	-	-		
बेनिन				-	11200	937.97
भूटान	718	39.72	-	-	715	56.97
कमोडिया	-	-	49	4.14	-	-
कैमरून					3300	261.91
कनाडा	159	18.55	92	11.10	288	41.82
चीन गण.	-	-	-	-	18783	1938.34
क्रोएशिया	-	-	-	-	1069	110.68
साइप्रस	-	-	34	3.32	219	22.45
चैक गण.	-	-	60	4.13	210	24.63
डेनमार्क	-	-	21	2.63		
दिजीबोउटी	-	-	-	-	1300	123.33
इजीप्ट	-	-	-	-	43	4.13
इस्तोनिया	-	-	-	-	160	23.64
इथोपिया	-	-	-	-	21	3.00
फ्रांस	-	-	14	1.90	14728	1119.90
जाम्बिया	-	-	-	-	2000	136.40
जर्मनी	183	21.49	7	0.27	6224	664.35
घाना	-	-	20	1.49	4500	369.54
गुनिया	-	-	-	-	11000	1207.34
हांगकांग	1015	69.56	105	8.44	-	-
हंगरी	-	-	-	-	1178	122.45
इंडोनेशिया			2092	1388.57	1072894	83131.61
ईरान	45373	4071.96	6300	570.66	98663	10088.66

1	2	3	4	5	6	7
इराक	100	7.22	300	21.66	967	76.77
इजरायल	105	12.11	-	-	2459	249.80
इटली	-	-		-	2975	387.73
आइवरी कोस्ट	-	-	-		123058	9847.31
जापान	66	2.70	-		4085	295.09
जार्डन	1015	95.43	2874	252.95	7974	688.04
कीनिया	89	9.77	58124	3973.32	391108	30576.92
कोरिया गण.	-	-	-	-	53720	5423.82
कुवैत	12131	1223.90	9843	1054.80	9685	1225.90
लाटविया	-	-	-	-	105	8.45
लेबनान	18	1.81	-	-	196	21.28
लाइबेरिया	-	0.03	-	-	3463	433.57
लीबया	-	-	-	-	12701	1588.30
लिथुआनिया	-	-	-	-	100	8.62
मलेशिया	-	-	-	-	1599	84.340
मालदीव	1150	85.48	2213	167.89	4525	388.09
माली	-	-	-	-	13200	1186.24
मारीशस	-	-	4665	468.87	12033	892.67
मंगोलिया	-	-	-	-	3029	254.36
मोरक्को	-	-	-	-	3490	287.23
मोजांबिक	1	0.11	-	-	29251	2113.82
नेपाल	14579	1020.63	-	-	89568	2247.42
नीदरलैंड	65	8.44	52	3.86	10691	1045.54
न्यूट्रल जोन	-	-	-	-	84	7.44
न्यूजीलैंड	1	0.12			2	0.21
नाइजीरिया		-	-	-	22	1.90
नार्वे	-	-	-	-	132	14.78
ओमान	11220	1237.19	3426	313.14	6573	652.77
पेरू	-	-	-	-	38668	4236.74
फिलीपीन्स	-	-	-	-	52226	4805.47
पोलैण्ड	-	-	-	-	18274	1870.19
पुर्तगाल	-	-	-	-	21	1.83
कतर	2447	269.88	1197	115.75	3182	322.13

1	2	3	4	5	6	7
रियूनियन	3000	231.38	-	-	2600	276.41
रूस	-	-	988	143.76	99888	10563.41
स. अरब	1777	5586.51	94719	9084.45	120623	12127.83
सेनेगल	-	-	6600	419.99	133837	9330.15
सेशेल्स	-	-	-	-	2364	259.18
सीरा लीओन	-	-	13000	795.51	86942	6778.68
सिंगापुर	7347	728.60	21643	977.81	10341	921.96
स्लोवेनिया	-	-	-	-	7907	814.90
सोमालिया	424	38.69	1300	103.94	7900	701.38
द. अफ्रीका	116	9.46	178	135.58	364398	29911.83
स्पेन	-	-	252	30.62	-	-
श्रीलंका	25781	2326.02	3083	214.12	122	10.53
सूडान	-	-	42	3.52	1992	180.62
स्वाजीलैंड	-	-	-	-	2000	178.71
स्वीडन	-	-	36	4.12	305	30.20
स्वीट्जरलैंड	41	3.38	-	-	198.16	1791.30
सीरिया	-	-	63	6.64	12600	1372.76
तन्जानिया गण.	105	9.28	-	-	25175	2024.13
थाईलैंड	-	-	-	-	19	1.95
तोगो	-	-	41072	2636.51	62337	4324.17
ट्यूनिशिया	-	-			4200	423.61
तुर्की	-	-	2094	154.35	19378	1741.66
युगाण्डा	-	-	20	1.69	18	1.74
स.अ.अ.	41633	4359.68	14529	1236.19	142966	10643.03
यू.के.	1362	129.95	1638	128.77	3342	361.19
यूक्रेन	455	35.73	38	3.10	3118	306.66
सं.रा.अम.	57	4.96	135	12.44	22790	2148.59
वेस्ट समोआ	-	-	6600	416.89		
यमन गण.	-	-			28305	2719.87
जैरे गण.	-	-	10	1.16	5423	416.97
जाम्बिया	145	13.36	5	0.85	880	76.55
जिम्बाब्वे	-	-	21	2.19	-	-
जोड़	240454	22544.33	448495	34047.21	5120343	370185.17

मात्रा टन में
मूल्य लाख रुपये में

देश	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अफगानिस्तान	-	-	-	-	40	539
अल्जीरिया	-	-	21000	1063.81	-	-
बांग्लादेश	-	-	22960	1108.95	131565	7476.44
इथोपिया	-	-	-	-	11836	748.73
हांगकांग	-	-	-	-	42	2.44
ईरान		-	-	-	250	18.72
जार्डन	-	-	-	-	21249	1358.52
कीनिया	-	-	-	-	66312	3790.82
कुवैत	-	-	-	-	302	22.63
मलेशिया	-	-	-	-	553	30.87
मालदीव	-	-	54	4.07	-	-
मारीशस		-	-	-	5	0.47
म्यांमार	-	-	7000	365.55	530	40.14
मोरक्को	-	-	-	-	40000	2392.09
नामीबिया	-	-	-	-	112	6.72
नेपाल	310	15.90	-	-	69	3.04
नीदरलैंड	-	-	-	-	42216	2590.33
न्यूजीलैंड	-	-	-	-	31	2.40
कतर	-	-	-	-	42	3.22
रूस	-	-	-	-	3000	177.23
सिंगापुर	-	-	41	2.11	5660	328.65
सोमालिया	-	-	-	-	125	9.61
दक्षिण अफ्रीका	-	-	-	-	23750	1424.02
सूडान	-	-	-	-	18100	1034.59
तनजानिया गण.	-	-	-	-	7816	470.72
तुर्की	-	-	-	-	50067	3084.51
सं.अ. अमीरात	40	2.63	35572	1689.49	83433	4847.08
यू.के	-	-	-	-	8338	492.78
संयुक्त राज्य अमरीका	-	-	1	0.04	42	3.41
वियतनाम	-		-	-	5695	358.40
यमन	-	-	-	-	96031	5366.57
जोड़	315	18.53	86628	4234.01	617211	36090.17

विवरण-II

वर्ष 1996-97 (अप्रैल, 96 से सितम्बर, 96 तक) बासमती/ गैर-बासमती चावल और गेहूं का देश-वार निर्यात

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रुपए में)

जिंस	देश	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
बासमती चावल		2490.43	33415.68
	अर्जेंटिना		
	आस्ट्रेलिया	318	151.61
	आस्ट्रिया	48	13.18
	बहरीन आई.एस.	4182	589.48
	बगंलादेश		
	बेल्जियम	556	121.85
	बर्किना फासो		0.00
	कनाडा	3115	741.67
	कोमोरोस	1	0.30
	साइप्रस	28	7.71
	डेनमार्क	315	89.66
	इजीप्ट गणराज्य	21	6.66
	एस्तोनिया	185	41.96
	फ्रांस	2222	462.19
	जर्मन संघीय गण.	1245	299.71
	जिबरालटर		0.36
	यूनान	42	12.72
	हांगकांग	91	27.31
	ईरान		
	इजराइल	70	21.07
	इटली	343	87.55
	जापान	134	37.64
	जार्डन	63	13.82
	केन्या	108	28.58
	कुवैत	20904	4813.20
	लेबनान	21	6.21
	लाइबेरिया		
	मालावी	3	0.98
	मलेशिया	349	82.33
	मालद्वीव	20	5.10
	माली		0.06
	मॉरीशस		
	मोरोक्को		0.01
	मोजाम्बिक	2	0.31
	नेपाल		
	नीदरलैंड	367	135.94
	न्यूटरल जौन	124	27.78
	न्यूजीलैंड	40	14.40
	नार्वे	163	44.57
	ओमान	2160	312.96
	पेरू	10	2.77
	फीलिपिन्स	3	1.05
	पौलेण्ड	40	4.41
	पुर्तगाल	20	3.49
	प्यूरी रीको	23	10.92
	कतर	1030	279.23
	रीयूनियन		
	रूस	4273	755.29
	सऊदी अरब	123237	25993.71
	सेशेल्स	420	138.14
	सीरालीओन		
	सिंगापुर	168	53.52
	स्लोवेनिया		
	द. अफ्रीका	3393	711.05
	स्पेन	102	29.95
	श्रीलंका	161	30.82
	स्वीडन	41	14.89
	स्विटजरलैंड	16	4.82
	सीरिया	50	11.27
	तंजानिया रिप.	20	6.28
	तुर्की	74	19.91
	उगांड़ा	3	0.78
	स. अरब अमीरात	15602	3550.62
	यू.के.	17060	4173.26
	उक्रेन	220	54.09

1	2	3	4
	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	45300	10815.57
	यमन गण.	91	26.55
	जेरी रिपब्लिक	5	1.47
	जाम्बिया	53	20.31
	जिम्बाब्वे		
गैर--बासमती चावल		1108766	105166.80
	अलबेनिया	2000	233.47
	अंगोला	11096	979.17
	आस्ट्रेलिया	356	46.54
	बहरीन आई.एस.	2247	275.59
	बांग्लादेश	139500	11744.33
	बेल्जियम		
	बरमुडा	2500	257.39
	भूटान	2378	173.55
	बेलारूस	60	3.43
	कनाडा	242	33.09
	सी अफरी गण.	200	19.23
	कोहोरासे	500	58.20
	साइप्रस	35	4.50
	चैक गणतंत्र	658	72.89
	दिजीबोउटी	4785	427.20
	इस्तोनिया	4940	511.71
	फ्रांस	207	27.53
	जर्मन संघीय गण.	3673	386.24
	घाना	4319	365.60
	यूनान	808	96.53
	गुनिया	220	37.21
	हांगकांग	160	13.93
	इंडोनेशिया	800	43.71
	ईरान	5481	6529.65
	इजराइल	204	98.71
	इटली	86	9.87
	आइवेरी कोस्ट	3095	310.60
	जापान		
	जोर्डन	160	14.16

1	2	3	4
	केन्या	109362	6343.66
	कुवैत	6071	1159.90
	लातविया	825	102.62
	लेबनान	238	26.25
	लाइबेरिया	1909	249.56
	लीबिया		
	लीथुवानिया	220	22.52
	मलेशिया	45	4.29
	मालद्वीव	1429	145.30
	मॉरीशस	42	5.16
	मोरक्को	105	12.13
	मोजाम्बिक	384	36.56
	नेपाल	10513	933.18
	नीदरलैण्ड	852	100.03
	न्यूटरल जौन		
	न्यूजीलैण्ड	1	3.14
	नार्वे	100	12.98
	ओमान	4941	541.14
	पेरू	13023	1631.92
	फिलीपिन्स	46406	5873.39
	पौलेण्ड	5883	393.84
	प्यूरियो रीको	14600	962.98
	कूतर	868	93.50
	रोमानिया	4100	269.75
	रूस	109047	11202.21
	सऊदी अरब	94948	11240.73
	सेनेगल	42967	3052.60
	यूगो. गण.	17	1.82
	सेशेल्स	350	37.19
	सीरा लीओन		
	सिंगापुर	2287	251.67
	स्लोवेनिया	18	5.17
	सोमालिया	41471	3811.10
	द. अफ्रीका	139006	11410.26
	स्पेन	82	10.55
	श्रीलंका	83157	7129.27

1	2	3	4
	सूडान	750	235.46
	स्वीडन	224	10.55
	स्विटजरलैण्ड	4	0.94
	सीरिया	24715	2839.94
	तंजानिया गण.	1378	129.62
	थाइलैंड	1000	35.97
	तोगो		
	ट्यूनेशिया	42	3.40
	तुर्की	3700	392.47
	तुर्कीस्तान	91	9.84
	उगांडा	129	14.76
	स. अरब अमीरात	1837	4327.50
	यू.के.	2804	419.09
	उक्रेन	7296	851.64
	सयुक्त राष्ट्र अमेरिका	5134	5043.16
	उज्बेकिस्तान	20	2.15
	यमन गण.	8363	842.23
	जेरी रिपब्लिक		
गेहूं	टन	1078653	66898.58 *
	बहरीन आईएस	17935	1203.41
	बंगलादेश	13988	871.47
	भूटान	5380	338.51
	ब्राजील	1000	57.21
	फ्रांस	79	4.06
	हांगकांग	105	8.24
	ईरान	52500	3213.32
	इराक	10000	611.44
	इजराइल	4125	239.29
	जापान	2	0.10
	जोर्डन	59082	3728.06
	केन्या	28400	1843.77
	कोरिया	37974	2548.55
	कोरिया रिप.	67866	4129.03
	कुवैत	20517	1239.23
	मलेशिया	22570	1388.50
	मालद्वीव	300	25.39
	मोरक्को	12000	757.53
	नीदरलैण्ड	153250	9229.96
	न्यूजीलैण्ड		
	ओमान	8801	493.21
	फीलिपिन्स	7300	397.30
	पौलेण्ड	15125	904.28
	रूस	39175	2509.72
	सेशेल्स	497	32.93
	सिंगापुर	23394	1421.24
	द. अफ्रीका	31888	2348.23
	स्विटजरलैण्ड	18000	1076.17
	तंजानिया गण.	14751	841.60
	तुर्की	79518	4761.49
	उगांडा	2107	124.18
	स.अरब अमीरात	83472	5094.98
	यू.के.		
	सयुक्त राष्ट्र अमेरिका	1557	108.50
	वियतनाम गण.	319	22.40
	यमन गण.	243176	15167.08
	जिम्बाब्वे	2500	158.18

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

2593. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के लाभ में 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने वर्ष 1994-95 के दौरान 46.63 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1995-96 के दौरान 38.57 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया ।

(ख) जी, हां।

(ग) आय व्यय के लेखे-जोखे के अधिशेष में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है जो संगठन द्वारा की गई विकास की गतिविधियों की मात्रा पर निर्भर करता है। उक्त अन्तर को सामान्य माना जाता है।

(घ) उक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग व्यक्ति

2594. श्री बीर सिंह महतो :

श्री अनीत कुमार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विकलांगों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में नेत्रहीनों की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में इन व्यक्तियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार की मुख्य योजनाएं कौन-कौन सी हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). 1991 की जनगणना के अंग के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विकलांग लोगों की कोई जनगणना नहीं की गई थी। तथापि, 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि देश में लगभग 16.15 मिलियन लोग चलन, वाणी तथा श्रवण एवं दृष्टि विकलांगता से पीड़ित हैं। इस सर्वेक्षण की प्रकाशित रिपोर्ट उपलब्ध है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1. विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत, विकलांगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए स्वयंसेवी सँगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अंतर्गत पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आवर्ती पदों जैसे कर्मचारी वेतन अनुरक्षण शुल्क फुटकर व्यय तथा अनावर्ती मदों जैसे भवन निर्माण, उपस्कर तथा फर्नीचर के लिए कुल परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। परियोजनाओं जैसे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, हॉस्टलों कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थापन सेवाओं इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास

इस योजना में विकलांगता के चार प्रमुख क्षेत्रों अस्थि, श्रवण तथा वाणी, दृष्टि तथा मानसिक मंदता में विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा उनके स्तर में सुधार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 90 प्रतिशत की सीमा तक सहायता देने की परिकल्पना की गई है जहां इस समय विशेष विद्यालय नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती दोनों व्ययों के लिए सहायता दी जाती है।

3. जनशक्ति विकास के लिए प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान कर्तताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता

इस योजना के अतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 90 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

5. राष्ट्रीय संस्थान

विकलाग जनसंख्या की बहुआयामी समस्याओं को महत्वपूर्ण ढंग से सुलझान के लिए निम्नलिखित चार राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण, व्यावसायिक दिशानिर्देश, सलाहकार्य, अनुसंधान, पुनर्वास, विकास उपर्युक्त सेवा माडयूल क्षेत्रों के क्षेत्र में यह संस्थान शार्ष स्तर के संगठन है। ये संस्थान अपंगता के अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख प्रलेखन तथा सूचना केन्द्रों के रूप में भी कार्य करते हैं।

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता
3. अली यावर अंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

इस संस्थानों के अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से सेवा संस्थाओं के रूप में निम्नलिखित दो स्थानों को स्थापित किया गया है:-

1. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान ओलटपुर, उड़ीसा।

6. रोजगार

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्णदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक उपबंध है कि सरकार प्रत्येक स्थापना में कम से कम 3 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिनमें स प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए

पदों में निम्नलिखित विकलांगताओं से पीडितों के लिए प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षण होगा :—

(क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि,

(ख) श्रवण विकृति, तथा

(ग) चलन संबंधी विकलागता अथवा प्रमस्तिष्काघात।

विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "ग" तथा "घ" में 3 प्रतिशत आरक्षण कानून के लागू होने से पहले भी रहा है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा तदनुसार आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विकलांगों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में "आयु की छूट" तथा "चिकित्सा संबंधी मानक" में छूट भी दी जाती है।

2. विकलांग व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 47 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 41 सैल विकलांग व्यक्तियों के लिए खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी समुचित रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियां की मदद करते हैं।

3. विकलांगों की शेष योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा उनको रोजगार प्रदान करने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

4. स्वरोजगार को निम्नलिखित के जरिए बढ़ावा दिया गया है :-

(क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बिक्री, स्टालों, को ओस्कों तथा दुकानों का आबंटन;

(ख) ब्याज की रियायती दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन में वरीयता;

(घ) पेट्रोल पंपो, मिट्टी के तेल के डिपुओं इत्यादि के वितरण में आरक्षण।

7. सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विकाऊ, आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से निर्मित सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता करना है जो उनका शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास बढ़ते है। यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियों, रजिस्टर्ड समिति समितियों, न्यासों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों और कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राप्त, मान्यता प्राप्त किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनो एजेंसियां कार्यरत हैं।

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 3600/-रु. तक के मूल्य के सहायक यंत्र और उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाते है यदि उनकी मासिक आय 1220 रुपए तक है और यदि आय 1201 रुपए और 2500 रुपए के बीच में है तो यह 50 प्रतिशत लागत पर प्रदान किए जाते हैं।

8. भारत सरकार ने अभी हाल ही में निःशक्त (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को अधिनियम किया है। यह अधिनियम अपंग व्यक्तियों जिसमें मानसिक विकलांग भी शामिल हैं, के लिए अपंगता का निवारण तथा शीघ्र जांच, शिक्षा, रोजगार, भेदभाव न हो आदि का प्रावधान करता है।

9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को समर्थन बनाने हेतु रियायती दरों पर वित्त का अतिरिक्त माध्यम प्रदान करने के लिए की जा रही है।

विश्व वन्य निधि द्वारा आलोचना

2595. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व प्रकृति वन्य निधि ने देश में अवैध रूप से चीतों के मारे जाने के बारे में गलत आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए परियोजना चीता निदेशालय की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). जी, नहीं। बाघ परियोजना निदेशालय देश के बाघ परियोजना क्षेत्रों का समन्वय कार्यालय है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना को एकत्रित और प्रचारित किया जाता है। इसलिए, काल्पनिक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में तैनात अर्द्ध-सैनिक बल

2596. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस वर्ष विधान सभा चुनावों के दौरान अर्द्ध सैनिक बलों के कितने जवान तैनात किए गये;

(ख) क्या चुनावों के दौरान इन अर्द्ध-सैनिक बलों के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) विधान सभा चुनाव, 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की 350 कंपनियां/अन्य राज्यों की राज्य सशस्त्र पुलिस तैनात की गई थीं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पशुधन नीति

2597. कुमारी उमा भारती : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कोई राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और क्या इसे राज्य सरकारों को सलाह हेतु भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ). जी, हां। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

पशुधन नीति पर एप्रोच पेपर राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। राष्ट्रीय पशुधन नीति के प्रारूप पर 16 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में होने वाली राज्यों के पशुपालन मंत्रियों की प्रस्तावित बैठक में विचार किया जाएगा।

विस्थापित भारतीयों का पुनर्वास

2598. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा-म्यांमार से विस्थापित भारतीयों के पुनर्वास हेतु किए गए ऋण को माफ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें भूमि तथा आबंटित आवास के स्वामित्व का अधिकार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें क्वार्टरों के विस्तार/अधिक भूमि खरीदने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या इन व्यक्तियों को उन्हें आवंटित आवासों का अपने खर्चे पर विस्तार करने का अधिकार प्राप्त है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकारों को पुनर्वास प्रयोजनों के लिए 1974 से पूर्व दिए गए सभी ऋणों जो 1.4.85 को बकाया थे, को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(ग) बर्मा से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को केवल गृह निर्माण के लिए ऋण दिये गए थे। देश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को आवंटित भूमि और क्वार्टरों के स्वामित्व अधिकार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात

2599. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आये तूफान में कितने मछुआरे लापता हुए अथवा मर गए;

(ख) क्या इस संबंध में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में नवम्बर, में आए चक्रवात के परिणामस्वरूप 1059 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 925 व्यक्ति लापता हैं। प्राथमिक अनुमानों से पता चलता है कि मृत व्यक्तियों में से करीब 500 तथा लापता में से अधिकतर व्यक्ति मछुआरा समुदाय से हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पोलियोग्रस्त व्यक्तियों के लिए सहायता

2600. श्री एन. डेनिस : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोलियोग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्या सहायता तथा कल्याणकारी कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जो इस मिशन में लगे हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). पोलियोग्रस्त व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थाएं और विकलांग जन संस्थान अस्थि विकलांगता के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, कल्याण मंत्रालय की

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पोलियोग्रस्त व्यक्तियों सहित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं।

बाल शोषण कानून

2601. श्री राम कृपाल यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल शोषण कानून की पुनरीक्षा करने के बारे में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस बारे में कोई विधान बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस विधान को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). मौजूदा कानूनी प्रावधान काफी कठोर प्रतीत होते हैं, तो भी सरकार, इनमें सुधार के लिए दिए गए सुझावों के प्रति उदासीन नहीं रहेगी।

ऊंट सवारी भत्ता

2602. श्री पी.एस. गढवी :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात में पश्चिमी सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को ऊंट सवारी भत्ता दिए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिमाही कितना भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आयेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

वन भूमि

2603. श्री तारीक अनवर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वन भूमि को नियमित करने के लिए लोगों द्वारा अधिकृत वन भूमि के संबंध में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वन भूमि पर अतिक्रमण के विनियमन के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पहाड़ों की खुदाई

2604. श्री सुरेश प्रभु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण में पहाड़ों की खुदाई इत्यादि से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वह पहाड़ियों से पत्थरों, ईंट, मिट्टी आदि निकालने के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों का विधिवत ढंग से अनुपालन करते हुए अनुमति प्रदान करती है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अनधिकृत उत्खनन रोकने के लिए उन्होंने फील्ड आफिसरों को निर्देश जारी किए हैं।

अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क

2605. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्यों के विकास हेतु राज्यों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में वन्य प्रणाली अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय पार्कों का सुधार करने के लिए वर्ष-वार कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय पार्कों के विकास हेतु कितनी राशि खर्च की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के प्रभावी संरक्षण और विकास को सुनिश्चित

करने के लिए यह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों को लिख रहा है। सुझाए गए प्राथमिक कार्यवाही में ये शामिल हैं : पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आवंटन, प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था तथा सुरक्षा उपाय, अधिकारों के निपटान हेतु कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करना, प्रबंध योजनाएं तैयार करना, कर्मचारियों को प्रोत्साहन और उनके लिए कल्याणकारी उपाय आदि।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास "बाघ परियोजना" तथा "बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में तथा उनके चारों ओर पारि विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित विषयों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विवरण में प्रत्येक वर्षों में राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई राशि भी दर्शाई गई है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97 (नवंबर, 96 तक)
	सं	उ	सं	उ	सं	उ	सं
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	99.45	94.78	115.093	92.383	137.103	39.64	8.00
अरुणाचल प्रदेश	78.823	46.042	73.908	47.53	18.188	8.95	4.49
असम	151.60	103.02	42.325	42.05	55.65	34.81	-
बिहार	32.70	24.45	117.60	72.17	64.36	59.50	41.50
गोवा	14.485	4.425	14.301	9.951	5.478	0.11	-
गुजरात	50.143	36.822	31.70	-	39.43	-	-
हरियाणा	10.75	6.00	18.48	17.83	13.13	9.49	-
हिमाचल प्रदेश	96.935	45.293	120.013	89.096	76.78	32.66	10.10
जम्मू और कश्मीर	28.620	28.625	2.70	2.70	27.31	24.58	-
कर्नाटक	209.521	163.290	208.68	192.26	309.95	161.30	177.88
केरल	138.629	98.529	123.898	112.175	145.905	127.88	20.50
मध्य प्रदेश	306.421	255.755	303.747	221.09	378.359	298.74	38.10
महाराष्ट्र	99.383	79.484	198.851	72.025	102.593	93.90	33.00
मणिपुर	15.15	14.75	19.30	19.30	29.74	29.74	5.00
मेघालय	26.35	19.81	19.03	14.53	30.035	0.55	-
मिजोरम	15.84	13.142	27.379	27.379	29.83	20.24	-
नागालैंड	2.62	2.62	2.75	2.62	5.015	-	-
उड़ीसा	149.75	115.031	174.04	129.65	166.195	60.98	25.50
पंजाब	25.56	14.498	16.413	15.495	9.425	1.77	-
राजस्थान	244.31	188.666	184.705	158.10	234.195	191.615	69.125
सिक्किम	40.20	40.20	47.37	47.37	28.276	18.367	-
तमिलनाडु	109.575	76.22	44.55	21.25	45.31	27.02	-

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	9.75	9.75	3.344	1.954	24.72	–	74.32
उत्तर प्रदेश	192.54	176.21	177.654	152.458	188.99	154.26	32.045
पश्चिम बंगाल	179.084	174.00	207.953	196.265	211.714	201.129	
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	3.00	–			
दमन व दीव	1.50	1.50					
जोड़	2329.689	1831.922	2299.144	1759.631	2377.681	1597.21	539.56

सं-संस्वीकृत उ-उपयोग किया गया

नारियल का उत्पादन

260. श्री अनन्त कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्य-वार नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान नारियल के उत्पादन में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) 1996-97 के दौरान नारियल का राज्य-वार कितना उत्पादन होने का अनुमान है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए नारियल उत्पादन संबंधी अनुमान विवरण संलग्न हैं। 1995-96 के अनुसान उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) नारियल विकास बोर्ड के मोटे अनुमान के अनुसार देश में 1996-97 के दौरान 15,000 मिलियन गिरी होने का अनुमान है। राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं है।

विवरण

राज्य	उत्पादन (मिलियन नग)	
	1993-94	1994-95
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1103.5	1181.4
2. असम	116.5	116.5
3. गोवा	116.0	118.0
4. कर्नाटक	1308.0	1345.4
5. केरल	5197.0	5303.0
6. महाराष्ट्र	148.5	178.6
7. उड़ीसा	219.5	219.5
8. तमिलनाडु	3311.4	3311.4
9. त्रिपुरा	4.7	4.7
10. पश्चिम बंगाल	310.3	274.4
11. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	85.3	85.4
12. लक्षद्वीप	26.3	26.3
13. पांडिचेरी	27.7	31.8
अखिल भारत	11974.7	12196.4

मैसूर चिड़ियाघर

2607. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर चिड़ियाघर में अनेक दुर्लभ जातियों के पशु-पक्षी मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चिड़ियाघर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए दुर्लभ जातियों के संरक्षण के लिए और नई जातियों के पशु-पक्षियों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मिले प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान मैसूर के चिड़ियाघर में विलुप्त प्रजातियों के 75 जानवरों की मृत्यु हुई थी।

(ख) मृत्यु के कारण थे : पेचिश, न्यूमोनिया, पेरिकार्डाइटिस, श्वास रोग, गैस्ट्रोइस्टाइटिस, सेपिटकेमिया, हेपिटाइटिस, रक्ताल्पता, दुर्घटना, बुढ़ापा और जराजीर्णता हैं।

(ग) विलुप्त प्रायः प्रजातियों के संरक्षण और चिड़ियाघर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) जानवरों के निवास, रख-रखाव और स्वास्थ्य की देखभाल में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(2) चिड़ियाघर को आदान-प्रदान के कार्यक्रम, प्रजनन ऋण उपहार के रूप में नए जानवरों को प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

(3) चिड़ियाघर प्रबंधन की आधुनिक संल्पना के अनुसार प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करने के बजाए अब चिड़ियाघर में जानवरों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है।

जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों की तस्करी

2608. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत की समृद्ध तथा दुर्लभ वनस्पतियों तथा जीवजन्तुओं को हमारे वनों से दूसरे देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एकत्र किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी क्षति हो रही है तथा जीन की इस लूटपाट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे वनस्पतियों तथा जीवजन्तुओं को एकत्र करने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या इस लूटपाट से कोई प्रजाति पूर्णतया समाप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). सरकार को इस मामले में इस प्रकार की कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरकार आनुवांशिक सामग्री के अन्तरण को विनियमित करने के लिए एक कानूनी प्रवर्तन लिखित पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीन-नेपाल-बंगलादेश सीमा पर सड़क

2609. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 के चीनी आक्रमण के बाद देश की सुरक्षा के हित में 1963 में बरेली (उत्तर प्रदेश) से अमीन गांव (असम) तक 1600 कि.मी. लंबी सड़क बनाने की एक योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना का काम अब तक पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अधूरी सड़कों के निर्माण को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार सामरिक दृष्टिकोण से चीन-नेपाल तथा बंगलादेश सीमा के साथ वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जल भूतल परिवहन मंत्रालय की सूचनानुसार, यह परियोजना चौथी योजना अवधि में पूरी कर ली गई थी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

ट्रैक्टरों/ड्रिप सिंचाई पर राजसहायता

2610. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद तथा कृषि प्रयोग हेतु "ड्रिप" सिंचाई प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से कुछ चुने हुए क्षेत्रों के बड़े किसानों को लाभ हो रहा है:

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है:

(ङ) वर्तमान में देश में "ड्रिप" सिंचाई प्रणाली द्वारा राज्य-वार कितने क्षेत्रों की सिंचाई की जा रही है:

(च) क्या इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है तथा धनराशि का संवितरण किसानों में किया गया है:

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है: और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) "छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 30 पी.टी.ओ.एच.पी. तक के ट्रैक्टरों और इसके साथ लगने वाले उपकरणों की खरीद के लिये किसानों, उनके समूहों, पंजीकृत सहकारी समितियां, कृषि ऋण समितियों तथा बहु-उद्देशीय कृषि फार्मिंग सोसायटियों को अधिकतम 30 प्रतिशत की दर से 30,000/- रु. तक की राजसहायता सुलभ है।

'कृषि में प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग', 'गन्ने परआधारित फसल प्रणाली वाले क्षत्रों का सतत् विकास' तथा 'ऑयल पाम विकास कार्यक्रम' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को ड्रिप सिंचाई के ढांचे स्थापित करने के लिए राजसहायता उपलब्ध है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

(1) छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान और महिला किसान	प्रणाली की कुल लागत के 90 प्रतिशत की दर से या 25,000/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से, जो भी कम हो।
(2) अन्य किसान	लागत के 70 प्रतिशत की दर से या 25,000/-रु. प्रति हैक्टेयर की दर से, जो भी कम हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ट्रैक्टरों और ड्रिप सिंचाई पर राजसहायता सभी वर्गों के किसानों का सुलभ है।

(ङ) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा-I में संलग्न है।

(च) और (छ). जी, हां। 1996-97 में इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित और वितरित धन का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ज) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	ड्रिप सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश	7615.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.00
3.	गुजरात	3670.00
4.	गोवा	211.64
5.	हरियाणा	1123.00
6.	जम्मू और कश्मीर	31.00
7.	कर्नाटक	14767.00
8.	केरल	3485.00
9.	मध्य प्रदेश	1596.00
10.	महाराष्ट्र	92215.00
11.	मणिपुर	7.00
12.	नागालैंड	110.00
13.	उड़ीसा	1306.00
14.	पंजाब	761.00
15.	राजस्थान	842.50
16.	सिक्किम	78.00
17.	तमिलनाडु	12379.00
18.	उत्तर प्रदेश	467.00
19.	पश्चिम बंगाल	9.00
20.	दादर व नगर हवेली	3.00
21.	राष्ट्रीय राज. क्षेत्र दिल्ली	4.00
22.	दमन व दीव	23.65
23.	पांडिचेरी	60.00

विवरण–II

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	"छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने" की योजना		"कृषि में प्लास्टिक के उपयोग" की योजना		"आयल पाम विकास कार्यक्रम" की योजना		गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के सतत विकास की योजना	
		आवंटन	वितरित की गयी राशि	आवंटन	वितरित की गयी राशि	आवंटन	वितरित की गयी राशि	आवंटन	वितरित की गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	115.20	94.20	564.44	300.00	175.00	राज्य सरकारों से प्रस्ताव न मिलने के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान धन की निर्मुक्ति नहीं की जा सकी।	103.125	41.245
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	–	9.90	8.21	–		–	–
3.	असम	27.90	2.40	14.09	–	–		7.50	–
4.	बिहार	81.60	–	33.08	–	–		46.876	–
5.	गुजरात	76.20	76.20	154.40	–	6.25		93.75	–
6.	गोवा	1.50	–	9.00	–	5.00		0.375	–
7.	हरियाणा	28.80	28.80	40.50	40.00	–		28.125	–
8.	हिमाचल प्रदेश	8.10	8.10	16.20	–	–		–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	8.40	7.80	17.42	212.16	–			–
10.	कर्नाटक	99.60	99.60	581.40	400.00	25.00		121.675	
11.	केरल	8.40	8.10	144.68	–	–		3.75	22.31
12.	मध्य प्रदेश	148.80	148.80	240.30		–		18.75	
13.	महाराष्ट्र	182.10	176.40	948.38		–		243.75	227.70
14.	मणिपुर	3.00	–	5.99		–		0.375	6.155
15.	मेघालय	3.00	3.00	5.99	–	–		–	–
16.	मिजोरम	1.50	1.50	6.08	5.00	–		0.375	–
17.	नागालैंड	3.00	–	12.15	–	–		0.375	–
18.	उड़ीसा	51.00	51.00	84.38	–	37.50		3.75	10.00
19.	पंजाब	24.90	24.90	84.86	–	–		33.75	13.50
20.	राजस्थान	90.90	90.90	60.71	–	–		28.125	–
21.	सिक्किम	1.50	1.50	5.99	5.00	–		–	–
22.	तमिलनाडु	82.80	52.80	368.98	–	37.50		114.375	–
23.	त्रिपुरा	2.40	–	8.37	–	–		0.375	–
24.	उत्तर प्रदेश	132.00	132.00	59.36		–		103.00	576.82
25.	पश्चिम बंगाल	39.00	39.00	11.97	–	–		2.813	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.50	–	–	–	–		–	–
27.	चंडीगढ़	0.60	–	–	–	–		–	
28.	दादर व नगर हवेली	0.60	–	4.45	10.43	–		–	
29.	रा. रा. प्रदेश दिल्ली	1.50	–	7.25	–	–		–	
30.	दमन व दीव	0.60	–	4.45	10.33	–		0.500	
31.	पांडिचेरी	1.50	–	–	9.80	–		0.500	–
32.	लक्षद्वीप	0.60	–	4.45	10.33	–		–	–

* वितरण में ड्रिप सिंचाई के लिए राशि भी शामिल है।

टिप्पणी (कोई निर्मुक्ति आवंटन नहीं।)

वोहरा समिति

2611. श्री राम टहल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वोहरा समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कथित भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की जांच कराने का इरादा है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ऐसे सम्पर्कों की जांच करने के लिए कहा गयाहै;

(ग) क्या सरकार का ऐसी जांच से सामने आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरणों का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकरणों को पूर्ण पारदर्शी ढंग से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). सरकार, ऐसे किसी गठजोड़ के बारे में सचेत और सतर्क है। सामान्य कार्यकरण में सरकार की विभिन्न अन्वेषण एवं प्रवर्तन एजेंसियां उन मामलों में कार्रवाई करती हैं जहां ऐसा गठजोड़ होने का पता चल जाता है। ऐसे अनेक मामलों में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ, समय-समय पर, कार्यवाहियां/मुकदमें शुरू किए गए हैं। हमारी एजेंसियां, ऐसे मामलों में, देश के कानूनों के अधीन यथा अपेक्षित कार्रवाई करती रहती हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए जी नहीं, श्रीमान्।

[हिन्दी]

दालों के उत्पादन हेतु योजना

2612. श्री ललित उरांव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तथा विशेषरूप से बिहार के कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में शामिल करने हेतु अभी तक चुने गए क्षेत्रों में राज्य-वार क्या नाम हैं; और

(घ) इस योजना को लागू करने हेतु कितनी धनराशि राज्य-वार आवंटित की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में दाल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार एक केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित कर रही है, जिसमें कम सिंचित क्षेत्र भी शामिल है। इस परियोजना में बिहार को भी शामिल किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के माध्यम से प्रभावित बीज, बीजोपचारक रसायनों, राईजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों, उन्नत कृषि उपस्करों, स्प्रिंकलर सिंचाई सैटों आदि के उपयोग के लिए किसानों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा उन्नत दलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण हेतु खेतों पर प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया जा रहा है।

(ग) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अधीन शामिल किए गए क्षेत्रों/जिलों के नाम विवरण-I में संलग्न है।

(घ) वर्ष 1996-97 हेतु राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अधीन आवंटित निधियों का विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.)-1996-97 के तहत कवर किए गए जिलों/क्षेत्रों की सूची

आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	अनन्तपुर	चित्तूर	कुडप्पाह
	पूर्वी गोदावरी	गुन्टूर	करीमनगर	खम्मम
	कृष्णा	कुरनूल	मेडक	महबूबनगर
	नालगोण्डा	नेल्लौर	निजामाबाद	प्रकाशम
	रंगारेड्डी	श्रीकाकुलम	विशाखापट्नम	विजयनगरम्
	वारंगल	पश्चिमी गोदावरी		
बिहार	भागलपुर	दरभंगा	मुमला	गया
	कटिहार	मुजफ्फपुर	मधुबनी	पूर्णियां
	पटना	रोहतास	रांची	सहरसा
	समस्तीपुर	वैशाली		

गुजरात	अहमदाबाद	अमरेली	बनासकांठा	बरौदा
	भरूच	भावनगर	जामनगर	जूनागढ़
	खेड़ा	कच्छ-भुज	मेहाना	राजकोट
	पंचमहल	साबरकांठा	सूरत	सुरेन्द्रनगर
हरियाणा	भिवानी	हिस्सार	सिरसा	
कर्नाटक	बिदर	बीजापुर	बंगलौर शहरी	बंगलौर ग्रामीण
	बेलगाम	बेल्लारी	चित्रदुर्गा	चिक्कमंगलूर
	धारवाड़	दक्षिण कन्नड़	गुलबर्गा	हसन
	कोलार	मैसूर	माण्ड्या	रायचूर
	शिमोगा	टुमकूर	उत्तर कन्नड़	
मध्य प्रदेश	बिलासपुर	भिण्ड	बस्तर	भोपाल
	बालाघाट	छिन्दवाड़ा	छतरपुर	दुर्ग
	दमोह	धार	दतिया	देवास
	गुना	ग्वालियर	होशंगाबाद	इन्दौर
	जबलपुर	खरगांव	झभुआ	खण्डवा
	मन्दसौर	माण्डला	मोरेना	नरसिंहपुर
	पन्ना	रायसेन	रायगढ़	रेवा
	राजनन्दगांव	रतलाम	रायपुर	राजगढ़
	सागर	साजनपुर	शिवपुरी	सिहोर
	सतना	सर्गुजा	सिवनी	सिधी
	शहडौल	टिकमगढ़	उज्जैन	विदिशा
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	अकोला	अमरावती	अहमदनगर
	बीड	बुड्डानाज	भण्डारा	चन्द्रपुर
	धुले	जलगांव	जालना	लातूर
	नागपुर	नान्देड	नासिक	उस्मानाबाद
	परभनी	पुणे	शोलापुर	सांगली
	सतारा	वर्धा	यवतमाल	कोल्हापुर
उड़ीसा	बालासोर	बोलनगीर	कटक	ढेंकानल
	गन्जम	क्योंझर	कोरापुट	कालाहाण्डी
	मयूरभंज	पुरी	फुलबनी	सम्बलपुर
	सुन्दरगढ़			
पंजाब	फरीदकोट	लुधियाना	रोपड़	
राजस्थान	अलवर	अजमेर	भरतपुर	भीलवाड़ा
	बुन्दी	बांसवाड़ा	बारमेड़	बरान
	चुरू	चित्तौड़	दौसा	गंगानगर
	झुनझुन	जयपुर	झालावाड़	जोधपुर
	कोटा	नागौर	सिल	सवाई माधोपुर
	टोंक	उदयपुर	दुर्गापुर	

तमिलनाडु	कोयम्बटूर	चेंगई-अन्ना	धरमपुरी	डिन्डीगल-अन्ना
	कट्टाबोम्मन	कमाराजर	उ.आर्कट(अम्बेथकर)	नागापट्टीनम-क्वेड
	पेरियार	पुडुकोट्टई	पसुम्पोन	रामनाथपुरम्
	द.आर्कट(वल्कुलर)	सलेम	तिरूचीरापल्ली	थन्जावुर
	तिरूनेलवेल्ली	तिरूवन्नामलाई	(सम्बुवरयार)	वी.ओ.चिदम्प्रनार
	द.आर्कट (विल्लुवुपरम)			
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	आगरा	आजमगढ़	अलीगढ़
	बांदा	बस्ती	बदायूं	बहराईच
	इटावा	एटा	फतेहपुर	फिरोजाबाद
	हमीरपुर	जालौन	झांसी	कानपुर
	ललितपुर	मऊं	मिर्जापुर	राय बरैली
	सुल्तानपुर	शाहजहांपुर	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर
	वाराणसी	गोण्डा	हरदोई	सीतापुर
	बाराबंकी	नैनीताल	पिथौरागढ़	पौरी गढ़वाल
	महोबा	भदोई	अम्बेडकर नगर	बलिया
	गाजीपुर	फैजाबाद	उधम सिंह नगर	
पश्चिम बंगाल	मालदा	मुर्शिदाबाद	नडिया	
एक जिले के रूप में लिए	असम	अरूणाचल प्रदेश	अंडमान व निकोबार द्वीप	
गए राज्य/संघशासित प्रदेश	दिल्ली	गोआ	हिमाचल प्रदेश	
	जम्मू व कश्मीर		केरल	
	मणिपुर	मेघालय	नागालैण्ड	
	सिक्किम	त्रिपुरा		

विवरण–II

1996–97 के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत, अब तक, राज्यों को आवंटित धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय आबंटन (1996-97)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	115.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00
3.	असम	10.00
4.	बिहार	131.00
5.	गोवा	1.00
6.	गुजरात	101.00
7.	हरियाणा	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00
10.	कर्नाटक	150.00
11.	केरल	11.00
12.	मध्य प्रदेश	550.00
13.	महाराष्ट्र	370.00
14.	मणिपुर	20.00
15.	मेघालय	2.00
16.	नागालैंड	12.00
17.	उड़ीसा	160.00
18.	पंजाब	25.00
19.	राजस्थान	450.00
20.	सिक्किम	10.00
21.	तमिलनाडु	150.00
22.	त्रिपुरा	10.00
23.	उत्तर प्रदेश	506.00
24.	पश्चिम बंगाल	30.00
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.00
26.	दिल्ली	1.00

[अनुवाद]

समुद्री राष्ट्रीय पार्क

2613. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यानमार की समुद्री राष्ट्रीय पार्क खाड़ी, जलपट्टी जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, संकट में है;

(ख) क्या जलचर जीवों को बाहर निकालने के कार्यों से समुद्री जीवन-क्षेत्र लूटा जा रहा है तथा उसके स्थान पर एकड़ों विनाशयुक्त महासागर तल छोड़ा जा रहा है;

(ग) क्या प्रवाल भित्ति जिसे पहले ही सीमेंट तथा पर्यटन उद्योगों का खतरा है, धंस गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पारिस्थितिकीय प्रणाली के संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए तथा इस दयनीय स्थिति को रोकने के लिए जिसके परिणामस्वरूप मछलियों को पकड़ना कम हो रहा है, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य वन विभाग - प्रतिवेदित किया है कि मन्नार की खाड़ी में उडठ ट्रालर परिचालित हैं इससे समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है। इस मामले को वे राज्य मात्स्यिकी विभाग के पास ले गए हैं ताकि इस क्षेत्र में मछली पकड़ने को विनियमित किया जा सके।

(ग) और (घ). राज्य वन विभाग के अनुसार 1989 में वन-विभाग द्वारा 14 द्वीपों के अधिग्रहण से पूर्व औद्योगिक क्रियाकलाप के कारण क्षेत्र की प्रवालभित्ति को खतरा था। इसके बाद प्रवालभित्तियों को अवैध रूप से हटाने की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए कठोर और कारगर कदम उठाए गए हैं जिसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं और द्वीप के चारों ओर प्रवाल भित्तियों का विकास हो रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव

2614. श्री मुख्तार अनीस : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मस्जिदों के इमामों तथा अन्य पदाधिकारियों के वेतनों के पुन:निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राज्य-वार अनुमानित वित्तीय भार कितना है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किसी वक्फ बोर्ड को कोई सहायतानुदान दिया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 715 में दिनांक 13 मई, 1993 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में कि भारत संघ तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद को विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के इमामों को भुगतान के लिए योजना तैयार करनी चाहिए, 2.1.1996 को केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा तथा 5.1.1996 को केन्द्र सरकार द्वारा एक योजना तैयार की गई तथा माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई।

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन का दायित्व उपयुक्त राज्य वक्फ बोर्ड का होगा तथा इस संबंध में राज्य सरकारों अथवा राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अब तक कोई वित्तीय अनुमान तैयार नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

कछुओं की सुरक्षा हेतु यंत्र

2615. श्री अशोक प्रधान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से झींगा मछली मकड़ने वाली नौकाओं में कछुओं की सुरक्षा के लिए यंत्र लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में कार्रवाई करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट उनके मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अपनी नौकाओं में ऐसे यंत्र न लगाने वाले मालिकों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। तथापि, इस मामले को कृषि मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

(च) इस समय कछुओं की सुरक्षा के लिए यंत्रों को अधिष्ठापित करने हेतु झींगा मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कोई शर्त नहीं है। इसलिए नौकाओं के स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

चकमा शरणार्थी

2616. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन चकमा शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश के शिविरों मे नहीं रह रहे हैं;

(ख) क्या इनको वापस भेजने हेतु बंगलादेश सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक उनके देश में वापस भेज दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यह राज्य सरकारों से प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उर्वरक की कमी

2617. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत 4-5 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी कमी आयी है;

(ख) क्या उर्वरक उद्योग के लिए रिपोर्ट के अनुसार उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन में आई गिरावट के अलावा 1991-92 से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का रूख रहा है।

(ख) 1995-96 के दौरान अनाज के उत्पादन में आई गिरावट का कारण मुख्य रूप से प्रतिकूल वर्षा एवं मौसम तथा खास तौर से रबी मौसम के दौरान उर्वरकों की कम खपत तथा असंतुलित उपयोग है।

(ग) एन.पी.के. अनुपात में गिरावाट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा रबी 1992-93 के दौरान विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री संबंधी योजना लागू की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत पी. तथा के. उर्वरकों पर रियायत दी जाती है। यह योजना अभी भी जारी है और इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान बजट प्रावधान 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2242 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रति टन बढ़ाई गई रियायत इस प्रकार है:-

(रुपये प्रति टन)

डी ए पी (स्वदेशी)	1000	3000
डी ए पी (आयातित)	-	1500
एम ओ पी	1000	1500
एस एस पी	340	500
मिश्रण	435-99	1304-2633

उर्वरकों के सन्तुलित तथा समेकित प्रयोग संबंधी योजना के अंतर्गत भारत सरकार कार्बनिक खाद, हरी खाद, कम्पोस्ट, जैव उर्वरकों आदि के साथ उर्वरकों के सन्तुलित उपयोग की अवधारणा को प्रोत्साहन दे रही है।

[हिन्दी]

समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम (चावल)

2610. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केन्द्रीय प्रायोजित चावल विकास कार्यक्रम के स्थान पर समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम (चावल) शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नये कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करने और कीट-नाशकों के लिये सहायता जारी रखने हेतु राज्यों के सभी प्रखण्डों को शामिल करने और पावर टिलर, थ्रैशर आदि मशीनरी भी प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). गुजरात राज्य में वर्ष 1990-91 से वर्ष 1993-94 तक समेकित चावल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। वर्ष 1994-95 से गुजरात राज्य में मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में एक केन्द्रीय प्रायोजित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज के अंतर्गत राज्य के मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज की फसलों जिनमें चावल और गेहूं भी शामिल है, की उत्पादकता में सुधार के लिए फसल प्रणाली पर जोर दिया जाता है। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत बीज वितरण, खेतों पर प्रदर्शन, समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शनों, उन्नत कृषि उपकरणों, कृषक प्रशिक्षण, उत्पादकता पुरस्करों, सकर बीजों (रबी-96) तथा सिंक्लर सैटों आदि के लिए किसानों को सहायता दी जाती है।

(ग) से (ङ). समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज) योजना उन 170 अभिज्ञात प्रखंडों में चलायी जा रही है, जिनमें मोटे

अनाजों/चावल/गेहूं की उत्पादकता कम है तथा यह राज्य/राष्ट्रीय स्तर से नीचे है तथा जिन प्रखंडों में अनाज फसलों के अधीन तुलनात्मक रूप से अधिक क्षेत्र है। इस योजना के अधीन मल्टी क्राप थ्रैशर के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना के अधीन पावर टिलर एक अनुमोदित घटक है। समेकित अनाज विकास कार्यक्रमों में कृषिन्शकों के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन अनुसंधान निदेशालय

2819. श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय राहुरी जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर राहुरी स्थित जल प्रबन्ध अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय को पहले ही पटना में 5 अगस्त, 1996 को स्थानान्तरित कर दिया गया है। तथापि देश के जल प्रबन्ध तथा पश्चिमी क्षेत्र के अनुसंधान कार्यों से संबंधित समन्वय के लिए एक क्षेत्रीय समन्वय एकक को राहुरी में बरकरार रखा गया है।

सैन्ट्रल-स्टेट फार्म

2620. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सैन्ट्रल-स्टेट फार्म अरालम (केरल) को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस फार्म के विस्तार संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 में दौरान इस फार्म के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1993-94 से 1995-96 की अवधिक में केन्द्रीय राज्य फार्म अरालम को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष		लाभ (+)/हानि(-) (लाख रुपये)	
1993-94	(-)	86.22	
1994-95	(-)	39.81	
1995-96	(+)	10.24	(अनुमोनित)

(ख) केन्द्रीय राज्य फार्म अरालम के विस्तार के लिए आधुनिक खोपरा ड्रायर का निर्माण, नारियल के छिलके पीसने की मिलों की स्थापना, नारियल के रेशे बनाने संबंधी यूनिट की स्थापना, ड्राइंग यार्ड, जंगली पशुओं से होने वाला नुकसान रोकने के लिए कंटीले तारों की फेन्सिंग (20 कि.मी.) स्टोर बिल्डिंग का निर्माण ड्रिप सिंचाई एवं ड्रेनेज चैनल बनाने संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय राज्य फार्म अरालम के विकास के लिए 1995-96 के दौरान किए गए आंबटन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	(लाख रुपये)
1. रोपण	204
2. वाहन/मशीनरी	1
3. आवासीय भवन	5
4. अन्य	5

भारत-बंगलादेश सीमा पर सड़क

2641. प्रो. चितेन्द्र नाथ दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत-बंगलादेश सीमा सड़क बनाने संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सड़क की लंबाई कितनी है और इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पुलों सहित सड़कों की लंबाई और उन पर अनुमानित लागत के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

राज्य	सड़क (कि.मी.)	पुल (मीटर)	अनुमानित लागत (रुपये-लाखों में)
असम	192	5521	9663
मेघालय	208	1399	5189
प. बंगाल	1770	12562	40000
त्रिपुरा	514	3519	13366
मिजोरम	100	704	2096
कुल	2784	23805	70314

वर्ष के दौरान निर्माण हेतु कार्य योजना के आधार पर निधियों के आबंटन का निर्णय प्रतिवर्ष किया जाता है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

2622. श्री सौम्य रंजन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 के दौरान देश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी किये गये औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु अवैधसे औद्योगिक लाइसेंस की अब आवश्यकता नहीं है। उद्यमी, पर्यावरण मंजूरी की शर्त पर भारत में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र है। दाहेरे फीडस्टाक (गैस और/अथवा नेफथा) की सुविधाओं के साथ देश में निम्नलिखित उर्वरक संयंत्र कार्यान्वयनाधीन हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी/सहकारी समिति का नाम	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़ में)	परिकल्पित उत्पादन उत्पाद	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	प्रारम्भरण की संभावित तारीख
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको), आंवला (उ.प्र.) यूनिट का विस्तार	960.00	यूरिया	7.26	26.11.96 से यूरिया का प्रथम प्रचालन उत्पादन
2.	इफको, कलोल (गुजरात) यूनिट का विस्तार	119.08	यूरिया	1.50	01.09.1997
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) विजयपुर (म.प्र.) यूनिट का विस्तार	987.30	यूरिया	7.26	01.01.1997
4.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. (एनएफसीएल) काकीनाडा (आ.प्र.) यूनिट का विस्तार	969.98	यूरिया	4.95	01.02.1998

असम के लिए कल्याण योजनाएं

2623. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत असम में कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई;

(ख) इन योजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी राशि प्रदान की गई तथा इसके साथ-साथ इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
		निर्मुक्त राशि	लाभ ग्राहियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभग्राहियों की संख्या	निर्मुक्त राशि	लाभग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
			अनुसूचित जाति विकास				
1.	कोचिंग तथा सम्बद्ध	0.62	उपलब्ध नहीं	-	-	1.93	उपलब्ध नहीं
2.	अनुसूचित जातियों के लड़कों के होस्टल	-	-	9.00	72	9.00	144

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के होस्टल	–	–	9.00	72	9.00	144
4.	पुस्तक बैंक	5.38	743	3.00	1157	3.00	उपलब्ध नहीं
5.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना	–	–	–	37 (प्रशिक्षित) 61 (पुनर्वासित)		
6.	स्वैच्छिक संगठन						
(क)	रामकृष्ण मिशन, सिलचर (सचल चिकित्सा यूनिट)	1.47	33206	1.43	35000	1.53	42123
(ख)	शहरी तथा ग्रामीण विकास के लिए अखिल भारतीय केन्द्र, गोलघाट	0.89	82	3.25	120	शून्य	शून्य
(ग)	असम अनुसूचित जाति परिषद, सिलचर (पुस्तकालय तथा छात्रगृह का निर्माण)	–	–	–	–	5.00	–
7.	एस.सी.डी.सी.	22.10	3368	24.02	5163	30.74	5946
8.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	356.08	13640	670.96	28322	1296.94	145814
9.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	24.00	उपलब्ध नहीं	24.00	उपलब्ध नही	24.00	उपलब्ध नहीं
10.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	–	–	–	–	2.50	–
11.	अनुसूचित जातियों के विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	220.51	5165 (परिवार)	273.34	963 (परिवार)	22.65	उपलब्ध नहीं।
			आदिवासी विकास				
1.	लड़कों के होस्टल	–	–	–	–	3.03	उपलब्ध नहीं
2.	लड़कियों के होस्टल	–	–	16.00	उपलब्ध नहीं	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	12.10	उपलब्ध नहीं	12.55	उपलब्धं नहीं	17.77	उपलब्ध नहीं
4.	विशेष केन्द्रीय सहायता	1087.57	"	1112.67	"	1545.19	"
5.	अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	301.50	"	315.00	"	315.00	"
6.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	-	-	-	-	64.895	"

नोट: उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत किसी विशेष राज्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। निधियां राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

समाज रक्षा

1.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण की योजना	10.47	उपलब्ध नहीं	10.00	उपलब्ध नहीं	1.63	उपलब्ध नहीं
2.	भिक्षावृत्ति निवारण की योजना	-	-	-	-	-	-
2.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	-	-	3.08	उपलब्ध नहीं	3.46	उपलब्ध नहीं
4.	वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	2.11	उपलब्ध नहीं	2.37	"	2.79	"
5.	मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण की योजना	1.14	578	7.34	1051	10.57	2.97
6.	स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संगठनों को संगठनात्मक सहायता	-	-	1.50	उपलब्ध नहीं	-	-
7.	शिशु गृह	0.53	उपलबध नहीं	2.59	"	-	-

अल्पसंख्यक कल्याण

1.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	-	-	3.34	40	-	-

विकलांग कल्याण

1.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.29	40	5.00	140	5.00	127

उपभोक्ता जागरूकता के लिए धनराशि

2624. श्री दिनशा पटेल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक उपभोक्ता जागरूकता हेतु प्रचार कार्य के लिए आबंटित धनराशि का पूर्णतया उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस धनराशि के इष्टतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). जी, हां। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उपभोक्ता जागरूकता पर क्रमशः 99 लाख रु., 136 लाख रु. और 191 लाख रुपए खर्च किए। वर्ष 1996-97 में अब तक खर्च के लिए 42 लाख रुपए मंजूर किए गए और शेष राशि वर्ष के दौरान खर्च की जाएगी।

(घ) सरकार इन निधियों का उपयोग करने के लिए पहले ही बहुत से उपाय कर रही है। ऐसे उपायों में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में श्रव्य/दृश्य सामग्री, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं, पोस्टरों आदि के रूप में मुद्रित सामग्री तैयार करना शामिल है। यह मंत्रालय "उपभोक्ता जागरण" नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित कर रही है, जो उपभोक्ताओं को उपयोगी जानकारी देती है।

सुपर बाजार में मालसूची

2625. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 26 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी विभागों में इतनी बड़ी मालसूची होने के क्या कारण हैं तथा बिक्री से अधिक खरीद के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इससे सुपर बाजार के खरीद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात उजागर होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार के कार्यकरण की सघन जांच के आदेश दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, सुपर बाजार विभागों में कोई बड़ी मालसूची नहीं है। वस्तुओं की खरीद उनकी क्रय समिति द्वारा उनकी तत्काल आवश्यकताओं और भावी मांग को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके क्रय विभाग में व्याप्त किसी भ्रष्टाचार की बात उजागर नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

2626. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जम्मू-कश्मीर में दी गई यातनाओं के बारे में भारत के विरुद्ध कोई आरोप लगाये हैं तथा पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिन्दुओं पर किये जा रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध रखी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) एमनेस्टी इंटरनेशनल के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) यह सच है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, समय-समय पर, सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघनों के आरोप गृह मंत्रालय को भेजता रहा है। यह भी सच है कि एमनेस्टी ने राज्य में मानवाधिकारों के दुरूपयोग के मूल कारण अर्थात् पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद हेतु सहायता एवं बढ़ावा देने की तरफ आंखें मूंद रखी हैं। प्रायः यह भी पाया जाता है कि ये आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण तथा सामान्य प्रकृति के होते हैं तथा अधिकांश मामलों में बढ़ा-चढ़ा कर और पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर बताये जाते हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने इन आरोपों का निरंतर खंडन किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा अपनी रिपोर्टों में उल्लिखित विशिष्ट घटनाओं के वास्तविक ब्यौरों सहित उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का सरकार द्वारा तत्काल उत्तर विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से दिए जाते हैं, जो उन्हें प्रेस विज्ञप्तियों तथा सीधे सम्पर्क के द्वारा प्रसारित करते हैं। सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की संलिप्तता के साक्ष्य हमेशा अंतरर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में भी लाती रही है।

मैरीन इक्वेरियम

2627. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री इन्नान मोल्लाह :
श्री हाराधन राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के दिघा में एक जलजीवशाला तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त केन्द्र के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में मैरीन इक्वेरियम और रिसर्च सेंटर शामिल हैं। रिसर्च सेंटर पहले से ही चल रहा है। मैरीन इक्वेरियम के लिए भवन का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। इक्वेरियम की फर्निशिंग का ठेका तीन चरणों मे निष्पादित किया जाएगा। पहला चरण पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण में मैरीन प्रजातियों का संग्रहण, परिवहन अनुकूलन और प्रवर्तन शामिल है। तीसरे चरण में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के स्टाफ के पदाभिहित सदस्यों का प्रशिक्षण शामिल है।

सिक्किम को आर्थिक अनुदान

2628. **श्री भीम प्रसाद दाहाल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय राज्यों को विशेष आर्थिक अनुदान देते समय सिक्किम की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सिक्किम के मुख्यमंत्री से राज्य का दौरा किए जाने संबंधी औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) प्रधानमंत्री ने 22 से 27 अक्तूबर, 1996 तक सभी सातों पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया था। अपने दौरे की समाप्ति पर 27 अक्तूबर, 1996 को गुवाहाटी में उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहल पहल संबंधी एक वक्तव्य जारी किया। चूंकि उनकी यात्रा मात्र पूर्वोत्तर राज्यों तक ही सीमित थी, इसलिए वक्तव्य में केवल पूर्वोत्तर राज्यों का ही उल्लेख है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चावल की उत्पादन लागत

2629. **श्री नीतीश कुमार :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य चावल उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चावल की उत्पादन लागत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों जैसे वियतनाम और थाईलैंड की तुलना में देश में चावल की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). विभिन्न देशों में धान के उत्पादन पर आने वाली लागतों की आपस में कोई सख्ती से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी विधियों, लागत मदों की कवरेज, सरकार के हस्तक्षेप और समर्थन कार्यक्रम और समुचित विनिमय दरों के चयन में भिन्नता रही है। वैसे खाद्य एवं कृषि संगठन के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पत्र 101 में जिसका शीर्षक "चुनिन्दा देशों में चावल के उत्पादन की लागतों की तुलना (ए कम्पैरिजन आफ दि कास्ट आफ प्रोड्यूसिंग राइस इन सिलेक्टेड कन्ट्रीज ("है, कुछ देशों में धान के उत्पादन पर आने वाली लागत की प्रति मीढरी टन अमेरिकी डालर के हिसाब से तुलना की गयी है। इस रिपोर्ट में भारत में आने वाली उत्पादन लागत की चर्चा नहीं है। बहरहाल इसी प्रतिमान पर भारत में धान के उत्पादन पर आने वाली लागत का आकलन किया गया है जोकि इन्डोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड और फिलीपीन्स जैसे कुछ देशों को छोड़कर बहुत से विकसित और विकासशील देशों की उत्पादन लागत से कम है। देशवार स्थिति इस प्रकार है :—

	देश	लागत (अमरीकी डालर में)
1.	भारत	135
2.	थाईलैण्ड	98
3.	फिलीपीन्स	124
4.	नेपाल	96
5.	इण्डोनेशिया	82
6.	कोरिया गणतंत्र	939
7.	जापान	1987
8.	संयुक्त राज्य अमेरिका	195

[अनुवाद]

वीजा देना

2630. श्री भक्त चरण दास :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का दौरा करने वाले विदेशियों को दिए गए वीजा की संख्या में वर्ष 1995-96 में पिछले दो वर्षों की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने विदेशियों को भारतीय नागरिकता मंजूर की गई है; और

(घ) मार्च, 1996 में देश में विदेशियों की संख्या कितनी थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1993 में 9,74,426 विदेशियों को भारत यात्रा के लिए वीजा प्रदान किए गए जबकि 1994 में 7,02,892 तथा 1993 में 7,06,870 वीजा प्रदान किए गए थे।

(ग) वर्ष 1995 और 1996 (30 नवम्बर, 1996 तक) के दौरान 459 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।

(घ) भारत में पंजीकृत विदेशियों के बारे में आंकड़े, संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं और ये आंकड़े वार्षिक आधार पर संकलित किए जोते हैं। 31.12.95 की स्थिति के अनुसार 2,04,463 पंजीकृत विदेशी (पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को छोड़कर) भारत में मौजूद थे।

चीनी निर्यात

2631. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक पाकिस्तान को कुल कितनी चीनी निर्यात की गई है तथा उसकी लागत कितनी है;

(ख) क्या चीनी की दरें पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों से खरीदी जा रही चीनी की दरों से बहुत कम थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार अन्य देशों को चीनी का निर्यात कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1996-97 के दौरान देश-वार अब तक उसकी लागत सहित कितनी चीनी का निर्यात किया जाता है/किया जा रहा है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) निर्यात एजेन्सी-मैसर्स भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग निर्यात-आयात निगम लि. के अनुसार, 354.53 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की लगभग 2.77 लाख टन चीनी की मात्रा वर्तमान वित्तीय वर्ष 1996-97 (30.11.96 तक) के दौरान पाकिस्तान को निर्यात की गई है।

(ख) और (ग). आई.एस.जी.आई.ई.आई.सी. लि. के वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार चीनी का निर्यात किया गया है।

(घ) सरकार द्वारा चीनी का कोई निर्यात नहीं किया गया है। ये निर्यात, चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित निर्यात एजेन्सियों जैसे-एस.टी.सी. तथा आई. एस.जी.आई.ई.आई.सी. लि. द्वारा किए जा रहे हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान निर्यात की गई चीनी का ब्यौरा, जैसाकि निर्यात एजेन्सियों द्वारा सूचित किया गया है, विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (30.11.96 तक) के दौरान निर्यात की गई चीनी तथा उसके मूल्य के देशवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण वित्तीय वर्ष 1994-95

क्र.सं.	देश का नाम	मात्रा (मी.टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	नेपाल	35000.0	30.46
	कुल	35000.0	30.46
वित्तीय वर्ष 1995-96			(आकंड़े अनंतिम हैं)
1.	नेपाल	15000.00	17.34
2.	मालदीव	1000.00	1.30
3.	सोमालिया	2000.00	2.65
4.	अदन	2200.00	2.80
5.	म्यामार	8000.00	10.50
6.	यू एस ए	9336.22	11.85
7.	इरीट्रिया	12500.00	15.25
8.	यमन	15000.00	18.51
9.	फ्रांस	30300.00	72.64

1	2	3	4
10.	रूस	63750.00	93.44
11.	श्रीलंका	110095.00	137.54
12.	इंडोनेशिया	180136.12	230.86
	कुल	449317.34	614.68
वित्तीय वर्ष 1996-97		(30.11.1996 तक)	(आंकड़े अन. हैं)
1.	नेपाल	25850.00 (अनंतिम)	उपलब्ध नहीं
2.	अलमान	1770.25	2.33
3.	माले	2175.00	2.89
4.	यमन	2500.00	2.75
5.	दुबई	5500.00	7.03
6.	म्यामार	5500.00	6.53
7.	जोर्डन	6000.00	7.98
8.	फ्रांस	10000.00	26.78
9.	यू.एस.ए.	13593.00	19.13
10.	रूस	26250.00	26.69
11.	केन्या	29500.00	38.09
12.	बंगलादेश	35758.50	48.66
13.	इंडोनेशिया	59800.00	70.98
14.	श्रीलंका	92726.05	117.67
15.	पाकिस्तान	276850.75	354.53
	जोड़	567923.55*	732.04

*नेपाल को छोड़कर

भूकम्प के लिए राशि

2632. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूकम्प से हुए विनाश की स्थिति से निबटने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता हेतु करेल सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). केरल सरकार ने सूचना दी है कि वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को प्रस्तुत किए जाने हेतु भूकंप संबंधी तैयारी के बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। यह प्रस्ताव अभी तक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

गेहूं का उत्पादन

2633. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गेहूं उत्पादन बढ़ाने हेतु वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई व्यापक योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है/किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से अखिल भारतीय गेहूं विकास कार्यक्रम के अधीन गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल, इसके क्षेत्रीय केन्द्रों और परियोजना केन्द्रों को सहायता दे रही हैं। इन कार्यक्रमों के अधीन शुरू किए गए अनुसंधान कार्यकलाप गेहूं को उच्च उत्पादक बनाने हेतु प्रौद्योगिकी तैयार करने में मदद करेंगे।

(ख) विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार कार्यक्रम के अधीन गेहूं अनुसंधान संस्थान, करनाल, इसके क्षेत्रीय केन्द्रों तथा परियोजना केन्द्रों को दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं अनुसंधान निदेशालय, इसके क्षेत्रीय केन्द्रों और परियोजना केन्द्रों को दी गई सहायता

		आठवीं योजना (1992-97) के दौरान आबंटन
		रुपये
1.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्र	7,48,18,000
2.	अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना के अधीन क्षेत्र	7,46,81,901
	कुल	14,94,99,901
	अर्थात	14.95 करोड़

केन्द्र और आबंटन का ब्यौरा

राज्य	केन्द्र	आठवीं योजना के दौरान आबंटन (1992-97)
1	2	3
असम	1. शिलौंगनी	9,16,185
बिहार	2. साबोर	18,36,000
	3. रांची	12,49,500

1	2		3
हरियाणा	4.	हिसार	39,63,375
हिमाचल प्रदेश	5.	पालमपुर	28,39,425
	6.	धोला कुआं	13,27,875
गुजरात	7.	बीजापुर	39,22,500
	8.	जुनागढ	21,55,950
जम्मू कश्मीर	9.	श्रीनगर	7,51,350
कर्नाटक	10.	धारवाड़	34,25,250
मध्य प्रदेश	11.	बिलासपुर	16,09,500
	12.	ग्वालियर	16,74,750
	13.	पावर खेड़ा	33,00,750
	14.	सागर	28,91,850
मणिपुर	15.	इम्फाल	4,64,100
महाराष्ट्र	16.	महाबलेश्वर	19,85,250
	17.	निफाद	27,26,250
	18.	पुणे	18,09,500
उड़ीसा	19.	घिपलिमा	5,71,500
पंजाब	20.	लुधियाना	76,03,875
राजस्थान	21.	दुर्गापुर	57,26,250
	22.	कोटा	25,75,500
	23.	उदयपुर	7,86,900
उत्तर प्रदेश	24.	फैजाबाद	28,62,000
	25.	कानपुर	67,80,750
	26.	पंत नगर	45,89,250
	27.	वाराणसी	19,36,400
पश्चिम बंगाल	28.	कूचबिहार	6,74,921
	29.	कल्याणी	15,72,420
		कुल	7,46,81,901

तिहाड़ जेल

2634. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल को उड़ाने का षडयंत्र रचने वाले कुछेक उग्रवादियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उग्रवादियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने नवम्बर, 1996 में चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान यह रहस्योद्घाटन किया की उन्होंने केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली को उड़ाने की योजना बनायी थी, ताकि वहां रखे गए अन्य उग्रवादियों को छुड़ाया जा सके। उनके खिलाफ, भा.दं.सं. की धारा 120-ख/121/121-क/122/123/34 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है।

[हिन्दी]

मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं

2635. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गयी है;

(ख) इन बच्चों के विकास के लिए समुचित व्यवस्था करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी संस्थाएं स्थापित की गई हैं/किये जाने की संभावना है; और

(ग) 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि आबंटित की गई है तथा 1996-97 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा मानसिक रूप से मंद/विकलांग बच्चों सहित विकलागों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं :—

(1) विकलांगों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

(2) विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(3) प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में जन शक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता।

(ख) कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कार्य कर रहा है। यह संस्थान मुंबई, दिल्ली तथा कलकत्ता में क्षेत्रीय केन्द्र भी चलाता है। मानसिक रूप से मंद तथा प्रमस्तिष्क अंगघात वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि क्रमशः 19.79 करोड़ रु. तथा 19.80 करोड़ रुपए है।

दिल्ली नगर निगम में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना

2636. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वेश्यावृत्ति में वृद्धि

2637. डा. राम लखन सिंह :
श्री एस.पी. जायसवाल :
डा. बल्लभ भाई कठीरिया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वेश्यावृत्ति में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं/किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 1992 से 1995 तक कि अवधि के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत सूचित किए मामलों से सबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ). केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए बड़ी संख्या में निवारात्मक और पुनर्वास स्कीमें/कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालांकि, वर्तमान कानूनों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है, तथापि यह महसूस किया गया कि आवश्यक सामाजिक-आर्थिक उपायों के साथ, गैर सरकारी संगठनों, जनसम्पर्क माध्यमों, इत्यादि को साथ लेकर, इन कानूनों के उपयुक्त क्रियान्वयन से वेश्यावृत्ति को कम करने में काफी सहायता मिलेगी।

विवरण

1992 में 1995 के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत सूचित मामलों की संख्या।

वर्ष	सूचित मामले
1992	12496
1993	12580
1994	10132
1995	6742*

* बिहार, राजस्थान और दमन और दीव से प्राप्त आंकड़े केवल मई, अक्तूबर और नवम्बर, 1995 तक हैं।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मूल्यों में कमी

2638. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों के मूल्य कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों में अर्ध सैन्य बल की तैनाती

2639. प्रो. प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान सरकार को विभिन्न कारणों से कई राज्यों में केन्द्रीय अर्ध सैन्य बल भेजने पड़े;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त राज्यों में राज्य-वार कितनी बार अर्ध सैन्य बल भेजने पड़े और इनमें से कितनी बार सैन्य बलों को राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए भेजा गया;

(ग) क्या निर्धारित नियमों के अनुसार, राज्य सरकार को ही इन अर्ध सैन्य बलों पर हुआ खर्च करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन अर्ध सैन्य बलों पर कितना धन खर्च किया गया है और मार्च, 1996 तक राज्य-वार इन राज्यों की ओर बकाया देय राशि कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी मदद करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। तैनाती का स्तर, प्रत्येक राज्य की जरूरत और बलों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, बलों का ब्यौरा अथवा तैनाती का स्तर बताना जनहित में उपयुक्त नहीं होगा।

(ग) और (घ). अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा को केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के प्रभारों की वसूली से छूट मिली हुई है। जहां तक असम का मामला है तो परिवहन प्रभार के अलावा तैनाती प्रभार की दर प्रति बटालियन 1.958 करोड़ रु. प्रति वर्ष है। अन्य सभी राज्यों में तैनाती की वास्तविक लागत के साथ तैनाती प्रभारों की वसूली प्रति बटालियन 4.895 करोड़ रु. प्रति वर्ष की दर से की जाती हैं। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा देय बकाया राशि, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा 31.3.96 की स्थिति के अनुसार देय बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19.31
2.	असम	24.54
3.	बिहार	0.27
4.	दिल्ली	81.69
5.	गुजरात	0.05
6.	हरियाणा	0.16
7.	केरल	0.05
8.	कर्नाटक	0.08
9.	उड़ीसा	0.05
10.	पंजाब	222.52
11.	पांडिचेरी	0.08
12.	राजस्थान	0.68
13.	तमिलनाडु	19.15
14.	उत्तर प्रदेश	40.99
15.	पश्चिम बंगाल	7.11
	जोड़	416.73

[अनुवाद]

केन्द्रीय मत्स्य बोर्ड की बैठक

2640. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य बोर्ड ने बंगलौर में हुई अपनी बैठक में मत्स्यों के बारे में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग डोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड की बंगलौर में 6 नवम्बर, 1996 को हुई बैठक में देश में मात्स्यिकी विकास के बारे में की गई सिफारिशों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) ये सिफारिशें हाल ही में प्राप्त हुई हैं।

विवरण

केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड की 6.11.96 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशे :-

1. हाई स्पीड डीजल आयल पर दी जाने वाली राजसहायता के पुराने पैटर्न को बहाल किया जाए और मछुआरों के कल्याण संबंधी राष्ट्रीय योजना को तत्काल मंजूरी दी जाए।

2. संसाधनों के अध्ययन तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में मात्स्यिकी विकास के लिए योजना का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए।

3(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की सहायता से ओवेप्रिय रिप्लेसमेन्ट स्वदेशी रूप से किया जाए।

3(ii) अन्य कार्यों, कैट मछलियों, एयर ब्रीदिंग मछलियों तथा वाणिज्यिक महत्व की अन्य प्रजातियों के बीजों के वाणिज्यिक उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा किया जाए।

3(iii) बीज उत्पादन के लिए उद्यमियों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निजी क्षेत्र को पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए।

3(iv) मत्स्य बीजों के प्रमाणीकरण तथा मानकीकरण की कार्यपद्धति तैयार की जाए तथा आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

4(i) मत्स्य जर्म प्लाज्म के सरंक्षण के लिए अभयताल घोषित किया जा सकता है ऐसे गहरे तालाबों सहित नदियों को सुव्यवस्थित चार्टिंग एवं पारिस्थितिक अध्ययन सम्पन्न कराया जाए। मात्स्यिकी तथा सभी प्रमुख नदी प्रणालियों की पारिस्थितिकी के संबंध में सुदृढ़ डाटा बेस का विकास किया जाए।

हमारी नदियों के स्तरों के अध्ययन को अद्यतन बनाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों द्वारा कार्यक्रम शुरू किए जाए।

4(ii) उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंध बनाए गए हैं वहां मेजर कार्पो के लिए स्पानिंग सुविधाओं के प्रावधान तथा सुधार के लिए कार्रवाई शुरू हो जाए। कार्य प्रजनन क्षेत्रों को पुनः अभिज्ञात करने तथा पर्याप्त कानूनी सहायता के माध्यम से उनके संरक्षण पर विचार किया जाए।

4(iii) झीलों बीलों तथा मैनों जहां बाढ़ नियंत्रण उपायों के कारण नदियों से मत्स्य बीज युक्त पानी आना बन्द हो गया है उनमें फिर से मछली पालन शुरू करने के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाए।

4(iv) सिंचाई करने की नहरों में छोटी-छोटी मछलियां छोड़कर मछली पालन के लिए उनका उपयोग करने के संबंध में कार्रवाई शुरू की जाए।

4(v) छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले मछुआरों को बसाने की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा समुचित पट्टेदारी नीति बनाई जाए। नदी क्षेत्रों में मत्स्यन अधिकार के लिए राज्य सरकारों द्वारा एकसमान तथा दीर्घावधि पट्टेदारी नीति का निरूपण किया जाए।

5(i) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुसंधान संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के मात्स्यिकी महाविद्यालयों के सक्रिय सहयोग से मत्स्य स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले मानदण्डों की पहचान तथा मानिटरिंग के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

5(ii) राज्यों द्वारा खारे पानी में मछली पालन के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

5(iii) ताजे पानी में मत्स्य पालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देश निरूपित करके उन्हें जारी किया जाए।

6(i) सभी नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी के विकास संबंधी योजना का कार्यान्वयन पूर्ण करें ताकि अन्तर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों से उत्पादन संबंधी सही आंकडों का संकलन किया जा सके।

6(ii) सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश पाण्डिचेरी द्वारा 1996-97 के बाद मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों में मत्स्य उत्पादन का मूल्यांकन संबंधी सर्वेक्षण कराया जाए।

अर्ध सैनिक बल

2641. श्री ए.सी. जोस :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात् उन्हें सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती करके अर्ध सैनिक बलों की दो बटालियन बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक-एक बटालियन के गठन की स्वीकृत दी है, जिससे जम्मू और कश्मीर में आत्मसमर्पण किए हुए उग्रवादियों को भर्ती होने का अवसर प्राप्त होगा। इस पर अनुमानित खर्च 68.53 करोड़ रुपये होगा। संबंधित संगठनों तथा राज्य सरकार को आगे इन बटालियनों के गठन की कार्रवाई शीघ्र करने की सलाह दी गई है।

नारियल की कीमत

2642. श्री रमेश चेन्निथला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की कीमत में अत्यधिक गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नारियल की कीमत में गिरावट को रोकने तथा इसकी लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). 16 नवम्बर, 1996 (नवीनतम) को समाप्त सप्ताह के दौरान खोपरा का थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 29.4 प्रतिशत अधिक रहा है। खोपरा के चल रहे मंडी मूल्य भी 1996 मौसम के लिये सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम

2643. श्री दत्ता मेघे : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में इन कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है :—

(1) प्रतिवर्ष 24,000/-रु. की वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यकों तथा सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह के लिए आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना का कार्यान्वयन 1992-93 से किया जा रहा है।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों को रियायती ब्याज दर पर सितम्बर, 1994 से ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय अल्पंख्यक विकास एवं वित्त निगम राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाएं कार्यान्वित करता है। महाराष्ट्र में ऐसी एजेंसी का नाम महात्मा फूले पिछड़ा वर्ग वित्त निगम है।

(3) इस बहु क्षेत्रीय विकास योजना को क्रेडिट, प्रौद्योगिक, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं तथा ऐसे कार्यकलाप किए जाने के लिए अपेक्षित विपणन सहायता तथा जिन साधनों के माध्यम से उनकी व्यवस्था की जा सकती है, का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बहुल्य जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से कोचिंग कार्यकलाप में लगे स्वयंसेवी संगठनों द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के आधार पर परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम एक शीर्ष, निकाय होने के कारण राज्य माध्यम एजेंसी अर्थात् महात्मा फूले पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के कार्यकरण को मानीटर करता है।

बहुक्षेत्रीय योजना विकास योजना एक नई योजना है तथा महाराष्ट्र सरकार को 1995-96 के दौरान दो लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी। राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक इन योजनाओं पर महाराष्ट्र राज्य में व्यय की गई राशि शून्य है।

[अनुवाद]

चारा बैंकों के लिए सहायता

2644. श्री सनत मेहता : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अर्थात् चारा बैंकों की स्थापना के लिए पशु आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) ऐसी सहायता देने के लिए क्या मापदंड हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्यों में चारा बैंक स्थापित करने के लिए उन्हें क्रमशः 15.769 लाख रुपये, 15.00 लाख रुपये तथा 40.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। चालू वर्ष के दौरान किसी भी राज्य को अभी तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) वित्तीय सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ग) प्रदान की गई उक्त सहायता में से, वर्ष 1995-96 के दौरान अरुणाचल प्रदेश तथा कर्नाटक ने क्रमशः 15.769 लाख रुपये तथा 9.225 लाख रुपये की राशि खर्च की है। उड़ीसा राज्य से निधि उपयोग के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है।

चावल उत्पादन में कमी

2645. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अक्तूबर, 1996 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "स्ट्रेस ऑन इन्क्रीज इन राईस प्रोडक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में चावल के उत्पादन में काफी कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चावल के विभिन्न किस्मों के मूल्य तथा निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी कीमत को स्थिर रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1988-89 से ही चावल के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का रूख रहा है। केवल 1992-93 और 1995-96 के दौरान इसके उत्पादन में कुछ कमी आयी है जिसका कारण मुख्य रूप से वर्षा तथा मौसम का प्रतिकूल होना और उर्वरकों का कम तथा असंतुलित प्रयोग रहा है।

(घ) और (ङ). चावल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है जो साधारण मूल्य वृद्धि के अनुरूप ही है। दूसरी ओर, चावल के निर्यात में विशेषकर 1995-96 के दौरान प्रभावशाली वृद्धि हुई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली उचित मूल्य वाली दुकानों पर मांग और आपूर्ति प्रबन्ध के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करके चावल की कीमतों को स्थिर बनाये रखने के लिए कदम उठाए हैं। चावल के उत्पादन और उपलब्धता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

आदिवासी युवकों का कल्याण

2646. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के गोधरा, पंचमहल जिले में "ट्राईसेम" कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी युवाओं के लिए एक स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में आयोचित ऐसे कार्यक्रमों और उनसे लाभ उठाने वाले आदिवासियों की संख्या कितनी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). ट्राईसेम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार शुरू करने के लिए तकनीकी तथा उद्यमी कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें से चयन किए गए युवाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के होने चाहिए। इस योजना को गुजरात के गोधरा तथा पंचमहल जिलों सहित देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाता है।

ट्राइसेम तथा डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों पर दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक डी.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित जिला वार्षिक योजना के अनुसार डी. आर.डी.ए. के शासी निकायों के मार्गदर्शन में ट्राईसेम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए सम्पूर्ण राज्य के आधार पर संयुक्त रूप से मानीटरिंग की जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए गुजरात का कार्य-निष्पादन पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार है :-

वर्ष	कुल प्रशिक्षित युवक	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित युवक	प्रशिक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवकों की प्रतिशतता
1993-94	12037	6749	56.1
1994-95	11794	6227	52.8
1995-96	10958	6738	61.5
1996-97	3392	1329	39.2

(अक्तूबर, 1996 तक)

संकर सांड

2647. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रजनन फार्मों द्वारा तैयार किए गए प्रमाणित संकर सांडों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) केन्द्रीय गो पशु प्रजनन फार्म ऊंची नस्ल के संकर सांडों का उत्पादन करते हैं परन्तु ये प्रमाणित नहीं हैं। 1995-96 के दौरान 132 संकर सांड बछड़ों का उत्पादन किया गया था।

(ख) 1995-96 के दौरान दो केन्द्रीय गो पशु प्रजनन फार्मों का शुद्ध व्यय 119.01 लाख रुपये था जो विशुद्ध प्रजनित सांडों के अतिरिक्त संकर सांडों का उत्पादन करते हैं।

उर्वरक की खपत में तेजी से वृद्धि

2648. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार पूर्वी राज्यों में उर्वरकों की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और असम में हाल ही में उर्वरकों की कुल कितनी खपत हुई है;

(घ) क्या खपत में हुई इस वृद्धि से उर्वरकों की कमी हो गई है;

(ङ) क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात करने पर विचार कर रही है;

(च) 1996-97 के दौरान राज्य सरकारों की उर्वरकों की कितनी मांग पूरी की जा रही है; और

(छ) अब तक उर्वरकों का कुल कितना आयात किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और सिक्किम के पूर्वी राज्यों में उर्वरक खपत में 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). इन राज्यों में खरीफ, 96 (अप्रैल 96-सितम्बर 96) के दौरान मुख्य उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी की बिक्री तथा उपलब्धता निम्नानसुार थी :-

(आंकड़े 000 मी.टन में)

	खरीफ 96					
	यूरिया		डी ए पी		एम ओ पी	
	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	1026.18	930.35	306.79	278.93	102.99	58.40
बिहार	761.52	673.13	147.10	80.71	52.81	27.30
राजस्थान	476.15	401.71	163.67	96.76	4.99	3.26
असम	34.70	28.40	9.35	6.17	22.99	8.72

इन राज्यों में उपलब्धता बिक्री के लिए पर्याप्त है।

(ङ) से (छ). यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो इस समय सरकार के सांविधिक एवं संचलन नियंत्रण के अंतर्गत है। इसकी मांग एवं स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए इसका सरकारी खाते में आयात किया जाता है। अन्य नियंत्रणमुक्त एवं असरणीबद्ध उर्वरकों का आयात मांग एवं पूर्ति की बाजार शक्तियों के आधार पर निजी आयातकों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान नवम्बर, 96 तक कुल 15.04 लाख मी. टन यूरिया का आयात हुआ है। स्वदेशी उत्पादन एवं आयातों को इष्टतम करके रबी 1996-97 के दौरान राज्य में यूरिया की मांग को पूरा करने की व्यवस्था की गई है।

गौ संरक्षण

2649. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :
डा. वल्लभ भाई कठीरिया :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में गौ रक्षा के संबंध में एक समान कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय मे पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गो पशु परिरक्षण ऐसा विषय है जिसके लिए कानून बनाने की शक्ति राज्य विधान मंडलों के पास ही है।

[हिन्दी]

आजमगढ़ की जेल

2650. डा. बलिराम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ जिला जेलों में बिजली, जल, स्वच्छता जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार, "कारागार" राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकार की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह कारागार के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले से नियमों, विनियमों, जेल मैनुअलों, इत्यादि के अनुसार निपटे। तथापि, यह महसूस किया जाता है कि देश में अनेकों कारागारों में नागरिक सुविधाओं और अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के मामले में सुधार करने की गुंजाइश है। इस बारे में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद देने के लिए भारत सरकार की

योजना नामतः कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अधीन, राज्य सरकारों को वित्तीय सहयता दी जाती है। कारागार संबंधी उसके आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1995-96 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार को 425.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

[अनुवाद]

छात्रों पर अकारण गोलीबारी

2651. श्री डी.पी. यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 1 अक्तूबर, 1996 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस द्वारा अकारण गोलीबारी करने से कई मौतें हुई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार द्वारा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, 1/2 अक्तूबर, 1996 के बीच की रात को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उत्तेजित छात्रों का एक दल उग्र हो गया तथा आगजनी और पथराव करने लगा। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे एक छात्र की मृत्यु हो गई।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा मण्डल के आयुक्त और पुलिस उप-महानिरीक्षक, आगरा द्वारा एक संयुक्त जांच का आदेश दिया है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृत छात्र के पिता को एक लाख रुपये की राशि अनुग्रह स्वरूप दी गई।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में "रावत जाति" को शामिल किया जाना

2552. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के "रावत जाति" को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत उक्त जाति के कितने व्यक्तियों को अब तक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अब तक यथा, संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत "रावत" सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है।

(ख) विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या के संबंध में समुदाय-वार आंकडों का रखरखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी एजेंसियों को दिया गया सदस्यता शुल्क

2653. श्रीमती मौरा कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न विदेशी एजेंसियों अर्थात सी.जी. आई.ए.आर., सी.ए.बी.आई, ए.पी.ए.ए.आर.आई. आदि को सदस्यता शुल्क के रूप में वास्तविक रूप से कुल कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया;

(ख) क्या कोई लागत संबंधी लाभ का विश्लेषण कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सरकार द्वारा जो वार्षिक अंशदान किया जा रहा है वह निम्न प्रकार है :-

(1)	सी.जी.आई.ए.आर.	अमेरिकी डालर	0.75 मिलियन
(2)	सी.ए.बी.आई.	पौंड	13,418/-मिलियन
(3)	ए.पी.ए.ए.आर.आई.	अमेरिकी डालर	6,000/-मिलियन
(4)	एन.ए.सी.ए.	अमेरिकी डालर	30,000/-मिलियन
(5)	सी.जी.पी.आर.टी.	अमेरिकी डालर	5,000/-मिलियन
(6)	आई.एस.टी.ए. स्वीस फ्रैंक	सी.एच.एफ.	2,380/-मिलियन

(ख) जी, हां।

(ग) विदेशी एजेन्सियों से लिए गए लाभ वैज्ञानिक सूचना का आदान-प्रदान, भारत के वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेना, नए वैज्ञानिक विकासों, जर्मप्लाज्म सामग्री तथा विश्वस्तरीय मानकों के समकक्ष होने के लिए मानकों का विकास ऐसी महत्वपूर्ण बाते हैं जो भारत सरकार द्वारा दी गई वार्षिक सदस्यता शुल्क से काफी महत्वपूर्ण हैं।

सागवान के बागान

2654. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सागवान के बागानों में वृद्धि करने हेतु सरकार की क्या योजनाएं और प्रस्ताव हैं;

(ख) सागवान के बागावानों में वृद्धि करने हेतु क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) वर्ष 1990 से 1996 के दौरान आज तक गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों तथा राज्यों में सागवान की लकड़ी के वर्ष-वार भंडार का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में सागवान बागान के अंतर्गत कितना क्षेत्र था; और

(ङ) सागवान बागानों की सुरक्षा करने तथा इनमें वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

बम विस्फोट

2655. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में हुए विभिन्न बम विस्फोट, दंगों की घटनाओं में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कितने जवान मारे गए;

(ख) क्या मृतकों के परिवारों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किया है तथा सभी मामलों में उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रकार के लंबित मामलों के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये मामले कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 28

(ख) ऐसे समस्त मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है। पात्र कार्मिक को नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर रोजगार भी दिया जा चुका है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

फार्मास्यूटीकल फार्मों को हुए घाटा संबंधी दावे

2656. श्री संतोष मोहन देव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भेषज कम्पनियों द्वारा वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति से हुए घाटे के कारण केन्द्रीय सरकार तथा चार राष्ट्रीयकृत बैंकों से क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत विटामिनों के मूल्य को कम करने के कारण हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). मै. जयंत विटामिन्स लि. ने एक अभ्यावेदन दायर किया है जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ घाटे की प्रतिपूर्ति, विटामिन-सी को कीमत नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र से निकालने और बैंकों के कन्सोर्टियम से कुछ के राहतों का दावा किया है। 14-9-1989 को अधिसूचित प्रपुंज औषध विटामिन-सी की कीमत में कमी, विनिमार्ताओं को बार-बार अनुस्मारक के बावजूद आंकड़े न मिलने के कारण, सरकार के पास उपलब्ध विधि मान्य जानकारी के आधार पर की गई थी। विनिमार्ताओं द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रपुंज औषध विटामिन "सी" की कीमतों में 1989-95 के बीच कम-से-कम 10 बार वृद्धि की गई है। अतः घाटों की प्रतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

नई कृषि नीति

2657. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों तथा भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई कृषि नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वर्तमान कृषि नीति संबंधी अड़चनों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई कृषि नीति की घोषणा तथा उसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). एक नई कृषि नीति बनाने के लिये आम मांग रही है। सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति के मसौदे पर अगस्त, 1995 में संसद में विचार-विमर्श किया गया था। संसद सदस्यों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये गये सुझावों को देखते हुए मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

खाद्यान्नों की कमी वाले राज्य

2658. श्री पी.सी. थामस : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में खाद्यान्नों की कमी है;

(ख) क्या केरल में भी खाद्यान्नों की कमी तथा जहां जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरे रियायती दर पर राशन का शत-प्रतिशत वितरण का आश्वासन दिया गया है;

(ग) क्या सरकार की खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुई सहमति के अनुसार खाद्यानों की कमी वाले राज्यों को सहायता देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 167.9 किलोग्राम आवश्यकता के मानकीकृत पौषणिक मानदंड के आधार पर 1993-94 में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या (1991 की जनगणना के आधार पर) के लिए कम पाई गई थी। तथापि, खाद्यान्नों के उत्पादन में विभिन्नता और जनसंख्या पर निर्भर करते हुए इस स्थिति में परिवर्तन हो सकता है :-

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. दिल्ली
4. गोवा
5. गुजरात
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. मेघालय
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
12. चण्डीगढ़
13. दादर तथा नगर हवेली
14. दमन और दीव
15. लक्षद्वीप
16. पांडिचेरी

(ख) से (घ). जी, हां। तथापि, केरल सरकार द्वारा केरल में सार्वविधिक राशनिंग शुरू की गई थी और इस स्कीम में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केरल सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन जनसंख्या अथवा प्रति व्यक्ति प्रतिमास वितरण की किसी मात्रा पर आधारित नहीं होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मासिक आवंटनों के प्रति खाद्यान्नों को सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार/भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी सीमित होती है और राशन की मात्रा निर्धारित करने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आगे वितरण करने की जिम्मेदारी पूर्णतया राज्य सरकार की होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सापेक्ष मांग/आवश्यकताओं, केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उठान की प्रवृत्ति, मौसमी उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

तरल दूध की कीमतें

2659. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दूध की कीमतों में निरंतर वृद्धि, बाजार में सिंथेटिक दूध की अधिकता तथा दुग्ध उत्पादों को कम मुनाफे से अधिक मुनाफे वाले बनाने संबंधी इसकी विभिन्न नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने तथा इनमें कोई परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सबसे निर्धन वर्ग को भी दूध उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार का विचार क्या प्रयास करने का है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार ने तरल दूध की इच्छित गुणवत्ता की पूर्ति को बनाए रखने तथा उसकी वृद्धि के लिए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 को लागू किया है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति

2660. श्री आर.एल.पी. वर्मा :
श्री मोहन रावले :
श्री अनिल कुमार :
श्री पी.आर. दासमुंशी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितने खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की मांग की गई तथा उसे किस मूल्य पर कितनी आपूर्ति की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य को खाद्य तेल और मिट्टी के तल की औसतन कितनी मासिक आपूर्ति की गई;

(ग) कम आपूर्ति के यदि कोई कारण है तो क्या हैं;

(घ) राज्यों द्वारा खाद्य तेल के कोटे में वृद्धि के लिए प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल की आपूर्ति में अंतर्निहित भारी राज

सहायता को देखते हुए इन मदों के आवंटन का स्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई आवश्यकता से बहुत कम है। वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल के राज्यवार और वस्तुवार आवंटन और उठान की स्थिति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

आयातित खाद्य तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल का निर्गम मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार रहा :—

(मूल्य : रुपए प्रति मी.टन)

आयातित खाद्य तेल कब से लागू है	थोक में आपूर्ति (खुला)	15 कि.ग्रा. के टिनों में आपूर्ति
4.1.1992	22,000	25,000
27.7.1994	24,000	27,000
सुपीरियर केरोसीन आयल		
1.10.1993 से 25.30 रु. प्रति किलो लीटर		

वर्ष 1995-96 के दौरान आयातित तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल का राज्यवार औसत मासिक आवंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से 1996 के दौरान उन्हें रिलीज किए गए खाद्य तेल के मासिक कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया था।

(ङ) विदेशी मुद्रा संबंधी अड़चनों और अंतर्निहित राज सहायता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेल की आपूर्ति सीमित/अनुपूरक स्वरूप की है। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत भारी मात्रा में हो रहे आयातों के कारण खुले बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता इस समय काफी अच्छी है। खाद्य तेल के आयात के लिए शुल्क ढांचा एक समान है, चाहे वह खुले सामान्य लाइसेंस के तहत किया जाए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जाए और राज्य अपनी समूची जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य तेल का अपेक्षित मात्रा में आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण-I

खाद्य तेल (कुल) का वित्तीय वर्ष-वार आवंटन, उठान

(आंकड़े मी.टनों में)

राज्य का नाम	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97*	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	7000	4600	33500	33115	66600	39801	49000	32984
अरुणाचल प्रदेश	150	10	150	32	0	0	0	0
असम	200	30	900	490	1200	670	1000	329
बिहार	364	50	0	0	200	0	700	0
गोवा	1050	758	2800	2605	4000	3125	3200	2040
गुजरात	6000	4500	22695	22255	49000	46091	33000	29010
हरियाणा	400	22	500	77	200	264	0	0
हिमाचल प्रदेश	800	667	900	917	1503	1188	1400	650
जम्मू और कश्मीर	500	0	0	451	700	390	700	423
कर्नाटक	2700	893	8500	10259	11000	6622	7500	7379
केरल	9077	4994	6000	5922	0	203	2000	966
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	2500	0	0	0
महाराष्ट्र	2600	2445	12500	7814	30000	15130	30000	23525
मणिपुर	200	200	1000	0	900	307	2100	873
मेघालय	200	53	1400	237	200	10	700	160

(ख) क्या केरल में भी खाद्यान्नों की कमी तथा जहां जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरे रियायती दर पर राशन का शत-प्रतिशत वितरण का आश्वासन दिया गया है;

(ग) क्या सरकार की खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुई सहमति के अनुसार खाद्यानों की कमी वाले राज्यों को सहायता देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 167.9 किलोग्राम आवश्यकता के मानकीकृत पौषणिक मानदंड के आधार पर 1993-94 में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या (1991 की जनगणना के आधार पर) के लिए कम पाई गई थी। तथापि, खाद्यान्नों के उत्पादन में विभिन्नता और जनसंख्या पर निर्भर करते हुए इस स्थिति में परिवर्तन हो सकता है :-

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. दिल्ली
4. गोवा
5. गुजरात
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. मेघालय
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
12. चण्डीगढ़
13. दादर तथा नगर हवेली
14. दमन और दीव
15. लक्षद्वीप
16. पांडिचेरी

(ख) से (घ). जी, हां। तथापि, केरल सरकार द्वारा केरल में सार्विधिक राशनिंग शुरू की गई थी और इस स्कीम में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केरल सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन जनसंख्या अथवा प्रति व्यक्ति प्रतिमास वितरण की किसी मात्रा पर आधारित नहीं होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मासिक आवंटनों के प्रति खाद्यान्नों को सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार/भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी सीमित होती है और राशन की मात्रा निर्धारित करने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आगे वितरण करने की जिम्मेदारी पूर्णतया राज्य सरकार की होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सापेक्ष मांग/आवश्यकताओं, केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उठान की प्रवृत्ति, मौसमी उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

तरल दूध की कीमतें

2659. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दूध की कीमतों में निरंतर वृद्धि, बाजार में सिंथेटिक दूध की अधिकता तथा दुग्ध उत्पादों को कम मुनाफे से अधिक मुनाफे वाले बनाने संबंधी इसकी विभिन्न नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने तथा इनमें कोई परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सबसे निर्धन वर्ग को भी दूध उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार का विचार क्या प्रयास करने का है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार ने तरल दूध की इच्छित गुणवत्ता की पूर्ति को बनाए रखने तथा उसकी वृद्धि के लिए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 को लागू किया है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति

2660. श्री आर.एल.पी. वर्मा :
श्री मोहन रावले :
श्री अनिल कुमार :
श्री पी.आर. दासमुंशी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितने खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की मांग की गई तथा उसे किस मूल्य पर कितनी आपूर्ति की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य को खाद्य तेल और मिट्टी के तल की औसतन कितनी मासिक आपूर्ति की गई;

(ग) कम आपूर्ति के यदि कोई कारण है तो क्या हैं;

(घ) राज्यों द्वारा खाद्य तेल के कोटे में वृद्धि के लिए प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल की आपूर्ति में अंतर्निहित भारी राज

सहायता को देखते हुए इन मदों के आवंटन का स्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई आवश्यकता से बहुत कम है। वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल के राज्यवार और वस्तुवार आवंटन और उठान की स्थिति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

आयातित खाद्य तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल का निर्गम मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार रहा :—

(मूल्य : रुपए प्रति मी.टन)

आयातित खाद्य तेल कब से लागू है	थोक में आपूर्ति (खुला)	15 कि.ग्रा. के टिनों में आपूर्ति
4.1.1992	22,000	25,000
27.7.1994	24,000	27,000
सुपीरियर केरोसीन आयल 1.10.1993 से 25.30 रु. प्रति किलो लीटर		

वर्ष 1995-96 के दौरान आयातित तेल और सुपीरियर केरोसीन आयल का राज्यवार औसत मासिक आवंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से 1996 के दौरान उन्हें रिलीज किए गए खाद्य तेल के मासिक कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया था।

(ङ) विदेशी मुद्रा संबंधी अड़चनों और अंतर्निहित राज सहायता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेल की आपूर्ति सीमित/अनुपूरक स्वरूप की है। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत भारी मात्रा में हो रहे आयातों के कारण खुले बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता इस समय काफी अच्छी है। खाद्य तेल के आयात के लिए शुल्क ढांचा एक समान है, चाहे वह खुले सामान्य लाइसेंस के तहत किया जाए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जाए और राज्य अपनी समूची जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य तेल का अपेक्षित मात्रा में आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण-I

खाद्य तेल (कुल) वित्तीय वर्ष-वार आवंटन, उठान

(आंकड़े मी.टनों में)

राज्य का नाम	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97*	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	7000	4600	33500	33115	66600	39801	49000	32984
अरुणाचल प्रदेश	150	10	150	32	0	0	0	0
असम	200	30	900	490	1200	670	1000	329
बिहार	364	50	0	0	200	0	700	0
गोवा	1050	758	2800	2605	4000	3125	3200	2040
गुजरात	6000	4500	22695	22255	49000	46091	33000	29010
हरियाणा	400	22	500	77	200	264	0	0
हिमाचल प्रदेश	800	667	900	917	1503	1188	1400	650
जम्मू और कश्मीर	500	0	0	451	700	390	700	423
कर्नाटक	2700	893	8500	10259	11000	6622	7500	7379
केरल	9077	4994	6000	5922	0	203	2000	966
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	2500	0	0	0
महाराष्ट्र	2600	2445	12500	7814	30000	15130	30000	23525
मणिपुर	200	200	1000	0	900	307	2100	873
मेघालय	200	53	1400	237	200	10	700	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मिजोरम	200	120	1100	268	1300	398	1400	353
नागालैंड	652	416	3600	2368	4100	3000	2800	990
उड़ीसा	1000	0	8800	5226	12000	3504	7000	2068
पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	1400	130	0	0	400	0	350	0
सिक्किम	300	250	600	347	840	629	770	470
तमिलनाडु	1500	149	12000	10495	8000	5089	7000	5008
त्रिपुरा	200	0	150	40	700	40	700	30
उत्तर प्रदेश	1200	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	2167	1586	12500	7784	17000	14903	18000	13642
अंडमान व निको. द्वीप स.	100	100	230	50	150	50	175	25
चंड़ीगढ़	100	0	0	0	100	0	0	0
दादर व नगर हवेली	100	90	490	369	640	423	560	320
दमन व दीव	250	168	845	635	875	460	875	275
दिल्ली	4000	1218	2095	2453	3300	2651	3100	1967
लक्षद्वीप	275	237	150	160	290	250	280	31
पांडिचेरी	225	208	4524	3995	4308	3057	4000	2148
समग्र भारत	44910	23894	137929	118364	222006	148255	178310	125666

* आबंटन दिसम्बर, 1996 तक तथा उठान अक्तूबर, 1996 तक

विवरण–III

मिट्टी के तेल का वित्तीय वर्ष–वार आबंटन, उठान

(आंकड़े मी.टनों में)

राज्य का नाम	1993–94		1994–95		1995–96		1996–97*	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	594403	589946	602688	601577	615432	613375	477331	316353
अरुणाचल प्रदेश	9391	9279	9476	9533	9576	9532	8576	6224
असम	249181	250431	251590	253877	254232	257161	194450	129797
बिहार	514587	512524	558436	557688	606924	606480	491079	327180
गोवा	27132	27147	31132	29164	27408	27962	20856	14047
गुजरात	786023	792720	797118	807911	806280	810447	622454	420608
हरियाणा	152532	153013	153997	154277	156468	157426	120488	80615
हिमाचल प्रदेश	38471	37637	40296	39730	42228	42675	43945	27152
जम्मू और कश्मीर	65364	68142	75393	76499	86081	90275	62805	35751

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	448427	448954	452696	458244	476913	486403	378452	252375
केरल	268405	268077	270204	274107	283790	290541	211328	146257
मध्य प्रदेश	411534	409971	444423	446257	476725	483870	391033	258118
महाराष्ट्र	1497302	1501671	1511767	1510636	1527648	1521232	1164426	773585
मणिपुर	20867	21519	21066	21581	21288	22160	16518	10174
मेघालय	15448	15497	15707	15906	16092	16082	15150	10089
मिजोरम	6134	6137	6325	6332	6360	6394	6045	3836
नागालैंड	10184	10180	10324	10532	10644	11566	10374	6953
उड़ीसा	173952	171765	191847	201138	211452	211341	176534	116534
पंजाब	322461	319255	325676	324010	328932	329875	252900	168876
राजस्थान	285702	281779	305617	303811	327344	324239	265931	175825
सिक्किम	7481	7445	7556	7512	8232	7983	5915	4273
तमिलनाडु	661903	662938	668262	669633	675276	675106	515258	342870
त्रिपुरा	21493	21077	22188	22225	23112	22963	23172	14352
उत्तर प्रदेश	961517	966813	1014678	1015330	1087462	1082773	855980	574618
पश्चिम बंगाल	743093	74921	748188	685252	756048	759678	576208	384191
अंडमान व निको. द्वीप समूह	3041	3703	4348	5332	4632	4592	3642	2465
चंड़ीगढ़	20928	18435	20928	17599	36992	19640	16055	9364
दादर व नगर हवेली	3108	3095	3109	3113	3144	3130	2392	1537
दमन व दीव	2944	2888	2944	20978	2976	2699	2262	1302
दिल्ली	238540	239748	238544	221276	240924	241985	182814	120924
लक्षद्वीप	876	463	809	1467	888	183	683	40
पांडिचेरी	14720	14176	14861	13241	15012	14424	11408	7261
समग्र भारत :	8577144	8579346	8822193	8785768	9146515	9154192	7126464	4743546

* आबंटन दिसम्बर, 1996 तक तथा उठान सितम्बर, 1996 तक

विवरण–III

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वित्तीय वर्ष 1995–96 में वितरित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल का औसत मासिक आवंटन का उठान

(आंकड़े हजार मी.टन म

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	5.55	3.32	51.29	51.11
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.80	0.79

1	2	3	4	5
असम	0.10	0.06	21.19	21.43
बिहार	0.02	0.00	50.58	50.54
गोवा	0.33	0.26	2.28	2.33
गुजरात	4.08	3.84	67.19	67.54
हरियाणा	0.02	0.02	13.04	13.12
हिमाचल प्रदेश	0.13	0.10	3.52	3.56
जम्मू और कश्मीर	0.06	0.03	7.17	7.52
कर्नाटक	0.92	0.55	39.74	40.53
केरल	0.00	0.02	23.65	24.21
मध्य प्रदेश	0.21	0.00	39.73	40.32
महाराष्ट्र	2.50	1.26	127.30	126.77
मणिपुर	0.07	0.03	1.77	1.85
मेघालय	0.02	0.00	1.34	1.34
मिजोरम	0.11	0.03	0.53	0.53
नागालैंड	0.34	0.25	0.89	0.96
उड़ीसा	1.00	0.29	17.62	17.61
पंजाब	0.00	0.00	27.41	27.49
राजस्थान	0.03	0.00	27.28	27.02
सिक्किम	0:07	0.05	0.69	0.67
तमिलनाडु	0.67	0.42	56.27	56.26
त्रिपुरा	0.06	0.00	1.93	1.91
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	90.62	90.23
पश्चिम बंगाल	1.42	1.24	63.00	63.31
अंडमान व निको. द्वीप समूह	0.01	0.00	0.39	0.38
चंड़ीगढ़	0.01	0.00	3.08	1.64
दादर व नगर हवेली	0.05	0.04	0.26	0.26
दमन व दीव	0.07	0.04	0.25	0.22
दिल्ली	0.28	0.22	20.08	20.17
लक्षद्वीप	0.02	0.02	0.07	0.02
पांडिचेरी	0.36	0.25	1.25	1.20

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर को खाद्यान्न की आपूर्ति

2661. श्री चमन लाल गुप्त : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) ने जम्मू और कश्मीर के किसानों से खाद्यान्नों की खरीद से इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और 1996-97 में अब तक निजी पार्टियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई तथा उनका मूल्य क्या है;

(घ) जम्मू और कश्मीर में खाद्यान्न लाने-ले जाने में कितनी मात्रा में क्षति हुई तथा गायब हुए और इनका मूल्य कितना था;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) जम्मू और कश्मीर को खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में आपूर्ति करने के क्या कारण हैं जबकि राज्य ने स्थानीय उत्पादन में भारी वृद्धि होने का दावा किया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (छ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2662. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी 1995-96 की वार्षिक रिपोर्ट में पुलिस सुधारों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस की अन्वेषण शाखा को कानून एवं व्यवस्था आदि बनाए रखने वाली शाखा से लागू करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है क्योंकि "पुलिस" राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाला विषय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पुलिस व्यवस्था में ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त के साथ-साथ अन्य उपायों को लागू किए जाने के तौर-तरीकों के बारे में सरकार के साथ बातचीत करता आ रहा है।

कृषि की बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन

2663. श्री संदीपान थोरात : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों/महानगरों में कृषि विपणन और खाद्य वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए कृषि अवसंरचना को उन्नत बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न, ताजी सब्जी, फल और पुष्प की मांग को प्रमुख रूप से पूरा करने के लिए प्रत्येक महानगरीय इलाकों के बाहर आधुनिक थोक बाजारों का विकास करने के लिए तैयार की गई नीति, स्वीकृत की गई/विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को उपलब्ध केन्द्रीय धनराशि और योजना के वित्तीय ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए, राज्यवार, प्रत्येक मामले में स्वीकृत किए गए/विचाराधीन प्रस्तावों और धनराशि की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि उत्पादों के बाजार का विकास करने के लिए मास्टर योजना तैयार करने हेतु यदि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कहा जाता है तो केन्द्रीय सरकार की भूमिका राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्श देने तक सीमित है। इसके अलावा, राज्यों में कृषि विपणन संबंधी मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए अधिकांश राज्यों के अपने कृषि विपणन बोर्ड हैं। इस समय विभिन्न राज्यों के बड़े शहरों में कृषि विपणन और खाद्य वितरण प्रणाली की सुविधा के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का उच्च श्रेणीकरण करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

2664. श्री ललित उरांव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने तथा इसके निर्यात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) क्या चालू वर्ष के शुरू के महीनों में उर्वरकों के उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उचित दर पर उर्वरक आपूर्ति करने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम लगाने की संभावना का पता लगा रही है; और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) भारतीय उर्वरक उद्योग का विकास तथा इसकी इष्टतम क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

(2) उर्वरक उद्योग को फीडस्टाक ईंधन तथा रेल संचलन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(3) उर्वरक संयंत्रों में फीडस्टाक तथा ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले तरल पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति रियायती मूल्य पर की जाती है।

(4) सरकार की उदारीकरण नीति के एक अंग के रूप में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(5) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को अन्य बातों के साथ-साथ आयात शुल्क में छूट के रूप में उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत माल की आपूर्तियों में संभावित निर्यात लाभों तथा उर्वरक एककों द्वारा किए गए दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज पर रियायत देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

(6) स्वदेशी रूप से निर्मित डी ए पी पर विशेष रियायत की दर को 6.7.1996 से 1000/- रुपए प्रतिटन से बढ़ाकर 3000/- रुपए प्रतिटन कर दिया गया है। अन्य काम्पलैक्स उर्वरकों के संबंध में रियायत की दर में आनुपातिक वृद्धि की अनुमति दी गई है। एस एस पी के संबंध में विशेष रियायत दर 340/- रुपए प्रतिटन से बढ़ाकर 500/- रुपए प्रतिटन कर दी गई है।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर 1996 की अवधि के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन क्रमशः 46.95 लाख मी. टन तथा 13.89 लाख मी. टन था जबकि यथाअनुपात लक्ष्य 49.52 लाख मी. टन नाइट्रोजन तथा 15.67 लाख मी. टन फास्फेट था।

(ग) और (घ). गैस जो नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन के लिए वरीयता प्राप्त फीडस्टाक है, की उपलब्धता में बाधाओं तथा फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल पर देश की भारी निर्भरता के कारण सरकार भारतीय कंपनियों को बाई बैक सुविधाओं के साथ संयुक्त उत्पादन सुविधाएं दूसरे देशों में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिनके पास प्राकृतिक गैस और राव फास्फेट के भारी भण्डार हैं। 2.24 लाख टन फास्फेटिक उर्वरकों का प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिए जोर्डन में एक संयुक्त उद्यम परियोजना को 1997 के मध्य में शुरू किए जाने की आशा है। भारत सरकार/कृभको/आर सी एफ और सल्तनत आफ ओमान/ओमान आयल कंपनी के बीच 14.5 लाख टन यूरिया के उत्पादन के लिए ओमान में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। ईरान में एक संयुक्त उद्यम नाइट्रोजनी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए पूर्वव्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

लाख का उत्पादन

2665. श्री बीर सिंह महतो : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में लाख के वार्षिक उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अब तक राज्यवार किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1988 से 1993 के औसत वार्षिक उत्पादन की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान वार्षिक उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). (1) भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची, जो लाख उत्पादन और प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने, प्रशिक्षण देने तथा फ्रंट लाइन प्रदर्शन करने के कार्य लगे हुए हैं, की सहायता करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक प्लान योजना क्रियान्वित कर रही है। इस संस्थान ने लाख के उत्पादन प्रसंस्करण और उपयोग के लिए कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जिनमें से 25 अंतरित कर दी गई हैं।

(2) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद उत्पादकों को कच्चे लाख की आपूर्ति हेतु न्यूक्लियस ब्रूड लाख फार्मों का रख रखाव कर रही है, प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रदर्शन कर रही है तथा खेती के उन्नत तरीकों के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

[हिन्दी]

स्पास्टिक बच्चे

2666. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पास्टिक बच्चों को प्रशिक्षण और शिक्षा देने हेतु विभिन्न राज्यों में संस्थान स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संस्थान कहां-कहां खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में ऐसे और अधिक संस्थान खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संस्थानों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी, नहीं। कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पास्टिक बच्चों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में संस्थान स्थापित नहीं किए हैं। तथापि, इस प्रयोजना के लिए स्पास्टिक

सोसाइटियों सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बच्चों पर अत्याचार

2667. श्री राम कृपाल यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों के विरूद्ध अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराध जगत में बच्चों को धकेलने के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई विवेचनात्मक अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अपराध कौन-कौन से हैं, जिनमें अधिकांशतः बच्चे शामिल होते हैं;

(घ) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान ऐसे आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें बच्चे शामिल पाए गए; और

(ङ) इस बुराई पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). 1994 और 1995 के दौरान बच्चों के प्रति अपराधों की घटनाओं से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गयी है।

अपराधों में बच्चों के अन्तर्गस्त होने के लिए जिम्मेवार कुछ प्रमुख कारणों में, अन्य के साथ-साथ गरीबी, परिवारों का टूटना, निकट संबंधियों की मृत्यु और दुर्व्यवहार जैसे कारणों की शिनाख्त की गयी है। 1993 और 1994 के दौरान कशोर-अपराधों से संबंधित उपलब्ध विवरण-III में दी गयी है।

बच्चों के गलत प्रयोग के विभिन्न तरीकों को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत शुरू की गयी एक प्रमुख गतिविधि अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्पेशल स्कूल की स्थापना करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अतिरिक्त आहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य की देख-रेख आदि। बाल-मजदूरी के उन्मूलन के लिए श्रम मंत्री की अध्यक्षता में, एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय की स्थापना की गयी है। बाल वैश्याओं के पुनर्वास में मदद देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक अन्तर्ग्रस्त किया जा रहा है। बाल कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही कुछ अन्य सकीमें हैं :- किशोरी कन्या स्कीम, दिन में देखभाल करने वाले केन्द्र/क्रेच, विमुक्त किए गए बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल।

विवरण–I

वर्ष 1994 के दौरान बच्चों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बाल हत्या	भ्रूण हत्या	आत्महत्या हेतु मजबूर करना	आरक्षित करना और परित्याग	बच्चों का अपहरण और व्यपहरण	नाबालिग बालिकाओं की दलाली	वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं को बेचना	वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं को खरीदना	बाल विवाह अवरोधक अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	10	1	0	0	46	2	8	0	0	67
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	12	19	2	0	1	34
4.	बिहार	23	0	0	0	77	69	5	0	9	183
5.	गोवा	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
6.	गुजरात	4	6	1	43	98	27	0	0	20	199
7.	हरियाणा	2	0	0	4	26	6	0	0	2	40
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	7	22	2	0	0	5	36
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	1	0	0	5	7	4	0	0	1	18
11.	केरल	1	0	0	1	7	3	0	0	3	15
12.	मध्य प्रदेश	21	17	3	97	61	10	1	0	3	213
13.	महाराष्ट्र	49	17	1	287	102	45	1	1	5	500
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18.	उड़ीसा	9	0	0	4	30	4	0	0	0	47
19.	पंजाब	4	0	0	0	8	0	0	0	0	12
20.	राजस्थान	4	4	2	14	3	1	0	0	3	31
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1	0	0	1	7	1	0	0	0	10
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	4	170	5	0	0	1	180
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	53	6	1	3	0	63
	कुल (राज्य)	130	45	7	468	732	206	18	4	53	1663
संघ शासित क्षेत्र											
26.	अडंमान और नि. द्वीप स.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	1	0	0	22	123	0	15	0	0	161
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	4	0	1	0	0	5
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1	0	0	23	132	0	16	0	0	172
	कुल (समस्त भारत)	131	45	7	491	864	206	34	4	53	1835

विवरण-II

वर्ष 1995 के दौरान बच्चों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बाल हत्या	भ्रूण हत्या	आत्महत्या हेतु मजबूर करना	आरक्षित करना और परित्याग	बच्चों का अपहरण और व्यपहरण	नाबालिग बालिकाओं की दलाली	वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं को बेचना	वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं को खरीदना	बाल विवाह अवरोधक अधिनियम	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	5	0	0	1	59	6	0	2	2	75	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	
3.	असम	1	0	0	0	0	9	0	0	0	10	
4.	बिहार	4	0	0	0	15	8	1	0	1	29	मई
5.	गोवा	2	0	0	1	4	2	0	0	0	9	
6.	गुजरात	8	8	2	86	97	8	0	1	21	231	
7.	हरियाणा	1	0	0	0	15	2	0	0	0	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	हिमाचल प्रदेश	2	0	0	5	8	0	0	0	6	21	
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10.	कर्नाटक	3	1	0	2	13	2	0	1	2	24	
11.	केरल	0	0	0	4	9	0	0	0	3	16	
12.	मध्य प्रदेश	49	14	4	106	50	4	1	0	4	232	
13.	महाराष्ट्र	40	8	2	313	99	23	2	0	11	498	
14.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
15.	मेघालय	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	उड़ीसा	1	1	0	1	10	5	0	0	0	18	
19.	पंजाब	4	0	0	5	3	1	0	1	0	14	
20.	राजस्थान	2	3	0	14	11	1	0	0	3	34	अक्तूबर
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	तमिलनाडु	5	0	0	0	2	0	0	0	0	7	
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	2	0	0	0	104	0	0	0	0	106	
25.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	129	10	12	13	0	165	
	कुल (राज्य)	132	35	8	540	630	81	16	18	53	1513	
	संघ शासित क्षेत्र											
26.	अंडमान व नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	चंड़ीगढ़	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	
28.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	दिल्ली	0	1	0	22	46	0	0	0	0	69	नवम्बर
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	पांडिचेरी	0	0	0	1	4	0	0	0	0	5	
	कुल (संघ शा. क्षेत्र)	0	1	0	27	50	1	0	0	0	79	
	कुल (समस्त भा.)	132	36	8	567	680	82	16	18	53	1592	

विवरण-III

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान भारतीय दंड संहिता के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किशोर अपराध।

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष	
		1993	1994
1.	हत्या	297	288
2.	हत्या का प्रयास	182	166
3.	हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध	15	19
4.	बलात्कार	168	176
5.	अपहरण तथा व्यपहरण	184	95
6.	डकैती	51	32
7.	डकैती हेतु तैयारी एवं इकट्ठा होना	5	23
8.	लूट	98	49
9.	सेंधमारी	1138	1294
10.	चोरी	2404	2346
11.	दंगे	1023	637
12.	आपराधिक विश्वासघात	15	17
13.	धोखाधड़ी	63	24
14.	जालसाजी	1	3
15.	भारतीय दंड संहिता के अन्य मामले	3821	3392
16.	भारतीय दंड सहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराध	9465	8561

स्रोत : "भारत में अपराध"

आवारा बच्चों में मादक द्रव्यों की लत

2668. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त अध्ययन से देश के महानगरों में आवारा बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन की लत में वृद्धि का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). बेसहारा बच्चों में एच.आई.वी./एड्स/एस.टी.डी. तथा नशीली दवा दुरूपयोग से संबंधित जोखिम व्यवहार कम करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा नियंत्रण कार्यक्रम यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यू.एन.ए.आई.डी. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य मंत्रालय, समुद्रपारीय विकास एजेंसी तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन संयुक्त रूप से किया जा रहा है। देश के चार शहरों अर्थात मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में यह अध्ययन शुरू किया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बेसहारा बच्चों में नशीली दवाओं का दुरूपयोग फैल तथा बढ़ रहा है। इन बच्चों द्वारा अधिकांश रूप में आसानी से पहुंच वाले तथा सस्ती नशीली दवाएं अर्थात घुलनशील पदार्थों (सौल्वेन्टस) शराब, तम्बाकू तथा कैनबिस का दुरूपयोग किया जाता है। इस रिपोर्ट में कोई ठोस आंकड़ें उपलब्ध नहीं है कि नशीली दवाओं के व्यसनी बेसहारा बच्चों की संख्या कितनी है।

(ग) अध्ययन में की गई टिप्पणियों तथा सिफारिशों पर आधारित मुंबई (4-5 नवम्बर, 1996), कलकत्ता (7-9 नवम्बर, 1996) दिल्ली (12-13 नवम्बर, 1996) तथा हैदराबाद (3-4 दिसम्बर, 1996) में नगर स्तरीय कार्यशालाएं आरम्भ की गई हैं।

इस नगर स्तरीय कार्यशाला का उद्देश्य बेसहारा बच्चों में नशीली दवा दुरूपयोग/एच.आई.वी./एड्स/एस.टी.डी. से संबंधित जोखिम वाले व्यवहार में कमी के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू करना तथा इस प्रयोजन के लिए एक नगर स्तरीय कार्रवाई योजना तैयार करना है।

संखिया रहित पेयजल

2669. श्री चित्त बसु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने संखिया रहित पेय जल की आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ संयुक्त परियोजना में 350 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने के संबंध में सहमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा "नार्थ 24 परगना जिला में संखिया प्रभावित क्षेत्रों के भागों में आपात जल आपूर्ति" शीर्षक वाली परियोजना जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन आफ वैल्फेयर सर्विसेज मिशन, जापान सरकार को प्रस्तावित की गई थी जिसके तहत वर्ष 2021 तक 20 जोन की 26 लाख जनसंख्या को शामिल किया जाना था। तथापि, जापान सरकार ने 9 जोनों के लिए परियोजना के एक अंश की वित्त व्यवस्था करने के संबंध में सिद्धांत सहमति प्रकट की है। इसके तहत वर्ष 2006 तक

4 ब्लाकों हाबरा I और 2 तथा बारासात I और 2 में 8.226 लाख जनसंख्या को शामिल किया जाना है और इसमें 157.14 करोड़ रुपए की लागत पर जल की शुद्ध मांग लगभग 32.95 मिलियन लीटर प्रतिदिन होगी। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं।

क्लोरीनयुक्त कीटनाशक

2670. श्री तारीक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अभी भी विवाक्त क्लोरीनयुक्त कीटनाशक का उत्पादन और उपयोग किया जा रहा है जबकि शेष विश्व में इसके उपयोग को बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). विभिन्न देशों ने विभिन्न कारणों जैसे नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों, देश की विशेष औद्योगिक स्थिति के कारण ऐस पेस्टिसाइडों की अग्राह्यता आदि से क्लोरिनेटेस पेस्टिसाइडों सहित कुछ पेस्टिसाइडों का प्रयोग प्रतिबन्धित/समाप्त कर दिया है। भारत में पेस्टिसाइडों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उनका प्रयोग कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अन्तर्गत बने विभागों के अधीन विनियमित किए जाते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत गठित टाक्सिसिटी, रेसीड्यु, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि के विभिन्न मानकों के संबंध में सन्तुष्ट होने के बाद पेस्टिसाइड का पंजीकरण करती है। कीटनाशी अधिनियम 1968 और उसके अधीन बने विभागों का प्रशासन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

तिलहन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

2671. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तिलहन के क्षेत्र में एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी मिशन को किन-किन राज्यों में शुरू किया गया था;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों द्वारा इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(घ) प्रौद्योगिकी मिशन के शुरू किए जाने के पश्चात तिलहनों के उत्पादन में हुई वृद्धि में राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) प्रौद्योगिकी मिशन मई, 1986 में शुरू किया गया। प्रौद्योगिकी मिशन के तहत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को शामिल किया गया था। अब इस मिशन के तहत 22 राज्यों को कवर किया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा केरल शामिल है।

(ग) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) के तहत आठवीं योजना के दौरान राज्य सरकार के अधिकार में रखे गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) विवरण-II संलग्न हैं।

विवरण-I

आठवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने वाले धन को दर्शाने वाला विवरण (राज्य-वार)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्ति आबंटन				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	855.50	1436.55	1452.100	1413.39	1075.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.75	29.891	28.520	24.10	34.00
3.	असम	149.00	155.743	231.850	165.02	155.00
4.	बिहार	158.00	69.12	शून्य	97.78	100.00
5.	गुजरात	725.50	931.449	500.000	549.45	500.00
6.	हरियाणा	215.00	160.81	शून्य	162.50	175.00
7.	हिमाचल प्रदेश	30.00	14.46	शून्य	29.23	30.00

1	2	3	4	5	6	7
8.	जम्मू और कश्मीर	41.50	66.397	शून्य	शून्य	70.00
9.	कर्नाटक	685.00	750.00	715.200	183.38	600.00
10.	केरल	-	-	67.500	132.24	50.00
11.	मध्य प्रदेश	730.35	1005.849	1379.040	1144.43	1210.00
12.	महाराष्ट्र	733.71	985.03	961.520	1032.27	1025.00
13.	मणिपुर	15.00	22.026	8.775	138.26	80.00
14.	मेघालय	6.75	15.825	7.500	6.00	15.00
15.	उड़ीसा	315.08	430.747	457.335	444.00	450.00
16.	पंजाब	128.50	187.500	64.000	7.60	100.00
17.	राजस्थान	551.00	820.438	811.890	1332.50	1075.00
18.	सिक्किम	43.00	55.857	52.723	49.68	50.00
19.	तमिलनाडु	653.50	1425.00	1337.785	951.17	850.00
20.	त्रिपुरा	15.47	67.276	11.500	21.09	25.00
21.	उत्तर प्रदेश	459.63	193.24	511.900	730.21	550.00
22.	पश्चिम बंगाल	185.17	224.792	225.000	205.00	250.00
	जोड़	6699.91	9048.00	8824.138	8820.00	8469.00

विवरण–II

प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा शुरू की गई योजना के तहत तिलहनों के उत्पादन को दर्शाने वाला राज्यवार तुलनात्मक विवरण

"000 मीटरी टन

क्र.सं.	राज्य	1986–87	1995–96
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1436.3	2897.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.5	-
3.	असम	160.5	158.0
4.	बिहार	124.3	140.0
5.	गुजरात	1674.1	2163.0
6.	हरियाणा	226.3	898.0
7.	हिमाचल प्रदेश	5.3	10.0
8.	जम्मू और कश्मीर	62.6	43.0
9.	कर्नाटक	1256.4	1525.0
10.	केरल	9.4	15.0
11.	मध्य प्रदेश	1251.6	4906.0
12.	महाराष्ट्र	838.1	2063.0
13.	मणिपुर	2.9	-
14.	मेघालय	5.5	-
15.	उड़ीसा	798.9	323.0
16.	पंजाब	166.4	266.0
17.	राजस्थान	882.6	3059.0
18.	सिक्किम	11.4	-
19.	तमिलनाडु	1138.2	2042.0
20.	त्रिपुरा	4.3	-
21.	उत्तर प्रदेश	916.7	1464.0
22.	पश्चिम बंगाल	263.8	550.00
	अन्य	18.6	84.0
	कुल	11269.7	22616.0

आतंकवादियों को विदेशी सहायता

2672. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "द इंडियन एक्सप्रेस" में दिनांक 29 सितम्बर, 1996 को "पंजाब मिलीटेंट्स स्टिल थ्राइव आन फोरन फंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विध्वंसकारी ताकतों के हाथों में विदेशी धन के आने को रोकने और पंजाब तथा देश में अन्यत्र आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों को समाप्त करने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां। श्रीमान्।

(ख) पंजाब के हवाला के जरिए लेन-देन का पता लगाने के लिए पुलिस एवं प्रवर्तन प्राधिकारी चौकस हैं। 1996 के दौरान पंजाब में हवाला के जरिए अवैध लेन-देन से संबंधित 25.34 लाख रु. की राशि मद की गई है।

सरकार भी सिख उग्रवादियों और विदेश स्थित उनके समकक्षों/समर्थकों की ओर से उत्पन्न खतरे को समझती है। इस वर्ष माह अक्तूबर तक सुरक्षा बलों द्वारा 83 उग्रवादियों/उनके समर्थकों/उन्हें शरण देने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब में उग्रवाद के मोर्चे पर स्थिति का प्रबोधन अब भी गहराई से किया जा रहा है।

सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत कृषिपोषक

2673. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख पोषकों, पोटाश और सम्मिश्रणों को सांविधिक मूल्य के अंतर्गत पुनः न लाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए फैसले का ब्यौरा क्या है, और कृषि उत्पादन और उर्वरक उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). 25 अगस्त, 1992 से सभी फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों (पोटाश और मिश्रणों सहित) के मूल्य, वितरण और संचलन पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। फिलहाल, उन्हें सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नियंत्रण हटा लेने से इन उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा भारत सरकार इनके मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को उर्वरकों की बिक्री पर रियायत दे रही है।

(ग) सम्पूर्ण देश में यूरिया 3320 रु. प्रति मी.टन के समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है, उनके मूल्यों पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इन नियंत्रण रहित उर्वरकों के मामले में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वह संबंधित एजेंसियों से बात करे। तदनुसार अधिकांश राज्य सरकारों से बात करके रबी 1996-97 के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा की गई।

गुजरात में होमगार्ड की बटालियन

2674. श्री विजय पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में होमगार्ड बटालियन की तटवर्ती विंग की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव काफी समय से लम्बित हैं;

(ख) क्या सरकार गुजरात की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). प्रश्न में अनुमानतः गुजरात के लिए सीमा विंग होम गार्डों की अतिरिक्त संख्या की स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। इस बारे में राज्य सरकार से विगत में प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया गया था। राज्य सरकार से हाल ही में, सीमा विंग होम गार्ड की तरह ही होम गार्डों की दो बटालियनें गठित किए जाने हेतु अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार, ऐसा हो जाने से उन्हें, तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के प्रयासों में स्थानीय जनता को प्रभावी ढंग से भागीदार बनाने में सफलता मिलेगी।

गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी रखी जा रही है। राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के संबंध में भी विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं-सीमा सुरक्षा बल की वाटर विंग यूनिटों की तैनाती, नौसेना की टुकडियों का गठन, तट के साथ-साथ गश्त लगाना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना तथा तटवर्ती जिलों में स्थानीय पुलिस की मौजूदगी आदि।

पर्यावरण पर रसायन कंपनियों का प्रभाव

2675. श्री सुरेश प्रभु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन रासायनिक कंपनियों को अनुमति देने से मना कर दिया है जो कोंकण क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार ऐसे प्रस्तावों की आवश्यक स्वीकृति हेतु जांच करती है।

अनारक्षित वन

2676. श्री अनन्त कुमार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से लेकर आज तक कर्नाटक और दूसरे राज्यों में वनों के विकास हेतु प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वनीकरण कार्यकलापों के लिए 1993-94 से 1994-95 के दौरान दी गई राज्यवार धनराशि तथा 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान किए गए व्यय के ब्यौरे अभी राज्यों से आने शेष हैं।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1993-94 से 1995-96 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा.प्रदेश	1993-94		1994-95		1995-96	
		दी गई राशि	उपयोग में लाई गई राशि	दी गई राशि	उपयोग में लाई गई राशि	दी गई राशि	उपयोग में लाई* गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	459.87	381.85	275.40	315.69	434.61	
2.	अरुणाचल प्रदेश	117.40	108.31	132.54	129.73	163.38	
3.	असम	126.84	130.09	143.28	156.94	213.61	
4.	बिहार	574.32	388.00	105.86	110.66	106.15	
5.	गोवा	21.03	20.13	22.55	21.15	20.80	
6.	गुजरात	216.95	361.74	550.24	319.42	346.03	
7.	हरियाणा	302.80	496.22	746.61	478.29	517.51	
8.	हिमाचल प्रदेश	384.31	568.54	629.96	437.32	458.68	
9.	जम्मू और कश्मीर	338.10	309.52	443.98	515.04	575.17	
10.	कर्नाटक	514.46	471.69	427.72	501.94	647.77	
11.	केरल	25.00	21.07	209.47	89.93	114.35	
12.	मध्य प्रदेश	799.36	985.15	1033.45	1013.32	822.31	
13.	महाराष्ट्र	104.04	138.60	95.97	169.59	246.77	
14.	मणिपुर	230.75	203.30	297.51	241.15	501.00	
15.	मेघालय	370.61	360.81	382.02	276.23	91.08	
16.	मिजोरम	486.80	528.24	526.57	502.68	431.14	
17.	नागालैंड	57.05	38.50	73.15		29.10	
18.	उड़ीसा	638.46	207.50	404.22	367.89	210.00	
19.	पंजाब	274.85	237.05	345.10	235.40	502.55	
20.	राजस्थान	955.46	1041.31	1009.77	816.52	804.88	

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	397.38	340.58	455.62	501.61	449.46	
22.	तमिलनाडु	113.84	138.82	176.20	131.98	208.14	
23.	त्रिपुरा	70.53	97.21	113.82	93.40	138.05	
24.	उत्तर प्रदेश	529.08	566.61	758.71	507.55	778.10	
25.	पश्चिम बंगाल	608.39	483.00	491.76	455.14	331.94	
	योग	8717.68	8623.84	9850.62	8388.57	9142.58	

* राज्यों से उपयोग संबंधी आंकड़े नहीं मिले हैं।

सुपर बाजार की प्रबंध समिति

2677. श्री आई.डी. स्वामी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार की प्रबंध समिति के दायित्व और कार्य क्या हैं;

(ख) क्या सुपर बाजार की प्रबंध समिति सुपर बाजार के दैनिक कार्यों में हस्ताक्षेप करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस हस्तक्षेप से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार के निदेशक मंडल (प्रबन्ध समिति) की शक्तियों का उल्लेख उनकी उप विधि के खंड 26 में किया गया है जो सरकारी समिति अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत पंजीकृत है। वे अपने कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन तदुनसार करते हैं।

(ख) और (ग). सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि निदेशक मंडल (प्रबंध समिति) उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता।

फसल विज्ञान संबंधी सम्मेलन

2678. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में कोई अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान संबंधी सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्मेलन के क्या उद्देश्य थे;

(ग) सम्मेलन में दिए गए सुझावों/किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे क्रियान्वित करने हेतु उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फसल विज्ञान अनुसंधान से जुड़े अग्रणी वैज्ञानिकों और युवा वैज्ञानिकों को एक जगह इकट्ठा करना था ताकि पारिस्थितिक रूप से मान्य, टिकाउ व पर्यावरण के लिए सुरक्षित तरीकों से फसल उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास से संबंधित ज्ञान व अनुसंधान प्रौद्योगिकियों का पारस्परिक आदान-प्रदान हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक वैज्ञानिक कार्यक्रम विकसित किया गया जिसके अन्तर्गत पांच पूर्ण व्याख्यान हुए तथा ग्यारह संगोष्ठियां हुई जिनमें 65 आमंत्रित वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त 800 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा पोस्टर प्रस्तुतिकरण हुए तथा वैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर छह कार्यरत सामूहिक विचार विमर्श किए गए।

(ग) संगोष्ठी में सभी वक्ताओं ने अनेक तकनीकी सुझाव प्रस्तुत किए। प्रत्येक सत्र में व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कांग्रेस की कार्यवाही शीघ्र ही छपेगी जिसमें प्रस्तुत किए गए विषयों व विचार-विमर्श का पूर्ण ब्यौरा होगा। उदाहरण-स्वरूप एक सुझाव यह दिया गया कि सुधरे फसलोत्पादन की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सड़कों और भंडारण सुविधाओं जैसे बुनियादी ढ़ांचे के लिए सार्वजनिक तथा निजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार यह भी बताया गया कि अब कृषि के यांत्रीकरण तथा विभिन्न निवेशों जैसे बीजों, खेती के यंत्रों व औजारों, ईंधन और बिजली आदि की कीमतें ऐसी होनी चाहिए जो किसानों की पहुंच में हों, ताकि दुनिया की भोजन व कपड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। व्यावहारिक सिफारिश का एक अन्य उदाहरण है अंगूर में एक गंभीर रोग "फाइलोक्सेरा" के प्रतिरोधिता उत्पन्न करने के लिए अन्तर्जातीय संकरीकरण का उपयोग।

(घ) कांग्रेस के सुझावों तथा सिफारिशों की कार्यवाही की मुद्रित प्रतियां देश के वैज्ञानिक संगठनों को भेजी जाएंगी तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा प्राप्त की जाएगी।

सुपर बाजार की शाखाएं

2679. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार सहकारी भंडार लिमिटेड ने दिल्ली के बाहर भी अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये शाखां खोली गई हैं/खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या निकट भविष्य में सरकार का मिजोरम में इन शाखाओं को खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे नोएडा (उ.प्र.) में पांच खुदरा बिक्री केन्द्र चला रहे हैं। उनका पटना (बिहार), बंगलौर (कर्नाटक), गाजियाबाद, (उ.प्र.) गुडगांव (हरियाणा) और फरीदाबाद (हरियाणा) तथा तिरूअनन्तपुरम (केरल) में भी स्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने पर कुछ शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ). सुपर बाजार एक स्वायत्तशासी सहकारी सोसायटी है जिसके पास शाखाएं खोलने सहित अपने सभी निर्णय लेने के लिए अपना प्रबंधन है और सरकार उनके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती।

ओरनामेंटल फिश

2680. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अलंकारी मछली की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक मात्स्यिकी के परिणामस्वरूप उनके नाजुक पर्यावरण को स्वीकार कर उनके अस्तित्व को खतरा पैदा कर सकता है;

(ग) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान मत्स्य मंडापम कैम्प ने इस संबंध में चेरे अनुसंधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). देश में अलंकारी मछली की मांग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और काफी हद तक इसकी मांग की पूर्ति अलंकारी मछली का नियंत्रित रूप से प्रजनन करके की जा रही है। चूंकि अंतर्देशीय और समुद्री जल से अलंकारी मछली के दोहन की दर बहुत सीमित है, अतः जरूरत से ज्यादा मछली पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन के मण्डपम क्षेत्रीय केन्द्र ने मण्डपम में अलंकारी मछलियों पर कोई शोध कार्य नहीं किया है। हालांकि समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की एक योजना के अन्तर्गत लक्षद्वीप में समुद्री अलंकारी मछली के सर्वेक्षण और आकलन की एक परियोजना चला रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत लक्षद्वीप के 6 द्वीपों के लैगूनों में यथा-अमीनी, अगाठी, चेतलत, कालपेनी, कदामट और कावारत्ती में सर्वेक्षण किये गये और अलंकारी मछलियों के 22 कुल की 163 प्रजातियों का पता लगाया गया है।

खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों की मांग

2681. श्री मुख्तार अनीस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) क्या घरेलू मांग की पूर्ति हेतु खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों के क्षेत्र में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1996 के लिए खाद्यान्नों, जिनमें दलहन शामिल हैं, की निर्धारित आवश्यकता लगभग 191 मिलियन मीटरी टन बनती है। जहां तक तिलहनों का संबंध है, तेल की मांग लगभग 7.5 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है। इन जिंसों की राज्यवार मांग का हिसाब नहीं रखा जा रहा है।

(ख) दालों और तिलहनों को छोड़कर खाद्यान्नों के मामलों में हमारा देश आत्म-निर्भर है।

(ग) देश में खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार गेहूं, चावल तथा मोटे अनाजों के लिये समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

कार्बनिक प्रदूषक

2682. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यू.एन.ई.पी. कार्यक्रम को अपनाने के परिप्रेक्ष्य में पता लगाए गए अति खतरनाक स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और साफ न किए गए मलमूत्र तथा औद्योगिक कचरे को नदियों और समुद्रों में डालने से रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य-योजना तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा के अनुच्छेद 15 में दी गई कार्यसूची के प्रासंगिक अध्यायों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कुछ सतत कार्बनिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया है। कतिपय सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर सरकार द्वारा लगाए गए निषेध/प्रतिबन्ध संबंधी कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

नदियों में अशोधित मलजल और औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण के लिए सरकार ने जुलाई, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीडी) शुरू किया गया था। इस योजना के अधीन अभिनिर्धारित शहरों में जनित मलजल का नदियों में विसर्जन से पूर्व अपशोधन, दिशा परिवर्तन और उपचार किया जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित विनियमों में तटवर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योगों में जनित प्रदूषण पर भी ध्यान दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कार्बनिक प्रदूषकों का नाम	निषेध किया गया	प्रतिबंध लगाया गया
1.	डी डी टी	-	26.5.1989 से कृषि में उपयोग से वापिस ले लिया गया।
2.	एल्ड्रिन	20.9.1986 से निषेध	-
3.	डि-एल्ड्रिन	-	15.5.1990 से केवल टिड्डी के पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंधित
4.	हैपटेयलर	20.9.1986 से निषेध	-
5.	क्लोरडेन	20.9.1986 से निषेध	
6.	बी एच सी	31.3.1997 से पूर्व निषेध लगाया जाना है।	सब्जियों, फलों, तेल बीच वाली फसलों खाद्य अनाजों के परिरक्षण पर उपयोग की अनुमति नहीं दी गई। उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबन्ध।
7.	लिडेन	-	4.9.92 से धुआं उत्पन्न होने के कारण आन्तरिक उपयोग पर प्रतिबन्ध
8.	एनड्रिन	31.12.92 से निषेध	-
9.	टोक्साक्रिन	31.12.92 से निषेध	-
10.	पीसीबीएस	-	5.11.94 से आयात प्रतिबन्धित
11.	बेन्जीडाइन पर आधारित डाई	31.1.93 से निषेध	-

अन्तर्देशीय मछली

2683. श्री सौम्य रंजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जल में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में इस प्रकार के जल में उत्पादित मछली की मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में मत्स्य पालिक विकास एजेंसियों के माध्यम से ताजे पानी में मत्स्य पालन विकास संबंधी एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 414 मत्स्य पालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं और ये एजेंसियां मत्स्य पालकों को तकनीकी वित्तीय तथा विस्तार सहायता पैकेज प्रदान करती है। नए तालाबों के निर्माण, तालाबों तथा जलाशयों के जीर्णोद्धार, आदानों, बहते पानी में मछली पालन, उत्पादन बढ़ाने के लिए एयरेटरों समेकित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज हैचरियों तथा मत्स्याहार मिलों की स्थापना आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	(लाख टन)
1993-94	1.283
1994-95	1.347
1995-96	1.348

कीटनाशकों का उपयोग

2684. श्री हरिन पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि कार्यों में कुछ कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के मामले में राज्य सरकार से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परामर्शदात्री तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार से कितनी बार परामर्श किया जाता है; और

(घ) कृषि कार्यों में किसी भी कीटनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में राज्य सरकार के विचारों को कितना महत्व दिया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा 1984 तथा 1989 के दौरान कृमिनाशी दवाओं की समीक्षा के लिये गठित विशेषज्ञ समितियों ने अन्य के साथ-साथ राज्य सरकारों के भी विचार आमंत्रित किए थे।

(घ) इस समिति ने राज्य सरकारों की राय पर उचित ध्यान दिया था।

पर्यावरण के बारे में अनुसंधान

2685. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण के बारे में अनुसंधान और देश की विभिन्न संस्थाओं में वित्त पोषित अनुसंधान की संवीक्षा करने के लिए छह पैनल गठित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पैनलों की रचना क्या है; और

(ग) गठित किए गए छह नये पैनलों के अनुसंधान का क्षेत्र क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). पर्यावरण के बहुविषयी पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक सतत कार्यक्रम है। अनुसंधान प्रस्तावों की छान-बीन करने और विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत परियोजनाओं की निगरानी के लिए अनुसंधान सलाहकार समितियां हैं। विभिन्न अनुसंधान सलाहकार समितियों का गठन तथा अनुसंधान के विषयों पर सूचना सलंग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मंत्रालय द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सलाहकार समितियों का गठन निम्नलिखित है।

1. मानव और जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम समिति

यह समिति अन्तःविषयी प्रकृति के अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित कार्य देखती है और मानव एवं पर्यावरण के बीच अन्तःसंबंध का अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर जोर देती है तथा सतत विधि से प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक जानकारी सृजित करने के लिए कार्य करती है। अनुसंधान क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ में पारि-प्रणाली कार्यक्रम, संरक्षण, पारि-प्रणालियों पर मानवकृत गतिविधियों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। समिति का गठन निम्नलिखित हैं :-

अध्यक्ष

प्रो. एच.वाई. मोहन राम
वनस्पति विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

सदस्य

1. प्रो. सी.आर. बाबू
वनस्पति विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007
2. प्रो. एच.सी. अग्रवाल
प्राणिविज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007
3. निदेशक
केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछलीपालन
अनुसंधान संस्थान
बैरकपुर, प. बंगाल
4. प्रो. यू.एस. श्रीवास्तव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
इलाहाबाद
5. प्रो. वीना दास
सामाजिक कार्य विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-7
6. प्रो. पी.के. मुत्तागी
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोसल साइंस रिसर्च
देवनार, पी.ओ.नं. 8313
बंबई-400088

7. डा. गोपाल कादेकुदी
आर्थिक विकास संस्थान
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

8. प्रो. पी. खन्ना
निदेशक
एन ई ई आर आई
नागपुर

9. श्री एम पाराह्माम्
सलाहकार, पर्या. और वन मंत्रालय (सेवानिवृत)
2775, नेताजी नगर
नई दिल्ली

10. निदेशक
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान परिषद
जोधपुर-342003

11. मुख्य (एच आर डी)
सीएसआईआर, रफी मार्ग
नई दिल्ली

12. श्री ए एन चतुर्वेदी
वन संरक्षण (सेवानिवृत)
टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान,
9 जोरबाग, नई दिल्ली-110003

13. निदेशक
नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी
रूड़की, यू.पी.

14. डा. ए.एम. सिद्धिकी
जीवरसायन विभाग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़

15. डा. पी. पुष्पांगादन
निदेशक
टीबीजीआरआई, त्रिवेन्द्रम

16. उप वन महानिरीक्षक (आर.टी)

सदस्य सचिव

17. डा. सुबोध के. शर्मा
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली-110003

2. पर्यावरण अनुसंधान समिति

यह समिति प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट पुनश्चक्रण, परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, बहिस्राव शोधन तथा उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विकास, इन्स्ट्रूमेंट विकास आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देती हैं। समिति का गठन निम्नलिखित हैं :-

अध्यक्ष

प्रो. बी.बी. सुन्द्रेसन,
76, प्रथम एवेन्यू,
इंदिरा नगर, एडयार,
मद्रास, 600020

सदस्य

1. प्रो. आर.सी. दास,
वाइस-चान्सलर,
बेरहमपुर यूनिवर्सिटी,
बेरहमपुर, उड़ीसा

2. डा. जी. थ्यागाराजन,
निदेशक,
केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान,
एडयार, मद्रास-600020

3. डा. अनिल सी. घोष,
निदेशक
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
जोरहट, असम-785006

4. डा. आर.सी. श्रीमल,
निदेशक,
औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र
एम जी रोड,
लखनऊ-226001

5. प्रो. आर.के गर्ग,
भर्ति और मूल्यांकन केन्द्र,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन,
रक्षा मंत्रालय, लखनऊ रोड,
तिमार पुर, दिल्ली -110054

6. प्रो. सी. के. वर्शने,
पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली 110067

7. डा.पी.पी. शास्त्री
महानिदेशक,
जल और भूमि प्रबंधन, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,
हिमायत नगर,
हैदराबाद-500 030

8. डा.एस.पी. चंदक,
निदेशक (पीसी)
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद,
उत्पादकता भवन,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

9. प्रो. बी.के.रथ,
सीएएस इन जुलॉजी (भूविज्ञान में सीएएस)
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय
वाराणसी-221005

10. अध्यक्ष अथवा उनका प्रतिनिधि,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन,
सीबीडी-कम-ऑफिस काम्पलैक्स,
ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

11. डा. बी.सी. परमार,
मुख्य, कृषि, रसायन विभाग,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली-110032

12. डा. यू.सी. मिश्रा,
अध्यक्ष, पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान,
ट्राम्बे, बंबई-400085

13. डा. के.आर. रंगनाथन,
प्रोफेसर,
पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग केन्द्र
इंडियन इस्टीच्यूट ऑफ टैक्नॉलोजी
पोवई, बंबई-400076

14. जेएस एंड फिनान्सियल सलाहकार,
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली-110003

15. वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग

16. जैव तकनीकी विभाग

17. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

18. इंडियन कॉन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च

सदस्य सचिव

19. डा. बी.एस. अत्री,
निदेशक,
पर्यावरण और वन मंत्रालय

3. पूर्वी और पश्चिमी घाटों में समेकित अनसुंधान कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम

यह दल पश्चिमी और पूर्वी घाटों के भंगुर क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थान विशिष्ट समस्याओं को हल करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने एवं प्रौद्योगिकी पैकेज तैयार करने के लिए सिफारिशें करता है। इस समिति का गठन निम्नलिखित हैं :—

अध्यक्ष

प्रो. माधव गडगिल
पारिस्थितिकीय विज्ञान केन्द्र,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर-560012

सदस्य

1. डा. के.सी. जयाराम
"पदमाजा"
नं. 22, 3सरा मेन स्ट्रीट
औफिसर्स कोलोनी
अदम्बाक्कम, चेन्नई-600088

2. प्रो. (श्रीमती) पी. मोहन्नती-हेजमदी
वाइस चान्सलर
संबलपुर विश्वविद्यालय
ज्योति विहार
संबलपुर-768019 (उड़ीसा)

3. डा. आर.जे. रंजीत दानियल्स
ए.एस. स्वामीनाथन फाउण्डेशन
3सरा क्रोस स्ट्रीट, तारामनी
संस्थानिक एरिया

4. डा. एम.आर. अलमेडिया,
बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी हॉर्नबिल हाउस,
शहिद भगत सिंह रोड,
मुंबई (महाराष्ट्र) 400023

5. डा. के.एन. गणेशाय
जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रिडिंग डिपार्टमेंट,
यूनिवर्सिटी आफ एग्री. सांइस
बंगलौर-560065

6. डा. पी. दास
मुख्य कार्यपालक,
क्षेत्रीय संयंत्र रिसोर्स केन्द्र
नयापल्ली, भुवनेश्वर-751012

7. प्रो. वी.एम. मेहेर-होजी
फ्रेंच पॉडिचेरी संस्थान
11, संत, लूइस स्ट्रीट, पी.बी. 33
पॉडिचेरी-606001

8. निदेशक या उनका प्रतिनिधि
(रसायनिकी में विशेषज्ञता सहित)
राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला
पुणे-411008

9. आफिसर-इन-चार्ज
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,
कोयम्बटूर

10. आफिसर-इन-चार्ज
भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण
100 संथोम रोड,
चेन्नई-600028

सदस्य सचिव

11. डा. जे.आर. भट्ट
संयुक्त निदेशक (एस)
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली

4. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए अनुसंधान समिति

यह समिति राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत नदी पारि-प्रणाली से संबंधित अनुसंधान का कार्य देखती है। इस समय प्रदूषण निगरानी, जल गुणवत्ता निगरानी, प्रभाव मूल्यांकन डिटॉक्सिफिकेशन, अपशिष्ट पुनश्चक्रण और संसाधन रिकवरी तथा निवेश विकल्पों पर जोर दिया जाता है। समिति का गठन निम्नलिखित हैं :—

अध्यक्ष

डा. एस.एस. स्वामीनाथन
एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन,
मद्रास

सदस्य

1. डा. जे.एम. दवे, सेवानिवृत, प्रो. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
2. डा. सी.के. वार्शेने, प्रो. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
3. डा. टी.एन. खोशू, नेहरू अध्येयता एवं पूर्व सचिव, पर्यावरण विभाग
4. श्री जे.सी. काला, संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय
5. डा. ई.जे. जेम्स, निदेशक
जल संसाधन विकास केन्द्र, कोझेकोडे, केरल
6. डा. कुमुद शर्मा, निदेशक, सीडब्ल्यूडीएस
7. डा. वी.एस. दुर्वे, सेवानिवृत. प्रो.
राज कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर
8. कु. रश्मि, प्रभारी, परती भूमि
डब्ल्यू डब्ल्यू-1, नई दिल्ली
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
10. अध्यक्ष, सी डब्ल्यू सी
11. सलाहकार, सीपीएचईईओ, एमयूडी
12. सलाहकार (आरई), पर्यावरण और वन मंत्रालय
13. उपमहानिदेशक (मछलीपालन), आईसीएआर
14. जे.एस.व एफ ए, पर्यावरण और वन मंत्रालय
15. डा. वी. वेट्स, अपर निदेशक, पर्यावरण और वन मंत्रालय

सदस्य सचिव

16. डा. (श्रीमती) आर. दलवानी, संयुक्त निदेशक

5. जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान परियोजनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार दल

यह दल जीवमंडल रिजर्वों से संबंधित अनुसंधान के व्यापक मामलों-वे क्षेत्र जहां स्थानीय तथा तटीय/मेरीन पारिप्रणालियों दोनों में अद्वितीय जैव विविधता है, से संबंधित कार्य देखती है। अनुसंधान प्रयासों में जैव विविधता में वृद्धि, मुख्य प्रजातियों की शिनाख्त और उनकी संख्या पर अध्ययन, जैविकी तथा पारिस्थितिकी, जीवमंडल रिजर्वों में तथा इनके आस-पास भूमि उपयोग परिवर्तनों का विश्लेषण, बाह्य दबावों का विश्लेषण और इन दबावों के कारण उत्पन्न समस्याओं से समाधान, अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली और समय-समय पर उत्पन्न अन्य मामले शामिल हैं, का गठन निम्नलिखित हैं :—

अध्यक्ष

अपर सचिव
(सीएस डिविजन) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य

1. निदेशक, बी एस आई, कलकत्ता
2. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
3. महानिदेशक, आईसीएफआरई, देहरादून
4. निदेशक, जीबी पंत हिमालयन संस्थान
पर्यावरण और विकास, अल्मोड़ा
5. निदेशक, एन आई ओ, गोवा
6. डा. पी. पुष्पांगदन,
निदेशक, ट्रोख्वकल बोटानिक गार्डन व
रिसर्च इन्स्टीच्यूट,
पालोडे, तिरूवअनंतपुरम
7. पो. अमलेश चौधरी
मेरीन विज्ञान विभाग
कलकत्ता विश्वविद्यालय
8. प्रो. सी.आर.बाबू
वनस्पति विज्ञान
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
9. पो. सी.के. वर्शेने
पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
10. प्रो. आर.एस. त्रिपाठी,
पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय
उत्तर-पूर्व हिल विश्वविद्यालय
शिलांग

सदस्य सचिव

11. डा. आर.के. राय, संयुक्त निदेशक
पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली

6. नमभूमि, कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्ति संबंधी राष्ट्रीय समिति

अन्य विषयों के अलावा समिति नमभूमि, कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्ति के संरक्षण एवं प्रबंधन में अनुसंधान आवश्यकताओं संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देती है और निधियन के लिए प्रस्तावों पर विचार करती है। मुख्य बल क्षेत्रों के सर्वेक्षण और मानचित्रण पर दिया जाता है तथा अवक्रमण पारि-स्थितिकी, उत्पादकता, वानस्पतिक और प्राणिजात घटकों, जल रिजीम, प्रदूषण से स्रोतों और प्रभावों, सूक्ष्म जैविकीय पहलुओं और जांच के लिए अपेक्षित किन्हीं अन्य मामलों पर दिया जाता है। समिति का गठन निम्न प्रकार है :—

अध्यक्ष

सचिव
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली

सदस्य

1. अपर सचिव,
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली
2. अपर वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली
3. प्रो. अमालेश चौधरी ,
मेरीन विज्ञान प्रोफेसर
कलकत्ता विश्वविद्यालय
35, सर्कूलर रोड, कलकत्ता
4. डा. गोपीनाथ पिल्लई,
केन्द्रीय मेरीन मछलीपालन अनुसंधान संस्थान
कोचीन
5. डा.एस.ए. हुसैन,
एशियन परती भूमि ब्यूरो-भारत
नई दिल्ली
6. डा. ध्रबोज्योति घोष,
370/आईपी एनएससी बोस रोड,
कलकत्ता-700047
7. प्रो. आर एस अंबास्त,
वनस्पति विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी-221005
8. प्रो. सी.के. वर्शेने,
पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय
जवाहर लाल विश्वविद्यालय
नई दिल्ली
9. निदेशक अथवा उनके नामिति व्यक्ति
नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ओकेनोग्राफी
डुना पौला, गोवा
10. महा सचिव,
डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया
172-बी, लोदी इस्टेट, नई दिल्ली
11. डा. बी.आर. सुब्रमणियन,
निदेशक,
महासागर विकास विभाग,
12. डा.एल के बनर्जी,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
पी-8, ब्रोर्ने रोड,
कलकत्ता-700001
13. डा. पी. दंडापानी,
वैज्ञानिक,
भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण
मेरीन प्राणिविज्ञान स्टेशन,
100-संथोम हाई रोड,
मद्रास-600 228
14. डा. टी. कानूपदी,
निदेशक,
मेरीन प्राणिविज्ञान में अग्रिम अध्ययन केन्द्र
अन्नामलाई विश्वविद्यालय,
पाराकीपेट्टाई, तमिलनाडु
15. डा. जय सामंत, निदेशक
बंबई प्राकृतिक ऐतिहासिक सोसायटी,
हॉर्नबिल हाउस, बंबई
16. डा. माली राम सैनी,
जीवविज्ञान में सहायक प्रोफेसर,
रेडियेशन बायोलॉजी लैबोरेटरी,
जीव विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302004
17. श्री वी.एस. सक्सेना,
सेवा निवृत अपर सचिव (पर्यावरण) और सीसीपी,
राजस्थान सरकार, ए-2, वान विहार कोलोनी,
टौंक रोड, जयपुर-302018
18. डा. संजय देशमुख, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन, मद्रास
19. सलाहकार (पर्यावरण और वन)
योजना आयोग
योजना भवन,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

20. महानिदेशक,
काष्ट गार्ड या उनके नामिति
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

21. कु. ए.के. अहुजा
संयुक्त सचिव,
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली

सदस्य सचिव

22. डा. सी एल त्रिसाल,
अपर निदेशक, पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली

7. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत जीव रिजर्वों संबंधी स्थायी समिति

यह समिति सतत आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग और प्रबंधन के लिए दूरस्थ संवेदन प्रौद्योगिकी के उपयोग की पद्धतियों पर सलाह देती है। समिति का गठन निम्नलिखित है :—

अध्यक्ष

सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली-110003

सदस्य

1. वन महानिरीक्षक
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली-110003
2. संयुक्त सलाहकार (पर्यावरण), योजना आयोग,
नई दिल्ली-110003
3. बागवानी आयुक्त,
कृषि और कारपोरेशन विभाग
नई दिल्ली
4. अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय का प्रतिनिधि
नई दिल्ली
5. बायोटेक्नॉजाली विभाग का प्रतिनिधि, नई दिल्ली
6. सचिव, वन विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी-781006
7. सचिव, वन विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर-560001
8. सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
9. सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
10. सचिव, वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
11. सचिव, वन विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक
12. उप सचिव (आयोजना),
पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग-793001
13. निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, (एफएसआई), देहरादून-248001
14. उपनिदेशक (अनुप्रयोग), एनआरएसए
हैदराबाद-500037 (अथवा प्रतिनिधि)
15. ग्रुप निदेशक, रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन्स ग्रुप,
एसएसी/आईएसआरओ, अहमदाबाद-380053 (अथवा प्रतिनिधि)
16. आरआरएसएससी, डीओएस के प्रतिनिधि
17. एनएनआरएसएस/आईएसआरओ एचओ, के प्रतिनिधि,
बंगलौर-560094

सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार

2686. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार की स्थापना किन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के लिए की गयी थी और उसका वर्तमान निष्पादन क्या है;

(ख) क्या सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार दो अलग-अलग मंत्रालयों के प्रशासनाधीन है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन दोनों समितियों का एक ही मंत्रालय में विलय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार की स्थापना दिल्ली के उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर बढिया किस्म की आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्ष 1996 में की गई थी और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड (केन्द्रीय भण्डार) की स्थापना कर्मचारियों के लाभार्थ 1963 में की गयी थी। इन दोनों संगठनों के उनकी उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों का विस्तृत संलग्न विवरण-I और II पर देखा जा सकता है। सुपर बाजार अपनी 147 शाखाओं और 17 चलती-फिरती दुकानों (31.3.1996 की स्थिति के अनुसार) के जरिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री कर रहा है तथा इसकी वार्षिक बिक्री 136.54 करोड़ रुपए थी और निवल लाभ 27.61 लाख रुपए का है। केन्द्रीय भण्डार भी अपनी 100 शाखाओं के जरिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। वर्ष 1995-96 के दौरान इसकी वार्षिक बिक्री 138.88 करोड़ रुपए की रही है और इसे 2.16 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ है।

(ख) जी, हां। सुपर बाजार नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है

तथा केन्द्रीय भण्डार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

(ग) कार्य आवंटन नियमों के तहत उपभोक्ता सहकारिताएं नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और इस प्रकार सुपर बाजार इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को भी देखता है और जब सरकारी कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय भण्डार की स्थापना की गई थी तो इसे सरकारी कालोनियों/कार्यालयों में नाम मात्र के किराए पर सरकारी स्थान मुहैया कराया गया। इस प्रकार यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया।

(घ) से (च). सुपर बाजार बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत है। केन्द्रीय भंडार दिल्ली राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकृत है। ये दोनों संगठन स्वैच्छिक सहकारी समितियां हैं और अपना निर्णय लेने के लिए उनका अपना स्वयं का प्रबंधक वर्ग है। उनका प्रचालन क्षेत्र और सदस्यता का गठन भिन्न-भिन्न है। अतः इन दोनों संगठनों का विलय करने या उन्हें एक मंत्रालय के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

दी कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), दिल्ली की उपविधियों के खण्ड संख्या 4 और 5 में दिए गए उनके उद्देश्य

4. सुपर बाजार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(क) उपभोक्ता वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की थोक और खुदरा बिक्री करना तथा बहु-विभागीय भंडारों की स्थापित करना।

(ख) बाजार की बदलती हुई मांग के अनुरूप उत्पादन में निरन्तर बदलाव लाने के उद्देश्य से उत्पादकों/सप्लायरों और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी सम्पर्क स्थापित करना।

(ग) उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना और मानकों को बनाए रखना।

(घ) बाजार समर्थन और प्रबंधन सलाह के जरिए नए उत्पादों और नए विनिर्माणकारी एककों के विकास में सहायता देना।

(ङ) वितरण लागत में कमी लाना और निर्धारित मूल्य आदि जैसे उचित तथा बेहतर व्यापारिक व्यवहारों को शुरू करना; और

(च) उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को सूचना सेवा मुहैया कराना।

5. उपर्युक्त उद्देश्यों के संवर्धन की दृष्टि से सुपर बाजार निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(क) उपभोक्ता वस्तुओं और संबंधित कच्चो सामग्रियों की खरीद, प्रापण, प्रसंस्करण या विनिर्माण और भंडारण करना।

(ख) भंडारों की आवश्यकता हेतु व्यापार संबंधी क्रय केन्द्र और डिपो स्थापित करना; सीधे या प्रतिनिधियों के जरिए शाखाओं की स्थापना और उनका संचालन करना;

(ग) उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से डिजाइनिंग और अन्य सेवाएं शुरू करना।

(घ) भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीद करना या उन्हें पट्टे या किराए पर लेना या देना।

(ङ) सदस्यों में मितव्ययता, स्वसेवा और परस्पर सेवा की भावना और आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए शैक्षिक और अन्य उपायों को हाथ में लेना।

(च) सदस्यों और कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलाप करना।

(छ) उपभोक्ता वस्तुओं का आयात और निर्यात करना।

(ज) उन सभी कार्यों को करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों में से किसी एक या सभी की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाएं।

विवरण-II

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (केन्द्रीय भण्डार), नयी दिल्ली की उपविधियों के खण्ड संख्या "4" में यथा वर्णित उसके उद्देश्य

1. समिति के उद्देश्य प्राथमिक रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और भारत सरकार द्वारा स्थापित सहायक/स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों की खाद्य पदार्थों, आवश्यक वस्तुओं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्यों पर प्राप्त करने में सहायता करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह निम्नलिखित काम करता है :-

(क) उपभोक्ता वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं का थोक और खुदरा व्यापार करना तथा बहु विभागीय भण्डारों और उचित मूल्य की दुकानों को स्थापित करना।

(ख) सदस्यों और अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं के लाभार्थ रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन हेतु विनिर्माणकारी और प्रसंस्करण एकक की स्थापना करना तथा उन्हें चलाना।

(ग) सदस्यों को सप्लाई की गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में सेवाएं प्रदान करने के लिये अथवा जैसी की उनके द्वारा आम तौर पर मांग की गयी हो वैसी सेवाएं प्रदान करने के लिये

रिपेयरिंग, सर्विसिंग सुविधाओं और दुकानों को शुरू करना।

(घ) सदस्यों के बीच मितव्ययता, स्वसेवा और सहकारिता को बढावा देना।

2. ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये यह समिति निम्नलिखित कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगी :-

(क) सदस्यों, सहकारी वित्तीय एजेंसियों, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित अन्य बैंक और सरकार से व्यापार जमा और ऋण सहित धनराशि प्राप्त करना।

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के थोक और खुदरा व्यापार हेतु किसी व्यक्ति या फर्म की एजेंसी स्वीकार करना।

(ग) भूमि और भवन, वाहन, फैक्ट्री, कार्यशाला मशीनरी और उपस्करों को अधिप्राप्ति करना।

(घ) उपभोक्ता वस्तुओं की अनुमत मदों का सीधे या एजेंटों के जरिये आयात करना।

(ङ) सदस्यों और कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के लिये कल्याणकारी कार्यकलापों को चलाना, जिससे कि उन्हें नैतिक शिक्षा मिले और उनका शारीरिक विकास हो सके।

(च) सहकारी वित्त बैंक या किसी अन्य सहकारी समिति का सदस्य बनाना और इन समितियों के शेयरों की खरीद करना।

(छ) सामान्यतः ऐसे सभी कार्य करना जो ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों में से किसी या, सभी को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अपराध

2687. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हाल ही में अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1995 के दौरान और 1996 में अब तक, माह-वार कितने आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं; और

(घ) राज्य में अपराध रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). 1995 एवं 1996 से संबंधित उपलब्ध सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है। जनवरी से अगस्त, 1996 के आंकड़ों की तुलना, वर्ष 1995 की तदनुरूपी अवधि से करने पर पता चलता है कि केवल फरवरी और अप्रैल, 1996 को छोड़कर शेष महीनों मे अपराधों में कमी आई थी।

(घ) अपराध को दर्ज करने, इसकी जांच करने, इसका पता लगाने और इसे रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य प्रशासन की है। केन्द्र सरकार, अपराध की स्थिति का प्रबोधन करती है और अपराधों को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में राज्य सरकार से बात करती है। अपने पुलिस संरचना-तंत्र का आधुनिकीकरण करने हेतु राज्य को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

विवरण

1995 और 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश में भा.दं.सं. अपराधों की माहवार एवं अपराध शीर्ष-वार घटनाएं

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1995														
1.	हत्या	706	731	883	722	1081	1156	1100	879	780	835	724	787	18384
2.	हत्या का प्रयास	588	579	784	679	957	935	949	825	542	669	532	646	8685
3.	हत्या की श्रेणी में न आने वाला आपराधिक मानव-वध	60	66	96	66	135	134	93	76	100	113	98	81	1118
4.	बलात्कार	128	136	191	129	176	201	216	167	115	111	94	119	1783
5.	अपहरण एवं व्यपहरण	303	305	359	310	413	417	370	379	226	231	280	296	3089
6.	डकैती	156	139	128	120	93	117	133	111	62	64	80	112	1315
7.	लूटपाट	465	437	482	423	494	596	582	449	319	326	367	404	5344
8.	सैंधमारी	1265	1065	1102	821	851	1129	1346	1302	929	779	857	1036	12482
9.	चोरी	2997	3001	2962	2474	2809	2902	3395	3255	2486	2203	2258	2540	33282
10.	दंगे	543	520	672	935	844	896	989	628	344	487	438	577	7873
11.	आपराधिक विश्वासभंग	254	229	261	181	274	308	325	286	230	216	215	240	3019
12.	धोखाधड़ी	253	246	329	236	270	260	342	288	241	193	213	250	3121
13.	जालीमुद्रा बनाना	4	19	11	52	31	8	13	18	5	6	11	18	196
14.	भा.दं.सं. के अंतर्गत अन्य अपराध	5188	5260	7130	5621	7656	8022	7814	7711	6779	5681	3784	5991	78637
15.	भा.दं.सं. के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध	12910	12733	15390	12769	16084	17081	17667	16374	13158	11914	11951	13097	171128
1996														
1.	हत्या	685	684	846	824	1010	1121	1012	800	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	7062
2.	हत्या का प्रयास	570	572	781	636	733	811	828	705	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	5636
3.	हत्या की श्रेणी में न आने वाला आपराधिक मानव-वध	75	65	103	110	134	159	128	108	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	882
4.	बलात्कार	96	150	196	144	137	147	144	176	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1190
5.	अपहरण एवं व्यपहरण	281	297	323	331	361	357	236	340	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	डकैती	86	91	103	82	88	105	93	83	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	731
7.	लूटपाट	441	427	424	394	462	459	478	450	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3535
8.	सेंधमारी	1038	991	816	685	814	985	980	1084	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	7393
9.	चोरी	2600	2848	2458	2283	2480	2700	2855	2984	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	21208
10.	दंगे	462	491	631	508	664	869	678	621	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	4924
11.	आपराधिक विश्वासभंग	211	243	290	285	202	285	300	268	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2092
12.	धोखाधड़ी	257	277	301	300	210	303	256	348	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2292
13.	जाली मुद्रा बनाना	6	4	0	6	5	10	6	2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	39
14.	भा.दं.सं. के अतंर्गत अन्य अपराध	5578	5955	7143	6364	6915	7922	7916	6938	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	54731
15.	भा.दं.सं. के अतंर्गत कुल संज्ञेय अपराध	12386	13095	14423	12952	14215	16233	15910	14987	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	114201

सुपर बाजार में अधिक मूल्य

2688. श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री अमर रायप्रधान :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के माध्यम से बेची जा रही अनेक वस्तुओं के मूल्य, इन वस्तुओं के आम बाजार मूल्य से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन वस्तुओं के मूल्यों को आम बाजार मूल्य के बराबर लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव हैं;

(घ) सुपर बाजार को अधिक मूल्य पर सामान बेचने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ङ) सुपर बाजार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें सामान्य बाजार मूल्यों से अधिक नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ). सुपर बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें 1996 के दौरान अब तक अधिक मूल्य पर सामान बेचने के बारे में 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 6 शिकायतें सही पाई गईं और आवश्यक राशि वापस की गई। सम्बन्धित कर्मचारियों को भी इस संबंध में भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दे दी गई है।

[अनुवाद]

प्रबंधन और निरीक्षण निदेशालय

2689. श्री शरत पटनायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रबंधन और निरीक्षण निदेशालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय से हटाकर कृषि मंत्रालय के अधीन लाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). विपणन और निरीक्षण निदेशालय को ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को स्थानांतरित करने का एक प्रस्ताव उस मंत्रालय के विचाराधीन है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार कार्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लेने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

नागालैण्ड की नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल के साथ वार्ता

2690. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के साथ बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नागालैण्ड में ऐसे अन्य संगठनों के साथ भी इसी प्रकार की बातचीत करने का है;

(घ) इन संगठनों का क्या प्रत्युत्तर है; और

(ङ) क्या किसी भी संगठन के साथ बातचीत करने के लिए कोई पक्की तारीख तय की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). इस अवस्था में किसी प्रकार के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा।

तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना

2691. श्री जी.एम. बनातवाला :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के बारे में 26 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के संबंध में शिकायतें अथवा सुझाव मिले हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त मुख्य शिकायतों/सुझावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार, लक्षद्वीप राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्राधिकारियों से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना एवं तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को लागू करने में छूट देने के अनुरोध के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है।

इसमें केरल द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र में कमी करना और सी आर जेड अधिसूचना के उद्देश्य से नदी जल और बैक-वाटर को शामिल न करना, गोवा द्वारा नदियों के चारों तरफ सी आर जेड क्षेत्र

को शामिल न किया जाना, पश्चिम बंगाल द्वारा टाइडल एक्शन क्षेत्र में परिवर्तन, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वारा सी आर जेड क्षेत्र से बालू निकालने और भूजल निकासी और लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा समुद्री कंकड और बालू निकालने जैसी महत्वपूर्ण छूटें देने का अनुरोध शामिल है।

खाद्यान्न/बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र

2692. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खाद्यान्न तथा बागवानी के अंतर्गत अलग-अलग कुल कितनी भूमि है;

(ख) खाद्यान्न तथा बागवानी फसलों के उत्पादन में अलग-अलग कुल कितने किसान लगे हुए हैं;

(ग) इस संबंध में विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के लिये राज्य सरकार को कौन-कौन से प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(घ) 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता दिये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भू-उपयोग सांख्यिकी 1993-94 (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार उड़ीसा में खाद्यान्न के अधीन खेती का कुल क्षेत्र 72.07 लाख हैक्टे. था तथा बागवानी (फल, सब्जी और मसाले) के अधीन खेती का कुल क्षेत्र 12.69 हैक्टे. था।

(ख) कृषि संगणना 1990-91 के अनुसार उड़ीसा में खाद्यान्न और बागवानी फसलों के अधीन प्रचालनात्मक जोतों की अनुमानित संख्या क्रमशः 29.73 लाख तथा 1.92 लाख हैं।

(ग) खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार विभिन्न राज्यों, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज के मिनिकिटों, उन्नत कृषि उपस्करों, स्प्रिंकलर सैटों आदि जैसे मुख्य आदानों पर किसानों, जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. के किसान भी शामिल हैं, को सहायता दी जाती है। इस योजना में राज्य के जनजातीय क्षेत्र भी शामिल है। बागवानी क्षेत्र में मुख्य रूप से बेहतर पौधरोपण/बीज सामग्री मुहैया कराने, वर्तमान बागानों के पुनरूद्धार/ पुनःस्थापन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना, पादप धर की खेती के उपयोग, कटाई पश्चात् संभाल तथा विपणन हेतु अवसंरचना और बाजार आसूचना के विकास पर जोर दिया गया है।

(घ) उड़ीसा में खाद्यान्न और बागवानी फसलों के विकास के लिए वर्ष 1995-96 में निधियों की निर्मुक्ति तथा वर्ष 1996-97 के दौरान किया गया आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा में खाद्यान्न और बागवानी फसलों के विकास के लिए वर्ष 1995-96 के लिए निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति तथा वर्ष 1996-97 के दौरान आबंटन

क्र.सं.	योजना	1995-96 (निर्मुक्ति)	1996-97 (आवंटन)
क.	**खाद्यान्न फसलें**		
1.	चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	478.43	525.92
2.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	16.55	35.44
3.	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	131.66	160.00
ख.	**बागवानी फसलें**		
1.	वाणिज्यिक पुष्प-कृषि का विकास	-	4.00
2.	औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास	0.75	0.75
3.	खुंभी का विकास	-	20.00
4.	काजू का विकास	38.00	12210
5.	उष्ण-कटिबंधीय, शुष्क और शीतोष्ण फलों का विकास	191.80	83.83
6.	मूल एवं कंद फसलों का विकास	1.70	1.70
7.	मसालों का विकास	124.40	48.41
8.	सब्जियों का विकास	8.58	6.25
9.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	-	45.13
10.	पान की बेल का विकास	1.24	1.43

चीनी निर्यात कोटा

2693. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने निर्यात के लिए दस लाख टन अतिरिक्त चीनी के कोटे को जारी करने में विलम्ब पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी के निर्यात कोटे को जारी करने में बार-बार विलम्ब होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चीनी निर्यात के असरणीकरण किए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य में पचास डालर प्रति टन की कमी आई है और भारतीय चीनी उद्योग को निर्यात में भारी घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में अब तक अनुमानतः कितना घाटा हुआ है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (च). निर्यात एजेंसियों के अनुरोध को ध्यान में रखकर निर्यात कोटा रिलीज किया जा रहा है। अतिरिक्त निर्यात प्राधिकार के प्रति भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम तथा राज्य व्यापार निगम को पहले ही रिलीज जारी किए जा चुके हैं। निर्यात को असरणीबद्ध किए जाने तक आगामी रिलीज अनुरोध किए जाने पर भी की जाएगी। निर्यात मूल्य चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सहित अनेक घटकों पर निर्भर करते हैं और ये मूल्य बाजार प्रवृत्ति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं।

उपभोक्ता कल्याण कोष से खर्च करना

2694. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री हाराधन राय :
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :
श्री बलाई चन्द्र राय :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता निकायों को राशि वित्तीय सहायता के रूप में केवल दान के माध्यम से उपयोग में लाई जा सकी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ता कल्याण कोष से खर्च करने के लिए नियम तथा विनियमों का घोर हनन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राशि वसूल करने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। उपभोक्ता कल्याण निधि नियमों के तहत कोई एजेंसी/संगठन उपभोक्ताओं विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की ग्राम/मंडल/समिति स्तर की सहकारी समितियां निधि से सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं जो तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण क्रिया-कलापों में लगे हों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अथवा तत्समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत हों। इनके अलावा, कोई भी उद्योग, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किया गया है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा व्यवहार्य तथा उपयोगी अनुसंधान कार्यों के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु अनुबंधित करने की सिफारिश की गई है और जिसने आम खपत के उत्पादों के मानक चिन्ह तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान किया है अथवा योगदान करने की संभावना है, राज्य सरकारें आदि भी निधि से वित्तीय सहायता मांगने की हकदार हैं।

(ख) और (ग). अभी तक मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

करनाल बंट फंगस से प्रभावित गेहूं

2695. श्री डी.पी. यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल बंट फंगस से गेहूं प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गेहूं पर करनाल बंट फंगस का प्रभाव पड़ा है। महामारी के दौरान भी करनाल बंट से 0.2 से 0.5 प्रतिशत तक की हानि हुई है। विगत तीन वर्षों के दौरान करनाल बंट की किसी महामारी की सूचना नहीं मिली हे।

(ग) सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

(1) भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अन्य विस्तार कर्मचारी करनाल बंट प्रतिरोधी /सहिष्णु किस्में उगाने का प्रचार कर रहे हैं।

(2) इस रोग के बीज जनित संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये थिरम फफूंदनाशी दवा से बीज का उपचार करना।

(3) प्रारम्भिक विकास चरण में बाइटटानॉल/प्रोयोकोनाजोल फफूंदनाशी दवा का पत्तियों पर प्रयोग करना।

दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार

2696. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना में कथित भ्रष्टाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जो गत पांच वर्षों के दौरान प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के "दोषी" अपराधियों के खिलाफ कोई विभागीय या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जांच के परिणाम के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) दिल्ली दुग्ध योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ). पिछले पांच वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार का एक मामला था। इसमें एक महा-प्रबंधक शामिल था। उक्त मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई थी तथा इस समय इस मामले में मुकदमा चल रहा है।

(च) दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता अधिकारी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल तथा नियंत्रण रखते हैं।

वृक्षों की अवैध कटाई

2697. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के राजाजी पार्क में वृक्षों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई से वन क्षेत्र में भारी कमी हो रही है तथा वन विभाग को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसमें लिप्त लोगों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने रिपोर्ट दी है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वृक्षों की अवैध कटाई नहीं की गई। तथापि, समय-समय पर वृक्षों की अवैध कटाई के कुछ मामलों का पता चला और ऐसे मामलों पर कानून के तहत उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों का मूल्य

2698. श्री पी.सी. थामस :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री नारायण अठावले :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 10 नवंबर, 1996 के नई दिल्ली से प्रकाशित "दि फाइननेन्सियल एक्सप्रेस" में "प्राइसेज ऑफ व्हीट बाई प्रोडक्ट्स में सारे अंडर रिवैम्पड पी.डी.एस." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के बारे में तथ्य क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों के निर्धारित मूल्यों में बढ़ोत्तरी से खुले बाजार में इनके मूल्यों में वृद्धि नहीं होने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 1.2.1994 के पश्चात वृद्धि नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च). खाद्यान्नों के खुले बाजार मूल्यों में वृद्धि बाजार मांग, बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता और उपभोक्ताओं की पसंद पर निर्भर करती है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि का खाद्यान्नों के खुले बाजार मूल्य में वृद्धि से पूर्णतः और प्रत्यक्षतः कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है।

खाद्यान्नों के उत्पादन स्तरों और स्टॉकों पर लगातार निगरानी रखी जाती है और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं ताकि खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बाजार में वृद्धि के रूख पर नियंत्रण रखने के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री की जाती है। तथापि, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के प्रस्ताव पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

कल्याण परियोजनाएं

2699. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की विशेषरूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित कुछेक कल्याण परियोजनाएं इस समय केन्द्र सरकार के पास धनराशि की स्वीकृति के लिए लंबित हैं अथवा उसके विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार के पास ये परियोजनाएं किस तारीख से लंबित पड़ी हैं;

(ग) इसके विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) परियोजना-वार अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ). कल्याण मंत्रालय के पास गुजरात सरकार से कोई आदिवासी कल्याण परियोजना लम्बित नहीं है। तथापि, अन्य मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिशा-निर्देश

2700. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाले औद्योगिक एककों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावाकारी रूप से लागू करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और वे कोई प्रभावकारी उपाय नहीं कर पायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उन औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिए हैं जो पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लंघन कर रही हैं। तथापि, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन 1551 इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त सुविधाओं की स्थापना के कार्यान्वयन की प्रगति की सक्रिय रूप से मानीटरन कर रहे हैं जिनका 17 श्रेणियों के अन्तर्गत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में पता लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 17 श्रेणियों में पता लगाई गई 1551 इकाइयों में से 1259 इकाइयों ने प्रदूषण की अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करा ली हैं और 11 इकाइयां बंद कर दी गई हैं। उन 180 दोषी इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने नियंत्रण की अपेक्षित सुविधाएं नहीं लगाई हैं।

सीमा पर अकारण गोलाबारी

2701. श्री चमन लाल गुप्त :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा सीमा सुरक्षा बल के चौकियों तथा गांवों में गोलाबारी की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान गोलाबारी की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी संपत्ति की क्षति हुई है तथा प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सीमा पार से की गयी अकारण गोलाबारी से सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान/असैनिक मारे गये हैं अथवा घायल हुए हैं;

(ङ) क्या पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलाबारी से सीमावर्ती गांवों के किसानों द्वारा खेतों में काम करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले असैनिक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सकलैन द्वार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1996 के दौरान जम्मू सीमा पर पाकिस्तानी टुकड़ियों द्वारा गोलाबारी किए जाने की 617 घटनाएँ हुई।

(ग) जैसाकि सीमा सुरक्षा बल द्वारा सूचित किया गया है, चालू वर्ष के दौरान जम्मू सीमा पर गोलीबारी की घटना के कारण सम्पत्ति को कोई विशेष हानि नहीं हुई। गोलीबारी के परिणामस्वरूप मारे गए सिविलियनों के नजदीकी रिश्तेदारों को 1 लाख रु. की अनुग्रहपूर्वक राहत दी गयी है/दी जा रही है। जख्मी व्यक्तियों को, जख्म की गम्भीरता को देखते हुए 500 रु. से लेकर 25000 रु. तक दिए जा रहे हैं।

(घ) 1996 के दौरान पाकिस्तानी टुकड़ियों द्वारा अकारण गोलीबारी के कारण मारे गए/जख्मी हुए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों और सिविलियनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

	मारे गए	जख्मी हुए
सीमा सुरक्षा बल कार्मिक	-	7
सिविलियन	4	7

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

(च) पाकिस्तानी टुकड़ियों द्वारा अकारण गोलीबारी का सीमा सुरक्षा बल द्वारा तत्परता से जवाब दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल और पार्क रैन्जरों के बीच 11 नवम्बर, 1996 को हुई सेक्टर स्तर की ध्वज बैठक के बाद आपस में यह तय हुआ कि गोलीबारी रोक दी जाये ताकि किसान, जम्मू के सीमा क्षेत्र के साथ-साथ लगने वाली अपनी भूमि में खेती कर सकें। स्थिति अब शांत है।

विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना के लिए धनराशि

2702. श्री दिनशा पटेल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान गुजरात में विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुरूप नहीं होती; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उल्लेख किया गया है, आठवीं योजना के दौरान गुजरात में विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना के अंतर्गत परिव्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गुजरात राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बार-बार लिखा गया है कि विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप-योजना के लिए मुहैया किए गए योजना परिव्यय का अनुपात कम से कम राज्य की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के बराबर हो।

विवरण

(रु. करोड़ में)

वर्ष	विशेष संघटक योजना	आदिवासी उप-योजना
1992-93	71.34	192.47
1993-94	80.43	217.77
1994-95	78.87	237.75
1995-96	97.19	308.76

वर्ष 1996-97 के लिए परिव्यय के ब्यौरे अभी प्राप्त होने/अंतिम रूप दिए जाने हैं।

शरद ऋतु में आने वाले पक्षी

2703. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भरतपुर में शरद ऋतु में आने वाले पक्षियों के बारे में कोई अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) क्या पक्षियों की संख्या और किस्म में कमी से संबंधित कोई परिवर्तन रिकार्ड किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में शरद ऋतु में आने वाले विभिन्न पक्षियों पर अध्ययन कर रहा है।

(ख) जी नहीं, तथापि, उद्यान में आने वाले साइबेरियाई सारसों की संख्या में पिछले वर्षों से कमी हुई है। इस समय केवल 3 साइबेरियाई सारस आए हैं जबकि पिछली शरद ऋतु में 4 आए थे।

(ग) कमी का मुख्य कारण इसका शिकार किया जाना तथा विशेषकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसके प्रवास मार्ग का विनाश होना है।

समेकित तेल बोर्ड

2704. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिलहनों की खेती, तेल निकालने और प्रसंस्करण उद्योग के साथ-साथ तेल और वसा के विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर समन्वय और विकास हेतु एक समेकित तेल बोर्ड स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय वनस्पति उत्पादक संघ से कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). सरकार को तिलहन की खेती, तेल निष्कर्षण तथा प्रसंस्करण उद्योग सहित तेल और वसा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर समन्वय तथा विकास के लिए इण्डियन वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से एक प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ). सरकार का विचार है कि इस प्रयोजन के लिए अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा अपने ज्ञापन में जिन क्रियाकलापों का सुझाव दिया गया है उनमें से कुछ पर नेशनल आयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल आयल डेवलेपमेंट बोर्ड/वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय जैसे मौजूदा संगठनों द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, और बकाया क्रियाकलापों पर सरकार द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा रही है।

अनधिकृत रूप से समुद्री रेत खोदना

2705. श्री सुरेश प्रभु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्र के किनारे से अनधिकृत रूप से रेत लेने के संबंध में कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) क्या इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आवास बीच, ताल अलीबाग जिला रायगाद से अवैध ढंग से बालू निकालने की दो घटनाओं का दिनांक-14.11.95 और 9.12.95 को पता चला था जिसके लिए बालू निकालने वालों के विरूद्ध कोर्ट में मामला दायर किया गया। अवैध ढंग से बालू निकालने की तीसरी घटना कोलगांव बीच, जिला-रायगाद का दिनांक -27.7.96 को पता चला जिसके लिए कलेक्टर रायगाद द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

लक्षद्वीप प्रशासन ने जैसा सूचित किया गया कि समुद्र तट से अवैध रूप से बालू निकालने की किसी घटना का पता नहीं चला है। अन्य तटीय राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है तथा सूचना प्राप्त होने पर बाद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

रसायन फैक्ट्री

2706. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मथुरा जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में रसायन फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस से वहां के लोगों को होने वाली परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भंडागार/गोदाम

2707. श्री अनंत कुमार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम द्वारा प्रचालनाधीन राज्य-वार भंडागार/गोदाम कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) उनकी कुल भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन्यजीवों पर अनुसंधान

2708. डा. असीम बाला : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन सोसायटी फार वाइल्ड लाइफ रिसर्च" ने देश में वन्यजीव संरक्षण हेतु कोई नई पद्धति विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। इस मत्रालय को देश में वन्यजीवों के परिरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव अनुसंधान सोसायटी द्वारा विकसित पद्धति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेंसलिन का आयात

2709. श्री सौम्य रंजन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेंसलिन के आयात संबंधी नीति के उदारीकरण पर विचार कर रही हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

2710. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बल अभी भी सेल्फ लोडिंग राइफलों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) उग्रवादियों के पास उपलब्ध राइफलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर में सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। लेकिन जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल सेल्फ लोडिंग राईफलों के अलावा ए.के.-47 राईफलों, 7.62 मी.मी. एल.एम.जी. स्नीफर राईफलों, 15 एम.एम. मोर्टार जैसे अन्य अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग भी करते हैं।

(ख) सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों से बरामद हथियारों से पता चलता है कि आतंकवादियों के पास ए.के. श्रेणी की राईफलों और स्नीफर राईफलों जैसी विभिन्न अत्याधुनिक राईफलें उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में आधुनिक हथियारों की आपूर्ति एक सतत चलाने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में, सुरक्षा बलों के प्रमुखों और इस मंत्रालय के बीच नियमित बातचीत होती है। इन बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार किया जाता है और उस प्रकार के प्रस्तावों पर तत्परता से निर्णय लिया जाता है।

विश्व खाद्य सम्मेलन

2711. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री चित्त बसु :

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने गत माह के दौरान रोम में विश्व खाद्य सम्मेलन में एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल में कौन-कौन सदस्य थे;

(ग) इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा इसके परिणाम क्या रहे;

(घ) भारतीय शिष्टमंडल की क्या उपलब्धियां रहीं;

(ङ) सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही तैयार की गई है;

(च) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवम्बर, 1996 के "द हिन्दू-बिजनेस लाइन" में "इंडिया गोज टू फूड सम्मिट विद ओल्ड डेटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(छ) इससे संबंधित तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। शिष्ट मंडल में वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्हें द्विपक्षीय विचार-विमर्श में प्रधान मंत्री को सहायता करनी थी। शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). भारतीय शिष्टमंडल ने विश्व खाद्य सम्मेलन की सम्पूर्ण बैठक में भाग लिया और विश्व समुदाय (ग्लोबल) से आग्रह किया कि प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि विकास को बढ़ावा दें जो पारिस्थितिकी अनुकूल (इको-फ्रेन्डली) हों। इसने औद्योगिक देशों से आग्रह किया कि वे अपनी कृषि व्यापार की प्रतिबंधित नीतियों को त्याग दें, उचित मूल्य निर्धारण प्रोत्साहनों के माध्यम से विकासशील देशों में प्रमुख कृषि वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करें और भुखमरी उन्मूलन के लिए संयुक्त कार्रवाई करने की राजनैतिक इच्छा तैयार करें। इसे क्रियान्वित करने के लिए तीन स्तरों, विश्व, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियां स्थापित करने के लिए भी सुझाव दिया गया था जिन्हें सम्मेलन की कार्ययोजना कार्यान्वित करने के लिए विशिष्ट दायित्व सौंपा जाए। इस सम्मेलन ने रोम घोषणा को अपनाया जिसके विशिष्ट उद्देश्य और योजना तथा कार्ययोजना हैं।

(ङ) रोम घोषणा में तय किए गए अधिकांश कार्यक्रम और कार्ययोजना पहले ही सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का प्रमुख अंग हैं। रोम घोषणा में शामिल की

गई कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने हेतु और विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(च) और (छ). समाचार में दिया गया आंकड़ा पोषाहार आंकड़ों से संबंधित था जो यह दर्शाने के लिए नजीर था कि अवधि विशेष के दौरान पोषाहार स्तर में सुधार हुआ था और इसका उल्लेख राष्ट्रीय पोषाहार नीति से किया गया था जिसे 1993 में अपनाया गया था।

विवरण

भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों की सूची :-

माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा, प्रधान मंत्री

माननीय श्री चतुरानन मिश्र, कृषि मंत्री

माननीय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, खाद्य मंत्री

माननीय श्री येरमनायडू, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री

डा. एम.एस. स्वामीनाथन,

श्री बी.एन. युगन्धर, प्रधान मंत्री के सचिव

श्री वी.के. ग्रोवर, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय

श्री के.एन. बख्शी, इटली में भारतीय राजदूत

श्री एच.के. दुआ, प्रधान मंत्री के सूचना सलाहकार

श्री बी.के.आर. राव, सचिव (सुरक्षा)

श्री अरूण सिन्हा, सचिव (खाद्य)

श्री श्याम लाल दत्ता, निदेशक (एस पी जी)

श्री मीनाक्षी सुन्दरम, संयुक्त सचिव (एम), प्रधान मंत्री कार्यालय

श्री एन.एन. देसाई, प्रोटोकॉल प्रमुख, विदेश मंत्रालय

सुश्री सावित्री कुनादी, संयुक्त सचिव (यू एन), विदेश मंत्रालय

सुश्री सरिता दास, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय

श्री रंजन मथई, संयुक्त सचिव (बी एस एम), विदेश मंत्रालय

श्री पी.पी. शुक्ला, संयुक्त सचिव (पी), प्रधान मंत्री कार्यालय

श्री अतुल सिन्हा, मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास, रोम

श्री बतशिकन सिंह, मिशन के उप प्रमुख, भारतीय दूतावास, रोम

सुश्री सुजाता मेहता, निदेशक (एस), प्रधान मंत्री कार्यालय

डा. बिजनुभोतला जी.आर. शास्त्री, प्रधान मंत्री के निजी चिकित्सक

श्री महेन्द्र जैन, प्रधान मंत्री के निजी सचिव

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के आतंकवादियों को धन देना

2712. श्री हरिन पाठक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों विशेषतः मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम राज्य के उग्रवादियों को विदेश से हथियार खरीदने हेतु विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा धन दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषरूप से मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम, के आतंकवादियों को विशिष्ट प्ररूप से विदेशों से शस्त्र खरीदने के लिए विदेशी मिशनरियों से सहायता प्राप्त होने की जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, पूर्वोत्तर के कुछ विद्रोही ग्रुपों को, विगत में, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय चर्च संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से प्राप्त की गई वित्तीय सहायता को पूर्वोत्तर के विद्रोही ग्रुपों द्वारा शस्त्र खरीदने में प्रयोग करने की संभावना को इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ख) कुछ अन्तर्राष्ट्रीय चर्च संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर के कुछ विद्रोही ग्रुपों को वित्तीय सहायता देने संबंधी मामलों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाया गया है। इस प्रकार की सहायता के आगमन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

हाथी परियोजना और गंगा कार्य योजना

2713. श्री भक्त चरण दास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने कतिपय विषयों जैसे हाथी परियोजना, गंगा परियोजना आदि के मामले में मंत्रालय के कार्यकरण की तीखी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदान मांगों (1996-97) पर विभाग संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 12 सितंबर, 1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत अपनी 37 वीं रिपोर्ट में पर्यावरण और वन मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि हाथी परियोजना, गंगा कार्य योजना आदि के कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी दी है और इन कार्यक्रमों पर अपनी सिफारिशें दी है। मंत्रालय ने इस सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की है और की गई कार्यवाही रिपोर्ट (भाग-1) समिति के सम्मुख रखने के लिए राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत की है।

गंगा सफाई प्राधिकरण

2714. डा. असीम बाला : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा सफाई प्राधिकरण परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसकी भूमिका तथा इसकी कार्यप्रणाली को देखते हुए इसकी क्या विशेष उपलब्धियां रहीं; और

(ग) उक्त विशेष दोनों का ब्यौरा क्या है जहां इसने सफलता प्राप्त की हैं अर्थात समस्या का निदान किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए स्थापित केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, जोकि गंगा कार्य योजना के साथ ही साथ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखता है, के साथ विलय कर दिया गया है।

(ख) और (ग). गंगा कोर्य योजना चरण-I के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण की 261 स्कीमों में से 248 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। इन स्कीमों के पूरा होने से गंगा नदी की जल गुणवत्ता में जैव रसायन आक्सीजन मांग और घुलित आक्सीजन के संदर्भ में स्पष्ट सुधार लक्षित होगा।

[हिन्दी]

गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और गुजरात अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की परियोजनाएं

2715. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं और गुजरात अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है; और

(घ) राज्य की शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी हां। पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

	1993-94	1994-95	1995-96
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा गुजरात अनुसूचित जाति आर्थिक विकास निगम से प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	18	13	4
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	शून्य	शून्य	8

वर्ष 1995-96 तक गुजरात अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा गुजरात अल्पसंख्यक विकास निगम से प्राप्त सभी परियोजनाओं को क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन की कोई प्रणाली नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम

2716. श्री दिनशा पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अहमदाबाद नगर निगम ने हाल ही में शहर मे बढ़ते हुए वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश और गुजरात के अन्य भागों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। पर्यावरण आयोजना और प्रौद्योगिकी केन्द्र, अहमदाबाद ने अहमदाबाद नगर निगम की सहायता और भागीदारी से अहमदाबाद शहर के पर्यावरणीय खतरे के मूल्यांकन पर एक अध्ययन किया था जिसे यू.ए.एस.आई.डी., नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था। अध्ययन में की गई सिफारिशों के आधार पर अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने और जल प्रदूषण के निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं :-

1. अहमदाबाद नगर निगम ने अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा की परिवहन बसों के लिए धुंए की जांच के मीटर खरीदे हैं।
2. अहमदाबाद नगर निगम ने परिवहन निदेशालय तथा राज्य सरकार के परिवहन मंत्रालय के सहयोग से शहर के विभिन्न भागों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से वाहन उत्सर्जन परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के मुद्दे को उठाया है।
3. नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर पर्यावरण मानीटरन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

4. मिट्टी-तेल का प्रयोग करने वाले आटो-रिक्शा में धुएं की जांच का एक अभियान चलाया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दण्डात्मक उपाय किए जाते हैं।
5. वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से शहर में यातायात का सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए यातायात सुधार योजना तथा सड़क पुलों और फ्लाइ-ओवर का निर्माण किया गया है।
6. वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए ठोस अपशिष्टों की प्रबंध प्रणालियों को आधुनिक बनाया जा रहा है और पूरी तरह से कन्टेनरीकृत प्रणाली शुरू की जा रही है ताकि सड़क पर बिलकुल भी कूड़ा न फैले और एक बार में ही उसका निपटान हो जाए।
7. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् तथा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से खतरनाक उद्योगों में निपटान स्थलों पर उपचारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं।
8. शहर को हरा-भरा बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत जन-भागीदारी से सड़क के किनारों पर वृक्षारोपण कार्य शुरू किया गया है।
9. जल प्रदूषण के निवारण के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने जंग लगे घरेलू पाइप लाइनों को हटाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है।
10. निगम की केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा प्रतिदिन जल की गुणवत्ता की मानीटरन की जाती है। अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी से होने वाले रोगों की घटना की प्रतिदिन मानीटरन की जाती है।

इन कार्यक्रमों के लिए केंन्द्र सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(ग) सरकार द्वारा देश में तथा गुजरात राज्य में वायु तथा जल प्रदूषण की जांच के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

1. उद्योगों के लिए स्थान दिलाने और उन्हें चलाने के संबंध में पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
3. उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरन उपकरणों के लिए सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की छूट दी जाती है।
4. छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।
5. छोटे और मझोले उद्योगों में प्रदूषण निवारण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में सूरत सहित छोटे उद्योगों के समूह में अपशिष्ट न्यूनीकरण केन्द्र स्थापित करने की एक परियोजना शुरू की गई है।
6. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
7. प्रदूषण निवारण के लिए गुजरात राज्य के वापी तथा अंकलेश्वर सहित देश में 24 समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाया गया है।
8. देशभर में परिवेशी वायु तथा जल गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
9. पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए 1.4.96 से कड़े उत्सर्जन मानक शुरू किए गए हैं। 1.4.2000 से इन मानकों को और सख्त बनाया जा रहा हैं। इससे स्वच्छ वाहनों के आने में मदद मिलेगी और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाकर वाहनों से निकलने वाले धुएं में कमी आएगी।
10. केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को सलाह दी है कि वे रोड़ पर चलने वाले वाहनों से निकले धुएं के लिए मानक लागू करें तथा विभिन्न पहलुओं पर जैसे वाहनों का रखरखाव, वाहन प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करायें।
11. दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई चार महानगरों में जून, 1994 से कम सीसा युक्त पैट्रोल शुरू किया गया है। इसके बाद 1.4.1995 को उक्त चार महानगरों में सीसा रहित पैट्रोल शुरू किया गया है।
12. सरकार चरणबद्ध रूप से सीसा रहित पैट्रोल तथा कैटेलिटिक कन्वरटर युक्त वाहनों को शुरू करने, स्वच्छ डीजल वाहनों के लिए कम सल्फरयुक्त डीजल शुरू करने की एक व्यापक कार्ययोजना क्रियान्वित कर रही है।

बाबरी मस्जिद विवाद को उच्चतम न्यायालय को सौंपना

2717. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाबरी मस्जिद विवाद को संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंपने हेतु कटिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस मामले को उच्चतम न्यायालय को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद, संविधान के अनुच्छेद

138(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को सौंपे जाने का प्रस्ताव, पहले से ही सरकार के "न्यूनतम साझा कार्यक्रम" में है।

(ख) और (ग). इस प्रस्ताव से जटिल कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं जिनका ब्यौरे-वार विश्लेषण, विधि मंत्रालय के परामर्श से किया गया जा रहा हैं।

अप्रवासी पक्षी

2718. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरद ऋतु के दौरान विभिन्न पक्षी अभ्यारण्यों में आने वाले विभिन्न पक्षी कौन-कौन से हैं; और

(ख) भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में आये हुये अप्रवासी पक्षियों विशेषरूप से साइबेरियन क्षेत्र के लिये समुचित संरक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) विभिन्न अभ्यारण्यों सहित भारत में पक्षियों की लगभग 350 प्रजातियां और उपप्रजातियां नियमित रूप से शीत ऋतु में प्रवास करती हैं इनमें शामिल हैं-बतख, हंस, सारस, जल सिंह, कोरोमोटेन्टस, तटवर्ती पक्षी, बाज, चील, हैरियर, अब्बाबील, मक्खीमार, बाम्कार, चचरी, खंजन, पथरचिरटा, पिंच इत्यादि।

(ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन सभी प्रवासी पक्षियों को शामिल किया जाता है। इसके अधीन इन पक्षियों की आखेट और वाणिज्यिक शोषण के विरूद्ध पूर्ण रक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त देशभर में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के नेटवर्क में उनके आवास का भी संरक्षण किया जाता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची । में साइबेरियन क्रेनों को शामिल किया गया है और इसलिए उन्हें अधिकतम संरक्षण प्रदान किया गया है। वे केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में शीत ऋतु में आते हैं जिसमें उनका आवास सभी प्रकार के व्यवधानों से मुक्त रहता है। सी.एम.एस. के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन साइबेरियाई क्रेनों के संरक्षण संबंधी सहमति ज्ञापन का भारत भी एक पक्षकार है। इस सहमति ज्ञापन के अधीन साइबेरियाई क्रेन के सभी रेंज देशों के साथ प्रजातियों और उनके आवास के संरक्षण के लिए समन्वित कार्रवाई की जा रही है।

पूर्वांचल प्रदेश की मांग

2719. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 नवम्बर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पूर्वांचल प्रदेश डिमांड गेन्स टेम्पो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को घनी जनसंख्या वाले परन्तु गरीब ग्रस्त 22 जिलों को मिलाकर एक पूर्वांचल प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है तथा इस क्षेत्र में इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए "पूर्वांचल विकास" नामक एक संगठन बनाया गया है।

(ग) सरकार की नीति राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों के आगे बढ़ाने की है, जिसके फलस्वरूप विकास के फायदे देश के अभी तक अविकसित क्षेत्रों में अधिक तेजी के साथ पहुंचने की आशा है।

[हिन्दी]

अवैध रूप से गो-मांस का व्यापार

2720. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में और देश के अन्य स्थानों पर अवैध रूप से गो-मांस का व्यापार हो रहा है;

(ख) क्या होटलों/अतिथि गृहों में अवैध रूप से गो-मांस बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और अन्य राज्यों में ऐसे होटल/अतिथि गृह मालिकों के विरूद्ध और साथ ही अवैध गो मांस व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के अवैध व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना संबंधित संगठनों से एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

आई.बी. के रिकार्ड को उपलब्ध कराया जाना

2721. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंटेलिजेंस ब्यूरो" (आई.बी.) ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी अभिलेखों को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान आयोग के वृत्ति छात्रों, शोधकर्त्ताओं को उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक शोधकर्त्ताओं को प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). आसूचना ब्यूरो के रिकार्ड वर्गीकृत होते हैं तथा आम जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, यह पाया गया है कि आसूचना ब्यूरो के पास वास्तव में शोधकर्त्ताओं के लिए उपयोगी, अधिक पुरानी सूचना नहीं है। जहां कहीं आसूचना ब्यूरो की फाईलों में कुछ सामग्री पाई जाती है तो वह आपरेशनल स्वरूप के संवेदनशील ब्यौरों के साथ इस हद तक घुली-मिली होती है कि उसमें से संवेदनशील भाग को काट दिए जाने के बाद किसी प्रकार की सुसंगत तस्वीर प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, आसूचना ब्यौरों के वर्गीकृत रिकार्डों को शोधकर्त्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

महानगरों में अपराध की घटनाएं

2722. श्री भक्त चरण दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो दशकों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में महानगरों में अपराधों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो शहरी जनसंख्या की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज अपराधों का क्या अनुपात है;

(ग) महानगरों में अपराध की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्तर पर केवल उन महानगरों के अपराध संबंधी आंकड़ें संकलित किए जाते हैं जिनकी आबादी, 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। इनमें से केवल 12 शहर ही ऐसे थे जिन्होंने 1981 की जनगणना में उपर्युक्त मापदण्ड पूरे किए थे। इन शहरों के बारे में संगत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 1981 एवं 1991 के संबंध में 12 महानगरों के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, और पूना शहरों में आबादी 1981-1991 के दशक में अपराधों की तुलना में अधिक दर से बढ़ी। इसके विपरीत अहमदाबाद, बंगलौर, कानपुर, और नागपुर में उक्त दशक के दौरान अपराध, आबादी की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़े। कलकत्ता, लखनऊ और मद्रास में इसी अवधि के दौरान जनसंख्या तो बढ़ी परन्तु अपराधों में कमी आई।

देश में कुल अपराधों में इन 12 शहरों के समग्र अपराधों का प्रतिशत 1981 और 1991 में क्रमा: 11.9 एवं 11.7 रहा जबकि इन शहरों की आबादी का हिस्सा, देश की कुल जनसंख्या का क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत रहा।

कुछ महानगरों में अपराधों में वृद्धि के कारणों में से कुछ कारण हैं - अवसरों का अभाव, आय का असमान वितरण और अनेक प्रकार की सामाजिक धार्मिक-सांस्कृतिक असमानताएं।

(घ) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" चूंकि राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध को दर्ज करने, इनकी जांच करने, इनका पता लगाने और इनकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी प्रधानतः राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को, अपराधों की रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सलाह देते हुए निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है। राज्यों को, उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

विवरण

1981-1991 के दशक में शहरों में आबादी और भा.दं.सं. अपराधों का घटनाओं के साथ-साथ इसमें प्रतिशत विचलन

क्र.सं.	शहर	जनसंख्या लाखों में		1981 की तुलना में 1991 में प्रतिशत विचलन	भा.दं.सं. अपराधों की घटनाएं		1981 की तुलना में 1991 में प्रतिशत विचलन
		1981	1991		1981	1991	
1	2	3	4	5	6	7	8
	अखिल भारत	6901.0	8496.0	23.1	1385757	1678375	21.1
1.	अहमदाबाद	25.5	33.1	30.0	10502	18017	71.6
2.	बंगलौर	29.2	41.3	41.4	17122	25311	47.8

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बम्बई	82.4	126.0	52.8	35263	39897	13.1
4.	कलकत्ता	91.9	110.2	19.9	13951	13803	-1.1
5.	दिल्ली	57.3	84.2	46.9	29341	32462	10.6
6.	हैदराबाद	25.5	43.4	70.7	6870	10736	56.3
7.	जयपुर	10.2	15.2	49.5	5577	8241	47.8
8.	कानपुर	16.4	20.3	23.8	5882	7712	31.1
9.	लखनऊ	10.1	16.7	65.7	10291	6794	-34.0
10.	मद्रास	42.9	54.2	26.4	15693	12633	-19.5
11.	नागपुर	13.0	16.6	27.8	5750	9987	73.7
12.	पूना	16.9	24.9	47.9	8031	11411	42.1

सांप्रदायिक घटनाएं

2723. श्री मुख्तार अनीस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी-सितम्बर, 1996 के दौरान राज्य-वार कितनी सांप्रदायिक घटनाएं हुई;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) पीड़ितों अथवा मरे हुए व्यक्तियों के परिवार जनों को राज्य-वार कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा दोषियों के विरूद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-II में मद सं. 1 के रूप में सूचीबद्ध होने के कारण केन्द्र सरकार मुख्यतः संबंधित नहीं है। चूंकि राज्य सरकारें, साम्प्रदायिक घटनाओं/दंगों सहित कानून और व्यवस्था के मामलों से मुख्यतः संबंधित हैं, इसलिए ऐसी सूचना राज्य सरकारों द्वारा रखी जानी चाहिए। तथापि, जनवरी-सितम्बर, 1990 के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं/दंगों, मारे गए व्यक्तियों की संख्या, घायल व्यक्तियों की संख्या तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। अनुग्रहपूर्वक राहत का भुगतान तथा दर्ज किए गए मामलों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	साम्प्रदायिक घटनाओं/दंगों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश (जनवरी-अगस्त, 96)	2	-	20	-
2.	बिहार (जनवरी-जुलाई,96)	9	3	64	273
3.	गुजरात	23	3	62	188
4.	कर्नाटक	8	2	44	400
5.	केरल (जनवरी-जून, 96)	28	-	23	171
6.	मध्य प्रदेश.	30	4	78	173
7.	महाराष्ट्र	7	5	93	501
8.	तमिलनाडु	3	2	18	6
9.	पश्चिम बंगाल (जनवरी-अगस्त,96)	2	3	9	53
10.	दिल्ली	1	-	-	7

नोट: अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने "शून्य" सूचना प्रस्तुत की है।

प्रदूषण विरोधी कानूनों का उल्लंघन

2724. श्री सौम्य रंजन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कारखानों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने 1995-96 के दौरान प्रदूषण विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया;

(ख) प्रदूषण विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कितने कारखाना मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की गई है तथा इनमें से कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है; और

(ग) भविष्य में प्रदूषण विरोधी कानूनों का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) दिल्ली के आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों में उन फैक्ट्रियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है जिन्होंने 1995-96 के दौरान प्रदूषण विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया है :—

(1) उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन करने वाले 16 उद्योगों तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन करने वाले 8 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

(2) राजस्थान

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो दिल्ली के आस-पास हो।

(3) हरियाणा

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की सीमा के आस-पास के उन सभी उद्योगों को बोर्ड द्वारा निर्धारित बहिस्राव मानकों का पालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जो यमुना नदी को जाने वाले नदी-नालों आदि मे अपना बहिस्राव छोड़ते रहे हैं।

(ख) उक्त अवधि में फैक्ट्री मालिकों के विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

(ग) राज्य और केन्द्रय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मानीटरन कर रहे हैं और निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों के विरूद्ध उचित कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्व गांव

2725. श्री एन.जे. राठवा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में वन ग्रामों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से विशेषकर उपरोक्त क्षेत्रों में कितने गांवों को राजस्व गांवो में परिवर्तित किया गया है;

(ख) क्या शेष गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

[अनुवाद]

उर्वरकों का अभाव

2726. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 1996 के दैनिक जागरण में "रसायनिक खाद की कमी से उत्तर प्रदेश के किसान त्रस्त" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में रबी 1996-97 के (28.11.96 तक) दौरान यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी की उपलब्धता और बिक्री इस प्रकार थी :-

(मात्रा लाख मी.टन में)

उत्पाद	रबी 1996-97 (28.11.96 तक खुदरा केन्द्र पर उपलब्धता	रबी 1996-97 (28.11.96 तक वितरण)
यूरिया	10.10	4.54
डी ए पी	4.51	2.71
एम ओ पी	0.60	0.34

अभी तक उपलब्धता पर्याप्त रही है। राज्य सरकार में चूककर्ताओं तथा 30 प्रतिशत से कम वसूली वाली सहकारी समितियों को अपने स्वयं के स्रोतों से डी ए पी खरीदने तथा नकद आधार पर बेचने की सलाह दी है। इस राज्य के 22 जिलों में, जहां चूककर्ता समितियों की संख्या अधिक है, वहां पर राज्य सरकार ने राज्य कृषि एजेंसियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था की है। सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण के लिये आबंटित प्रत्येक रैक में से लगभग 300 मी. टन डी ए पी ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बिक्री के लिए अलग रखा जाएगा।

राज्य के भीतर उर्वरकों के वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है जिसने वैकल्पिक प्रबन्ध करके किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक उपाय किए हैं।

बिहार में विभागों द्वारा बिना लेखा-जोखा के खरीद

2727. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सड़क निर्माण और जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग द्वारा डी.जी.एस. एण्ड डी. के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए की बेहिसाब खरीद का पर्दाफाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में छानबीन की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास घोटालों की जांच संबंधी अनेक मामले हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या घोटालों की छानबीन करने के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस कक्ष को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आतंकवादी गतिविधियां

2728. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विध्वंसकारी गतिविधियों को चलाने हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता देने में कौन-कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कुल कितने आतंकवादी, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के कर्मी मारे गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आई.एस.आई. द्वारा भारत में विध्वंसकारी गतिविधियां करवाने के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने और उनकी सहायता किए जाने की सूचना है।

(ख)

वर्ष	जम्मू व कश्मीर में निम्न वर्षों के दौरान उग्रवादी गतिविधियों में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या।
1993	2567
1994	2867
1995	2760

(ग)

वर्ष	निम्न वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या।
1993	4780
1994	4244
1995	3288

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियमन, 1996

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1996 जो 19 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 75/एफ. संख्या ई.पी. 16(3)/92 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 849/96]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी अधिसूचना तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके वर्ष 1994-95 के कार्यकाल की समीक्षा आदि

कृषि मंत्री (पशु पालन तथा डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 478(अ) जो 4 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 17 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना संख्या का. आ. 340(अ) का शुद्धि-पत्र है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 850/96]

(2) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 851/96]

(4) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष के 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 852/96]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 853/96]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 854/96]

[हिन्दी]

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा तथा हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइडस लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 855/96]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 856/96]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 857/96]

(घ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 858/96]

(ङ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 859/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 860/96]

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 861/96]

सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 862/96]

सीमा सुरक्षा बल, अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) सीमा सुरक्षा बल कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (श्रेणी "ग" पद) भर्ती नियम, 1995 जो 26 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी कैडर) नियम, 1996 जो 26 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 863/96]

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-। में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय 5 के संबंध में अंतिम उत्तरों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) ओसीन के निर्यात के लिए नकद सहायता और किसी दूसरे देश को रेल डिब्बों के निर्यात के बारे में 12वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(2) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में 59वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(3) प्रापण नियंत्रणालय के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में 121वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(4) डाक और तार विभाग के संबंध में छठी पंचवर्षीय योजना की समग्र समीक्षा के बारे में 130वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(5) लोहा ढलाई के निर्यात हेतु नकद सहायता के बारे में 154वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(6) कलकत्ता टेलीफोन्स के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में 183वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(7) नई दिल्ली-अम्बाला कॉक्सिएल विस्तार योजना के बारे में 184वां प्रतिवेदन (8वं लोक सभा)।

(8) भारतीय वायु सेना में एक वायुयान को सम्मिलित करने के बारे में चौथा प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा)।

(9) विभिन्न दूरभाष केन्द्रों के लिए क्रॉस-बार टेलीफोन एक्सचेन्ज इक्विपमेंट की खरीद के संबंध में परिहार्य अतिरिक्त व्यय के बारे में 19वां प्रतिवदन (9वीं लोक सभा)।

(10) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में 37वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(11) गुरू जल संयंत्र, तूतीकोरिन के बारे में 43वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(12) भारतीय रेल द्वारा विपणन के बारे में 99वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(13) मद्रास पत्तन न्यास के बारे में 108वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(14) लाइफ एक्सपायर्ड एम्युनिशन के आयात के बारे में 115वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(15) एक वायुयान को सम्मिलित किए जाने के बारे में 117वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.02 $^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. वर्ष 1994-95 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

2. पासपोर्ट सुविधाओं के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

3. पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तर क्षेत्र में व्याप्त स्थिति के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

4. 1995-96 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

अध्यक्ष महोदय : माननीय खाद्य मंत्री को एक वक्तव्य देना है। क्या मैं इसे शून्य काल से पहले कर सकता हूं?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बा वक्तव्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण है। हम शून्य काल की अनुमति देंगे। चिन्ता न करें। मैंने शून्य काल की अनुमति देने का

निर्णय कर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। अब माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गेहूं की कीमतों में वृद्धि

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में सदन में कई माननीय सदस्यों ने गेहूं की कमी तथा इसके बाजार मूल्य में वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। संयुक्त मोर्चा सरकार पारदर्शिता में ...**(व्यवधान)** आप सुनिए। पारदर्शिता में विश्वास रखती है। इसीलिए मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

सर्वप्रथम वर्ष 95-96 के रबी मौसम में गेहूं के उत्पादन पर हम दृष्टि डालें। वर्ष 95-96 के खरीफ मौसम, जिसकी वसूली अप्रैल, 1996 से शुरू हुई, गेहूं का उत्पादन 622 लाख टन हुआ। यह पिछले वर्ष 94-95 के गेहूं के उत्पादन 653 लाख टन से लगभग 31 लाख टन कम है। इसका सर्वाधिक प्रभाव सरकार एजेंसियों द्वारा की जाने वाली प्रोक्योरमेंट पर पड़ा। वर्ष 95-96 में वसूली 123 लाख टन थी। वर्ष 96-97 में यह वसूली केवल 82 लाख टन पर आ गई अर्थात् 41 लाख टन प्रोक्योरमेंट कम हुआ। ...**(व्यवधान)** आप बहुत बोले हुए हैं। मैं आपकी प्रोसिडिंग्स पढ़ा हूं। ...**(व्यवधान)** जोशी जी, आपकी प्रोसिडिंग्स मेरे पास है। आप सुन लीजिए, आपकी बात भी आ रही है। ...**(व्यवधान)** सुनना नहीं चाहते हैं। आपकी बात इसमें आ रही है...**(व्यवधान)**

अपराह्न 12.05 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

कम उत्पादन और कम वसूली के बावजूद केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा दोपहर के भोजन जैसी सामाजिक कल्याण की परियोजनाओं के लिए भरपूर आबंटन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गेहूं का निर्यात रूक चुका है। अक्तूबर, 1996 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो ऑफ टेक हुआ था वह 4.17 लाख टन था इसके विपरीत अक्तूबर, 1996 में जो ऑफ टेक हुआ है वह 7.32 लाख टन है अर्थात् 76 प्रतिशत अधिक।

सामाजिक कल्याण की परियोजनाओं में भी उठान में वृद्धि हुई है। दोपहर के भोजन से संबंधित योजना का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ाया गया है। जवाहर रोजगार योजना, सम्पुष्ट आहार जैसी अन्य परियोजनाएं भी चल रही है। 75 और 80 हजार टन गेहूं का उठान प्रतिमाह इन परियोजनाओं में हो रहा है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उठान में कमी नहीं है, वरन् राज्यों की मांग पर भी यथासंभव आबंटन में वृद्धि की गई है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सामाजिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रचालित योजनाओं के लिए हम केन्द्रीय पूल से गेहूं उपलब्ध कराने में कभी पीछे नहीं रहेंगे।

अक्तूबर, 1993 से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की खुली बिक्री की भी प्रथा चली थी और गोदामों में अत्यधिक गेहूं होने के कारण भण्डारण की समस्या हो गई थी। जरूरत से अधिक मात्रा में गेहूं से कैरिंग कॉस्ट का भार भारतीय खाद्य निगम को वहन करना पड़ता था।

इन्ही कारणों से वर्ष 1995-96 में प्रतिमाह औसतन 5 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा गया। अप्रैल, 1995 से मार्च 1996 तक खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम ...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, खुले बाजार में स्कैंडल हुआ है। ...**(व्यवधान)** इनसे सात करोड़ रुपया खाया गया है। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं आपकी बात को छोड़ दूंगा क्या। ...**(व्यवधान)** आपका जवाब आ रहा है। ...**(व्यवधान)** आप पहले इसको सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय, गोदामों में अत्यधिक गेहूं होने के कारण भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो गई थी। 95-96 में पांच लाख टन गेहूं बाजार में प्रति माह औसतन बेचा गया था। अप्रैल, 1995 से मार्च 1996 तक खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी बिक्री की मात्रा 63 लाख टन थी। पिछले वर्ष लीन अवधि के किसी-किसी माह में खुले बाजार में बिक्री की मात्रा तो साढे दस लाख टन तक पहुंची थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि पिछले वर्ष गेहूं के मूल्य काफी स्थिर रहे। इस वर्ष, चूंकि उत्पादन 31 लाख टन कम हुआ और वसूली 41 लाख टन कम हुई, भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में बिक्री कम मात्रा में की। केन्द्रीय पूल में गेहूं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमने अगस्त से अक्तूबर, 1996 की अवधि में प्रति माह तीन और चार लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का आदेश दिया। गेहूं की किल्लत का वातावरण फैलते देख पिछले सप्ताह मैंने इसे बढ़ा कर छह लाख टन कर दिया अर्थात् दिसम्बर 1996 से मार्च, 1997 की अवधि में प्रति माह छह लाख टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार से बेच सकेगा। आवश्यकतानुसार इन सीमाओं को बढ़ाया भी जा सकता है।

हमने न केवल खुले बाजार में रिलीज होने वाली मात्रा बढ़ाई अपितु इसके आबंटन की प्रणाली में भी ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन

किये हैं जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके। ...**(व्यवधान)** आप सुनिए क्या-क्या स्टेप लिया है। ...**(व्यवधान)** खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम की पूर्व की नीति के अन्तर्गत कोई भी रोलर फ्लोर मिल अथवा व्यक्ति असीमित मात्रा में गेहूं खरीद सकता था लेकिन वह इस नीति में बदल लाया है। इस नीति में कमियों और जमाखोरों एवं कालाबाजारियों द्वारा गेहूं की कमी की स्थिति में इसके दुरूपयोग की संभावना को पहचानते हुए मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया और लगभग पूरी तरह से बदल दिया है। आज बदली हुई नीति के तहत किसी भी फ्लोर मिल अथवा अन्य को प्रतिमाह 200 टन की अधिकतम सीमा तक ही गेहूं खरीदने की अनुमति है। ...**(व्यवधान)** आप सुनिए। नये आदेश के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खुले बाजार में बिकने वाले गेहूं की बिक्री में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अब यह सारी प्रक्रिया एक तीन सदस्यीय समिति की निगरानी में होती है जिसका एक सदस्य सम्बद्ध राज्य सरकार का खाद्य निदेशक होता है। नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह एक से सात तारीख तक गेहूं खरीदने वालों के आवेदन लिए जाते हैं तथा इस तीन सदस्यीय समिति द्वारा उनकी पूरी जांच होने के बाद भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालयों में आबंटियों की सूची प्रदर्शित की जाती है। ...**(व्यवधान)** इस प्रक्रिया में इतनी पारदर्शिता पहले कभी नहीं थी। ...**(व्यवधान)** आप पहले सुनिये, आपको समझ में आ जाएगा। ...**(व्यवधान)**

आज सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा कीमतों की वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मैंने 200 टन प्रतिमाह की सीमा बढ़ाकर 500 टन करने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि इस प्रणाली द्वारा गेहूं आबंटन में राज्य सरकारों के उपक्रमों और सहकारी समितियों को न केवल प्राथमिकता दी जाए वरन् उनसे अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) भी नहीं ली जाए। अन्य को 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा। ...**(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापित जी, ये गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने भारतीय खाद्य निगम की तीन सदस्यीय समिति को गेहूं उत्पादों में वृद्धि के लिए जवाबदेह बनाने का भी निर्णय लिया है। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, मंत्री जी से पूछिये कि बाजार में कीमतें क्या चल रही हैं। ...**(व्यवधान)** लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है और आप यहां लम्बे-चौड़े आंकड़े पेश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालिए। कृपया उन्हें सुनिए। आप उनसे सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन कृपया उनकी बातो सुनिए।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : कीमत बताइये, किस कीमत पर मिल रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप जो पूछेंगे वह बताऊंगा। पहले मूल्य तो सुनिये। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

साथ ही यह आदेश भी पारित किये हैं कि मिलों तथा चक्कियों को गेहूं के उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए वचनबद्ध होने के बाद ही उन्हें गेहूं दिया जाएगा। इन सब कदमों को उठाने के उपरांत भी यदि माननीय सदस्यों के सामने मेरे विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं संबंधी प्रमाणित मामले आते हैं तो मेरा उनसे ऐसे मामलों से तुरंत मुझे अवगत कराने का अनुरोध है ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सके। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : मध्य प्रदेश सरकार ने सागर में गोली चलाई। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : खुले बाजार में बिक्री की मात्रा बढ़ाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों के आवंटन बढ़ाने के कारण 1 अप्रैल 1997 को बफर स्टॉक नॉर्म के केन्द्रीय पूल का स्टॉक कम हो जावेगा। व्यापक सार्वजनिक हित में तथा गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से मैंने बफर नॉर्म को शिथिल करने का आदेश दिया है। ...**(व्यवधान)** आखिर, बफर तो इन्हीं दिनों के लिए रखा जाता है।

एक माननीय सदस्य : सरकार की तरफ से बोल रहे हैं या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जवाब दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं मानता हूं कि गेहूं के बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है, खासकर 10-11 महीनों में। ...**(व्यवधान)** गेहूं के थोक बाजार का मूल्य सूचकांक अक्तूबर, 1995 में 268.5 था, जो बढ़कर अक्तूबर, 1996 में लगभग 332.2 हो गया। ...**(व्यवधान)** अर्थात लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में चावल के थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब हम पिछले 3-4 वर्षों में हुई दामों में वृद्धि पर नजर डालें। जनवरी, 1993 से अक्तूबर, 1996 की अवधि में गेहूं के दामों में 41.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि चावल में 42.5 प्रतिशत। अतएव, यदि चार वर्ष की अवधि में हुई वृद्धि पर हम विचार करें तो चावल तथा गेहूं दोनों में लगभग बराबर प्रतिशत वृद्धि हुई।

केन्द्रय पूल से गेहूं की मात्रा रिलीज होने के बावजूद यदि गेहूं के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है या अभाव उत्पन्न होता है तो इसके कारण हमें कहीं और ढूंढने पड़ेंगे। मुझे यह सूचना मिली थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये रियायती दर पर राज्यों को उपलब्ध कराई गई सामग्रियों में हेरा-फेरी होती है और ये सामग्रियां राशन-कार्डधारियों को समय पर उपलब्ध नहीं होती। संयुक्त मार्च की

सरकार के गठन के कुछ ही समय बाद मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों को पत्र लिखकर कालाबाजारी तथा जमाखोरी रोकने हेतु कारगर उपाय करने का अनुरोध किया था। कई राज्यों से जवाब भी आये।...**(व्यवधान)** मैंने स्पष्ट किया था कि "आवश्यक वस्तु अधिनियम" तथा "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" का समुचित प्रयोग किया जाये ...**(व्यवधान)** इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम आदि में कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो वे शीघ्र सुझाव भेजें। यदि राज्य में राशि की दुकानों पर समय पर राशन उपलब्ध नहीं होता तथा डायवरसन हो तो इसके लिये राज्य सरकारों को समुचित कदम उठाने होंगे। ...**(व्यवधान)** मैंने मुख्यमंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गहन पर्यवेक्षण करायें। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। कृपया उनका भाषण सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सितम्बर, 1994 में केन्द्रीय पूल में पर्याप्त गेहूं उपलब्ध होने के कारण राज्यों को यह निदेश दिया गया था कि वे गेहूं के वितरण तथा स्टाक आदि पर नियंत्रण शिथिल कर दें। अब भिन्न परिस्थिति के कारण सितम्बर, 1994 का निदेश वापस ले लिया गया है। ...**(व्यवधान)** मैंने उन्हें लिखा है कि राज्यवार इसकी समीक्षा करें और समुचित कार्रवाई करें। ...**(व्यवधान)** मैंने फैसला लिया है कि अब राज्य सरकारों को होल्डिंग की लिमिट का पूरा अधिकार है जो पहले नहीं था और वे कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को पकड़ने का काम करें। जो निदेश 1994 में गेहूं पर हटा दिया था, मैंने आज डाल दिया है। राज्य सरकारों से मेरी अपेक्षा है कि वे गेहूं की होल्डिंग स्थिर करेंगी और कालाबाजरी तथा मुनाफाखोरी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगी।

• कुछ लोगों में यह गलतफहमी है कि भारत से अत्यधिक निर्यात के कारण गेहूं में कमी हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष 96-97 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4 लाख 31 हजार टन गेहूं निर्यात हेतु बेचा गया है ...**(व्यवधान)** ये लोग गलत आरोप कह रहे है। परन्तु जून, 1996 के बाद एक छटांक भी गेहूं का निर्यात नहीं किया गया है निगम द्वारा निर्यात हेतु कोई बिक्री नहीं की गयी है। वह भी पिछले वित्तीय वर्ष 95-96 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गये समझौते (कमिटमेंट) को पूरा करने के लिये किया गया है।

सभापति महोदय, निर्यात का समझौता पूरा न करने पर भारतीय खाद्य निगम को हर्जाना देना पड़ सकता था ...**(व्यवधान)** हमने केन्द्रीय पूल से वर्ष 96-97 के लिये निर्यात हेतु कोई नया समझौता नहीं किया है। इतना ही नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष 95-96 तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में गेहूं उत्पाद के निर्यात पर कोई रोक नहीं थी किन्तु गेहूं की किल्लत को देखते हुये सरकार ने गेहूं के उत्पाद का निर्यात "प्रतिबंधित सूची" (रेस्टक्टिड लिस्ट) में कर दिया है।

हमने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं बिक्री दर को बढ़ाकर रेशनलाईजेशन भी किया है। ...**(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : क्या व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लालमुनी चौबे : माननीय मंत्री जो शुरू से अब तक यह कहते रहे हैं कि मैंने किया, मैंने किया। यह सरकार की कैपेसिटी पर कह रहे हैं या पर्सनल कैपेसिटी पर कह रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं पूरे तोर पर जो भी बात कह रहा हूं, वह मंत्री की हैसियत और सरकार की तरफ से कह रहा हूं।

पंजाब-हरियाणा में पहली अप्रैल, 1996 से बिक्री दर 415 रुपये से बढ़ाकर 441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। फिर अगस्त, 1996 में इसे बढ़ाकर 455 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया और पहली सितंबर, 1996 से 490 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। देश के अन्य भागों में इस मौलिक दर पर रेलवे भाड़े को जोड़कर बिक्री दर निर्धारित की गई। अब खुले बाजार में गेहूं की बिक्री दर 490 से लेकर 572 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गई। विभिन्न स्थानों के लिए हम समय-समय पर खुली बिक्री की दर में उतार-चढ़ाव करते हैं। ... **(व्यवधान)** जरूरत पड़ी तो फिर बढ़ाने का फैसला हम लेने वाले हैं। उसमें हम सबसिडी को ऐक्जेम्ट करेंगे। ...**(व्यवधान)** निर्यात मूल्यों पर खुली बिक्री करने का एक उद्देश्य यह भी है कि बाजार-मूल्य कम रहे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया वक्तव्य तक सीमित रहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रयाद यादव : भारत की राजधानी दिल्ली में गेहूं न उपलब्ध होने की माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से चर्चा की है। ...**(व्यवधान)** राजधानी क्षेत्र दिल्ली को हम 60 हजार टन गेहूं प्रति माह तथा 20 हजार टन चावल प्रति माह आबंटित करते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों मे दिल्ली को गेहूं का आबंटन तथा उठान इस प्रकार रहा है :-

	आबंटन	उठान
जुलाई, 1996	60,000 टन	41,800 टन
अगस्त, 1996	60,000 टन	44,900 टन
सितंबर, 1996	60,000 टन	47,800 टन
अक्तूबर, 1996	60,000 टन	40,800 टन

इसके अतिरिक्त, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में खुली बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम ने निम्नलिखित गेहूं की मात्रा रिलीज की थी :-

अगस्त, 1996	12 हजर मै. टन
सितंबर, 1996	10 हजार मै. टन
अक्तूबर, 1996	15 हजार मै. टन
नवंबर, 1996	20 हजार मै. टन

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशेष पहल की है। दिल्ली में गेहूं की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए सुपर बाजार को 150 शाखाओं तथा केन्द्रीय भंडार की 72 शाखाओं द्वारा 6 रुपये 40 पैसे प्रति किलो की दर से एगमार्क आटे की बिक्री शुरू की गई है। ...**(व्यवधान)** यह व्यवस्था सरकार ने की है। कल 9 तारीख से यह शुरू हुई है। इन दोनों संस्थानों के लगभग 39 चलते-फिरते वाहनों को इसी दर पर झुग्गी-झोपड़ियों में तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आटा बेचने को कहा गया है। आटे का यह मूल्य 9 दिसंबर से लागू हो गया है। मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला गया है। इस परियोजना हेतु हम पर्याप्त मात्रा में गेहूं सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार तथा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएंगे।

उपर्युक्त परियोजना को देश के सभी राज्यों से लागू करने हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है। जो राज्य अपनी सहकारी संस्थाओं या अन्य उपक्रमों द्वारा उचित मूल्य पर आटा बेचने को तत्पर हैं, उन्हें हम खुले बाजार की दर पर भारतीय खाद्य निगम से गेहूं उपलब्ध करवाएंगे। राज्य सरकारें इस योजना का पूरा लाभ उठाएंगी, ऐसी मेरी आशा है।

हमारी नीयत साफ है। गेहूं के उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति का हम दृढ़ता से सामना करेंगे। कमजोर वर्ग के लोगों का हित तो हमारे लिए सर्वोच्च है ही, समाज के सभी वर्गों को गेहूं उपलब्ध हो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जितने भी गेहूं की आवश्यकता होगी उसे राज्यों को आबंटित करेंगे।

मैं चाहूंगा कि रोलर फ्लोर मिलर्स, चक्की ओनर्स, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता आदि सभी प्रकार से इस काम में सरकार से सहयोग करें ताकि मूल्यों में अनुचित वृद्धि न होने दें। मुझे विश्वास है वे सरकार को ऐसा मौका नहीं देंगे जिससे सरकार को विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब से मैंने खाद्य मंत्री का पदभार संभाला है। ...**(व्यवधान)** भ्रष्टाचार पर ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप कृपया अपने वक्तव्य तक सीमित रहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। इसी संदर्भ में हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी है। संयुक्त मोर्चा सरकार भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकती। ...**(व्यवधान)** कुल मिलाकर तीन मामले बड़े भ्रष्टाचार के प्रकाश में आये हैं, उस पर मैंने क्या कार्यवाही की है वह सुनिये। मंत्री पदभार संभालने के बाद दो मामलों को मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच हेतु सुपुर्द किया है। पंजाब और हरियाणा के दो मामले हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय बयान दे रहे हैं। क्या हम यह मानकर चलें कि क्या यह बयान आपने देख लिया है, स्पीकर महोदय ने देख लिया है। बयान कितना बड़ा होना चाहिए, अगर बयान जरूरत से ज्यादा बड़ा है तो सभा पटल पर रखने की पद्धति अपनाई जा सकती थी, उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। आप देख रहे हैं सदस्य कितने उत्तेजित हैं। ...**(व्यवधान)** आप मंत्री महोदय को कहिये कि बयान पूरा पढ़ने के बजाय सभा पटल पर रख दें और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गेहूं रि बढ़ी हुई कीमत और कहीं-कहीं गोली चली है, दस रुपये किलो गेहूं बिक रहा है, इस पर तत्काल चर्चा शुरू करें। ...**(व्यवधान)** आप इनसे कहिये कि सभा पटल पर रख दें। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कितने पृष्ठ रह गये हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सर, मुश्किल से डेढ़ मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : मंत्री महोदय, 10-15 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है।

सभापति महोदय : अब आप इसे पूरा कीजिए। कृपया अपने वक्तव्य तक सीमित रहिए। कृपया उस तरफ प्रतिक्रिया न कीजिए। आप कृपया अपना वक्तव्य पढ़िए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मंत्री जी कोई भी स्टेटमैंट देंगे तो क्या हम कुछ भी नहीं बोलेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैंने दो मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच हेतु सुपुर्द किया है। मैं उन मामलों का विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि वे जांच के अंतर्गत हैं। दोषी पदाधिकारियों का, जांच के बाद, दंडित किया जायेगा, यही मेरा आश्वासन है। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने में विश्वास रखता हूं। ...**(व्यवधान)**

माननीय सदस्य श्री जोशी जी ने राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली बिक्री में की गई तथाकथित अनियमितताओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। जांच में कुछ समय अवश्य लगा है। अभी जांच रिपोर्ट एक दो रोज में मेरे पास आने वाली है। लेकिन तथ्यों को छिपाने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। जांचोपरांत जांच रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही से मैं माननीय सदस्य को एक सप्ताह में अवगत करा दूंगा। ...**(व्यवधान)** आप सुनिये तो सही।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पुनः उनकी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : 20 पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कमी शायद गंभीर न भी हो लेकिन इस संबंध में कालाबाजारियों तथा जमाखोरों द्वारा बाजार में गेहू के कृत्रिम अभाव को जबरदस्त रूप से उभारा गया है। मैं उन्हें सचेत करना चाहूंगा कि इच्छा शक्ति द्वारा सभी रास्ते साफ हो जाते हैं। हम कीमतों पर नियंत्रण रखने से पीछे हटने वाले नहीं है।

अंत में इसी संकल्प के साथ एक शेर कहना चाहता हूं :—

"जो हमारे दिल के दर्द को पहचानते नहीं,
हम उनके तफसरों का बुरा मानते नहीं।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति जी, नियमों के अनुसार इस तरह के वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण मांगने की परम्परा इस सदन में नहीं है लेकिन आज अवसर ऐसा है कि उस परम्परा को हमें तोड़ना होगा, ताक पर रखना होगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे उनको सुनने दी। आप उस पर निर्णय क्यों दे रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री द्वारा वक्तव्य सदन में देने से पहले, मुझे नहीं लगता कि आपने या अध्यक्ष महोदय ने इस वक्तव्य को देखा है। इतने लम्बे वक्तव्य की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। यह वक्तव्य तत्काल सभा-पटल पर रखा जा सकता था और उसकी प्रतियां सदस्यों को दी जा सकती थीं। अगर सदस्य कोई स्पष्टीकरण चाहते या चर्चा चाहते तो उसका प्रबंध किया जा सकता था। फिर भी सदन में इतना लबा वक्तव्य देने का मतलब है कि समस्या बड़ी गम्भीर है। गेहूं देश के कई भागों में उपलब्ध नहीं है और जहां उपलब्ध है वहां 10 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के साथी ठीक कह रहे थे कि वहां गेहूं को प्राप्त करने के लिए गोली चली है। ऐसी स्थिति में, मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस विषय पर आप अल्पकालिक चर्चा कराईए ताकि सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या यहां रख सकें। पार्लियामेंट का लिखित या रूटीन वर्क तो चलता ही रहता है लेकिन अगर बाजार में गेहूं नहीं है, जो है आम आदमी उसे गेहूं खरीदने की ताकत नहीं रखता, गेहूं खरीद नहीं सकता तो इससे बड़ा मसला सदन के सामने कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि आप तत्काल इस विषय पर सदन में चर्चा कराईए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, केवल गेहूं की स्थिति पर ही चर्चा नहीं होनी चाहिए बल्कि देश में समग्र रूप से खाद्य स्थिति पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : इसमें केवल कृषि या खेती का सवाल ही नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज दालों के भाव भी बढ़ गए हैं, चावल के भाव भी बढ़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. जोशी, मैंने श्री पायलट को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति जी, अगर सदन को याद हो तो पिछले हफ्ते यह सवाल उठा था और आज मंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य सदन में आया है, वह कुछ दिन पहले आना चाहिए था क्योंकि तब गेहूं के भाव काफी बढ़ रहे थे। मैंने उस दिन उठकर कहा था कि जब तक सरकार ऐसा नहीं कहेगी कि गेहूं की कोई कमी नहीं है, तब तक भाव बढ़ते चले जाएंगे। जैसा अभी यहां अटल जी ने कहा, वह सच्चाई है कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में जहां गेहूं की कमी है, वहां उसके भाव और भी बढ़ते जा रहे हैं। आज मंत्री जी ने एक जगह भी अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा कि भाव और नहीं बढ़ने दिए जाएंगे, गेहूं की कोई कमी नहीं है और जितने गेहूं की जरूरत होगी, वे देंगे। अपने वक्तव्य में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि गेहूं की उपज कुछ कम हुई, कुछ प्रोक्योरमेंट में कमी आई, लेकिन जब 1996 में हमारी सरकार गई थी, मंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि उस समय गेहूं का बफर स्टाक हमारे पास था। जब मई के महीने में मैं पंजाब गया तो एफ.सी.आई. के पास गोदाम नहीं थे, वे गेहूं खरीद नहीं रहे थे जिसके कारण किसान रो रहे थे कि हमारी

गेहूं की फसल प्रोक्योर नहीं की जा रही है, एफ.सी.आई. गेहूं ले नहीं रही है।

मुझे इस बारे में आपसे दो प्रार्थना करनी हैं। यह चिन्ता सारे देश की है क्योंकि जब भी हम दौरे पर जाते हैं तो पब्लिक मीटिंग्स में गेहूं के भाव के संबंध मे बातें पूछी जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन को इस विषय पर तत्काल चर्चा करनी चाहिए और सरकार खुलकर कहे कि अब गेहूं की कोई कमी नहीं है, यदि कहीं कमी है तो उसके उपाय कर रही है। मैं यहां खास तौर से फेयर प्राइस शॉप्स या पी.डी.एस. की बात करना चाहता हूं। सरकार को चाहिए कि वहां एकदम गेहूं का स्टाक रिलीज करे। जैसा आज दिल्ली के बारे में यहां जिक्र आया, मुझे खुद सुनकर अचम्भा हुआ कि 60 लाख टन एलाटमेंट के बदले 47 लाख टन उठाया जा रहा है तो उससे कीमतें बढ़ेंगी ही। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारों से भी जवाब-तलब किया जाए कि उन्होंने अपने स्टाक को क्यों नहीं उठाया, यह बहुत चिन्ता की बात है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि हर राज्य को जितना स्टाक एलॉट हुआ, यदि राज्य सरकार उसे उठा नहीं रही है तभी दिल्ली में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, एकदम चर्चा होनी चाहिए, मैं इसके फेवर में हूं और इससे सहमत हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइएं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बोलेन के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सरकार ने पहले ही एक वक्तव्य दिया है और इस मामले पर, विपक्ष के नेता ने चर्चा की मांग की है। सरकार उसके लिए तैयार है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्रीमान, कृपया बैठ जाइएं। हमें उन्हें सुनना चाहिए। श्री आचार्य बैठ जाइएं।

श्री श्रीकान्त जेना : हम गेहूं की कमी पर विशेष बल के साथ खाद्य स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हम एक समय निर्धारित कर सकते हैं और उस पर चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय : हमें इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अटल जी, ने पहले ही इस मामले पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, आपने अभी मुझे समय देने की बात कही है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हर कोई खड़ा होगा तो यह सिलसिला समाप्त नहीं होगा। अब, कृपया बैठ जाइएं।

अब, मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री द्वारा एक असामान्य रूप से लम्बा वक्तव्य पढ़कर सुनाया गया था और सदन के विभिन्न भागों से काफी असंतोष था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। सरकार भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अतः हमें इस मामले को पूरा करना चाहिए। सदन के नियमों के अनुसार, एक वक्तव्य पर चर्चा नहीं की जाती है। एक समय निर्धारित करने के पश्चात इस मुद्दे पर हम एक पूर्ण चर्चा करेंगे। अतः हम अगले विषय को लेंगे।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय ने पिछले सप्ताह, जो मैंने चर्चा उठाई थी, उसके उत्तर में एक सप्ताह में जांच करने का आश्वासन दिया है। मेरा आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि कृपया जांच करते समय यह जांच भी जरूर करे कि केन्द्रीय खाद्य निगम का जो गेहूं राजस्थान में विभिन्न स्टेशनों पर था उसमें से एक ही व्यापारी को 21000 बोरियां क्यों और किसलिए दीं और उस व्यापारी ने वह गेहूं, आपके कहने के बाद, जून महीने के बाद विदेशों को निर्यात किया। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, मैं आपको किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दूंगा। यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि हम इस बारे में चर्चा करेंगे। कृपया बैठ जाइएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह शून्य काल है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सभापति जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा अभी शुरू होनी चाहिए। गेहूं नहीं मिल रहा है। गोलियां चल रही हैं। लोग मारे जा रहे हैं। सरकार बहस के लिए तैयार है। हम लोग बहस के लिए तैयार हैं। फिर दिक्कत क्या है? इस पर अभी बहस शुरू कीजिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और चिन्ता इस सदन के सामने और क्या हो सकती है? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। जनता मारी जा रही है। जनता के ऊपर गोलियां चल रही हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। क्या आज आप देश में फूडराय्टस करवाना चाहते हैं? क्या आज आप सारे देश में अनाज के ऊपर

उपद्रव होने देंगे? कब चर्चा करेंगे? यह चर्चा आज और अभी होनी चाहिए। इसमें क्या परेशानी है?

सभापति महोदय : सरकार को इस पर प्रतिक्रिया करने दें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, माननीय नेता, विरोधी दल ने मांग की है कि मंत्री के जवाब के बाद बहुत सारे पूरक प्रश्न उठते हैं और देश में जो खाद्यान्न की या जो गेहूं की समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन होना चाहिए। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जब सदन में कोई चर्चा होती है, तो किसी नियम के तहत ही होती है। उनमें से एडजर्नमेंट मोशन, नियम 184, नियम 193 या कालिंग अटेंशन मोशन कोई भी हो सकता है जिनके अंदर प्राय: ऐसी चर्चाएं होती हैं। यह बिजनैस एडवायजरी कमेटी में बैठकर निर्णय कर लें कि किस नियम के तहत चर्चा कराना चाहते हैं। जिस नियम के तहत ये चर्चा कराना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। हमको लगता है कि मंत्री के स्टेटमेंट के बाद नियम 193 में चर्चा होती है। यदि नियम 193 में चर्चा होती है, तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। उसमें फूड प्राब्लम को जोड़ लें और यदि गेहूं की समस्या को जोड़ना चाहें, तो गेहूं को भी जोड़ लें। सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय कर लें। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह हाउस जनता की भावनाओं के लिए है, जनता की समस्याओं और कठिनाइयों के लिए है, इसलिए सदन में नियमों को सस्पैंड करके अभी चर्चा शुरू की जाये। ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग शाम को सवा चार बजे है।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : बी.ए.सी. की मीटिंग तो शाम तक होगी, तब तक पता नहीं हिन्दुस्तान में ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता?

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप सारे नियमों को सस्पेंड करिये और चर्चा शुरू करिये। आखिर नियम किसलिये हैं, जनता की समस्याओं के लिए है, जनता की कठिनाइयों के लिए है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री जी का जो वक्तव्य सदन में आया है, वह मंत्री जी को तो संतुष्ट कर सकता है, लेकिन इस वक्तव्य से न तो सदस्य संतुष्ट हुए हैं, न जनता संतुष्ट होगी। हमारे नेता ने परम्पराओं को तोड़कर, नियमों को हटाकर इसपर तुरन्त चर्चा की मांग की है। हमारी पार्टी की मांग थी कि आज और अभी इस पर चर्चा प्रारम्भ करायी जाये। सदन में यह वक्तव्य आया, जो गेहूं पर कम और आत्मप्रशंसा से ज्यादा भरा हुआ था, ऐसा वक्तव्य उन्हें तो संतुष्ट कर सकता है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इनको बात नहीं कहने देंगे तो बोलेंगे कि यह महिला के प्रति अनादर है।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : सभापति जी, मुझे तो कम से कम आप चर्चा की अनुमति दीजिए, मैंने ही यह विषय दिया है तो कम से कम मुझे तो इसपर बोलने का अवसर दीजिए।

सभापति महोदय : हमे पहले ही सूची में शामिल किया जा चुका है। मैं तदनुसार कार्य कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में इस समय निर्णय किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस तरीके से नहीं करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह शून्य काल है। अब श्री वीरभद्रम थाम्मी-नेनी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्री थाम्मीनेनी को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी (खम्माम) : महोदय, मैं बोल रहा हूं ...**(व्यवधान)** वे मेरे भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? जब व्यवधान हो रहा है तो मैं कैसे बोल सकता हूं?

***श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी** : माननीय सभापति महोदय, हम दोपहर के भोजन के लिए सभा को स्थगित कर रहे हैं। हम सभी को भूख लग रही है। लेकिन जब हम दोपहर के भोजन के लिए जाएं तो हमें एक महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए। जब देश में 95 करोड़ लोग भोजन करते हैं तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि यह भोजन कहां से आ रहा है? यह भोजन हमारे ग्रामीण भारत में पैदा होता है। किसान तथा कृषि श्रमिक वर्ष भर दिन-रात मेहनत करके हमारे लिए खाद्यान्नों को पैदा करते हैं और वे वर्षा या धूप की परवाह नहीं करते। महोदय, इस सम्मानीय सदन के हम माननीय सदस्य आज यहां उन्हीं लोगों के

* मूलत: तेलुगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आशीर्वाद से हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है। जिन लोगों ने वोट दिया है। उनमें कृषि श्रमिक सबसे अधिक हैं। हम इसके लिए उन छोटे कृषि श्रमिकों के आभारी हैं। हम उनके द्वारा पैदा किए गये खाद्यान्न को खपत कर रहे हैं लेकिन महोदय, दुर्भाग्य से स्वतन्त्रता के 50 वर्ष पश्चात भी हम उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा उन गरीब कृषि श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कानून नहीं बना सके हैं। इस चूक के लिए हमें शर्म से सिर झुकाना है। यह हमारा कर्तव्य है और हमें जिम्मेदारी से नहीं हटना चाहिए। कम-से-कम अब हमें अपने कृषि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधान लाने का प्रयास करना चाहिए। इन श्रमिकों का पंजीकरण होना चाहिए। उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। उन्हें कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। उन्हें अच्छा जीवन-यापन के लिए कम से कम न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। महोदय श्री देवेगौड़ा जी के प्रधान मंत्री काल में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा तैयार किया गया न्यूनतम सांझा कार्यक्रम ने भी कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए ऐसा एक विधान बनाने का वादा किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री न्यूनतम सांझा कार्यक्रम की अनदेखी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सांझा न्यूनतम कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफल होने के लिए सरकार की आलोचना करने के लिए हमारा मजाक करना प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने यह कहा है कि समर्थन करने वाले दलों की आलोचना पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच के लिए थी, न कि लोगों के लिए। बताया गया है कि माननीय प्रधान मंत्री ने ऐसी टिप्पणी हाल ही में सम्पन्न हुई सुरजकुंड बैठक में की है। हम माननीय प्रधान मंत्री की इन टिप्पणियों का विरोध करते हैं। महोदय, हम अपने दल के कार्यकर्ताओं की सोच के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सरकार की इसकी चूकों के लिए आलोचना कर रहे हैं और देश के लोगों के लिए। माननीय प्रधान मंत्री सहित इस सभा के सभी वर्गों के किसी उत्तरदायी सदस्य को इस तरह की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। आज सरकार ने पूरी तरह से न्यूनतम सांझा कार्यक्रम भुला दिया है। वे सामंतवादियों तथा समाज के अन्य प्रभावशाली वर्गों के लिए बोल रहे हैं। हमें न्यूनतम सांझा कार्यक्रम तथा किसानों के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। अतः कम-से-कम अब सरकार को एक विधान लाना चाहिए जिसमें न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित किया जाये तथा उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा की जाये। इस सम्मानीनय सदन को कभी भी कृषि श्रमिकों के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए जो देश की रीढ़ की हड्डी है। किसी को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि कृषि श्रमिक ही देश को खाना प्रदान कर रहे हैं। कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधान लाने का आश्वासन सभापटल पर दिया गया था। लेकिन उक्त आश्वासन केवल आश्वासन ही रहा, कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है।

अतः मैं पुनः सरकार से यथाशीघ्र एक व्यापक विधेयक लाने के लिए उपाय करने का अनुरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिसे हम गत अनेक वर्षों से इस सभा में उठाते रहे हैं। यह मामला इस देश के सबसे गरीब तबके अर्थात् खेतिहर मजदूरों से संबंधित है। लगभग आठ करोड़ खेतिहर मजदूर और कुल मिलाकर लगभग 35 करोड़ लोग, जिसमें इन खेतिहर मजदूरों के परिवारिक सदस्य भी शामिल हैं। इस देश में बिना किसी कानूनी संरक्षण के रह रहे हैं। कभीकभार इससे हमें ऐसा लगता है कि हम एक सभ्य समाज में नहीं रह रहे हैं। इस देश में बड़ी संख्या में लोग बिना किसी कानूनी संरक्षण के रह रहे हैं। हम खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्र से कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। खेतिहर मजदूरों के लिए एक ऐसी पंजीकरण प्रणाली होनी चाहिए जिसके अंतर्गत उन्हें पहचान पत्र दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए; इन लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए; उन्हें नियमित रूप से काम मिलते रहने की गारण्टी होनी चाहिए; उनके लिए एक कल्याण कोष तथा पेन्शन का भी प्रावधान होना चाहिए तथा साथ ही, उनके विवादों के निपटान हेतु एक तन्त्र भी होना चाहिए। ये सभी चीजें उन्हें दी जानी चाहिए।

सरकार द्वारा इस पहलू पर कई बैठकें किए जाने और इस विधेयक को लाने के कई वायदे किए जाने के बावजूद, केन्द्र में बैठी सरकार ने इस विषय पर लाए जाने वाले विधेयक के मामले में सिर्फ टालमटोल ही की है। अभी तक विधेयक को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस विधेयक को लाए जाने के कोई संकेत नहीं हैं। जब कभी भी गरीब लोगों से संबंधित मामला आता है तो सरकार अपने पैर पीछे खींच लेती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस विधेयक-जिसका सम्बन्ध इस देश के निर्धनतम लोगों के हितों से जुड़ा है—को संसद में इसी सत्र में लाएं ताकि बड़ी संख्या में ये लोग समुचित कानूनी संरक्षण के साथ जी सकें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, कल ही आपने देश में और यहां संसद में संविधान समिति के निर्माण के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती का महोत्सव मनाया गया। उसमें माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि यह लोकतंत्र जनता के पास जाना चाहिए। न्यायपालिका, प्रशासन और न्याय सारा कुछ संविधान के अनुसार लोगों के पास जाना चाहिए। यदि यह करना है तो प्रदेशों की जो भाषाएं हैं, उनमें प्रशासन चलना चाहिए और न्यायपालिका को भी प्रादेशिक भाषाओं में काम करना चाहिए। यह पूरे तौर पर सबकी मांग है। इसमें एक कठिनाई आ रही है कि अपना जो संविधान है, उसका अभी तक प्रादेशिक भाषाओं में अधिकृत अनुवाद नहीं किया गया है। न्यायालयों को और प्रशासन को यदि प्रदेशों में संविधान के अनुसार काम करना है तो सभी भाषाओं में भारत के संविधान का अधिकृत रूप से अनुवाद होना चाहिए।

यह न होने के कारण एक छोटी सी बात उर्दू की निकलती है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जब यहां चुनकर आते हैं तो अपनी शपथ या प्रतिज्ञा करते हैं। वह कैसे लेनी चाहिए, यह संविधान में लिखा हुआ है। हम शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं जो भारत या इंडिया का नाम लेकर लेते हैं। लेकिन उर्दू भाषांतर जो भारत सरकार का प्रकाशन है, उसमें लिखा हुआ है भारत का ऐलान। उसमें जो प्रतिज्ञान दिए हैं, वे भारत के नाम से दिए हुए हैं। लेकिन जब जम्मू-कश्मीर में प्रतिज्ञान लिए जाते हैं तब हिन्दुस्तान शब्द का प्रयोग होता है। जब अपने सदन में प्रतिज्ञान लिया जाता है तो हिंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरा यह आग्रह है कि ये तीन अलग अलग शब्द हिंद, हिन्दुस्तान और भारत संविधान के अनुकूल है या नहीं। जो प्रतिज्ञान लिए जाते हैं, वे संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से या प्रोपराइटी की दृष्टि से अनुकूल हैं या नहीं, यह भी तय करना चाहिए। इसलिए सभी भाषाओं में अधिकृत रूप से भारत के संविधान का अनुवाद होना चाहिए।

मैंने एक विधयेक भी दिया हुआ है, जिसमें यह है कि इंडिया की जगह पर हिंदुस्तान कहना चाहिए। यह भी बैलेट में आएगा, तो मंजूर हो जाएगा। लेकिन मेरी इस समय जो मांग है वह यह है कि सभी भाषाओं में भारतीय संविधान का भाषांतर होना चाहिए और उसको अधिकृत किया जाना चाहिए। अभी केवल हिन्दी में ही अधिकृत अनुवाद है। सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है, उसके बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य दें, यही मेरी मांग है।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति जी, मैं बहुत गम्भीर समस्या की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। आई.डी.पी. एल. में महीनों काम बंद होने कारण वहां काम कर रहे आठ हजार कर्मचारी भुखमरी से पीड़ित हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि नवम्बर महीने की पगार अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिली है, जबकि यह तय हुआ था कि उनको पगार दी जाएगी, क्योंकि यह मामला बी.आई. एफ.आर. को रैफर किया गया है। जो भी तय किया गया, उसके मुताबिक नवम्बर महीने की सैलरी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। राशि 3.5 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह, ने संसद में प्रोसिस किया था कि आई.डी.पी.एल. के कर्मचारियों को हर महीने सैलरी मिलेगी। इसलिए मैं मांग करता हूं, हैदराबाद और जो दूसरे पांच यूनिट हैं, जिनको बन्द किया जा रहा है, जिससे मशीनरी खत्म हो जाएगी, कि सरकार इस ओर ध्यान दे। कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट सुविधा पक्र्स वगैरह विद ड्रा किए जा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों को जो बिजली दी जा रही है, वह भी आई.डी.पी.एल. के मैनेजमेंट और सरकार ने ऐसे स्टैप लिए हैं कि उसकी सप्लाई बन्द हो गई है। आठ हजार कर्मचारियों का सवाल है। केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। मैं मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों को नवम्बर महीने की सैलरी दी जाए और सरकार इस बारे में कोई फैसला करे, जिससे इन कर्मचारियों को भुखमरी से बचाया जाए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, हम आई. डी.पी.एल. के कर्मचारियों के कल्याण एवं भलाई का समर्थन करते हैं ...**(व्यवधान)** यदि आप हमें किसी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे? हम आई.डी.पी.एल. के कामगारों का समर्थन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया परेशान न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। महोदय, हम इस मुद्दे का समर्थन करते हैं और साथ ही मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह हमारी भावनाओं को वित्त मंत्री तथा उद्योग मंत्री को भी पहुंचा दें।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : सभापति महोदय, सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। आई.डी. पी.एल. के हजारों कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर हैं और भुखमरी के शिकार हैं। हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में जो कारखाना है, वहां भी कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिली है। यह कारखाना सस्ते दामों पर दवायें बनाने वाला कारखाना है, लेकिन यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर सस्ती दवायें बनाना बन्द कर रहा है, जो बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। हमारी मांग है कि सरकार द्वारा इस बारे में पुनरीक्षण किया जाए और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाए और अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : सभापति महोदय, मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यहां कामगारों के हितों, विशेषरूप से आई.डी.पी.एल. के कर्मचारियों के हितों तथा रूग्ण चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में हमें यह आश्वासन दिया था कि रूग्ण उपक्रमों को पुनरूज्जीवित करने के लिए वह एक विस्तृत विधेयक चर्चा हेतु इसी शीतकालीन सत्र में इस सदन में लाएंगे। अभी तक इसे सदन में नहीं लाया गया है। आज आई.डी.पी.एल. जो कि एक अग्रणी और प्रतिष्ठित संस्थान है, में काम काज ठप पड़ा हुआ है। आई.डी.पी.एल. ने भारतीय औषध उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन उसकी सभी उत्पादन इकाइयों को बन्द कर दिया गया है। कर्मचारियों की संख्या 13,000 से घटाकर 8,200 कर दी गई है और यहां तक कि उस सीमिति कार्यबल को भी बेकार बैठा दिया गया है। कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।

इसके अलावा, सीमा-शुल्क कम करने तथा दवाइयों को आयातित करने की सरकार की नीति ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इन सब कारणों ने मिलकर स्थिति को गंभीर बना दिया है तथा आईडी.पी.एल. कर्मचारियों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। मैं

सरकार से आग्रह करूंगा कि वह आई.डी.पी.एल. के बजट प्रावधानों में वृद्धि करे।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, आज आपने हिन्दुस्तान टाइम्स के अंदर यह खबर पढ़ी होगी कि पिछले वर्ष जो अमरनाथ यात्रा पर एक बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई थी उसकी रिपोर्ट बाकायदा उन्होंने उसमें छापी है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि रिपोर्ट अखबारों के अंदर तो आ रही है, सदन चल रहा है और सदन को आज तक उस रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिली है। यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे सदन को कांफीडेंस में लेकर तुरंत उस रिपोर्ट को रखें। ...**(व्यवधान)** लगभग तीन सौ के करीब आदमी मारे गए थे। ...**(व्यवधान)**

सभापति जी, होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं और वह जवाब भी देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वह इसका जवाब दें कि रिपोर्ट कब रखी जा रही है। प्रैस में आ रही है और सदन को नहीं मिल रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। यह जो स्टेटमेंट है एन.टी.सी. के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक श्री बी. बाला सुबामण्यम का पिछले माह दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि पिछली सरकार के द्वारा जो मंत्री श्री वेंकट स्वामी जी थे तब यह हुआ था कि एन.टी.सी. की सभी मिलों का पुर्नोद्धार किया जाएगा, माडर्नाइजेशन किया जाएगा। उसके लिए एक रिन्यूवल फंड की भी व्यवस्था की गई थी। अभी पिछले माह कानपुर में वह एक स्टेटमेंट देकर आए हैं कि एन.टी.सी. की जो ।। मिलें पूरे उत्तर प्रदेश में हैं उनमें से किसी का भी पुर्नोद्धार होना संभव नहीं है, यह एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसके कारण वहां पर कार्यरत कर्मचारियों में बड़ी बेचैनी एवं असंतोष है। ।। में से पांच मिलें कानपुर में हैं, जिनमें से लक्ष्मी रतन कॉटन मिल, म्योर मिल और अर्थटन मिल का निश्चित रूप से पुर्नोद्धार हो सकता है। इसका कारण यह है कि इनकी मशीनों की हालत बहुत अच्छी है और इनके पास अपने जेनरेटिंगस सेट्स भी हैं। इसके अलावा स्वदेशी कॉटन मिल, मऊनाथ भंजन, स्वदेशी कॉटन मिल, नैनी इलाहाबाद, रायबरेली टैक्सटाइल्स, रायबरेली, इनका भी पुर्नोद्धार हो सकता है। ...**(व्यवधान)**

महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं जो आइडियल वेजेस और सैलरीज के द्वारा उत्तर प्रदेश की मिलों को एन.टी.सी. का वेतन दिया जा रहा है वह 3 करोड़ 90 लाख रुपये प्रति माह का है। अगर सरकार 10-20 करोड़ रुपया ही वहां की मिलों में लगा दे तो उसमें कुछ कमी आ सकती है। एक और चिन्ता का विषय यह है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके प्रोविडेंट फंड का भुगतान आज तक नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई का जो पैसा है वहां की मिलों ने 1991 से लेकर आज तक जमा नहीं किया है, जो लगभग 27 करोड़ रुपया है। मेरे ये दो बिन्दु हैं। पहला यह है कि कानपुर की कम से कम दो मिलों का पुर्नोद्धार होना चाहिए क्योंकि यह संभव है। दूसरा यह है कि 27 करोड़ रुपये का भुगतान करे, जिससे कि जो लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं या वीआरएस में जा चुके हैं उनके प्रोविडेंट फंड का भुगतान हो सके।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का तथा सरकार का ध्यान एक ऐसी भयावह समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित असम के कुछ भागों में पनप रही है। मैं जिस चीज का हवाला दे रहा हूं उसे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण का छठा विस्तार कहा जाता है। इस छठे विस्तार में पार्क के भू क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र नदी के आर-पार तक तथा उसके उत्तरी किनारे जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, तक फैलाया गया है। नदी के किनारे-किनारे फैले हुए लम्बे भू क्षेत्र को अभयारण्य में शामिल कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग पार्क के विस्तार से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम वन्यजीव के संरक्षण के मुकाबले मानव जीवन को संकट में डाल रहे हैं। जिन लोगों की जमीनों को पार्क के लिए ले लिया गया है, उन्हें असम सरकार के वन विभाग द्वारा वहां से बाहर निकाला जा रहा है।

अपराह्न 1.00 बजे

ब्रह्मपुत्र नदी में मछली पालन के जरिए अनेक लोग अपनी आजीविका कमाते थे। वहां की झुलसी हुई जमीन पर लोग खेतीबाड़ी भी करते थे। उन्हें अब ये सब कार्य करने से रोक दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी आजीविका कमाने से वंचित हैं। अतः यह एक ऐसा साधारण मामला है जिसमें वन्य जीवों को मानव जीवन की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को असम सरकार के साथ उठाए और वहां से हटाए जा रहे लोगों की निस्कासन प्रक्रिया को तुरन्त बन्द करे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने जाने का यह एक उपयुक्त मामला है। लेकिन इससे पहले कि हम आयोग में जाएं, हमें आशा है कि सरकार लोगों को वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और सुनिश्चित करेगी कि लोग मत्स्यपालन, इत्यादि के जरिए अपने जीविकोपार्जन से वंचित न हों।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है, जोकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम करता है। पिछली सरकार की विद्वेषपूर्ण नीतियों ने इस कंपनी को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है और जान-बूझकर प्राइवेट कंपनियों

को फायदा पहुंचाने के लिए इस कंपनी को आर्डर नहीं दिये या आर्डर देने कम कर दिये। एच.सी.एल. के मजदूर भूखों मर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में, बोकारो स्टील में इतना आधुनिकीकरण का काम चल रहा है लेकिन फिर भी एच.सी.एल. को कंपनियों को आर्डर नहीं दिये। उनके मजदूरों के सामने भुखमरी है। सेल से उनको पेमेंट होना चाहिए लेकिन उनको दो महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। बासुदेव आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि आप भी मेरी बात का समर्थन करें। महीने की 25 तारीख को या 28 तारीख को थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है। उनको कोई एडवांस नहीं दिया जाता है। मैडिकल या एल.टी.सी. एडवांस आदि बंद कर दिया गया है। ज्यादा काम मिले, इसके लिए तीन दिन पहले उन्होंने प्रदर्शन किया था लेकिन बोकारो स्टील ने उन पर लाठी बरसाने का काम किया। मैं जानती हूं कि मंत्री जी एच.सी.एल. की दुर्दशा को देखकर दुखी हैं। मैं उनसे अपील करूंगी कि एक तो आप उनको भरपूर काम दीजिए और दूसरा समय पर पेमेंट कीजिए। यह कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है तथा वे बिना काम किए रुपया नहीं मांग रहे हैं। पिछली सरकार की तरह अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका गला मत घोंटिये। एच.सी.एल. को आर्डर न देकर जो गड़बड़ी हुई है उसकी सी.बी.आई. से जांच करवाइए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ये कम्पनियां इस्पात मंत्रालय के अधीन हैं। मंत्री जी यहां है। उन्हें वक्तव्य देने दीजिए।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मैं मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि वह कुछ कहना चाहते हैं, तो वह कहें। मैं उन्हें बाध्य नहीं करना चाहता। मैं उन्हें यहां बोलने के लिए विवश नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस्पात मंत्री यहां हैं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप हम लोगों को एक बार भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कोई तो व्यवस्था बननी चाहिए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको अनुमति नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। संसद सदस्यों के बीच इस पर सर्वसम्मति है।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : सभापति जी, मैं आपके प्रति सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सीनियर लोगों को हाथ उठाने के बाद बोलने का मौका दे दिया जाता है और चेहरा देखकर उनको मौका मिल जाता है। हम लोग रोज 10 बजे से पहले नोटिस देते हैं लेकिन कभी मौका नहीं मिलता है।

सभापति महोदय : रोज 40-50 मैम्बर्स का नोटिस आता है और सबको मौका तो नहीं मिलता पर स्पीकर साहब ने जो डिसीजन किया, उस तरह से होता है। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। अब आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस्पात मंत्री जी यहां हैं और वह सदन को आश्वस्त कर सकते हैं कि ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मैंने आपको बताया है कि आपने नहीं बोलना है। अब मैंने श्री पी.सी. थामस को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक पुराने सदस्य हैं। मैं मंत्री जी को बोलने के लिए कैसे विवश कर सकता हूं?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं चुनाव खर्चों की अधिकतम सीमा के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाना चाहूंगा। इन खर्चों के संबंध में सदस्यों में तकरीबन आम राय थी। मैं सदन के नेता तथा संसदीय कार्य मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि सर्वदलीय बैठक में तथा बाद में संसद में हुई चर्चाओं में सदस्यों में तकरीबन यह आम राय थी कि चुनावी खर्चों की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाय। यह एक वास्तविकता है कि चुनावी खर्चों काफी होते हैं। सर्वदलीय बैठक में इस मामले के बारे में यह निर्णय किया गया था कि सरकार को जल्दी से जल्दी संसद में इसका विधान लाना चाहिए। तथापि उसे अभी तक नहीं लाया गया है।

अभी हाल में मुख्य चुनाव आयोग ने संसद पर यह कहकर आरोप लगाया है कि संसद उन चुनाव सुधारों को न करने के लिए जिम्मेदार है जिन पर सहमति की गई थी, जो आवश्यक हैं तथा जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण पाया गया है। इस पर मैं कहूंगा कि इस संबंध में विधेयक लाना संसद का नहीं, सरकार का काम है। संसद कुछेक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को अपनी मंजूरी देने के लिए तैयार है जिन्हें बहुत जल्द संसद में पेश किया जाना चाहिए।

मैं संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह कृपया इस पर कार्यवाही करें। सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति थी; सरकार ने यह कहा था कि चूंकि कुछेक परिवर्तन इतने अधिक महत्वपूर्ण थे कि इसे उत्तर प्रदेश में चुनावों के पहले ही संसद में लाया

जाएगा। पार्टियों तथा स्वयं उम्मीदवारों के चुनावी खर्चों को सरकार द्वारा वहन करने से संबंधित सुधार एक ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी न किसी तरह की सर्वसम्मति सदस्यों के बीच थी। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसके बारे में सभी माननीय सदस्य भी इच्छुक हैं।

कुछ समय पहले विपक्ष के माननीय नेता यह कहते हुए इस बात को उठा रहे थे कि चुनाव सुधारों का मुद्दा एक ऐसी चीज है जिसे सदन की जानकारी में लाया तो गया है लेकिन अभी तक उस महत्वपूर्ण विधान को सदन के समक्ष लाया जाना है। मैं सदन तथा साथ ही मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक को लाया जाना चाहिए तथा इस बारे में कोई फायदा अथवा वक्तव्य आज ही सदन में दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : सरकार के अपने टी.वी. और आई.ए.आर. कर्मचारी इनडैफिनेट स्ट्राइक पर हैं, क्या उस पर चर्चा होगी?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, इन चुनाव सुधारों के मुद्दे पर पहले दौर की सर्वदलीय बैठक हुई थी और जिस किसी भी मुद्दे पर सर्वसम्मति थी उसे क्रियान्वित कर दिया गया है। दूसरे दौर में सरकर ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव सुधारों पर अपने-अपने सुझाव देने के लिए कहा है।

सुधारों की दूसरी किश्त के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों से रिपोर्ट अभी आनी है लेकिन अनेक दलों ने अपनी-अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। उनके आधार पर हम समस्त चीजों की छानबीन कर रहे हैं तथा मैं समझता हूं कि हम शीघ्र ही इस बारे में एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, दूरदर्शन और आकाशवाणी के सरकारी कर्मचारी-प्रोग्राम स्टाफ और अधिकारी -6 दिसम्बर से भूख हड़ताल पर हैं। उनमें से कुछेक अस्पताल में मरने जा रहे हैं लेकिन सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। वे कुछ और नहीं केवल बराबरी की मांग कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)** लोग मर रहे हैं। वे 6 दिसम्बर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। यह प्रश्न सदन के भीतर बार-बार किया गया था तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है और यह कि मंत्रालय ने प्रोग्राम स्टाफ की उचित मांगों से सहमति जताई है। मंत्री महोदय ने इस बारे में एक सार्वजनिक बयान दिया था। वित्त मंत्रालय प्रोग्राम अधिकारियों और इंजीनियरिंग सहायकों के वेतनमानों में समानता लाने की बात पर सहमत हो गया था लेकिन अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। आज आप देखेंगे कि कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। वे मर रहे हैं। वे भूख हड़ताल पर हैं। मुझे आश्चर्य है कि कैसे कोई सरकार अपने स्वयं के कर्मचारियों की उचित मांगों के प्रति इतनी असंवेदनशील हो सकती है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें कोई सकारात्मक आश्वासन दे तथा युवा लोगों, स्वयं अपने कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करे जो सड़क पर हैं ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह पहले ही रिकार्ड का एक अभिन्न हिस्सा है। वे केवल वक्तव्य चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सरकार को हर चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 9 नवंबर, 1992 को एक घोटाला इंडियन बैंक के सामने आया था। 1500 करोड़ रुपये से भी बड़ा वह घोटाला है। उसमें बहुत बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं। सी.बी.आई. उसकी जांच कर रही है लेकिन भारत सरकार की ओर से जो वित्त मंत्रालय में ऐसे अधिकारी काम करते रहे हैं, इंडियन बैंक के जो अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए वित्त मंत्रालय आज तक उनको अनुमति नहीं दे रहा है और यहां तक कि जो उस उच्च पद पर अधिकारी विराजमान था, आज वह टी.एम.सी. पार्टी का सक्रिय सदस्य बन गया है और ऐसा लग रहा है कि 1500 करोड़ रुपये से अधिक का जो घोटाला है, इसको दबाने में सरकार की रूचि है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पर 1992 से अब तक क्या कार्रवाई हुई है, उससे सदन को अवगत कराया जाय। ...**(व्यवधान)**

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में भयंकर अकाल पड़ा है। दो हफ्ते से हम नोटिस दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चर्चिल अलेमाओ (मारमागाओ) : महोदय, अभी सितम्बर, 1995 में कोंकण रेल निगम ने मजोरदा-गोवा में रेलवे फाटक पर एक सड़क उपरिपुल के निर्माण की योजना का प्रस्ताव पेश किया था। उस योजना से सभी सहमत थे। अचानक तीन सप्ताह पहले, यह कहकर उस क्षेत्र के लोगों पर करारा वज्रपात किया गया कि अब प्रस्ताव सड़क के नीचे से पारपथ बनाने की योजना है। दिए गए कारण हैं : उपरिपुल निर्माण कुल उच्च लागत और उच्च लागत में राज्य सरकार का हिस्सा न होना।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले गरीब लोगों की सुरक्षा तकनीकी व्यवहार्यता तथा भलाई के बारे में किसी ने नहीं सोचा है।

इसके पास एक तालाब है और उसके पास सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता था। वहां पानी इकट्ठा हो जाएगा तथा उस क्षेत्र में पानी भर जाएगा जिनसे लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। 20 नवम्बर, 1996 को कलकत्ता-मजोरदा, उतरोदा, मजोरदा-सेलसेट गोवा की ग्राम पंचायतों ने अपनी आपात बैठक में एक संकल्प पारित किया था जिसमें के.आर.सी. से सड़क ने नीचे पुल का काम बन्द करने तथा ऊपरी पुल का पुनः निर्माण करने को कहा गया था। कुछ दिन पहले मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया और लोगों को असंतुष्ट पाया तथा लोगों को प्रस्ताव को निरस्त करेन के लिए न्यायालय जाने की बात कहते सुना। स्थिति तनाव और डर वाली थी और यह हिंसात्मक हो सकती थी तथा मुकदमेबाजी होती जिससे कि परियोजना के पूरा होने में देरी होती।

अतः मैं व्यक्तिगत तौर पर केन्द्र सरकार, रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने हेतु उपचारात्मक उपाय करें। क्या मैं इस सम्माननीय सभा से पूछ सकता हूं कि क्या परियोजना की उच्च लागत को प्रभावित लोगों की सुरक्षा भलाई और सुविधा से तोला जा सकता है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैंने वित्त मंत्री और सम्पूर्ण सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने हेतु सूचना दी थी कि पांचवे वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने में अधिक विलंब क्यों हो रहा है? पहले जब इस केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति की गई थी तो उन्हें रिपोर्ट देने के लिए डेढ़ वर्ष का समय दिया गया था। वह जनवरी, 1996 को समाप्त हो गया है। आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका। तो समय जून, 1996 तक बढ़ा दिया गया। इससे फिर सितम्बर 1996 कर दिया गया और उसके बाद मैं नहीं जानता कि इसे ओर आगे बढ़ाया गया था। जब तक केन्द्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता तब तक केन्द्र सरकार के लगभग 44 लाख कर्मचारियों को उनके वेतन और अन्य भत्तों के वैध अधिकार से वंचित किया जा रहा है। केवल 40 लाख केन्द्र सरकार ने कर्मचारी प्रभावित नहीं है बल्कि उनके परिवार भी। न केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार बल्कि डेढ़ करोड़ राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इस विलंब से प्रभावित हैं।

अतः सरकार को जस्टिस पांडियन को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए तथा सरकार को इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के करोड़ों लोगों की वैध मांगों और आशाओं तथा आकांक्षाओं को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। यदि और देरी होती है तो यह बहुत भयंकर उदाहरण होगा और इससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उनके वांछित कार्य को करने का सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बनेगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में भयंकर सूखा पड़ा है और इस सूखे की स्थिति के कारण किसानों की सारी फसल चौपट हो गई है, तबाह हो गई है ...**(व्यवधान)** किसानों के पास खाने के लिए अन्न के दाने नहीं है और जब किसान ही भूखा है तो वह मजदूरों को रोजगार कहां से देगी। हालत यह है कि सूखे की स्थिति के कारण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, आदिवासियों को काम नहीं मिल रहा है और वे बेरोजगार हो चुके हैं। एक जिला बैतूल में तो आदिवासी पेड़ों की पत्तियां उबाल-उबाल कर खा रहे हैं और कई गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं। एक लाख से ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। यह मैं नहीं मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है, लोग काम धंधे की तलाश में दूसरे प्रदेशों में गये हैं। लेकिन जिन प्रदशों में वे गये हैं वहां भी उनको ठीक से वेतन नहीं मिल रहा है। वे अपने घरों को पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार सूखे का सामना करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है और केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए आज तक एक पैसा भी नहीं दिया है। केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ बाकी मुद्दों पर तो भेदभाव करती है लेकिन कम से कम सूखे के मामले में तो मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव न हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम सौ करोड़ रुपये की राशि मध्य प्रदेश को सूखे की सहायता के लिए दें।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में इस सदन के नेता सादरणीय रामविलास पासवान जी एक प्रखर सांसद के रूप में थे, उस समय स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हैल्थ गाइड योजना लागू की गई थी। उस योजना में सभी एक हजार की आबादी पर एक बेरोजगार को प्रतिनियुक्ति करके मानदेय के आधार पर तीन महीने की ट्रेनिंग देकर गांव की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, फर्स्ट एड के लिए व्यवस्था कराई गई थी। हैल्थ गाइड योजना तब से संचालित है। सभी तालुका में, सभी गांवों में यह लागू नहीं हुई। चंद गांव में, चंद तालुका में देश भर से यह लागू हुई।

एक लाख से अधिक नौजवानों को 1977 की सरकार के समय 50 रुपए मासिक मानदेय पर प्रतिनियुक्त किया गया था जो अब तक गांवों में काम कर रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चे की सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य को अपने बुनियादी कार्यक्रम में शामिल किया है। सरकार ने जो 7 बुनियादी प्राथमिकताएं तय की हैं, उसमें से एक कार्यक्रम गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज गांवों में जो हैल्थ गाइड या स्वास्थ्य-रक्षक कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं, जब दिल्ली में एक बेलदार की दैनिक मजदूरी 65 रुपए है फिर स्वास्थ्य-रक्षक को प्रति माह केवल 50 रुपए का मानदेय अब तक क्यों चला आ रहा है।

सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और सदन के नेता तथा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण स्वास्थ्य के हित में, 1977 में तत्कालीन सरकार ने जो फैसला लिया था, आज तक अनेक बार इस सदन में और चारों तरफ इस विषय को हमने आम सहमति से उठाया है, सरकार ने आश्वासन भी दिया था परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री और सदन के नेता से अनुरोध करता हूं कि स्वास्थ्य-रक्षक या हैल्थ गाइड योजना को देश के सभी गांवों में लागू करने की यहां घोषणा की जाएं। सभी स्वास्थ्य-रक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करके सरकारी कर्मचारियों के बराबर उनका वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम को सही तरीके से संचालित किया जा सके। मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें। सरकार को इस विषय पर सदन में वक्तव्य देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य-रक्षकों के हितों की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

श्री एम. सैल्वाराजु (नागापट्टीनम) : सभापति महोदय, मैं तत्काल लोक महत्त्व का मामला उठाना चाहता हूं।

कापेरे प्राधिकरण के निर्णयानुसार कर्नाटक राज्य को तमिलनाडु को 51 टी.एम.सी. पानी देना है। लेकिन राज्य ने अब तक केवल लगभग 15 टी.एम.सी. पानी ही छोड़ा है। छोटे और मझौले किसान पानी की कमी से परेशान हो रहे हैं तथा लाखों कृषि श्रमिक बेकार हो गए हैं। कम से कम 15 टी.एम.सी. पानी तुरंत छोड़ा जाना है। इसके अलावा चेयरमैन के त्यागपत्र के बाद कावेरी जल प्राधिकरण बेकार हो गया है। प्राधिकरण के उचित पर्यावरण के लिए नए चेयरमैन की तुरंत नियुक्ति की जानी चाहिए।

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि पानी छोड़ने तथा नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्री तुरन्त कदम उठाएं।

मैं आपका मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति जी, पहले जो एप्रेन्टिस ट्रेनिंग करके बाहर निकलते थे, उन्हें सर्विस मिल जाती थी लेकिन अब 7-8 साल से ऐसा नहीं हो रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ आज हालत यह है कि मुम्बई में डेली वेजर्स की अनेकों वैकेन्सीज खाली पड़ी हैं लेकिन उन्हें नौकरी पर नहीं लिया जाता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है। सदन में रेल मंत्री जी मौजूद हैं। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि ऐसे लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें प्रियोरिटी के आधार पर नौकरी देने की बात कही है, लगभग 750 ऐसे वर्कर्स हैं, जिन्हें एम्पलायमेंट एक्सचेंज से भी कोई मदद नही मिल रही है। लेबर मिनिस्टर साहब ने भी उन्हें प्रियौरिटी देने की बात कही थी। आज हालत यह है कि बाहर के लोगों से रिक्रूटमेंट की जा रही हैं, बाहर के लोग नौकरियों में ले लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि रेल मंत्री जी सदन में उठकर आश्वासन दें कि उन्हें जल्दी से जल्दी नौकरी पर ले लिया जाएगा। सभापति जी, रेल मंत्री जी तैयार हैं, आप उन्हें कहिए...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अगर वे रिएक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं यहां से उन्हें कम्पैल नहीं कर सकता।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय सदस्य मुझसे मिलते रहते हैं, हम देख लेंगे।

सभापति महोदय : वे कह रहे हैं कि आप उनसे मिलते रहेते हैं, देख लेंगे।

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में 28 गावों के लोग ग्रामीण स्तर पर अपने जनप्रतिनिधियों से वंचित हैं। जब प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे तब ये 28 गांव गाजियाबाद नगर निगम की सीमा में थे। इसलिए ग्राम पंचायत प्रधान और बी.डी.सी. तथा जिला परिषद सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया था और जब नगर निगम के चुनाव प्रदेश में हुए उससे पहले इन 28 गांवों को नगर निगम की सीमा से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए उस समय भी इनमें नगर निगम का चुनाव नहीं हो पाया था। आज इन 28 ग्रामों की परिस्थिति इस प्रकार की है कि न तो वहां पर नगर निगम चुनाव हुए हैं और न ही वहां पंचायत के चुनाव हुए हैं। इस कारण इन गांवों के लोग ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों से वंचित हैं। वहां पर आज कोई भी जनप्रतिनिधि ग्रामीण स्तर पर नहीं है। इसक कारण वहां पर विकास का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और विकास के काम ठप्प पड़े है।

सभापति महोदय, वहां पर पंचायत के चुनाव हों इस बात को लेकर इन 28 ग्रामों के लोग आज आंदोलित हैं। अभी भी चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है चूंकि उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन है इसलिए वहां पर केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी चुनाव करवाने की बनती है। अतः मेरी मांग है कि उन 28 गांवों में ग्राम पंचायत, बी.डी.सी. सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव तुरन्त कराए जाएं। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र पटना की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र पर बड़ी कृपा की है। फिर भी कुछ ऐसी समस्या है जिसकी ओर मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मेरे यहां चार बड़ी-बड़ी रेलवे क्रासिंग लाइनें हैं जिनके ऊपर ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। दीदारगंज चैकपोस्ट, बिहटा,

मीठापुर यहां ओवरब्रिज बनने हैं और चिरंयाटांड का यहां चौड़ीकरण किया जाना है। इनके बारे में हमने माननीय मंत्री जी से कई दफा चर्चा की है। मंत्री जी ने आश्वासन भी दे रखा है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर ओवरब्रिज न होने की वजह से बड़ी मात्रा में भीड़ घंटों तक रहती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है जिसके कारण मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इससे जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : फतुहा के पास भी बहुत भीड़ रहती है। वहां पर भी ओवरब्रिज बनाने के लिए कहिए। यह बहुत जरूरी है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बातें रखी हैं, मैं उनके ऊपर भी जोर देता हूं। फतुहा भी एक आवश्यक रेलवे क्रासिंग है जहां पर ओवरब्रिज बनना आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान फतुहा के साथ-साथ दीदारगंज चैकपोस्ट, बिहटा, मीणपुर की ओर आकर्षित करते हुए चिरंयाटांड की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यथाशीघ्र राशि आवंटित करें ताकि इन चार-पांच जगहों पर रेलवे ब्रिज बन सके और जनता को जो परेशानी हो रही है उसे दूर किया जा सके।

महोदय, मंत्री जी, इस बारे में बोलने के लिए कुछ उत्सुक लगते हैं। मेरा भी उनसे अनुरोध है कि वे इस बारे में अपनी कुछ प्रतिक्रिया कहें, ताकि वहां पर काम शुरू हो सके और जनता की परेशानी दूर हो सके।

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, फतुहा में इनकी रिश्तेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि फतुहा रेलवे क्रासिंग पर भी ओवरब्रिज बनाने के लिए कहें।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैंने, माननीय सदस्य ने, मुख्य मंत्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने इस प्रश्न को कई बार उठाया है और मैंने साफ कहा है कि यदि राज्य सरकार का अपना हिस्सा जो कुल खर्चे का आधा धन होता है, यदि वह नियमानुसार दे दें, तो हम उक्त पुलों को बनाने के लिए तैयार हैं।

अभी माननीय सदस्य ने हमें बताया है कि राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत हो चुके हैं। मैंने पता लगवाने के लिए कहा है और यदि राज्य सरकार का अपना हिस्सा जो नियमानुसार आधा धन होता है, यदि वह आ गया है, तो भारत सरकार जो रेल मंत्रालय का पैसा है, हम आपको आश्वासन दे देते हैं कि हम उस पैसे को देकर काम शुरू करवा देंगे।

श्री नीतीश कुमार : फतुहा का पहले ही स्वीकृत है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, स्वीकृति की बात नहीं है। हमने कहा है कि इसमें राज्य सरकार द्वारा पैसे के आबंटन का मामला है। जिन-जिन प्रोजैक्ट्स के लिए राज्य सरकार का आधा पैसा पहुंच गया है, या आ गया होगा या आ जाएगा, उन-उन परियोजनाओं को रेल मंत्रालय की ओर से उसके अपने हिस्से का पैसा डालकर काम शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान करने संसदीय क्षेत्र के जो हजारों शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी भीषण समस्या के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सतना जिले में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें शासन से जो क्षेत्रीय विकास के लिए अनुबंध किया था, क्षेत्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजेगार देने का जो अुनबंध किया गया था,

उसके हिसाब से आचरण नहीं करते हैं, अनुबन्ध की वायदा खिलाफी करते हैं। हमारे क्षेत्र में उन औद्योगिक इकाईयों से प्रदूषण फैलता है, उस जहर के कुप्रभाव से तो हमारे क्षेत्र के लोग शिकार होते हैं, लेकिन उसका फायदा हमारे क्षेत्र के नौजवानों को नही मिलता है। आज वहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं, जब वे अपने हक के लिए रोज़गार के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर उद्योगपति क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को अपने से मिलाकर, सांठ-गांठ करके उनके ऊपर लाठियों से प्रहार करवाते हैं और क्षेत्र के हजारों बेरोजगार नौजवानों के ऊपर असत्य मुकदमे लगवाकर उनको बेबस, मजबूर किया जता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार ने इन उद्योगपतियों से जो अनुबन्ध करके रखे हैं, उसके हिसाब से आचरण करने का उन औद्योगिक इकाईयों को निर्देशित करें, नहीं तो अभी सदन के अन्दर गृह मंत्री जी के बयान में चर्चा हो रही थी कि 'विभुक्ष किं न करोति पापम्' भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने नोटिस में कोई और सबजैक्ट दिया था, यहां जो आप कह रहे हैं, वह कोई और बात कह रहे हैं।

श्री सुख लाल कुशवाहा : हमारा वह विषय 377 में आ गया है।

सभापति महोदय : उसका नोटिस नहीं दिया जा सकता था क्या? कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुख लाल कुशवाहा : तो उस मामले में मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि उन औद्योगिक इकाईयों को निर्देशित करें। अनुबंध के मुताबिक आचरण करने को बाध्य करें।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक अत्यन्त ही दुखद घटना का उल्लेख करना चाहता हूं।

आज सुबह जब मैं लोक सभा के लिए चल रहा था, उस समय मुझको अपने संसदीय क्षेत्र से फोन आया कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्दर दरियावां के पास मुख्य सड़क पर दो वाहनों के बीच टक्कर होने से बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, दुर्घटना के शिकार हुए हैं और जो मुझे आज सुबह सूचना मिली है, उसके हिसाब से साठ लोगों की

लाशें दुर्घटना स्थल पर से निकाली जा चुकी हैं, यह अत्यन्त ही दुखद घटना हुई है। हम इसका उल्लेख सदन में करना चाहते हैं और उन परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करना चाहते हैं।

मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस मामले में नियमों से हटकर, चूंकि सड़क पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ न कुछ वहां मुआवजा देने का प्रबन्ध करें। चूंकि वह सड़क पतली है, दुर्घटना होने का यह भी एक कारण होता है। उस सड़क का चौड़ीकरण भी कराया जाना चाहिए। वह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहीं फतुहा इस्लामपुर में पहले रेल लाइन हुआ करती थी, अब रेल लाइन विलुप्त हो चुकी है, अब वहां पर सिर्फ सड़क सिंगल है और इस नाते वह दुर्घटना हुई है।

हम आपसे आग्रह करेंगे कि सरकार इस बात का संज्ञान ले और इसपर जो भी सम्भव है, पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए वह किया जाय।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभाव मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.37 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.37 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

अपराह्न 2.37 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चम्बल नदी के कारण हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए एक कार्य योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह (भिंड) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से निकलने वाली चम्बल नदी के दोनों किनारे की हजारों हैक्टर कृषि योग्य भूमि का कटाव, क्षरण होकर बीहड़ों में बदलता जा रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यदि उस कटाव को रोका नहीं गया, तो अगले 100 वर्षों में मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना जिले प्रदेश के नक्शे से हट कर चम्बल के बीहड़ो में तबब्दील हो जायेंगे। सरकार द्वारा इस भूमि क्षरण को रोकने हेतु जो धनराशि अभी तक उपलब्ध कराई जाती रही है, उसका अपव्यय अधिक उपयोग कम हुआ है, ऐसा शासकीय रिपोर्ट में बताया है। यदि चम्बल घाटी को हरा-भरा व कृषि योग्य बनाना है, तो भूमि क्षरण के अन्य उपायों के साथ स्थानीय लोगों को जो भूमिहीन है, बेरोजगार युवक हैं, उन्हें शासन सामान्य दर पर ऋण देकर बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने के लिए उन्हें पट्टे पर दे, तथा इसके लिए एक कार्य योजना का निर्माण किया जाए।

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ता के लाभार्थ वर्ष 1995 में घोषित रियायतों के पैकेज को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, दिसम्बर, 1995 में ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन उपभोक्ताओं हेतु तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा रियायतों की घोषणा करते हुए एक ग्रामीण पैकेज की घोषणा की गई थी। उक्त पैकेज को 1.1.1996 से लागू किया जाना था। इस पैकेज के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क आधा स्थानीय किराए एवं कालों में छूट तथा ग्रुप डायलिंग क्षेत्र भी बढ़ाये जाने का प्रावधान था, परन्तु उक्त पैकेज अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जबकि इसकी घोषणा हुए एक वर्ष का समय बीत रहा है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में एक अन्य योजना एम.ए.आर.आर. के अन्तर्गत टेलीफोन लगाए जा रहे हैं। उक्त टेलीफोन ग्रामों में विवाद का विषय बन गया है तथा इसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। सरकार इसके लिए लाखों रुपये प्रति टेलीफोन व्यय कर रही है। एक ग्राम में एक ही टेलीफोन इस योजना के अन्तर्गत लगाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में दिए जाने वाले सामान का दुरुपयोग भी किया जा रहा है।

मेरा संचार मंत्री जी से आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार माध्यमों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त पैकेज लागू करने की घोषणा करें, जिससे ग्रामीण जनता वास्तविक लाभ उठा सके।

[अनुवाद]

(तीन) 'काम के अधिकार' को मूल अधिकारों में शामिल किए जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता) : महोदय, बेरोजगारी की समस्या राष्ट्र तथा सरकार के समक्ष एक ज्वलंत समस्या है। हमें गर्व है कि अगले वर्ष हमारा देश स्वतंत्रता आन्दोलन की 50वीं वर्षगांठ मानने जा रहा है। हम राजनैतिक आजादी तो भोग रहे हैं लेकिन हमारी आर्थिक आजादी अभी भी बहुत पीछे है जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगार नवयुवकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और अन्य सरकारी सेवाओं में नौकरियों की संख्या भी दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। कर्मचारियों की छंटनी,

कारखानों की बन्दी और स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति आए दिन हो रही है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी नौकरियों और अन्य एजेन्सियों में काम कर रहे लोगों को बिना कोई वैकल्पिक रोजगार दिए उनसे मकान और रोजगार भी छीनी जा रही है। आज के समय की मांग है कि आर्थिक आजादी को मजबूती प्रदान की जाय। सरकार द्वारा 'काम के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में अवश्य स्वीकार करना चाहिए तथा बेरोजगार युवकों के लिए इस बारे में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। राष्ट्र को यह सन्देश जाना चाहिए कि नई पीढ़ी देश के भविष्य की आशा और आकांक्षा है। उन्हें नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए।

(चार) निजी क्षेत्र में श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : सभापति जी, देश में जब से निजी कंपनियों को विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाने की छूट दी गई है, तब से उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों में भारी असंतोष है क्योंकि उद्योगपति अपने लाभ कमाने के खातिर श्रमिकों की जायज मांगों एवं समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। यदि कहीं थोड़ा बहुत ध्यान दिया भी जाता है तो उसे लम्बे समय तक लटकाए रखा जाता है और श्रमिकों को ही दोषी मान लिया जाता है। यदि श्रमिक अपने हक के लिए शांतिपूर्वक आन्दोलन करते भी हैं तो उन्हें लाकआउट करने की धमकियां दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिक अपने पेट के गुजारे की खातिर कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे दश में बेरोजगारी बहुत है। उद्योगों के द्वार पर बेरोजगारों की कतारें लगी रहती हैं जिसके कारण उद्योगपति श्रमिकों की समस्याओं ओर ध्यान नही देते हैं। सरकारी उपक्रमों पर तो सरकारी मशीनरी (श्रम विभाग) हर स्तर पर सबल जवाब लेते हैं और दबाव भी डालते हैं। जिस तरह उपक्रमों की ओर सरकार का ध्यान रहात है, उस तरह निजी कम्पनियों पर कोई अंकुश नहीं है जिसमें श्रमिकों की समस्या हो अथवा आरक्षण का मसला। मैं चाहता हूं कि उपक्रमों पर सरकार जिस तरह ध्यान रखती है, उसी तरह निजी उद्योगों पर भी श्रमिकों को जायज समस्याओं के निराकरण तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के नियम को लागू करने की भी निगरानी रखी जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के जिलों में जो फैक्टियां हैं उन्होंने श्रमिकों की जायज मांगों की ओर ध्यान न देकर लाकआउट की धमकियां दी हैं जिसमें सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री, कोटा सिमकौर और चित्तौड़ सीमेंट फैक्ट्री माइन है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि श्रमिकों की उचित समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएं जाएं।

(पांच) सीतामढ़ी जिले में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए बिहार राज्य सरकार को धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, बिहार के सीमामढ़ी जिले में सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है जिसके कारण जिले का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास बाधित हो रहा है। सीतामढ़ी बाढ़ग्रस्त जिला है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मुख्य मार्ग एवं ग्रामीण सड़क टूट जाता है। जिला में कोषाभाव के कारण सड़कों का मरम्मती कार्य समय पर नहीं हो पाता है। राज्य सरकार भी अपने सीमित संसाधनों में से कार्य कराती है मगर विलम्ब हो जाता है जिसके कारण जिले के सभी मुख्य मार्गों की स्थिति इतनी भयानक एवं जर्जर हो चुकी है जिसके ऊपर बसों, ट्रकों, ट्रैक्टर आदि वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। जिले का एक भी मुख्य मार्ग एवं ग्रामीण सड़क सुरक्षित नहीं है जिसके कारण लोगो को अवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा आग्रह है कि सीतामढ़ी जिले की सड़कों को चौड़ीकरण एवं मजूबतीकरण हेतु अलग से फंड आबंटित करें जिससे कि सड़कों का मरम्मती कार्य हो सके।

(छह) अगरतला में और उसके आसपास दूरदर्शन सुविधा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा-पूर्व) : महोदय, दूरदर्शन अब सार्वजनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हम दैनिक जीवन में इसकी महत्ता को नकार नहीं सकते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी, अगरतला, में एक दूरदर्शन केन्द्र है लेकिन यह एक घंटे से अधिक स्वतंत्र रूप से अपने कार्यक्रम नहीं दे सकता। हर समय यह दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम ही रिले करता रहता है। त्रिपुरा राज्य की एक-तिहाई जनसंख्या जनजातीय है और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति है। राज्य के लगभग सभी लोग बंगला-भाषी हैं। चूंकि समय बहुत ही ज्यादा सीमित है अतः राज्य के, विशेषरूप से जनजातीय लोगों के विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर कार्यक्रम बनाने के अवसर नहीं हैं। अतः राज्य के कार्यक्रमों के प्रसारण का समय एक घंटे से बढ़ा देना चाहिए और सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि त्रिपुरा के लोग कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रमों को भी देख सकें। प्रसारण का सीमाक्षेत्र भी बढ़ाया जाना चाहिए। बेलोनिया और धर्मनगर में दो और प्रसारण केन्द्रों की स्थापना भी शीघ्र की जानी चाहिए।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य के कार्यक्रमों का प्रसारण समय बढ़ाए, कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रसारण शुरू करे तथा बेलोनिया और धर्मनगर में दो और प्रसारण केन्द्र स्थापित करे तथा अगरतला दूरदर्शन के सीमाक्षेत्र को भी बठाएं।

[हिन्दी]

(सात) मध्य प्रदेश के सतना जिले में बिरहुली रेलवे फाटक पर हुई रेल दुर्घटना के पीड़ित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : मध्य प्रदेश के सतना जिले में बिरहुली रेलवे फाटक के बीच 29.11.96 को रात्रि में मालगाड़ी तथा ट्रैक्टर से टकराव होने से चार लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई तथा चार लोग अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। यह घटना रेल फाटक खुला होने के कारण हुई है। सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। इस मामले में मेरा सुझाव है कि रेल मंत्रालय मरे हुए व्यक्ति के परिवार को पांच-पांच लाख रुपया तथा विकलांग हुए लोगों को दो-दो लाख रुपया मुआवजा दे तथा प्रत्येक परिवार के एक-एक लोगों को नौकरी देवे क्योंकि वे भी सरकारी कर्मचारी थे।

[अनुवाद]

(आठ) सिक्किम को समुचित बुनियादी ढ़ांचा विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भीम प्रसाद दाहाल (सिक्किम) : महोदय, हम सिक्किम के लोग प्रधान मंत्री द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो काफी लम्बे समय से उपेक्षित रहा है, के विकास में दिखाई गई रूचि के प्रति अत्यधिक खुश हैं। प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के कुछ ही महीनों के भीतर श्री देवे गौड़ा ने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया तथा बड़ी सहृदयता से वहां के चहुंमुखी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की। तथापि, हम यह कहने को बाध्य है कि अलग-अलग पड़े होने की उसी समस्या से ग्रस्त, घटिया आधारभूत सुविधाओं और कठिन पहाड़ी-तराइयों वाले राज्य सिक्किम की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है।

इस उल्लेख के माध्यम से, मैं प्रधान मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि हम लोग सिक्किम में उनकी राह ताक रहे हैं ताकि वह स्वयं आकर देखें कि कठिन जीवनयापन की परिस्थितियों के कारण हमारे लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के पास विशाल पन-विद्युत भण्डार है। पर्यटन और बागवानी की भी संभावनाएं है जिसका दोहन धन की कमी के कारण तथा समुचित आधारभूत सुविधाओं की अनुपस्थित में अभी तक नहीं किया गया है। आज तक, वहां पर केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी प्रमुख योजना नहीं शुरू की गई है और न ही कोई वायु सम्पर्क स्थापित किया गया है जिससे पर्यटन के विकास को बढ़ावा मिलता।

इन बातों के साथ, मैं प्रधानमंत्री से विशेषतौर पर तथा केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सिक्किम को भी देश का ही हिस्सा समझकर उससे प्रेम करें क्योंकि लम्बे समय का एकाकीपन अपनी तरह की ही समस्या को जन्म देता है।

अपराह्न 2.50 बजे

[अनुवाद]

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 11 पर चर्चा करेगी। मैं अब श्री विज गोयल को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक, 1957 में बना था और आज 1996 के अंदर यह दिल्ली के लिये परिहास बन गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस काम के लिये इस प्राधिकरण का गठन किया था, उसकी एडवाईजरी कमेटी की बैठक पिछले तीन सालों से, जबसे जनता ने पिछले 6 महीनों से मुझे लोकसभा के लिये चुनकर भेजा है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नहीं हुई है। इसका हैड और कोई नहीं, दिल्ली के उप-राज्यपाल हैं। मैंने इसकी बैठक के लिये विशेष रूप से एक पत्र लिखा कि इतने सालों से बैठक नहीं हुई है, इसकी बैठक आयोजित की जाये। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण किस प्रकार से काम कर रहा होगा। यह दिल्ली वही पांडवों की राजधानी है जिसका नाम इन्द्रप्रस्थ हुआ करता था। दिल्ली का महाभारत से जुड़ा हुआ इतिहास है जिसपर धार्मिक, संस्कृति और पूरा इतिहास टिका हुआ है। उन पांडवां की राजधानी में जहां द्रौपदी का चीर-हरण हुआ था, आज वहां पर हर व्यक्ति चिरता चला जा रहा है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से इसका विकास होना चाहिये।

सभापति महोदय, आज सबसे पहले दिल्ली शब्द को ले लें। हिन्दी के अंदर दिल्ली लिखा जाता है जबकि अंग्रेजी में देहली लिखा जाता है। मैं केन्द्रीय सरकार से चाहूंगा कि सबसे पहले अंग्रेजी में इसका स्पैलिंग ठीक करके दिल्ली लिखा जाये क्योंकि दिल्ली जैसे हिन्दी में बोला जाता है, वैसे ही अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। इसकी आज आवश्यकता है। अगर नाम में ही गड़बड़ रहेगी तो काम कैसा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था तो उस समय दिल्ली की आबादी 7 लाख थी और 1947 में जब शरणार्थी यहां आये तो इसकी जनसंख्या 14 लाख हो गयी। तब इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि दिल्ली के विकास के लिये कोई अधिनियम लाया जाना चाहिये तब 1957 में यह अधिनियम लाया गया और एक मास्टर प्लान बनाया गया कि एक योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली का विकास किया जायेगा और यह कहा गया था कि एक सुनिश्चित बैठक करके इस कार्य को किया जायेगा। दूसरा काम था भूमि का अधिग्रहण करना, डिसपोज करना और मैनेज करना। अफसोस की बात तो यह है कि आज मास्टर तो है लेकिन प्लान नहीं रह गया। डी.डी.ए. की जमीन पर माफिया अवैध

कब्जा करके बैठे हुये हैं, उसको डिस्पोज कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं जबकि डी.डी.ए. आंख मीचकर बैठी हुई है। आपको ध्यान होगा कि डी.डी.ए. ने 60 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है किन्तु उस भूमि का कितना विकास हुआ है, इस संसद में बैठे हुये सांसद अंदाजा लगा सकते हैं। इस दिल्ली का कोई वली-वारिस नहीं क्योंकि यहां पर डी.डी.ए., सी.पी.डब्लयू.डी., एम.सी.डी. और न जाने कितनी ऐजेसियां हैं। जब यहां पर इतनी सारी सरकारें होंगी तो आम आदमी का क्या हश्र होगा, आप स्वंय सोच सकते हैं। एक आम नागरिक को एक काम के लिये कितनी जगह जाकर मालूम करना पड़ता है कि यह भूमि डी.डी.ए. की है, एम.सी.डी. या केन्द्र सरकार की है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक अथारिटी से दूसरी अथारिटी तक भागते-भागते आदमी बेहाल हो जाता है। किन्तु आज हम सब लोग इस बात पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि दिल्ली को इतने सारे निकायों के अंदर, इतनी सारी अथारिटीज के अंदर हमने क्यों बांट रखा है। हम क्यों नहीं चाहते कि एक निकाय बनाकर दिल्ली का पूर्ण विकास किया जाए?

सभापति जी, डी.डी.ए. हाउसिंग का प्रबंध कर रही है, मकान बना रही है। अगर मैं ठीक कहता हूं तो जब दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था तब उसका काम सिर्फ मकान बनाना ही नहीं था, उसका काम मास्टर प्लान बनाकर ले-आउट करके भूमि का आबंटन करना था ताकि बाकी लोग उस पर विकास कर सकें। लेकिन आज डी.डी.ए. ने ऐसे मकान बनाए है जिनकी छत कब गिर जाएगी इस बात का किसी को पता नहीं है। उसमें क्या सीमेंट और लोहा लगा है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। एक उदाहरण नहीं है। दिल्ली में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। बसंत कुज से लेकर दूसरी जगह जहां भी डी.डी.ए. मकान बना रही है, वह कभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं और उसमें रहने वालों को यह डर लगा रहता है कि पता नहीं कब छत के नीचे से वह छत के ऊपर चले जाएंगे। 1988-89 में डी.डी.ए. ने 24,000 मकान बनाए थे। 1989-90 में डी.डी.ए. ने 21,000 मकान बनाए थे। वहीं 1995-96 में डी.डी.ए. ने मात्र 2000 मकान बनाए। आज 70 हजार लोग डी.डी.ए. के मकानों को लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। डी.डी.ए. ने अभी तक उन मकानों को नहीं बनाया है। 1995-96 में सिर्फ 2000 मकान ही बनाए। किस प्रकार से यह हाउसिंग प्राबलम को दूर कर सकता है, इस पर मुझे नहीं लगता कि केन्द्र सरकार का ध्यान है। 1995-96 के बजट के लिए जब लैफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठक हुई तो उसमें बताया गया कि ढाई सौ करोड़ रुपये का बजट है और उसमें से मात्र 75 या 50 करोड़ रुपया हाउसिंग में खर्च किया गया। बाकी रुपया खर्च नहीं किया गया। जिस समय वह हाउसिंग के लिए नयी स्कीमें लेकर आए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने पिछले मकान आवंटित कर दिये हैं? मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं बल्कि राज्य सभा में 5 दिसंबर को हमारे मंत्री वेंकटेस्वरलु जी, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं और जिनको मैं बहुत सिन्सियर समझता हूं, किन्तु मुझे नही लगता है कि ये डी.डी.ए. को पूरी तरह से समझ पाए होंगे और डी.डी.ए. को तो अभी तक उनके वाइस चेयरमैंन भी नहीं समझ पाए हैं। अगर आप 17 महीने में एक वाइस चांसलर को बदलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि नये वाइस चेयरमैंन को समझने के लिए कितना समय लग सकता है। राज्य सभा में 5 दिसंबर को इस प्रश्न पर कि दिल्ली में मकानों को कोई लेने वाला नहीं है, 3017 मकान बिन्दापुर द्वारका में खाली हैं, मंत्री जी जवाब देते हैं कि इनका नया कनसैप्ट है। धीरे-धीरे डैवलपमेंट होगा। डी.डी.ए. ने जिस प्रकार से मकान बनाए है, उनको कोई लेने वाला नहीं है। 21535 मकानों को कोई लेने वाला नहीं है। 29 फरवरी को इन्होंने जवाब दिया था और जब पूछा गया कि इसका क्या कारण है, तो बताया गया कि इसमें बिजली, पानी नहीं आया है। यह कहा गया कि बिजली तथा पानी दूसरी एजेन्सियों ने देना है। मैं केन्द्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस समय इन मकानों का प्लान किया गया था, इनकी योजना बनायी गयी थी कि यहां 21,000 मकान बनाएंगे, तब क्या एम.सी.डी., डेसू से बात नहीं की गई थी? वाटर सप्लाई से बात नहीं की गई थी? इन मकानों में बिजली और पानी कब तक मिलेगा? जब उन मकानों बिजली और पानी नहीं मिला है तो जो नयी योजनाएं इनकी चल रही हैं, उसमें इन्होंने पानी और बिजली की क्या कुछ व्यवस्था की है या वह मकान भी बिना पानी, बिजली की व्यवस्था के रहेंगे? मैं सदर दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां लाखों एकड़ जमीन मेरे क्षेत्र में पड़ती है। उस पर मैं बाद में कहूंगा। किन्तु मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि डी.डी.ए. आगे की जो योजनाएं ले रहा है जब तक उनमें पानी और बिजली की आपूर्ति का आश्वासन न हो, तब तक उन योजनाओं को लेने का कोई फायदा नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : दिल्ली सरकार क्या कर रही है?

श्री विजय गोयल : दिल्ली सरकार के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण नहीं है, आपको शायद यह जानकारी नहीं है। दूसरे, जब आप योजना बनाएंगे और बिजली और पानी के लिए बात करेंगे तभी दिल्ली सरकार आपको वह देगी। और अगर दिल्ली सरकार नहीं दे सकती है तो आप क्यों खाली ढांचे बनाकर खड़े करते जा रहे हैं? यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए दिल्ली सरकार पर आक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को ही दिल्ली सरकार को दे दिया जाए और उसके बाद उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

सभापति जी, अंबेडकर आवास योजना और न्यू पैटर्न योजना के अंतर्गत 43,394 व्यक्तियों का पंजीकरण है, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है और अब तक जिनको फ्लैट नहीं मिले हैं और कुल मिलाकर 70,000 लोग लाइनों में खड़े हैं कि कब उनका नंबर आएगा। पर इसकी कोई जानकारी नहीं है और कोई बताने वाला नहीं है कि आने विकास की क्या योजनाएं होंगी। अगली विकास की योजनाओं के लिए भी नहीं बताया गया है कि किस तरह से वह हाउसिंग योजनाएं बनायी जाएंगी। अभी दो स्कीमें निकाली गई हैं। एक जनता रजिस्ट्रेशन स्कीम और दूसरी एस.एस.एस. निकाली गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं पूछना चाहता हूं 35 सौ फ्लैट के लिए आपने अनगिनत एप्लीकेशंस मंगा लिए हैं और उनसे पांच-पांच हजार रुपया भी ले लिया है। उन पांच-पांच हजार रुपये के ऊपर केवल गरीब लोगों के लिए जो यह फ्लैट बनाये जा रहे हैं उसमें केवल दस प्रतिशत ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, वे क्यों दस प्रतिशत पे करेंगे और उस करोड़ों रुपये का डी.डी.ए. क्या करेगा। इसका भी केन्द्रीय मंत्री को जवाब देना होगा। द्वारिका फेस-1 के अंदर और द्वारिका फेस-2 के अंदर जो कि 2000 या 2002 तक पूरे हो जाने चाहिए थे, वह पूरे नहीं हुए हैं। आज मंत्री जी इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं। यह कब पूरे होंगे। ये सारी स्कीम पोस्टपोन की जा रही है, उनको आगे सरकाया जा रहा है और ये जो एजेन्सीज है इनके तालमेल के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है। क्योंकि आज केन्द्रीय सरकार है जिसने विभिन्न-विभिन्न एजेन्सियां जो बनाई हुई हैं, उनमें वह तालमेल नहीं रखती है। अगर यही डी.डी.ए. दिल्ली सरकार के पास आ जाए तो उसके बाद मुझे यह लगता है कि तालमेल के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। नई योजना शुरू करने से पहले दिल्ली सरकार से पूर्ण रूप से बात करनी चाहिए। सभापति महोदय, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज डी.डी.ए. अपने डाकूमेंट्स के ऊपर गर्व से इस बात को लिखता है कि 3257 एकड़ जो भूमि है वह एनक्रोच हो चुकी है। उसके ऊपर अवैध कब्जा हो गया है। अगर दिल्ली में किसी को जगह न मिले तो डी.डी.ए. की जमीन के अंदर घुस जाओ। आप पूरी बिल्डिंग बना लीजिए, आप कार का शोरूम बना लीजिए कोई पूछने वाला नहीं है। 3257 एकड़ भूमि आज लाखों की नहीं, अरबों रुपयों की है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी आदमी इस एनक्रोचमेंट के लिए, क्या एक भी इस अवैध कब्जे और निर्माण के लिए आज तक सस्पेंड हुआ है। इतनी भूमि अधिगृहीत हो गई। मैंने अपने इलाके की डी.डी.ए. की सब भूमि को देखा है कि कौन-कौन सी भूमि डी.डी.ए. की है। उसके बाद मैं प्राधिकरण को चिट्ठी लिखता हूं कि आप बताइये मेरे इलाके में आपकी कौन-कौन सी भूमि है तो उसमें से आधी भूमि का तो उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी भूमि कहां-कहां पर है और जिस प्रकार से अवैध कब्जे हुए हैं उसमें से डी.डी.ए. अपने दावे के अनुसार आज तक केवल दो सौ एकड़ जमीन ही वापस ले पाया है। आज भी कई हजार करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा है और एक भी आदमी सस्पेंड नहीं किया गया है। आज डी.डी.ए. की जमीन पर 352 झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र बन गयें हैं। वह क्षेत्र बनाये नहीं गये हैं, वहां ई.डब्ल्यू.एस. के फ्लैट नहीं दिये गये हैं, वहां कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट नहीं बनाये गये, वह तो मात्र लोगों ने कब्जे किये और उसके बाद जिस प्रकार से झुग्गी-झोपड़ी बनी हैं, उनके अंदर कोई सुविधा नहीं है। आज डी.डी.ए. न तो अपनी जमीन खाली करा सकता है और न ही उनको सुविधा दे सकता है। आज डी.डी.ए. कम से कम सुविधा देकर उनको वहां सही तरीके से बसा सके, ऐसा भी नहीं है। डी.डी.ए. के ऊपर यह भी आरोप है कि वह मनी-मेंकिग एजेन्सी हो गया है। आपने देखा होगा हममें से हर एक व्यक्ति कहता है कि पब्लिक स्कूलों की फीस बहुत बढ़ गई है, पब्लिक स्कूल मनमाने ढंग से रुपया मांग रहे हैं, मनमाने ढंग से फीस को बढ़ा रहे हैं। कोई सरकार से, दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूछता नहीं है कि अगर 80 लाख रुपये प्रति एकड़ की जमीन साउथ दिल्ली के अंदर देंगे, अगर 50 लाख एकड़ की जमीन आप नार्थ दिल्ली के अंदर देंगे, अगर 35 लाख एकड़ पूर्वी दिल्ली के अंदर देगे तो कोई कारण नहीं है कि वे सोसाइटियां जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वे नो प्राफिट, नो लॉस के अनुसार काम करे। बिना कमाये वे काम काम करें, वे इतना रुपया कहां पर ले जायेंगी। मुझे याद है एक-एक सोसायटी जिस समय एप्लाई करती है, उस समय किस प्रकार से जूते रगड़े जाते हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि डी.डी.ए. के अंदर आज तक किसी भी सोसाइटी के पत्र का जवाब देने की प्रथा नहीं हैं। ये सब बातें मैंने लेफ्टिनेट गवर्नर के सामने रखी थी और मैंने उस समय भी कहा था कि इन बातों का कोई जवाब हो तो बताइये, किसी भी सोसाइटी को कोई जवाब नहीं देता है। बस पैसा खिलाओं और जमीन ले लो, यह आज दिल्ली विकास प्राधिकरण का हाल हो चुका।

माननीय सभापति जी, आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो मकान बने हैं उन मकानों की कीमत इतनी ज्यादा है। मकान बनाये तो इसलिए जाने थे कि वे कमजोर वर्गों के लिए होते हैं। एक-डेढ़ लाख रुपये के अंदर मकान बनाया जाता, आज दस-दस लाख रुपये दाम प्राधिकरण ने बढ़ा दिये हैं और उनको लेने के लिए कितनी असुविधा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिन सोसाइटीज को प्राधिकरण ने लैंड अलॉट की है उन्होंने अपने मकान देर से बनाये, उनके ऊपर जुर्माना किया गया। बाद में यह पाया गया कि उनकी बिल्डिंग के जो नक्शे थे, वही पास करने के लिए डी.डी.ए. ने आपस में देर की। किंतु उनकी सुनवाई नहीं हुई और इसी कारण से आज बहुत सी सोसाइटीज अधूरी पड़ी है, उनके मकान नहीं बन रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण आज मनी-मेकिंग एजेन्सी बन गया है, एक कमाऊ पूत बन गया है और वह आम नागरिक के लिए नहीं है। प्राधिकरण को कोई यह अधिकार नहीं जाता कि वह लोगों से कमाई कर उनको मकान आबंटित करें। उसको तो चाहिए कि वह नो प्रॉफिट, नो लॉस के आधार पर लोगों को मकान की सुविधा दे। आज जो सोसाइटीज हैं वे सारी की सारी इस बात की मांग करती हैं कि कोई ग्रीवेन्स दूर करने का सिस्टम बनाया जाए, जिसमें लोगों के ग्रीवेन्स दूर हो सकें। डी.डी.ए. के अंदर कोई ग्रीवेन्स सिस्टम नहीं है, कोई ग्रीवेन्स सैल नहीं है जहां पर जाकर आदमी अपनी शिकायत करे और उसकी शिकायत सुनी जाए। ऐसा कोई सिस्टम डी.डी.ए. के अंदर नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप पूरे इलाकों में चले जाइये, जगह-जगह आपको डी.डी.ए. के पार्क मिलेंगे, गुलाब वाटिका मिलेगी। वाटिका तो होगी किंतु उसके अंदर एक भी गुलाब नहीं होगा। आज एम.सी.डी. के मुकाबले डी.डी.ए. के पार्कों का विकास नहीं होता। प्रत्येक पार्क के लिए, एक

पकड़ एरिया पर एक माली रखा जाता है लेकिन मेरे यहां आप देख लीजिए एक-एक पार्क में 40-40 माली हैं। अगर आप घूमते हुए चले जाएंगे तो 5 माली भी आपको नहीं मिलेंगे।

इस बात को भी मैं यहां रखना चाहता हूं कि डी.डी.ए. ने जिन लोगों की जमीन एक्वायर की है, उन्हें कम्पेन्सशन नहीं मिलता, लोगों को इसकी बड़ी शिकायत है। डी.डी.ए. धड़ल्ले से जमीन तो एक्वायर कर लेती है, उसका विकास हो या न हो, लेकिन कम्पेन्सेशन लेने वाले, मुआवजे के लिए लोग डी.डी.ए. के चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है।

गांधी जी ने कहा था कि जब तक हम गांवों का विकास नहीं करेंगे, शहरों की तरफ लोग दौड़ते रहेंगे। डी.डी.ए. ने आज तक गांवों का विकास नहीं किया जिसके कारण दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दिलली शहर के ऊपर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हाउसिंग सोसायटीज भी यहां काम नहीं कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि डी.डी.ए. फिर से प्राइवेट एजेन्सीज को एन्गेज करके, ले-आउट प्लान बनाकर, सभी के समर्थन से विकास कार्य करे तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान दे पाएंगे।

आज डी.डी.ए. के बारे में लोगों को सबसे जयादा शिकायत उसमें फैले भ्रष्टाचार के कारण है। डी.डी.ए. के अधिकारियों की एक मीटिंग में, जिसमें एल.जी. साहब भी बैठे थे, मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया और कहा कि अगर डी.डी.ए. में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहे कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूं तो वह खड़ा हो जाए - एक भी व्यक्ति उस समय खड़ा नहीं हुआ। नीचे से लेकर उच्च अधिकारी तक सभी इसमें लिप्त हैं। जब तक किसी फाइल के नीचे पहिए न लगाए जाएं, फाइल आगे चलती नहीं। यदि कोई व्यक्ति डी.डी.ए. में काम करता है, पहले कुछ ईमानदार लोग रहे होंगे, लेकिन आज यही समझा जाता है कि सब भ्रष्टाचार में लगे हैं।

डी.डी.ए. में फैले भ्रष्टाचार के लिए, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है क्योंक उसने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इतना भ्रष्टाचार होते हुए भी, आज तक केवल 8 आदमियों को पीनेलाइज किया गया है, सजा दी गई है, 48 लोगों पर केस चल रहे हैं जो केवल जे.ई. और ए.ई लेवल के है। किसी बड़े अधिकारी को आज तक पकड़ा नहीं गया। ऐसे कुल 6 व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं जिनके पास आय से अधिक सम्पत्ति है। लोगों की धारणा ऐसी है कि बिना भ्रष्टाचार के डी.डी.ए. में कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली विकास प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार नहीं सम्भाल सकती तो आवश्यकता इस बात की है कि उसे दिल्ली सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए अन्यथा दिल्ली की जनता जैसे बिजली और पानी की समस्याओं के लिए लगातार जूझती रही है, वहीं स्थिति हो जाएगी।

डी.डी.ए. जिन उद्देश्यों को सामने रखकर बनाया गया था, उसमें वह बिल्कुल फेल हो चुकी है। अगर डी.डी.ए. दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहती है तो उसे झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में काम करना पड़ेगा क्योंकि वहां आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। आज डी.डी.ए. के मकानों को तोड़कर लोगों ने दुकानें बना ली हैं और एक-एक दुकान की वैल्यू 80-80 लाख रुपए तक है लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया कि उन्होंने मकान तोड़कर दुकानें क्यों बना लीं। उनमें जो मैटीरियल लगाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि उसे तोड़कर दूसरा निर्माण करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा।

मंत्री जी ने सदन में जो संशोधन पेश किये हैं, यदि सदन उन संशोधनों को देखें तो उन्हें प्रैस करते हुए, मंत्री जी ने इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगता है। पहले दिल्ली में महानगर परिषद थी लेकिन आज विधान सभा बन गई है।

अपराह्न 3.09 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

उसमें पहले तीन सदस्य थे, अब भी तीन सदस्य ही हैं जिन्हें डी.डी.ए. अथौरिटी में आना हैं। उसके लिए कहा गया कि दो सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी के होंगे और एक विरोधी दल का होगा। अब सवाल यह है कि आज जो पार्टी सत्ता में है, उसके केवल 45 सदस्य यहां है। क्या उन 45 सदस्यों की तरफ से दो प्रतिनिधि और विरोधी दल की तरफ से केवल एक प्रतिनिधि उसमें लिया जाएगा जबकि विरोधी दल के सदस्यों की संख्या उनसे कितनी अधिक है। आप लोग सभा की किसी भी कमेटी को देख लीजिए सभी में सिंगल प्रोपोर्शनेट वोट के आधार पर, पार्टी के सदस्यों की संख्या के अनुपात में उस पार्टी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब दिल्ली में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ है, इसलिए सबके हित में यही होगा कि अब तक जो परिपाटी चली आ रही है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमारे दल के सदस्यों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिस पार्टी के जितने सदस्य हों, उसी के आधार पर उस पार्टी को प्रतिनिधित्व दिया जाए तो ज्यादा ठीक होगा।

मेरा दूसरा संशोधान यह है कि डी.डी.ए. अथौरिटी मे 13 सदस्य हैं जिनमें से सबसे छोटे निकाय कार्पोरेशन के दो सदस्य होंगे। उससे ऊपर वाले निकाय, दिल्ली विधान सभा के तीन सदस्य आएंगे और उसके ऊपर वाले निकाय संसद से एक भी सदस्य नहीं आएगा। यह कैसे संभव है। केन्द्र सरकार के नीचे दिल्ली विकास प्राधिकरण है, किन्तु केन्द्र सरकार, यानी संसद का कोई भी प्रतिनिधि उसमें नहीं हैं। इसलिए मैंने दूसरा सुझाव यह दिया है कि केन्द्रीय सरकार का जो प्रतिनिधित्व है, वह संसद सदस्य के नाते उसमें होना चाहिए। डी.डी.ए. की एडवाइजरी कौंसिल में दो मैम्बर हो जाएंगे किन्तु डी.डी.ए. अथौरिटी में एक भी संसद सदस्य न जाए, यह ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरा संशोधन है कि कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा तीन सदस्य लोक सभा से चुनकर डी.डी.ए. अथौरिटी में जरूर जाने चाहिए।

सभापति महोदय, अन्त में मेरा यही निवेदन है कि डी.डी.ए. एडवायजरी कौंसिल को उस समय जरूरत नहीं रहेगी जब पर्लियामेंट के दो सदस्य उसके अंदर चले जाएंगे। मुझे लगता है इस अमेडमेंट को मंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे और केवल इसलिए कि पहले यह आ चुका है, वे इसके लिए मना कर दें, यह ठीक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा हाउस इसको ठीक समझेगा और मेरा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इस पर हाउस के सदस्य पक्ष में हैं। इसलिए इसको जरूर मान लेना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बलाई चन्द्र राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकन इस संशोधन का समर्थन करते हुए, मुझे यह मानना पड़ेगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली का विकास नहीं कर पाई है अथवा दिल्ली में हुए विकास को बनाकर नहीं रख पाई है। इसमें कोई शंका नहीं है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान दिल्ली का विकास हुआ है और उसी गति से हुआ है जितना कि अन्य सभी शहरों में हुआ है। उद्योग स्थापित हुए हैं तथा ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बनाई गई हैं। इसके साथ-साथ इन इमारतों के चारों ओर गन्दी बस्तियां भी बस गई हैं।

इस विकास को गलत नहीं समझना चाहिए। सभी सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलते हुए दोनों तरह की असफलताओं का उल्लेख किया है। एक तो उपयुक्त योजना बनाने में कमी तथा दूसरा दिल्ली विकास प्राधिकरण की वृहत योजना को क्रियान्वित करने में असफलता। जिस मुख्य समस्या पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्यान नहीं दिया है वह यह है कि विकास व्यापक रूप से तथा मिलकर करना चाहिए ताकि वहां की इमारतों और सड़कों के साथ-साथ उसका आर्थिक विकास, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक प्रगति भी हो जो कि एक विकासशील शहर में आधुनिक सभ्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त हो। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न तो कभी इस तरह की योजना बनाई है और न ही वह लक्ष्य प्राप्त किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की असफलताओं को किसी भी तरह गिना जा सकता है।

अभी, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि 21 फरवरी, 1996 से दिल्ली विकास प्राधिकरण के 21,535 फ्लैट खाली पड़े हैं। हम नहीं जानते कि उनका निर्माण क्यों किया गया था। उन्हें कोई लेने वाला नहीं है? ऐसा आधारभूत असफलताओं अथवा बिजली की कमी अथवा अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण है। उन फ्लैटों को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है क्योंकि वहां बिजली की आपूर्ति नहीं है।

इन 21535 फ्लैटों का निर्माण करने में काफी पैसा लगा होगा अर्थात जनता का पैसा और दिल्ली विकास प्राधिकरण इस जनता के पैसे को बिना किसी चिन्ता के खर्च कर रही है। जब इस बात का उल्लेख किया गया कि उन्हें बहुत हानि हुई थी तो शीर्षक रिपोर्ट में जो स्पष्टीकरण दिया गया, वह वास्तव में बहुत हैरान कर देने वाला था। वे कह रहे हैं कि जहां उन्होंने मकान बनाए हैं वहां की जमीन के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह जो नुकसान उन्हें हो रहा है, उसे प्रतिसंतुलित कर रहा है। यह अजीब बात है। यह नुकसान उनकी निधियों पर अतिरिक्त लाभ होना चाहिए। यह स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। 43394 पंजीकृत व्यक्तियों का पिछला बकाया है जैसा कि अभी बताया गया है।

अतिक्रमण के बारे में, यह पहले ही बता दिया गया है कि 3257 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन उसके पीछे यह विचार नहीं होना चाहिए कि झुग्गी-झोपड़ियों ने ही अधिकांश भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस तरह के शहर में झोपड़ियों का होना स्वाभाविक है। मलिन बस्तियां सम्भ्रान्त अस्तित्व की सहवर्ती हैं। ऐसे शहर में जहां लोग अत्यधिक खर्च कर सकते हैं और बहुत अधिक व्यक्तियों को वंचित रख सकते हैं, मलिन बस्तियां और बड़ी-बड़ी इमारतें दोनो साथ-साथ बढ़ रही हैं और वे बड़ी हैं। लेकिन फिर भी, मलिन बस्तियों का अधिक्रमित क्षेत्र के बहुत बड़े भाग पर कब्जा नहीं है। झोपड़ियों का कब्जा कुल 436 एकड़ भूमि पर है। 3257 एकड़ में से, 2821 एकड़ पर उन लोगों का कब्जा है जो सम्पन्न हैं, झोपड़ियों में नहीं रह रहे हैं। उन्होंने इस पर कब्जा कैसे कर लिया? मेरे माननीय मित्र जिन्होंने अभी बोला था, कहा कि वे किसी को घूस देकर यह काम कर रहे हैं। कोई अधिकारी इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता है? कलकत्ता में होहल्ला मच रहा है क्योंकि फेरी लगाने वालों को गलियों से हटाया गया है और उनके पुनर्वास का कार्यक्रम है। यदि अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, तो अतिक्रमण जारी रहेगा और सांविधिक प्राधिकारी को इस प्रकार के अतिक्रमण नहीं होने देने चाहिए। यह ऐसी स्थिति है जिसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही सब हो रहा है।

4 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार 22,000 ऐसे मकान खाली पड़े हैं जिनको लेने वाला कोई नहीं है। यही नहीं अपितु दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह भी विचार करना है कि—1947 में या स्वतंत्रता के तुरंत बाद अल्पावधि के दौरान इस पर कभी ध्यान नही दिया—यह ऐसी स्थिति है जो हमें तब से याद है जब से हम वयस्क हुए हैं - 21 दिनों में 70 लाख लोग सीमा पार से यहां आए। इसलिए दिल्ली में जनसंख्या का अतिप्रवाह हुआ और यहां आए लोगों को रखना पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप वे यहां आए। कोई योजना नहीं थी। 1947 या 1957 या 1967 में ही केवल कोई योजना नहीं थी अपितु कभी भी वास्तव में कोई योजना थी ही नहीं और बाद में भी कभी नहीं थी। दिल्ली में 2001 तक 122 लाख लोग हो जाएंगे। पुनः इसमें अत्यधिक वृद्धि होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उनके रहने के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं है। कभी-कभी "प्रवासी" शब्द के प्रयोग पर काफी होहल्ला होता है। कभी-कभी, प्रवासियों की विदेशियों के रूप में पहचान की जाती है जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि इस देश के किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने का अधिकार है। इसलिए, यदि कुछ लोग बाहर से आते हैं और दिल्ली को अपने निवास के रूप में चुनते हैं

तो किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। दिल्ली के लोगों को इसका समाधान ढूंढना है कि कैसे वे इसके लिए लिए सुंदर और विस्तृत ढांचे वाले शहर में उपयुक्त हो सकते हैं जो कि भारत में सर्वोत्तम होने के लिए आमादा है।

हमें आशा है कि दिल्ली को निश्चित रूप से इस उच्च स्थान पर काबिल होने का अधिकार है। लेकिन दिल्ली में जनसंख्या के दवाब को कम और विकेन्द्रित करने की योजनाएं थीं। काउंटर मैगनेट टाउन की योजनाएं थीं। प्रायोगिक उपाय के रूप में पांच शहरों को चुना गया था। लेकिन उस पर कड़ाई से पालन नहीं किया गया जो कि उस स्थिति में और आवश्यक है जैसी कि अब दिल्ली में हो रही है। उसका परणिाम यह हुआ कि काउंटर मैगनेट टाउन योजना उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी इसकी अपेक्षा की गई थी या जितनी वाछंनीय थी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि न कवेल दिल्ली विकास प्राधिकरण अपितु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, जो एक सांविधिक निकाय है, के पास धन की कमी नहीं है। ये दो संगठन भाग्यशाली हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का 11,000 करोड़ रुपये का बजट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उनके पास 1,967 करोड़ रुपये का बजट है। अब जबकि प्रवासियों और मलिन बस्तियों की समस्याओं को दिल्ली की महत्वपूर्ण समस्याओं के रूप में पहचान की गई है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए ताकि इन मलिन बस्तियों को हटाने के बजाए उनका पुनर्वास करके साफ किया जाए। पुनर्वास सम्भव है। कुछ शहरों में यह सम्भव हो भी पाया है। कलकत्ता में 'बस्ती' पुनर्वास योजना, यदि पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से तो सफल हुई ही है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए एक समाधान तो यह है कि 20 या 30 वर्षों तक किराये के आधार पर उन्हें एक कमरे का मकान दिया जाए। उसके पश्चात्, इस तरह से वसूला गया किराया निर्माण लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाए और इन्हें मकानों को उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए। यह ऐसा समाधान है जिसे कुछ कस्बों या शहरों ने स्वीकार किया है। मेरे विचार से हमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी ऐसा करने के लिए कहना चाहिए।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि समाधान यह नहीं है कि इन दो संगठनों को राज्य प्रशासन के सुपुर्द कर दिया जाए और यदि सुपुर्द कर दिया जाता है तो इनका बेहतर रूप से प्रशासन किया जा सकता है। यह सर्वविदित है और देश के आम आदमी द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि केन्दीय प्रशासन, जहां तक प्रशासनिक निष्पादन के लेखापरीक्षा का सम्बन्ध है, राज्य प्रशासन की अपेक्षा बेहतर क्रमबद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसलिए यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड केन्द्रीय प्रशासन के अधीन हों, तो यह स्वयं में व्यापक विकास के लिए बाधक नहीं होंगे। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि पर्यवेक्षण में और सुधार किया जाना चाहिएं यदि पर्यवेक्षण में सुधार होता है तो कार्यप्रणाली में निश्चित रूप से सुधार होगा।

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि राज्य विधान सभा से ही नहीं अपितु लोक सभा और राज्य सभा से भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वे इस तरह के संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में होंगे। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' (पूर्वी दिल्ली) : मान्यवर मेरे सहयोगी, साथी, मित्र सांसद श्री गोयल ने तीन विषयों पर अपनी बात रखी है। पहला विषय रिप्रजेंटेशन है, मेरा यह मत है कि विधान सभा के अन्दर रूलिंग पार्टी हो या अन्य हो, रिप्रजेंटेशन प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए और दिल्ली के एम.पीज. को भी उसके अन्दर शामिल किया जाना चाहिए।

मैं दसवी लोक सभा में भी था, अभी भी हूं। पिछले छः साल से डी.डी.ए. की गतिविधियों के साथ मेरा निकट सम्पर्क रहा है। मैंने डी.डी.ए. की 1300 करोड़ रुपये की जमीन, जिसका अतिक्रमण किया गया है, उसकी शिकायत तत्कालीन मंत्री श्रीमती शीला कौल से की थी और आज भी वर्तमान मंत्री जी से कर रहा हूं। सबसे दुख की बात यह है कि डी.डी.ए. को दिल्ली का ज्ञान नहीं है कि उसकी अपनी जमीन कितनी है। फैंसिंग नहीं की जाती है। वह गुंडों के लिए और लैंड ग्रैबर्स के लिए छोड़ दी जाती है। मैंने छः साल के अंदर ऑन द रिकार्ड 500 टेलीग्राम डी.डी.ए को दिए। जब एक बार चर्चा हुई तो मैंने कहा कि मैंने जमीन के अतिक्रमण के मामलों के आपको 500 टेलिग्राम दिए हैं तो उत्तर दिया गया कि हमारे पास केवल 25 टेलीग्राम आए हैं। इसका अर्थ यह है कि डी.डी.ए. के अधिकारी, इनके कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता अतिक्रमण करने वालों के साथ मिले हुए हैं। इस बाबत दो बार मुझे गोली से मारने की धमकी भी नार्थ ऐवन्यू में मिली, यह एफ.आई.आर. में दर्ज हैं। यह धमकी इसलिए मिलीं क्योंकि मैं पहला सांसद था जिसने 1300 करोड़ रुपये का ही नहीं, 48 करोड़ रुपये का घपला जो डी.डी.ए. में हुआ, उसमें शामिल आधिकारियों के खिलाफ सी.बी.आई. में केस भी रजिस्टर्ड कराया। आज तक डी.डी.ए. ने लोक सभा को इस बारे में सूचित नहीं किया कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। अगर मैं कहूं,

[अनुवाद]

कि मैं डी.डी.ए. की भूमि का रखवाला हूं, तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

सबसे पहले डी.डी.ए. के लोगों को तय करना चाहिए, मंत्री जी को तय करना चाहिए कि कौन सी तारीख तक डी.डी.ए. की सारी जमीन फैंसिंग करने के बाद उस पर बोर्ड लगा दिया जाएगा कि यह

डी.डी.ए. की जमीन है। जमीन अतिक्रमण करने में पुलिस अधिकारी, लैंड ग्रैबर्स और कनिष्ठ अभियंता तथा सहायक अभियंता, ये तीन लोग प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। एक सांसद के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

[अनुवाद]

वे सभी अपने साधनों से बढ़कर जी रहे हैं। हम लोग तो अपने डीजल की गाड़ी भी मेनटेन नहीं कर सकते, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कैसे चलाएं, जबकि कनिष्ठ अभियंता के पास तीन-तीन, चार-चार गाड़ियां हैं।

[अनुवाद]

वे विलासिता के साथ जी रहे हैं।

[हिन्दी]

यह भी इन्क्वायरी कराई जाए कि इनके रिश्तेदार कौन-कौन से ठेकेदार हैं। 48 करोड़ रुपये का जो घपला मैंने बताया था, उसमें काम नहीं हुआ और पेमेंट हो गई। यह दसवीं लोक सभा के रिकार्ड में भी है कि सी.बी.आई. में केस भी रजिस्टर्ड हुआ।

इसी तरह से दिलशाद गार्डन में 73 एकड़ जमीन का अतिक्रमण हुआ। मैंने 13 अगस्त 1996 को प्रेस कांफ्रेंस की थी। उसके बाद नीचे के अधिकारियों ने ऊपर के अधिकारियों को गुमराह कर दिया। मेरे पास 15.11.1986 का डी.ओ.लैटर है। मैंने कहा कि जो मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। वे कहते हैं कि केवल 12.5 एकड़ जमीन का अतिक्रमण हुआ हैं। मेरा मत है कि इस सब पर सी.बी.आई. की एक जांच आन द होल होनी चाहिए।

इनकी जो सड़कें हैं, उनकी कभी मरम्मत नहीं होती। वे कहते हैं कि यह तो एम.सी.डी. की सड़क है और यह ट्रांसफर नहीं होती।

[अनुवाद]

वे बिना योजना के भवन बनाते हैं।

[हिन्दी]

मेरे संसदीय क्षेत्र में अलीपुर है। वहां इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सैंकड़ों मकान खाली पड़े हैं। उनमें बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। पार्कों में सफाई का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। शायद हर साल लाखों रुपया सरंडर होता होगा। कितने मकान हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कोई नहीं जानता।

डी.डी.ए. की सड़कों और पार्क्स में मार्केट बनी हुई हैं और वे किसी को भी एलाट नहीं की गई हैं। जनता का पैसा व्यर्थ जा रहा है। मेरा मत है कि इस सारे विषय की जांच हो, तब ही इस पर काबू पाया जा सकता है। अगर डी.डी.ए. दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया जाए, तो हमारी नाक के सामने जो कुछ हो रहा है, उसको हमारी सरकार देख सकती है। वह यह भी देख सकती है कि वे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिसपांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इसके साथ ही मेरा मत है कि दस साल पहले जो लोग रिटायर हो गए हैं, उनके रहते-रहते अगर जमीनें ग्रैब हुई हैं, तो उनकी पैंशन बन्द कर दी जानी चाहिए। किसी भी अधिकारी को अगर आप एक बार टांग देंगे, तो सारी डी.डी.ए. ठीक हो जाएगी।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, दिल्ली डवेलपमेंट (अमेडेंट) बिल, 1996 बहुत ही सीमित उद्देश्य से सदन में पास करने के लिए लाया गया है। पहला उद्देश्य यह है कि जहां भी "यूनियन टैरेटरी आफ दिल्ली" लिखा है, उसकी जगह "नेशनल कैपिटल टैरेटरी आफ दिल्ली" लिखा जाएगा। दूसरा उद्देश्य, जहां "एडमिनिस्ट्रेटर" लिखा है, उसके स्थान पर "लैफ्टिनेंट गवर्नर" लिखा जाएगा और तीसरा उद्देश्य, जहां पहले मैट्रोपोलिटन काउन्सिल से तीन सदस्य चुनकार आते थे, अब उनकी जगह पर नेशनल टैरेटरी आफ दिल्ली से आयेंगे।

महोदय, इस बिल में मुझे एक बात देखकर अचरज हुआ है और मैं आपकी अनुमति से इसलिए इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में लिखा हुआ है-

[अनुवाद]

> दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा के तीन प्रतिनिधि जिनका निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, जिनमें से दो सत्तारूढ़ दल से होंगे और एक सरकार के विपक्षी दल से होगा।

[हिन्दी]

दो रूलिंग पार्टी से और एक अपोजीशन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुने जायेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप इनके चुनाव कैसे करेंगे? आज तक हम लोगों ने कभी यह भी देखा है, संसद में किसी भी समित में सदस्य निर्वाचित होते हैं। कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है कि इतने लोग रूलिंग पार्टी से और इतने लोग अपोजीशन से होंगे। यह एक नए प्रकार का प्रावधान लग रहा है। अगर पूरी एसेम्बली को रिप्रजेन्ट करेंगे, तो तीन सदस्य एसेम्बली से होंगे और उनका चुनाव इस प्रकार से होगा। यह मेरी समझ मे नहीं आ रही है। आप यहां केन्द्र की स्थिति ले लीजिए। यहां 45 सदस्य जनता दल के हैं, प्रधान मंत्री इनके हैं और रूलिंग पार्टी है या पूरा संयुक्त मोर्चा ले लीजिए, संयुक्त मोर्चा में सी.पी.आई. के सदस्य शामिल नहीं हैं, तो 150 लोग हो जायेंगे या 140 लोग होंगे। इनकी तरफ से दो लोग आयेंगे और बाकी यहां जो दो-तिहाई सदन बैठा हुआ

है, उनमें से एक आएगा। इस तरह का उदारहण आप दूसरी जगह पर देखिए, तो स्थित विचित्र हो जाएगी। असलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मुझे पता नहीं सरकार ने इसको किस नीयत से रखा है। इसमें सीधे एसैम्बली का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए तथा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए तीन सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। मेरी राय में यह प्रावधान होना चाहिए।

दूसरी बात, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। नेशनल कैपिटल टेरेटरी में सब कुछ है। यहां आप भी बैठे हुए हैं। इसलिए इसमें संसद का भी प्रतिनिधत्व होना चाहिए, लेकिन संसद का प्रतिनिधित्व नहीं है। एडवाइजरी काउन्सिल की बात भी कही गई है और इसमें संसद सदस्य प्रतिनिधि है। इस बारे में प्रावधान है :-

[अनुवाद]

"तीन संसद सदस्यों जिनमें से दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से होगा तथा जो लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा क्रमशः निर्वाचित किए जाएंगे।"

[हिन्दी]

इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि दो इलैक्ट हांग ना एक रुलिंग पाटी से होगा और दूसरी अपोजीशन से। इसमें लिखा ह कि दो लोक सभा से चुनकर जायेंगे और एक राज्य सभा से चुनकर। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एडवाइजरी काउन्सिल की मीटिंग कब होती है? इस बारे में दिल्ली डवेलपमेंट एक्ट की क्लाज-5 की सब-क्लाज-3 में लिखा है:-

[अनुवाद]

"आवश्यकता पड़ने पर परिषद की बैठक होगी तथा उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी"

[हिन्दी]

अपने प्रोसिजर को कैसे रेगुलेट करें, यही सिर्फ उनका अधिकार है और यह कब मिलेगा।

[अनुवाद]

आवश्यकता पड़ने पर परिषद की बैठक होगी।"

[हिन्दी]

मैंने दिल्ली के साथी से पूछा तो पता चला कि तीन साल से इसकी मीटिंग नही हो रही है तो इसका क्या मतलब है? लोक सभा से चुन करके जाएंगे। लोग वोट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लोग खड़े होते हैं। पार्लियामेंट के एक इलैक्शन में कितना पेसा खर्च होता है बैलेट पेपर छपता है, वहां लोग लगते है। नोमिनेशन दायर होता है। इलेक्शन होता है, लोग कनवेंसिग करते हैं। दो आदमी इलैक्ट होकर जाते हैं और उनकी मीटिंग कब होगी जब जरूरत होगी तब होगी। अब यह जरूरत कौन समझेगा जो इनके मालिक मुख्तार होंगे वे जरूरत नहीं समझेंगे तो नहीं बुलाएंगे। इस प्रकार से जो यह बिल है इसके स्कोप को बढ़ाना चाहिए। इसकी जो आथोरिटी है उसमें ही मेम्बर आफ पार्लियामेंट को शामिल किया जाना चाहिए और तीन मेम्बर्स का प्रोविजन ऑथोरिटी में ही किया जाना चाहिए। एम.पीज का भी रिप्रजेंटेशन होना चाहिए। उसमें यह निश्चित किया जा सकता है कि तीन मेम्बर्स में से दो दिल्ली के ही रहने वाले होंगे, यानी जो दिल्ली को, इस एरिया को रिप्रजेंट कर रहे होंगे। ये हो सकते हैं और एक बाहर का आ सकता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो बाहर के राज्यों से भी जो एम.पीज चुनकर आते हैं उनका भी वहां एक रिप्रजेंटेटिव होना चाहिए।

महोदय, देश भर के लोगों की दिलचस्पी दिल्ली में है। अगर दिल्ली ध्वस्त हो गया तो ये सारे राष्ट्र का नुकसान होगा। दिल्ली में ही लालकिला है, इस पर जाकर कोई दूसरे देश का सैनिक झंडा फहरा देगा तो दिल्ली गुलाम हो जाएगी, देश गुलाम हो जाएगा। इस हालात में दिल्ली पर सबका अधिकार है और दिल्ली से सबका संबंध है। इसलिए जो बाहर के भी सांसद है उनका भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक बात जो मेरी समझ में आ रही है वह यह है मांग की जाती है कि डी.डी.ए. को दिल्ली प्रशासन क अधीन दे दिया जाए। नयी जो असेमब्ली बनी है, सरकार बनी है वह कैसी पंगु सरकार है। उसके पास क्या है, एक मकान आबंटित करने की भी क्षमता उनके पास नहीं है। लॉ एंड आर्डर उनके पास नहीं है। पुलिस उनके अंतर्गत नहीं है। अगर कोई घटना घटती है तो दिल्ली का मंत्री या दिल्ली का मुख्य मंत्री भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। उसको भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात करनी होगी या उन अधिकारियों से बात करनी होगी जिन पर उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। जब जनता वोट देती है तब वह उम्मीद रखती है कि ये हमारा पूरा ख्याल रखेंगे। महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। यह असेम्बली का बिल आ रहा था, जब दिल्ली को स्टेटहुड दिया जा रहा था उस समय यह मांग उठी थी लेकिन उस समय इन चीजों को अलग रखा गया। कई वर्ष बीत चुके हैं अब समय आ गया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। डी.डी.ए. जैसी ऑथेरिटी को दिल्ली सरकार के हवाले किया जाए, दिल्ली को राज्य सरकार के हवाले किया जाए। इसके साथ ही साथ कानून और व्यवस्था की जबावदेही भी इनके जिम्मे डाली जानी चाहिए, तब एक राज्य सरकार का मतलब होता है।

महोदय, अंत में जो कुछ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं इनकी जांच होनी चाहिए। लोग आए-दिन सुनते रहते हैं, डी.डी.ए. में चाहे मकानों के आबंटन को लेकर हो या और किसी चीज को लेकर हो, घटिया स्तर का निर्माण कार्य होता है, इन सब चीजों को लेकर विवाद होते रहते हैं। इसी दिल्ली आथोरिटी से ही संबंधीत, भूमि से संबंधित एक कमिश्नर थे। उन्होंने भी कुछ काम ऐसा किया जिससे

दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जमीन को लेकर जो भ्रष्टाचार है वह उजागर हुआ तो डी.डी.ए. संलग्न रहता है। इसके लिए मैं सारे अधिकारियों को कसूरवार नहीं मान सकता लेकिन जो भी जवाबदेह है, कसूरवार है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते है उसकी चर्चा हो जाती है लेकिन उसकी जांच नहीं होती है। अब तो पारदर्शिता का युग आ रहा है। अब तो बड़े-बड़े लोग जेल की चारदीवारी के अंदर जा रहे हैं। अगर डी.डी.ए. में भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

महोदय, हम इस अवसर पर इसके माध्यम से मांग करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि इन्होंने जो प्रोविजन रखा है कि दो रूलिंग पार्टी के होंगे और एक पोजिशन पार्टी से होगा, इस प्रावधान का कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे आपका कुछ भी तर्क हो लकिन यह तर्क समझ से परे है। इसलिए जब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है तो पूरी असेम्बली को अधिकर दीजिए, वे चुने जाएं और पार्लियामेंट का भी रिप्रजेंटेशन आथोरिटी में दिया जाए, एडवायजरी काउंसिल में न दिया जाए, यही मुझे निवेदन करना था।

सभापति महोदय : आपका कोई संशोधन है तो रखिये, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा।

श्री आर.एल.पी. वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, यह जो अमैंडमेंट बिल दिल्ली डवलपमेंट एक्ट 1997 का है, ऐसा लगता है कि यह ब्रिटिश पालिसी का जीता-जागता नमूना हैं। यह बात सही है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन जाने से मैट्रोपोलिटन कौंसिल स्वतः ही समाप्त हो गयी। उसके मैम्बरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जब यह एक्त 1957 में बना था तब से आज तक इन 40 वर्षो में विकास के काफी आयाम बढ़े हैं तथा इसकी जनसंख्या, क्षेत्र, कार्यकलाप आदि का काफी विस्ताव हुआ है। इसलिए दो-तीन मैम्बरों के इसमें रखने से डी.डी.ए. के कार्यकलापों पर विशेष विचार हम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी श्री विजय गोयल जी, बी.एल. शर्मा प्रेम जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो आपत्तियां उठाई हैं, मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन जो बिल में आया है उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार और केन्द्र की सरकार दोनों ही ब्रिटिश पॉलिसी के आधार पर यहां हिस्सेदारी बरकरार रखना चाहते हैं। विकास का काम हो या न हो, बीच में अफसर, ब्यूरोक्रेसी यहां के लोगों को लूटती रहे और भ्रष्टाचार चलता रहे। उदाहरण के लिए दिल्ली के अंदर 1050 तथाकथित अवैध कालोनियां है जहां बिजली की चोरी हो रही है। कानूनी ढंग से लोग अगर बिजली मांगते हैं तो उन्हें बिजली नहीं मिलती है। हर तरफ समानांतर भ्रष्टाचार चल रहा है। 15 से 20 हजार रुपये घूस देने पर बिजली मिलती है। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है। इस पर कौन विचार करेगा? यहां पर एल.जी. हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनमें तालमेल नहीं है। बी.जे.पी. सरकार चाहती है पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए लेकिन एल.जी. केन्द्र के इशारे पर रोक देते हैं और इस तरह से विकास नही हो पाता है। लोगों का जीवन-स्तर गिरता जा रहा है, लोग और गरीब होते जा रहे है। लाखों लोगों के लिए एक तरफ स्वर्ग है तो दूसरी तरफ नरक है। यहां पर रहने वाले लोगों का जीवन जीवन नहीं है। लगता है वह सबसे दरिद्र आदमी है। मैं जानना चाहता हूं कि बिजली और पानी नहीं दिया जाएगा। यह कितने बड़े अन्याय का सिलसिला यहां चल रहा है। इसलिए इस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। डी.डी.ए. का कार्य केवल बिल्डिंग बनाना ही नहीं था वरन् गरीबी उन्मूलन, बेरोजगार लोगों का नियोजन, दिल्ली में विद्यालय, अस्पताल, कालेज आदि सब चीजों की व्यवस्था उनको होनी चाहिए। इसके लिए अगर डी.डी.ए. विचार नहीं करेगा तो क्या दूसरा विभाग विचार करेगा। जब इसका नाम ही दिल्ली डवलपमेंट अथॉरिटी है तो डवलपमेंट के सारे क्षेत्रों में इन्हें काम करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यहां हमने अमैंडमेंट का एक प्रस्ताव भी रखा था कि उसमें तीन एम.पीज. की व्यवस्था की जाए। दिल्ली में दिल्ली के मूल-निवासी ही नहीं रहते हैं बल्कि सारे हिंदुस्तान से आए हुए लोग यहां रहते हैं। खास तौर से पूर्वांचल के लोग यू.पी., बिहार, बंगाल, राजस्थान के लोग भारी संख्या में यहां झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। ये 32 लाख वोटर्स हैं और उन्हें बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही हैं। वे किसी न किसी संकट में अपना जीवन गुजार रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गए हैं लेकिन 50 वर्षों के बाद भी दिल्ली के रहने वालों को पानी और बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने चोरी से बिजली हुई है। अगर उन्हें कानूनी ढंग से अधिकार दिए जाते तो करोड़ों-अरबों रुपए की जो क्षति हो रही है, वह दिल्ली सरकार को मिलती और उन्हें लाभ होता। यह बात सब जानते हैं लेकिन इस पर विचार नहीं किया जाता।

सभापति महोदय, मैंने एक संशोधन दिया है कि एडवाइजरी काउंसिल में दिल्ली की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली के लोग तो रहे लेकिन दिल्ली के बाहर के तीन एम.पीज. एक राज्य सभा का और दो लोक सभा का इसमें शामिल होना चाहिए ताकि देश के अन्य भागों के रहने वाले लोगों के अधिकारों, कर्त्तव्यों पर उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से विचार किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं कुछेक शब्द बोलना चाहूंगा। मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर वास्तव में प्रधान मंत्री द्वारा ही दिया जा सकता है क्योंकि आर्थिक नीतियों का हमारे शहरों पर पड़ने वाले परिणामों और चारों तरफ हो रहे एकतरफा विकास से उत्पन्न स्थिति के कारण मुझे पक्का यकीन है कि माननीय राज्य मंत्री मेरी बातों का उत्तर प्रभावशाली ढंग से देने में सक्षम नहीं होंगे। जब माननीय प्रधान मंत्री स्वयं शहरी विकास मंत्री हों और जब उन कमजोर आर्थिक नीतियों का सारा बोझ बेचारे राज्य मंत्री पर डाल दिया गया हो तो वह मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकेंगे। प्रधान मंत्री को ही उत्तर देना होगा...

सभापति महोदय : एक मंत्री, आखिर मंत्री हैं।

श्री जगमोहन : लेकिन हमारी मांग यह है कि एक समेकित ढांचा होना चाहिए और डी.डी.ए. को राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए यह तो उनकी अपनी विकेन्द्रीकरण नीति के अनुरूप है।

एक तरफ तो वे कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता दे रहे हैं और दूसरी ओर यहां बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी चीजें देने से भी मना कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। एक मंत्री, आखिर मंत्री होता है। वह सरकार के प्रतिनिधि हैं।

श्री जगमोहन : महोदय, उन्हीं बातों का उत्तर वह दे सकते हैं, जिन्हें देने में वह सक्षम हैं लेकिन अन्य बातों का उत्तर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाना है।

सभापति महोदय : आपको यह बात समझनी चाहिए कि उत्तर देने के लिए वह अधिकृत हैं।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया है। हालांकि ग्यारह सदस्यों ने अपने-अपने नाम दिए थे परन्तु कुल मिलाकर नौ सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। दिल्ली को रहने योग्य बनाने के लिए बड़े उच्च स्तर के बहुमूल्य सुझाव हमारे समक्ष आए हैं। हममें से हर एक की इच्छा है कि दिल्ली को प्रदूषण, यातायात की गहमागहमी मूलभूत सुविधाओं के अभाव जैसी अनेक समस्याओं से मुक्त किया जाए। उसे दुर्घटना मुक्त बनाया जाए तथा स्वच्छ और हराभरा बनाया जाए। इसके लिए श्री जगमोहन सहित सभी अन्य सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं। श्री जगमोहन को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों का अच्छा अंतर्ज्ञान है क्योंकि अनेक वर्षों तक उन्होंने इसके कामकाज को विस्तार से देखा है।

महोदय, माननीय सदस्य, श्री जगमोहन ने एक सुझाव दिया था कि अच्छा होता यदि स्वयं माननीय प्रधान मंत्री ने इस मंत्रालय का वरिष्ठ मंत्री होने के नाते उत्तर दिया होता।

तथापि, जहां तक दिल्ली के मामलों का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों को अपनी भरपूर क्षमतानुसार संतुष्ट करूंगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के शहरी इलाकों, विशेष रूप से दिल्ली में इतनी बेतरतीब और इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है जो कि किसी भी व्यक्ति की कल्पना से परे है। वर्तमान जनसंख्या 1.1 करोड़ अर्थात 11 मिलियन से भी अधिक हो गई है। इस शताब्दी के अंत तक अर्थात् 2001 तक इसके 12 मिलियन हो जाने की संभावना है। शहर तथा जनसंख्या में हुई वृद्धि भी वास्तव में किसी व्यक्ति की कल्पना से परे है। उसके अनेक कारण हैं। लेकिन प्रमुख कारण लोगों द्वारा अपने परिवारों का खर्चा चलाने के लिए अपनी आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना है।

यह प्रमुख कारण है इसी कारण आबादी बढ़ती रही है। लेकिन दुर्भाग्य से जो कुछ हम अभी तक देखते रहे हैं, इस शहर के बारे में तथा इसकी समस्याओं के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी अभी तक कहा है, वह किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक पार्टी की देन नहीं है जो एक दिन में अथवा एक महीने में अथवा एक साल में पैदा हो गई हो। यह एक ऐसी समस्या है जो बड़े लम्बे समय से, कई वर्षों और दशकों से पनपती रही है। इसलिए, महोदय, इस पर जो बल दिया गया है मैं उसे कम नहीं आंकता हूं। मैं दिल्ली की हालत न केवल सभी दृष्टिकोणों से सुधारने अपितु डी.डी.ए. के कार्यकरण में भी सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को भी कम महत्व का नहीं आंकता।

जैसाकि माननीय सदस्य, श्री जगमोहन ने कहा है, दिल्ली में विभिन्न निकायों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। हमें इसे बेहतर बनाने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण तथा नजरिया अपनाना होगा। हमें दिल्ली के बारे में सही मायने में एक शहरी सोच विकसित करनी होगी। तभी हम रहने के योग्य बेहतर दिल्ली का निर्माण कर सकते हैं। ये वाकई में समस्याएं हैं। दिल्ली की मौजूदा स्थिति उसके प्रति वर्षों और दशकों से बरती गई उपेक्षा का नतीजा है।

महोदय, योजनाएं हमारे पास हैं। दिल्ली की मास्टर योजना पहले से ही है। बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों/स्थानों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निर्माण पहली बार किया गया है। यह एकमात्र शहर है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है। अतः इन सभी चीजों के साथ योजनाएं विद्यमान हैं परन्तु दुर्भाग्यवश शहर का विकास, जनसंख्या में वृद्धि, इसकी अवसंरचनात्मक विकास संबंधी योजना से अधिक रही है। वास्तव में कुछ समस्याओं पर, जब ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, ध्यान नहीं दिया जाता है। अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। झुग्गी-झोपड़ियों की अत्यधिक और बेतरतीब वृद्धि तथा इन झुग्गी-झोपड़ियों तथा गन्दी बस्तियों में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव, अतिक्रमण की समस्या, शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का ठीक से लागू न किया जाना बहुप्रतीक्षित दिल्ली किराया अधिनियम, विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार, आवास की समस्या तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्मित मकानों में सुविधाओं का अभाव आदि का उल्लेख माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है।

जो सुझाव आपने दिए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस मंत्रालय के प्रशासन को समझने के लिए यह अच्छी सामग्री है। जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का संबंध है, मुझमें काफी बातें एक समान हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित मुख्य समस्याओं का उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

पहला मुद्दा समय के साथ-साथ बनने वाली अनधिकृत तथा अधिकृत कालोनियों के बारे में उठाया गया है। यह एक नई समस्या है। श्री जगमोहन जैसे व्यक्ति ने इस समस्या पर चिन्ता व्यक्त की है।

वे मुझसे अथवा किसी और से अधिक अच्छी तरह जानते हैं कि ये चीजें सामने कैसे आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस मामले पर गौर न किया हो। इन अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने तथा इन झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और इनके पुनर्वास के लिए कई बार कोशिश की गई है। इस अनियमित तथा अनधिकृत विकास ने पर्यावरण का स्तर नीचे गिरना, प्रदूषण, अत्यधिक यातायात, मूल सुविधाओं की कमी, दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि आदि जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं जिससे विशेष रूप से कुछ पहलुओं से दिल्ली का जनजीवन दुःखमय हो गया है।

महोदय, सरकार ने समय-समय पर इन कालोनियों को नियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अनधिकृत कालोनियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने और इस बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है कि इन अनधिकृत कालोनियों को किस तरह से नियमित किया जा सकता है अथवा कहीं पुनः बसाया जा सकता है। अब इस समस्या को फिर से हाल ही के न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय से जोड़ दिया गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर देना चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वाले उद्योगों जैसे लघु एककों को दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में स्थानांतरित कर देना चाहिए। ये समस्याएं हैं। यह सरकार उस पर विचार कर रही है। केन्द्र सरकार तथा शहरी विकास मंत्रालय के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने भी इस मामले की जाचं की है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : महोदय, क्या में एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं।

इन उद्योगों की समस्याएं दिल्ली सरकार द्वारा उत्पन्न की गई हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट में नोटिस दिया है कि ये गैरकानूनी उद्योग हैं। इसलिए समस्या उत्पन्न हुई है। यह गैरकानूनी नहीं हैं। उनके पास बिजली पानी के लाइसेंस हैं। वे गैरकानूनी उद्योग नहीं हैं।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : मैं गैर-कानूनी नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। मैंने कहा है कि यह कानून का उल्लंघन करने वाले यूनिट हैं। इनकी दो श्रेणियां हैं। पहले तो वे उद्योग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं जिनको दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के आदेश हुए हैं। दूसरी श्रेणी में कानून का उल्लंघन करने वाले एकक हैं जिनको इस क्षेत्र से स्थानांतरित करना है। ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आप मास्टर प्लान को बदलिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मास्टर प्लान को अगर चेंज कर देंगे तो समस्या हल हो जायेगी।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.00 बजे

आप 40,000 उद्योगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। आप मास्टर प्लान को बदलिए। आप पहले भी ऐसा करते आए हैं।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : महोदय, कृपया मुझे उत्तर देने दीजिए।

सभापति महोदय : वह इसका स्पष्टीकरण देंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : दिल्ली से निर्वाचित सभी सदस्य चिल्ला रहे हैं। मंत्रीजी को उनकी बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' : मेरा सुझाव है कि दिल्ली के मास्टर प्लान को ही बदल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनने के लिए धैर्य रखिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इस बारे में कुछ प्रौब्लम हैं जो सिर्फ गलतफहमी के कारण है। कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया कि ये सब इंडस्ट्रीज इल्लीगल हैं जबकि वे इल्लीगल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बिजली पानी की परमीशन मिली हुई है। अगर सरकार मास्टर प्लान में लैंड-यूज को चेंज कर दे तो सारी प्रौब्लम खत्म हो जाएगी।

सभापति महोदय : वे यील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री विजय गोयल (दिल्ली सदर) : मंत्री जी ने दो बातें मिक्स कर दीं- एक अन-औथोराइज्ड कालोनीज की और दूसरी इंडस्ट्रीज की। दिल्ली में जो अन-औथोराइज्ड कालोनियां हैं, उन्हें रैगुलराइज करने में केन्द्रीय सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई कमेटी बनाएंगे तो वह डिले टैक्टिक्ट होगी, कुछ दूसरा काम नहीं होगा क्योंकि वहां जो मकान बने हुए हैं, उनमें सुविधाएं देना आवश्यक हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय :-आप सरकार की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : महोदय, मैं केवल यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। यहां तक कि कल भी जब माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश अग्रवाल इस विधेयक पर बोल रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि सरकार को इस मामले के संबंध

में न्यायालय में शपथ-पत्र फाइल क्यों नहीं करना चाहिए। जहां तक 'घरेलू उद्योग' की वर्तमान परिभाषा को बदलने के सुझाव का संबंध है, जिसमें उद्योगों को भूतल पर एक किलोवाट से कम बिजली इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है और पांच से अधिक लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे तभी बदला जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय ऐसी अनुमति दे चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है। अब सरकार ने निर्देश दिए हैं। आवासीय क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों का स्थान निर्धारण करने के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान के लिए मानक तय करने के मुद्दे पर विचार करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने प्रधान सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति गठित कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह संकेत दिया है कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दे दिए जाने की संभावना है। यह स्थिति है। मैं केवल यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने क्या कदम उठाए हैं। एक ओर हमें उच्चतम-न्यायालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं और दूसरी ओर समिति है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने गठित किया है और जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर देगी। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनके द्वारा दिए गए सुझावों को खारिज नहीं किया है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि सुझाव मान्य नहीं मैं केवल यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मामला-न्यायालय में लंबित है और समिति की रिपोर्ट का इन्तजार है जिसके एक सप्ताह के समय के भीतर आ जाने की आशा है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार नहीं है वरना उसके चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और दूसरे जज मिनिस्टिर बन जाएं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो वह खुदा का लिखा हुआ नहीं है। सारे काम वे ही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. यू. वेंकटस्वरलु : यह एक भिन्न बात है। अब हम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक अन्य समस्या जो हम सबको चिन्तित कर रही है वह यह है ...**(व्यवधान)**। महोदय, मास्टर प्लान को बदलने के लिए एक सुझाव दिया गया है। दो दिन पहले हमारे माननीय वस्त्र मंत्री, श्री आर.एल. जालप्पा इस मामले से सम्बन्धित सभी अन्य लोगों के साथ मेरे पास आए। हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या वृहत योजना को अथवा अन्य ऐसी किसी चीज को तत्काल बदलना सम्भव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे श्री जगमोहन यह जानते हैं कि यह एक लम्बी प्रक्रिया है और इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को नोटिस देने होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हमें केवल 31 दिसम्बर तक का समय दिया है। यह बात है। 31 दिसम्बर से पहले हमें देखना होगा कि क्या मास्टर प्लान को बदलना और न्यायालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना सम्भव होगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट क्या खुदा हो गया? यह 10 लाख लोगों और 40 हजार इंडस्ट्रीज का सवाल है। यह कोई मामूली सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हमने मान लिया।

अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह देगी, तो सरकार उसको मानती चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके विरूद्ध यहां विधेयक लाकर काम किया गया या नहीं? यह फैसला सरकार को मानना जरूरी नहीं है। 50 हजार इंडस्ट्रीज को सिक करना यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर जगमोहन जी की दिल्ली होती, तो ऐसा कभी नहीं होता। उनके समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। लाखों मजदूर बेकार हो जाएंगे। लोग भूखों मर जाएंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसे गंभीरता से लें, यह कोई मामूली बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह इसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, पूरी सभा इस बारे में चिन्तित है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, यह हजारों मजदूरों से संबंधित मामला है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सर, इन उद्योगों में बिहार के लाखों मजदूर काम करते हैं। उनकी रोजी-रोटी का यह प्रश्न है। उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। माननीय मंत्री जी ने इस बात पर ध्यान दिया है। वह सरकार की स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सरकार की स्थिति समझाने देने की अनुमति देनी चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : चेयरमैन साहब, यह कोई मामूली बात नहीं है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह मामूली बात नहीं है। तभी तो मंत्री जी को बोलने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

यही वह भी कह रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि सरकार इन मजदूरों के पुनर्वास से सम्बन्धित पूरे मामले पर पुनः विचार करेगी। अन्यथा हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे।

सभापति महोदय : यदि वे उत्तर देना चाहते हैं, तो उन्हें देने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, यह मामला हजारों लोगों का है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर अपना व्यू दें कि उनकी रीसैटलमेंट के बारे में वे क्या करने जा रहे हैं, उनके रोजगार के बारे में वे क्या करने जा रहे हैं? जो उनके रोजगार का एक सहारा था, वह छिन जाएगा, उसके लिए वे क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मै उस पर विवाद नहीं कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन उन्हें आश्वासन देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदय, यह इतना आसान मामला नहीं है। इसको आसान मामला मानकर मत चलिए। 50 हजार इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। उनके पास पैसा नहीं रहेगा। लोग भूखों मर जाएंगे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यही मैं कह रहा हूं। माननीय सदस्य को समझना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, आप मंत्री जी को निर्देश दें। आपके निर्देश के बिना और बिना डिस्कशन के कुछ नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, मंत्री जी इस बारे में कुछ कहें और सदन में आश्वासन दें। जब तक वे सदन में इस बारे में आश्वासन नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ यहां पर कोई बात नहीं हो सकती है। ...**(व्यवधान)**

सर, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है और किस नियम के अधीन आप उसे उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, मेरा पाइंट आफ आर्डर, एक्जीक्यूटिव, जुडीशियरी और लैजिस्लेचर के बारे में है कि सबका अपना-अपना जुरिस्डिक्शन है, के फैसले से सहमत नहीं है, तो वह रिवीजन के लिए कोर्ट से आग्रह कर सकती है, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानें।

जहां, रीसैटलमेंट का सवाल है और बिहार के मजदूरों का सवाल है, तो मेरा निवेदन है कि बिहार के मजदूरों के साथ तो उद्योग वाले घोर अन्याय करते हैं। पूरा काम कराते हैं और पूरा पैसा नहीं देते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। उनके साथ सब तरह का अन्याय होता है। ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : यू.पी. के लोग भी हैं लेकिन ज्यादातर बिहारी मजदूर हैं। फैक्ट्री वाले उनको ऐनरोल भी नहीं करते। उनसे काम कराते रहते हैं और जब कम्पैनसेशन की बात आती है तो उनको कम्पैनसेशन भी नहीं देते। इसलिए इस आस्पैक्ट को देखिए और इंडस्ट्रीज को कसिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जगमोहन जी, आप बोल चुके हैं और माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग ले चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री जगमोहन : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ये बातें गलत अवधारणाओं पर कह रहे हैं। उनके पास तथ्य नहीं है। तथ्य यह है कि दिल्ली मास्टर प्लान तथा दूसरे मास्टर प्लान

में कतिपय क्षेत्रों को गैर-औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है अर्थात ये उद्योग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। यह निर्णय दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया है जिसे मंत्रिमंडल द्वारा और इस सम्माननीय संसद द्वारा भी स्वीकृति दी गयी है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि मास्टर प्लान के उन सांविधिक उपबंधों को क्रियान्वित कीजिए जिनको आपने स्वयं स्वीकृत किया है। इसका अर्थ यह है कि न तो कार्यपालिका और न ही संसद ने अपने विधिक तथा सांविधानिक दायित्वों का निर्वाह किया है। उच्चतम न्यायालय ने केवल यह कहा है कृपया उस दायित्व का निर्वाह कीजिए और दिल्ली को सभी तरह के प्रदूषण तथा उन सभी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक चीजों से मुक्त कीजिए। उन्होंने उदारतापूर्वक कहा है कि उन सभी कारखानों को जिनको स्थानान्तरित करना है उनको अन्यत्र स्थापित किया जायेगा और श्रमिकों की क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। हाल ही में, उन्होंने एक संशोधित आदेश के द्वारा क्षतिपूर्ति की दर में वृद्धि की है। यदि कोई श्रमिक कल्याण कार्यक्रम तैयार किया जाना है, तो हमें केवल यह करना है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहे। ताकि बेहतर शर्तें निश्चित की जा सकें और उन सभी को समकक्ष अथवा बेहतर कार्यों में लगाया जा सके। यह वास्तविक स्थिति है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : नॉन-कन्फर्मिंग एरियाज में स्माल इंडस्ट्रीज लगी हुई है।

[अनुवाद]

लेकिन उन्होंने न्यायालय में यह नहीं बताया है कि उनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वे छोटे निर्माता हैं और बहुत छोटे लोग है। उनके पास किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए पैसा नहीं है। अब सरकार को यह कहना चाहिए कि यह इसे पांच वर्ष या दस वर्षों अथवा पंदह वर्षों तक विभिन्न चरणों में कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि 31 दिसम्बर को

[हिन्दी]

सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। आप उनकी डिफिकल्टी समझिए। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : केन्द्र सरकार इसके मास्टर प्लान में बदली करे। जब तक केन्द्र सरकार मास्टर प्लान में बदली नहीं करेगी तब तक यह नहीं होगा ...**(व्यवधान)** जगमोहन जी जो बात कर रहे हैं वे बड़ी इंडस्ट्रीज है लेकिन एक लाख तैतीस हजार इंडस्ट्रीज को तो उठाकर 31 दिसम्बर को बाहर फेंक दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका प्रश्न सही है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं सदन के सभी सदस्य भले ही वे किसी भी दल के हों इससे चिंतित हैं। सभी सदस्य इससे चिंतित है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में मूल माननीय अवधारणाएं अन्तर्ग्रस्त हैं। लाखों लोगों की नौकरियां चली जायेंगी और काफी उद्योग हटा दिए जायेंगे और वह भी थोड़े से समय में। इसको करने के तरीके है। हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं देते। सुधार के लिए अपील करने के लिए रास्ते उपलब्ध है।

सभापति महोदय : आपने भी अपनी बात कह दी है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मूल माननीय अवधारणाओं का प्रश्न है और इससे सभी दल चिंतित हैं। महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री को यह पता लगाने के लिए एक सभी दलों के नेताओं की तुरन्त एक बैठक बुलानी चाहिए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाये और उस बैठक के परिणामों से सदन को अवगत कराना चाहिए। यह मेरा एकमात्र सुझाव है। कोई कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में इस मामले का समाधान करने के किए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मैं मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अभी जो कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जिससे कि लाखों लेबर जो लगी हुई थी, वह बेरोजगार हो गयी। यह मैं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना चाहिए, लेकिन जनहित में कोई भी सरकार डिसीजन लेने के पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि वे जो लाखों लगे हुए मजदूर हैं, उनका एम्पलायमेंट हो सके और रीसैटिलमेंट हो सके। इसके लिए सरकार कोई योजना बनाये ताकि उनका सैटिलमेंट हो सके। इसमें ज्यादातर हैंड टू माउथ वाले वर्कर्स हैं और खास तौर पर बिहार के लोग है। अगर इनको निकाल दिया गया तो मैं समझता हूं कल से वे रोड पर आयेंगे, बड़ी भारी भुखमरी हो जाएगी और अराजकता फैल जाएगी। यह उनकी रोजी-रोटी का प्रश्न है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से हम्बल रिक्वैस्ट होगी, हमारी वैलफेयर कंट्री हैं, उसमें वैलफेयर सरकार भी होती है और जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए सारे स्टैप्स लेती है, मैं समझता हूं कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करे और लास्ट में रीसैटिलमेंट करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : कई सदस्यों ने अपनी भावनाएं यहां रखी हैं और कोई ठोस उपाय निकाले ताकि उनका एम्प्लायमेंट हो सके और उनको रोजी-रोटी मिल सके। बड़े पैमाने पर जो उनकी रोजी-रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है, वह रुक सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा ताकि उन गरीबों की बसर हो सके। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर उनकी सोच के लिए पार्लियामेंट बैठी हुई है, इसलिए किसी तरह से समस्या का समाधान करना चाहिए और सरकार को ठोस उपाय करने चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप वाद-विवाद को समाप्त करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : आज यह ट्रैंड हो रहा है, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो शहरी है, 'धनवान खजाना भरता है, कानून हिफाजत करता है, मजदूर बेचारा-रो-रोकर तकदीर के सहारे मरता है' एनवार्यनमेंट, पोल्यूशन के नाते जो इंडस्ट्रीज बन्द होने जा रही है, इसमें कोर्ट की जो राय है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट आल्टरनेटिव प्लान निकालकर कुछ कर सकती है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आज हर स्टेट में यह दिक्कत आ रही है। दिल्ली आपकी कैपीटल है, इसमें गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाकर नेशनल डवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुलानी चाहिए और नेशनल डवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग करके इसको हल करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, समस्त समस्या का सार यह है कि किसी भी प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप उद्योगों को हटाया तथा श्रमिकों का बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अतः सरकार को यह स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि उद्योगों तथा श्रमिकों दोनों की रक्षा करने के लिए विधिक उपायों सहित प्रत्येक संभव उपाय किए जायेंगे। हमें इस प्रमुख बात की ओर ध्यान देना चाहिए और तकनीकियों के बावजूद, सरकार को यह विशेष आश्वासन देना चाहिए।

श्री जगमोहन : दिल्ली के लाखों निवासी इन अम्लीय कारखानों के बीच रहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे श्रम मंत्रालय से खतरनाक तथा नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों को बन्द करने तथा उनको अन्य स्थानों पर ले जाने के संबंध में एक टिप्पणी प्राप्त हुई है। इस टिप्पणी में यह बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 8.7.96 के अपने निर्णय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 168 खतरनाक भारी उद्योगों को अन्य स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया था। इन उद्योगों को दिल्ली में 30.11.96 से कार्य बन्द करने का आदेश दिया गया है।

"दिनांक 6 सितम्बर, 1996 के इसी तरह के एक आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि दिल्ली में अन्य 513 उद्योगों को 31 जनवरी, 1997 से बन्द किया जायेगा।

सभापति महोदय : वह ठीक है। यह विदित है। आप अपनी टिप्पणियां दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : उन माननीय सदस्यों को एक विवरण भेजा गया है जिन्होंने नियम 193 अथवा नियम 194 के अन्तर्गत सूचना दी थी।

सभापति महोदय : उसे कार्य मंत्रणा समिति में उठाया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने भी एक सूचना दी है।

सभापति महोदय : वह ठीक है। आपने जो सूचना दी है, वह अलग मामला है। उस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा होगी। वहां आपकी पार्टी को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

श्री बसुदेव आचार्य : 160 उद्योगों के अतिरिक्त, अन्य 513 उद्योग 31 जनवरी, 1997 से बंद किए जाने हैं। अतः यह हजारों कामगारों से संबंधित एक गम्भीर स्थिति है।

सभापति महोदय : इसी कारण से आपको इसका उल्लेख करने की अनुमति प्रदान की गई है।

श्री बसुदेव आचार्य : उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। कोई रास्ता निकालना है और माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहिए कि उन कामगारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी जिनकी दिल्ली में उद्योगों के बन्द होने के कारण नौकरियां चली जायेंगी।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सरकार को पूरे सदन की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और गरीब कामगारों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि श्रमिकों की नौकरियां न जाये। यदि संभव हो तो कामगारों को कुछ अन्य नौकरियों में लिया जाना चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है जिस पर सरकार को तुरन्त विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मैं यह प्रश्न स्पष्ट करना चाहता हूं कि उद्देश्य और कारणों संबंधी वक्तव्य बिलकुल स्पष्ट है और यह विधेयक के मुख्य उपबन्धों से संगत नहीं है। माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गये हैं। उन्हें इस पर विचार करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आप विधि मंत्री को भी निदेश दे सकते हैं।

सभापति महोदय : नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपके परामर्श के लिए धन्यवाद।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : कृपया सभा को सूचित कीजिए कि क्या आप उद्योग तथा श्रमिकों दोनों के लिए स्वीकार्य तथा व्यावहारिक समाधान लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ इस मामले को उठा रहे हैं।

श्री बलाई चन्द्र राय : सरकार को इस निर्णय को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या आपने उन सभी प्रश्नों को सुना है जो उठाये गय हैं?

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : अंतिम माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया एक प्रश्न यह है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो क्या उस समय सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है। यह संभव नहीं है। ...**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनिये। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : यह एक बहुत गम्भीर मामला है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मुझे उनके सभी सुझावों पर ध्यान देने दीजिए। सभी सुझावों पर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।

मैं वास्तव में सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पार्टी संबद्धताओं से हटकर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सभा के सभी सदस्यों की मनोदशा समान है कि कामगारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मैं उनके साथ हूं। अब सरकार सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत है। सरकार भी इसके बारे में बहुत गम्भीर है। लेकिन मैं उन पर यह प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा हूं कि दिल्ली सरकार, जिसके समन्वय से भारत सरकार को भी इस मामले की जांच करनी है, ने एक समिति का गठन किया है।

समिति अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर पेश कर देगी। पहले ही दो या तीन दिन बीत चुके हैं और अभी तीन और चार दिन के अन्दर मुझे रिपोर्ट मिल जायेगी।

इस बीच, मैं आपको बता दूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस मामले से सम्बद्ध सभी मंत्रियों से भाग लिया था। गृह-मंत्री ने श्रम मंत्री, वस्त्र मंत्री, शहरी विकास मंत्री तथा सभी सम्बद्ध मंत्रियों से इस मसले पर बातचीत की थी। उन्होंने यह भी चर्चा की कि कामगारों के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को कैसे सुलझाया जाये। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार इन कामगारों के हितों की सुरक्षा के मुद्दे से पीछे हट रही है। इस सीमा तक आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं ...**(व्यवधान)** मैं आपको बता दूं कि एक समिति इस मामले पर पहले ही विचार कर रही है और एक हफ्ते में हमें रिपोर्ट मिल जाएगी।

माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने उल्लेख किया है कि केवल 168 एकक ही बन्द नहीं किए गए अपितु ऐसे 513 उद्योग और भी हैं जो 31 जनवरी तक बन्द हो जाएंगे। तीसरे चरण में 70 एकक 28 फरवरी तक बन्द हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त 43050 एककों को शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जाना है। वास्तव में इन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाना है अपितु डी.डी.ए. "नॉन कन्फॉर्मिंग जोन" विनियमों अर्थात दिल्ली योजना को कार्यान्वित करने जा रही है। यह एक व्यापक योजना है। सरकार इस पर कार्य कर रही है। हम इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं।

जैसा कि हमारे कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सरकार सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलायेगी और रिपोर्ट आने के तत्काल बाद एक सप्ताह के अन्दर इस मामले पर विचार-विमर्श करेगी ताकि रिपोर्ट पर चर्चा करके उस पर उचित कार्यवाही की जा सके। जैसाकि सर्वदलीय नेताओं की बैठकों में सुझाव दिया गया, न्यायालय का आश्रय भी लिया जायेगा। इस मामले से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं है। यह सात लाख लोगों की रोजी-रोटी का प्रश्न है। इस मामले के कारण सात लाख लोगों पर असर पड़ेगा। 168 एककों में से 167 एकक पहले ही बन्द हो चुके हैं। केवल एक एकक ऐसा है जो बन्द नहीं किया गया। इसे 30 जून तक की समयावधि दी गई है। स्थिति यह है कि 167 एकक पहले ही बन्द है, यह बहुत गम्भीर मामला है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे खुशी होगी यदि सदस्य इस मामले पर दिये गए उत्तरों से संतुष्ट हो जाएं।

मैं दो या तीन और मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक मुख्य विषय दिल्ली में हो रही भीड़-भाड़ से सम्बंधित है। दिल्ली की सड़कों पर चल रहे वाहनों की संख्या लगभग 27 लाख है। ये सभी वाहन अत्यधिक धुआं छोडते हैं। इससे बहुत प्रदूषण होता है। इससे अब अनेक खतरे पैदा हो रहे हैं। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि दिल्ली में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर आगे इसका क्या प्रभाव पडेगा? यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

अगला मसला दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या से संबंधित है। दोनों सदनों में 'ब्लू लाईन बसों' के द्वारा बढ़ती दुर्घटनाओं और ऐसे अन्य विषयों का उल्लेख होता रहता है। यह सब बहुत गम्भीर मामले हैं। भीड़भाड़ की समस्या, यातायात नियंत्रण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने सत्ता में आते ही एम.आर.टी.एस. परियोजना को स्वीकृति दी। यह परियोजना पिछले 22 सालों से लम्बित पड़ी थी। सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। इस परियोजना की लागत 4852 करोड़ रुपये है और पूरा होने तक इसका लागत मूल्य 8200 करोड़ रुपये हो जायेगा।

इसी महीने की छः तारीख को जापान के साथ एक ओ.ई.सी.एफ. ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गए हैं। ऋण दस्तावेज को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यदि इस परियोजना पर जल्दी कार्य कर

लिया जाए तो दिल्ली में भीड़भाड़ की समस्या, विशेषकर दिल्ली के केन्द्रीय इलाकों में समाधान किया जा सकेगा। इससे भीड़भाड़ को कम किया जा सकेगा और यातायात पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। सरकार ने एम.आर.टी.एस. परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

दिल्ली में और जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में झुग्गी-झोंपड़ियां घास की तरह बढ़ती जा रही हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में लगभग 25 लाख लोग रह रहे हैं। 1200 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां हैं। झोपड़ियों में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए की लागत से इस साल एक कार्यक्रम तैयार किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त में 250 करोड़ रुपए की लागत से कानपुर में एक नया झोंपड़ी सुधार कार्यक्रम शुरू किया है।

आखिर में, मैं यह बताना चाहूंगा कि सबको पता है कि दिल्ली विकास योजना को बनाने में 27 वर्ष का समय लगा था। 1989 में पहली योजना बनकर तैयार हुई। भिन्न-भिन्न चरणों पर कुछ समय की देरी हुई। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। परन्तु हुआ यही है। परन्तु अब फिर यह सरकार संशोधित मास्टर योजना बनाने के प्रति गम्भीर है, जिसमें इमारतें बनाने के नियम भी शामिल हैं। हाल ही में, सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक समिति भी बनाई गई है। उन्होंने निर्माण सम्बन्धी नियमों में सुधार का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। इनके साथ-साथ केवल दिल्ली में ही नहीं अपितु अन्य शहरों में भी आवास की समस्याएं हैं।

7, 8, और 9 अक्तूबर को मैंने आवास सम्बन्धी समस्याओं पर एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें आवास और शहरी विकास से सम्बद्ध सभी मंत्रियों और राज्यों के नगर निगम प्रशासन को आमंत्रित किया गया था और भिन्न-भिन्न राज्यों के 25 मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। हमने केवल शहरों की ही नहीं अपितु ग्रामीण इलाकों की भी आवास सम्बन्धी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं और आयामों पर चर्चा की थी।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा विधेयक सहित बहुत से सुझाव सामने आए जिनमें संशोधन सहित नियामक उपाय, भी शामिल थे और उनमें निर्माण सामग्री और आर्थिक-तकनीक सम्बन्धी निर्माण सामग्री को भी शामिल किया गया। इन सब पहलुओं पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। तीन-चार दिन पहले उस बैठक का सारांश और सिफारिशें भी प्रकाशित हो गई। इस बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति और उनके द्वारा दी गई सिफारिशों की एक-एक प्रति मैं आपको दूंगा जिसमें हमने इस बात पर विचार किया है कि सबके लिए शहरों में घरों का निर्माण कैसे किया जाए।

कल हमारे एक सदस्य ने ग्रामीण इलाकों के लिए बनी इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास कार्यक्रम के बारे में सुझाव दिया था। कुछ लोगों का सुझाव यह था कि इसे शहरों में क्यों नहीं लागू किया जा सकता? परन्तु मुख्य समस्या भूमि की उपलब्धता के बारे में है। भूमि की कीमतें बहुत अधिक हैं। इसके बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण कुछ कार्यक्रम जैसे अम्बेडकर आवास योजना आदि चला रहा है जिसके माध्यम से कुछ झुग्गी झोंपडियों वाले लोगों को और सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जहां तक आवासों का सम्बन्ध है, इस सरकार ने यही किया है।

एक बहुत गम्भीर आरोप यह लगाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्यापक भ्रष्टाचार है। मैं यह दावा नहीं करता कि विभिन्न स्तरों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार से मुक्त है।

महोदय, मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार वहां है ही नहीं, परन्तु जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री विजय गोयल ने कहा है 48 लोगों को पकड़ा गया है और चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर जिन लोगों को दोषी पाया गया था, उनके विरूद्ध कार्यवाही और जांच की गई है।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : वह सभी ए.ई.और जे.ई. के स्तर के हैं।

[हिन्दी]

आपने किसी भी बड़े अफसर को प्रौसीक्यूट नहीं किया है। आपने स्मॉल फ्लाई को पकड़ा है। आप अपनी लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। 48 के 48 जे.ई. और ए.ई. हैं।

[अनुवाद]

श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : किसी को भी सजा नहीं दी गई ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रेम जी, वह उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' : हम तो डायरेक्टली कनैक्टिड हैं।

सभापति महोदय : बस-बस आपने बड़ा अच्छा बोला है।

[अनुवाद]

उन्होंने मसला समझ लिया है।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : महोदय, हमारे माननीय मित्र श्री विजय गोयल और अन्य लोग मेरे पास आते रहे हैं। वे जानते हैं कि कुछ त्रुटियों को सुधारने के लिए मैं क्या-क्या कर रहा हूं। जो मुद्दे उठाये गये हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है, यह मेरे लिए अच्छी सामग्री है। मैं अवश्य ही इन सब बातों को देखूंगा। चाहे जो भी हो किसी भी मुद्दे से मेरे पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस मंत्रालय के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं अवश्य कुछ करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, ये मेरा विश्वास है और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। इसलिए मैंने आरम्भ में ही कहा था कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई

गई सामग्री, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के मंत्री के रूप में, जिसमें कई संवेदनशील मुद्दे शामिल है, मुझे अपना कर्तव्य निभाने में सहायक सिद्ध होगी। अतः मैं, जहां तक हो सके, प्रयत्न कर रहा हूं।

विभिन्न स्तरों पर की गई कार्रवाई के अलावा, मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इसमें ऐसी और कोई बात हो, तो मैं आगे अनुशीलन करूंगा। इस सन्दर्भ में, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि ऐसी कोई घटना है जो वे मेरी जानकारी में लाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं मैं इसे गुप्त रखूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं उनको जवाब दूंगा और दोषी पाये गये अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी उनको बताऊंगा। इससे पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, यह कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के बहुत बड़े भूमि क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा हो रखा है। अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कुल भूमि क्षेत्र 91,908 एकड़ है। मेरे पास दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऐसी भूमि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। 1,750 एकड भूमि अनधिकृत कब्जे में है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध कुल भूमि क्षेत्र का 1.9 प्रतिशत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 1,750 एकड ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' : हम तो 6 साल से कह रहे हैं। आपको डी.डी.ए. की जगह कहां -कहां है उसका ज्ञान है। उन जगहों की कोई फैन्सिंग नहीं है। आप किस तारीख तक फैन्सिंग कर देंगे, यह बता दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री प्रेम, वह उत्तर दे रहे हैं।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उसी बात पर आ रहा हूं ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : आपने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की 1750 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। परन्तु मेरे पास दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक दस्तावेज है और इसके अनुसार :

> " वर्ष 1995-96 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए सम्मिलित प्रयास किये गये थे। 31.12.95 को एक सर्वेक्षण किया गया था और इस सर्वेक्षण में 3257 एकड़ भूमि विभिन्न प्रकार से अतिक्रमण में लिप्त पाई गई। सर्वेक्षण से यह पता चला है कि अन्य प्रकार के अतिक्रमण के अतिरिक्त, 350 झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का निर्माण, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर होने वाला अतिक्रमण में एक सर्व सामान्य अतिक्रमण है। "

मेरा प्रश्न है कि कौन से आंकड़े सही है? कृपया स्पष्ट कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' : लैफ्टिनेंट गवर्नर ने डी.डी.ए. के लिए अपनी टास्क फोर्स बनायी है। उसका डी.सी.पी. मेरे पास आया। उसने कहा कि अभी पिछले तीन महीने में वहां करोड़ों रुपए का घपला हुआ।

[अनुवाद]

मैं आपको संसद में बता रहा हूं।

श्री विजय गोयल : कृपया हमें बताइए कि कौनसी बात सच है। यह बात सही है या आपका दस्तावेज? यह दिल्ली विकास प्राधिकरण का भी दस्तावेज है।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : मैं माननीय सदस्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े की जांच करूंगा और उनसे बात करूंगा। यह नवीनतम आंकड़ा है, जो मुझे उपलब्ध कराया गया है।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : लेटेस्ट यह है कि मेरे पास 500 टेलीग्राम्स आई हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है कि हर बार आप उठें और कुछ कह दें।

(व्यवधान)

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' : दस्तावेज मेरे पास है आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं दिल्ली का ऐसा एकमात्र संसद सदस्य हूं जिसने दिल्ली विकास प्राधिकरण की 13 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को अतिक्रमण से बचाया है। जमीन पर कब्जा करने वालों ने दो बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं शान्त कैसे बैठ सकता हूं?

श्री विजय गोयल : मैं आपको दस्तावेज भेज रहा हूं।

सभापति महोदय : खैर, मंत्री महोदय अपनी बात जारी रख सकते हैं।

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गऐ आंकड़ों की एक बार फिर जांच करूंगा और सही आंकड़ों के साथ उनके पास पुनः आऊंगा। यद्यपि मैं यह व्यक्त करता रहा हूं कि अतिक्रमण का प्रतिशत केवल 1.9 है, फिर भी मैं यह नहीं कहता कि यह आंकड़ा कम है। दिल्ली में अधिकांश महत्वपूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। जो भूमि बहुत कीमत की है, उन पर भी कब्जा किया गया है। मैं यह भी पता लगाने के लिए उत्सुक हूं कि क्या किया जाये। वास्तव में, मैंने सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलायी है और उनको इस समस्या की गम्भीरता के बारे में बताया है। मैंने उन्हें हर महीने मेरे पास आकर उनके द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तथा उसके

परिणाम से अवगत कराने के लिए कहा हैं। प्रत्येक माह वे मेरे पास आयेंगे और मैं उनके द्वारा की गई कुल कार्यवाही की निगरानी करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में, मैं दो या तीन प्रश्नों का उल्लेख करूंगा और फिर इस विधेयक के मुख्य भाग पर आऊंगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण का यह मुद्दा न केवल सरकार के लिए ही, बल्कि कई सदस्यों के लिए भी इतना महत्वपूर्ण है कि यह चर्चा के लिए इस तरह से आया है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं।

यद्यपि शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, जिसे वर्ष 1976 में पारित किया गया था, को बीस वर्ष बीत गये हैं। इसके वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। यह एक विहित तथ्य है, इसके बारे में कोई गोपनीयता नहीं है। वर्ष 1996 में इसके पारित किए जाने के समय, यह पाया गया कि 2.2 लाख हैक्टेयर भूमि अधिकतम सीमा से अधिक है। इन बीस वर्षों में, सभी राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित किया गया कुल क्षेत्र केवल 15000 हैक्टेयर है। अतः कार्य-निष्पादन बहुत नगण्य है। उस सरकार के सत्ता में आने के तुरन्त पश्चात, हमने शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की स्थिति की समीक्षा की है और निर्णय लिया गया है कि इस अधिनियम को अधिक कारगर और अधिक उपयोगी बनाने के लिए यथोचित संशोधन लाये जाने हैं। वास्तव में, मैंने सभी मुख्य मंत्रियों से अपने सुझाव भेजने के लिए कहा है क्योंकि अंततः राज्य सरकारों को ही इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करना है। अतः, राज्य सरकारों को आगे आना है। मैंने सभी मुख्य मंत्रियों से अपने सुझाव भेजने के लिए कहा है ताकि यथाशीघ्र यथोचित संशोधन तैयार किया जा सके और मकानों का लम्बवत विस्तार की अपेक्षा शहर का क्षेत्रीय विस्तार किया जा सके। यह सरकार यह कर रही है।

हमारे कुछ सदस्यों द्वारा दूसरे पहलू का उल्लेख किया गया है। वे यह जानना चाहते थे कि दिल्ली किराया अधिनियम, जिसे कुछ समय पहले पारित किया गया था और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त, 1995 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, को कब अधिसूचित किया जा रहा है। पिछली सरकार भी इसे अधिसूचित करना चाहती थी। कई क्षेत्रों से कई सुझाव आये हैं और मेरे मंत्रालय में फाइल पर अभ्यावेदनों की कुल संख्या चार हजार है। उसके अतिरिक्त, दिल्ली के मुख्य मंत्री द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें कुछ सिफारिशें की गई थी कि कतिपय ऐसे क्षेत्र थे जिनमें सुधार करना था और यह सरकार उन सिफारिशों के बारे में गम्भीर है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को लाने में विलम्ब के बारे में पूछा था। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का गठन 1991 में ही हो गया था, इस विधेयक को लाने में विलम्ब क्यों हुआ? मेरे पास जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि एक गम्भीर प्रयास पहले भी किया गया था। पहला मंत्रिमण्डल टिप्पण मंत्रिमंडल को नवम्बर, 1992 में प्रस्तुत किया गया था। तद्नंतर, इस मंत्रिमण्डल टिप्पण को परिचालित करने के पश्चात कई मंत्रालयों से परामर्श करना पड़ा था। मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध है। इसके शीघ्र पश्चात सरकार ने टिप्पण तैयार किया था और इसे मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल ने उस टिप्पण को स्वीकृत कर दिया है और यथाशीघ्र उपलब्ध अवसर पर, मैं इस सत्र में यह विधेयक लाया हूं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, दो प्रमुख पहलू है। उनमें से एक यह है - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा के तीन प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणनीय मत के माध्यम से उनमें से चुने जाने है जिनमें से दो सत्ताधारी दल से और एक विपक्षी दल से होगा। यह साधारण संशोधन है जो लाया जा रहा है। यहां, माननीय सदस्यों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है, जब ये तीन सदस्य उन सदस्यों का स्थान ले रहे हैं जो पहले की महानगर परिषद में थे, तो सत्ताधारी दल से दो सदस्य और विपक्ष से एक सदस्य क्यों होने चाहिए? इस मामले पर कई मंचों पर चर्चा हुई और पिछली सरकार ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की। यह विधेयक दिल्ली सरकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल सहित विभिन्न स्तरों पर काफी चर्चा और विचार-विमर्श हुआ है। इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य लोगों के प्रतिनिधियों के जो विभिन्न दलों तथा मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतों की अभिव्यक्ति के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व देना है। अतः प्रस्तावित संशोधन का परिणाम इस प्रावधान तथा भावना का लोप होगा जिससे दिल्ली विधान सभा के सभी तीनों प्रतिनिधियों के सत्ताधारी पार्टी से होने तथा विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व न होने की संभावना होगी।

5 जून, 1995, तत्कालीन गृह मंत्री ने शहरी कार्य मंत्री उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री जे.पी. सिंह, सचिव, श्री अरविंद वर्मा, विशेष सचिव तथा उनके मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री एम. एस. श्रीनिवासन के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में, एक सर्वसम्मति हुई थी कि विभिन्न मतों को व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए सत्ताधारी दल से दो सदस्य तथा एक विपक्ष से होना चाहिए। इस सर्वसम्मति के आधार पर, यह संशोधन तैयार किया गया है।

अतः, हम जो कर रहे हैं, वह कोई नयी चीज नहीं है। यह दिल्ली के मुख्य मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा अन्यों के साथ परामर्श करके किया गया है। वह सर्वसम्मति मंत्रिमंडल को भेजी गई हैं। इसे विधि विभाग की सहमति प्राप्त हुई है। इन सभी को देखते हुए, एक अंतिम संशोधन लाया गया है।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन पर जोर न डालें और संशोधन विधेयक में यथा प्रस्तावित एकल संक्रमणीय मत द्वारा इन तीनों सदस्यों के लिए मतदान करवायें। मैं श्री विजय गोयल से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस लें...**(व्यवधान)** कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

एक अन्य संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इस मुद्दे पर भी काफी विचार किया गया है। चूंकि यहां एक सलाहकार परिषद् है - जिसमें संसद सदस्य भाग ले रहे हैं और अपने सुझाव दे रहे हैं। यह विचार किया गया है कि यहां ऐसा होना वांछनीय नहीं है। अतः इस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है।

इस बारे में एक आलोचना की गई थी कि संसद सदस्यों को सलाहकार परिषद् की बैठकों के लिए नहीं बुलाया जाता है। पिछले तीन अथवा चार वर्ष से सलाहकार परिषद् की बैठक नहीं हुई है। लेकिन इस सरकार के सत्ता में आने के बाद एक बैठक हुई है ...**(व्यवधान)** एक बैठक अभी हाल ही में चार वर्ष के बाद हुई थी ...**(व्यवधान)** अगली बैठक फरवरी माह में होनी है। अतः हम इस मामले पर विचार करते रहे हैं और इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हम माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का भी ध्यान रखेंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या आपने पिछले चार वर्षों से बैठक न बुलाने के लिए उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : अधिकारी बैठक न बुलाने के लिए जिम्मेवार नहीं हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : तो कौन जिम्मेवार है। बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं?

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : वह दिल्ली विकास प्राधिकरण है।

महादय, यह स्थिति है। चूंकि माननीय संसद सदस्य सलाहकार परिषद् के सदस्य हैं, इसलिए यह विचार किया गया कि यह आवश्यक नहीं था अन्यथा एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। एक बार इस मुद्दे पर भी विचार किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में सदस्यों के पद के लिए मंत्रियों को नहीं लड़ना चाहिए, उसका एक साधारण सा कारण यह है कि यदि राज्यपाल की अनुपस्थिति में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन ने बैठकों की अध्यक्षता की, और यदि मंत्री वहां होते हैं, बोर्ड में बैठते हैं, तो यह अशोभनीय लगेगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि ऐसी बैठकों मे मंत्रियों को शामिल नहीं करना चाहिए और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य केवल विधान सभा के सदस्य होने चाहिए। यह निर्णय लिया गया।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, हालांकि मैं इस विधेयक की छोटी-छोटी बातों पर चर्चा नहीं कर सका हूं। उदाहरण के लिए, श्री शर्मा पूछा है कि हमें पूरे क्षेत्र पर बाड़ा क्यों नहीं लगाना चाहिए। मैं इसे दिल्ली विकास बोर्ड की पद में शामिल करने के लिए यह जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण को देता हूं और मंत्रालय भी इस विशिष्ट पहलू पर विचार करेगा कि हम इस सारी भूमि का संरक्षण किस प्रकार अच्छी तरह से कार सकते हैं, न केवल वह भूमि जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है बल्कि वह भी जो दिल्ली निगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और भूमि तथा विकास संगठन के अन्तर्गत भी है।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों स अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन वापस लें जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। अभी दिल्ली रेन्ट एक्ट के बार में जैसा मंत्री जी ने कहा...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3

सभापति महोदय : श्री गोयल, क्या आप माननीय मंत्री जी के अनुरोध के पश्चात् अपने संशोधनों पर जोर देंगे अथवा उन्हें वापस लेंगे?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मैं उसी के बारे में कहना चाहता था। मैंने जो सजैशन दिया है, मंत्री जी ने सदन में जो बयान दिया है, वह ठीक वहीं दिया है...**(व्यवधान)** इसकी एडवाइजरी कौंसिल में कार्पोरेशन के मैम्बर हैं...**(व्यवधान)** जहां कार्पोरेशन के मैम्बर रहेंगे, या यहां के मैम्बर रहेंगे, उससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। डी.डी.ए. सीधे सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन है...**(व्यवधान)** अब जो नया सिस्टम चालू होगा...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको जो कुछ बोलना है, बाद में बोलिए। क्या आप अपनी अमैंडमेंट प्रैस करना चाहते हैं या विदड्रा करेंगे।

श्री विजय गोयल : मैं अपनी अमैंडमेंट मूव कर रहा हूं, वापस नहीं ले रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं -

"कि पृष्ठ 2, -

पंक्ति 5 और 6,-

'जिनमें से दो सत्तारूढ़ दल से होंगे और एक सरकार के विपक्षी दल से होगा। शब्दों का लोप किया जाए।" (1)

"पृष्ठ 2, पंक्ति 13, -

'(ii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात्, :-

"(i) लोक सभा के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा दिल्ली से दो लोक सभा सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे।" (2)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वर्मा जी, आप अपने संशोधन के प्रस्ताव पर दृढ़ हैं या आप इसे वापिस ले रहे हैं?

श्री आर.एल.पी. वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाय :—

(दो) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(एक) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा के सदस्य होंगे और एक राज्य सभा का सदस्य होगा क्रमश: लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे।" (3)

[हिन्दी]

मैं अपनी अमैंडमेंट विदड्रा कर लेता हूं लेकिन मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप सिर्फ यह बताइये कि अमैंडमेंट मूव करना चाहते हैं या विदड्रा करेंगे।

श्री आर.एल.पी. वर्मा : मैंने कहा है कि मैं अमैंडमेंट विदड्रा कर लेता हूं लेकिन मंत्री जी ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि अन-औथोराइज्ड कालोनीज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री आर.एल.पी. वर्मा द्वारा रखे गए संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : मैं अब श्री विजय गोयल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (दिल्ली सदर) : मुझे अपनी अमैंडमैंट पर बोलने का अधिकार है।

[अनुवाद]

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.00 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य **पीठासीन हुए**)

[अनुवाद]

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : महोदय मैं प्रस्ताव* करता हूं :

> "कि उर्दू भाषा के मुख्य रूप से संवर्धन और विकास के लिए और परम्परागत शिक्षा तथा दूर शिक्षा पद्धति द्वारा उर्दू माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रारंभ में केवल कुछ टिप्पणियां ही करूंगा। एक अलग उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग बहुत देर से चली आ रही है। गुजराल समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी।

उर्दू एक राष्ट्रीय भाषा है। यह बहुत समृद्ध भाषा है। यह भाषा भारत में उद्भूत हुई। यहां प्राथमिक उर्दू स्कूल भी है और उच्च स्कूल भी हैं। इसके बाद जो विद्यार्थी उर्दू माध्यम से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं वह आगे विश्वविद्यालय की पढ़ाई नहीं कर पाते। अतः यह बहुत आवश्यक है कि कम से कम एक विश्वविद्यालय तो ऐसा हो जिसमें उर्दू सभी विषयों का माध्यम हो अर्थात जहां इंजीनियरिंग और चिकित्सा के विषय भी पढ़ाए जाएं। हमने उसका प्रधान केन्द्र हैदराबद बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि 1950 तक उस्मानिया विश्वविद्यालय में, जो कि एक विख्यात विश्वविद्यालय रहा है, उर्दू पढ़ाई का माध्यम रहा है। हर विषय उर्दू में पढ़ाया जाता था। हम जल्द से जल्द से शुरू करना चाहते हैं और उर्दू बोलने वाली जनसंख्या को यह अवसर प्रदान करना चाहते हैं।

इस विधेयक पर विचार किया जाएं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

> "कि उर्दू भाषा के मुख्य रूप से सवंधन और विकास के लिए और परम्परागत शिक्षा तथा दूर शिक्षा पद्धति द्वारा उर्दू माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अरे जगमोहन जी, इस पर तो आपको उर्दू में बोलना चाहिए। अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं?

श्री जगमोहन : ठीक है, यदि आप उर्दू में चाहते हैं, तो मैं उर्दू में बोल देता हूं।

चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं इस बिल की ताईद करता हूं और चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। यह एक और बडी खुशी का मौका है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना आजाद साहब के नाम से जोड़ा जा रहा है जो कि एक नामवर मैम्बर थे और स्कालर थे और जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हमारे नेशनल स्ट्रगल में दिया है तथा हमारे लीडर्स की रहनुमाई करते रहे हैं।

मैं इसके साथ एक और बात पूछना चाहूंगा कि जो नैशनल यूनीवर्सिटी का कंसैप्ट है, उर्दू नैशनल यूनिवर्सिटी और सैपरेट यूनिवर्सिटी हो, इसमें यू.जी.सी. का क्या ओपीनियन था? यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ऐसी सैपरेट यूनिवर्सिटीज बनाने के बारे में क्या व्यूज थे? क्या यह ठीक नहीं है कि यू.जी.सी. ऐसी यूनीवर्सिटियों के हक में नहीं था? वह चाहता था कि जो एग्जिस्टिंग यूनीवर्सिटीज हैं, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चार को मजबूत किया जाए। उससे ज्यादा फायदा उर्दू लैंग्वेज को होगा। जहां-जहां भी ऐसा होगा, वह फैलेगी। अब यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना और फिर यह तवक्कु करना कि जो बिहार में बैठा है वह उससे फायदा उठा सकेगा और फिर उसके बाद डिस्टेंट एजूकेशन के हिसाब से अच्छी तरह उर्दू अदब या उर्दू जुबान को सर्विस हो सकेगी, मुझे यह थोड़ा मुश्किल नजर आता है।

इसमें बहुत सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज नजर आयेंगी। हम सब चाहते हैं कि उर्दू जुबान को तरक्की मिले क्योंकि यह जुबान भारत में ही पैदा हुई। यहीं यह पनपी भी है। इसका हिन्दी के साथ भी सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। अगर आप सादा उर्दू और सादा हिन्दी बोलें तो इसमें कोई अन्तर नजर नहीं आयेगा। अगर उर्दू में कहना हो तो कहेंगे कि रात को उसको ख्वाब आया था। हिन्दी में कहना हो तो कहेंगे कि रात को इसने सपना देखा था। यह बतानम मुश्किल नहीं है क्योंकि दोनों ही चीजें हम समझते हैं। इसलिए एक नेशनल एफर्ट होना चाहिए कि दोनों को हम सीधा तरीके से इस्तेमाल करें। मुंशी प्रेमचन्द जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वे उर्दू में भी लिखते थे और हिन्दी में भी लिखते थे। जो 'वर्ल्ड ऑफ प्रेमचन्द' की फेमस बुक है उससे भी साफ जाहिर होता है कि हमारी तहजीब व तमदुन का सबसे अच्छा नमूना

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

उनकी शॉर्ट स्टोरीज में मिलता है क्योंकि वे हिन्दी जुबान सिंथेसिस आफ उर्दू जुबान और साथ ही एक नैशनलिस्ट फीलिंग, एक पैट्रीऑटिक फीलिंग इससे जाहिर होती है।

यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि इस देश में कुछ ऐसे लोग थे जो इसकी फिरका की निगाह से देखने लगे और जो टू नैशन थ्योरी बनाई गयी, उसमें उर्दू को भी लपेट लिया गया। उर्दू का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वह उन लोगों ने किया है जिन्होंने टू नैशन थ्यौरी को बढ़ावा दिया और देश को तकसीम किया। बंटवारे से पहले आप जानते हैं कि पंजाब में, यू.पी. में और बिहार में एक बहुत अच्छी उर्दू की तहरीख चलती थी प्रोगेसिव राईटर जिसे मूवमैंट कहते हैं और बहुत बढ़िया लिटरेचर एक बहुत बढ़िया अदब देश में पैदा हो रहा था और उसमें बहुत से लागों का यह नहीं था कि यह एक मुसलमान की जुबान है या एक हिन्दू की जुबान है। हम सब लोग स्कूल-कालेज में जब पढ़ते थे तो उसे अपनी ही जुबान समझते थे और इसकी सादगी और इसकी लताफत पर हम कुर्बान थे। यह बहुत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इसमें कोई डिनाई नहीं होना चाहिए।

मैं गवर्नर रहा हूं और यहा पर भी गवर्नर के बारे में बहुत से कांस्टोट्यूशनल व्याख्यान मैंने सुने हैं लेकिन उर्दू के एक छोटे से शेर में आपको रिफलैक्शन मिलता है, जो निचोड़ मिलता है, वह कहीं नहीं मिलता। कहते हैं :

मुसव्विर ने बनाई, क्या-क्या तस्वीरें हैं,
सर पर ताज है, पांव में जंजीरें।।

अगर पर गवर्नर का अक्स देखना चाहें तो-

सर पर ताज है, पांव में जंजीरें,
मुसव्विर ने बनाई क्या-क्या तस्वीरें।।

ये चीजें इतनी अच्छी थी लेकिन हम उनको छोड़कर दुसरी तरफ जाने लगे और मुल्क को तकसीम कराने में जो नुकसान हुआ, उसमें उर्दू का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।

यह भी बदकिस्मती की बात है कि बहुत से लोग जो उर्दू के मुहाफिज बनते हैं या माइनीरिटी का नाम लेना चाहते हैं। इस माइनौरिटी लफ्ज का जो आपको रिपोर्ट में कहीं दर्ज है, मैं समझता हूं कि यह अच्छा रवैया नहीं है। आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि उर्दू हमारी एक नैशनल लैंग्वेज है। यह बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भाषा है। इसको माइनोरिटी से मत जोड़िये या मैजोरिटी से मत जोड़िये या किसी और से मत जोड़िये। यह एक जुबान है। हमारे हिन्दुस्तान की तहजीब और तमदुन की जो ऑबजरपिटव कैपेसिटी जिसे सिंथेसिस कहते हैं, हमारी तहजीब कायम क्यों रही है? जैसे इकबाल ने कहा है कि :

यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से,
अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।

अगर हमारी हस्ती नहीं मिटी है तो इसलिए नहीं मिटी कि हमने छोटे-छोटे तरीके से सोचने की कोशिश नहीं की। लेकिन बदकिस्मती से 1947 से थोड़ी देर पहले और इसके बाद हमने छोटी सोच में आकर देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। हमने जो टू नैशन थ्योरी को बढ़ावा दिया, जो डिवाइड एंड रूल की पालिसी थी, उसके शिंकजे में हम फंस गये। इससे न तो पाकिस्तान के गरीब आदमी को फायदा हुआ और न हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को फायदा हुआ और हमको उभारते रहे। उधर भी आर्म्स एंड एमुनिशन भेजते रहे और इधर भी भेजते रहे। गुरबत की हमारी जो मसाइलें हैं, वे सब वैसी ही हैं जैसे पहले थीं। उससे किसी लिहाज से हम खराब भी हुए हैं। मैं यह सोचता हूं कि हम जब तक नैशनल जाविया ठीक नहीं करेंगे तब तक उर्दू या किसी और चीज को बढ़ाना सही मायने में पीसीबल नहीं होगा।

मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। बीस साल पहले मैंने शहजहानाबाद, जो वॉल्ड सिटी है, उसके बारे में एक किताब भी लिखी थी। उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि जामा मस्जिद से लेकर राइट अपटू रिवर फ्रंट ततक हम ग्रीन वैल्वैट बिछाना चाहते हैं। मेरे एक बहुत मुअवज्जिज दोस्त हैं जो इस समय भी गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों की बदकिस्मती है कि कई लोग हमारे अखबारों में कहते हैं कि ये तो एंटी-मुस्लिम हैं। लेकिन उन गरीब मुसलामानों को यह पता नहीं है कि एंटी-मुस्लिम कौन हैं, सही मायने में उनके दोस्त कौन-हैं, दुश्मन कौन हैं। मैं इस बात की तरफ इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में 1600 मेजर मीनूमैंट्स हैं। उनमें चंद एक हैं जो पृथ्वीराज का किला राय पिथौरा है, ज्यादातर मीनूमैंट्स सल्तनत से, भोगल से वाबस्ता है। 1947 के बाद सब जगहों पर स्कॉटिंग हुई और उसमें 99 प्रतिशत हिन्दु और सिख थे जिन्होंने आकर कब्जा किया। सब खराब हो रहा था चाहे पुराना किला था, हौजखास था, मटका पीर था, मजारे बेदिल था, निजामुद्दीन था। उन बातों पर मैंने खुद वहां से सबको हटा दिया। उनको रिपेयर किया और चारों तरफ बाग लगा दिए। आज उस तहजीब-व-तमद्दुन की जो निशानियां हैं, वे हजारों साल तक कायम रहेंगी। उस तहजीब-व-तमद्दुन को हमने कायम रखा और उसके बदले क्रिटिसिज्म सहा कि दिल्ली में बुलडोजर आ गया, उसने यह कर दिया, वह कर दिया। लेकिन क्योंकि हम सही मायने में अपनी तहजीब के मुहाफिज थे, हमने उसे कायम रखा। आप तुगलकाबाद, हौज खास, पुराना किला, मटका पीर, छोटे से बड़ा मौनूमैंट भी ले लीजिए, चाहे शहर में चले जाइए और सैंट्रल मास्क ले लीजिए, वे हजारों साल तक कायम रहेंगे। लेकिन जब जामा मस्जिद की बारी आई तो जो अपने आपको मुहाफिज समझते थे उन्होंने ही बरगलाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी स्कीम जो मैंने बनाई थी - ग्रीन वैल्वैट बिटवीन जामा मस्जिद एंड रिवर फ्रंट और बीच में सिवाए लाल किले के कुछ नहीं होगा, उसमें आप उर्दू के मुशायरे करते, कवि सम्मेलन करते जिससे शहर में एक नई जान आ जाती, नई जागृति आ जाती, नई तहजीब-व-तमद्दुन पैदा होता, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।

मैं जानता हूं उर्दू के बहुत आलिम बैठे होंगे। 1947 में बहुत से लोगों को इसका डिलेमा भुगतना पड़ा। पहले तो सारे दोस्त थे, उर्दू बोलते थे, अच्छी तरह जानते थे, यूनीवर्सिटी में डिस्कशन करते थे, बात करते थे और खुश होते थे लेकिन जब 1947 आ गया तो उधर से कोई कहने लगे कि पाकिस्तानी है, हिन्दुस्तानी है। जब ये सारे सवाल पैदा होने लगे, बोम्मई साहब मैं आपका अटैन्शन चाहूंगा, तो उस समय उर्दू के एक नामवर शायर थे जो बेचारे न पाकिस्तान में समा सकते थे न हिन्दुस्तान में समा सकते थे, उन्होंने कहा

इधर मशकूक हैं मेरी निगाहें
उधर वहम-व-गुमां कुछ कम नहीं है
बड़ा मुश्किल है दुनिया का सवरना
तेरी जुल्फों का पेचोखम नहीं है।

इधर पाकिस्तान में भी हम शुबे से देखे जाते हैं, उधर भी शुबे से देखे जाते हैं। इसलिए उर्दू हमारी जगह से इतनी नेस्तानाबूत हो गई क्योंकि लोग बोलने लगे कि यह पाकिस्तानी है, यह हिन्दुस्तानी है। दोनों तरफ से आप ससपीशन की निगाह से दिखाने लगे और जो नैरो पौलोटिक्स हमारे देश में चल रहा है, इससे सिर्फ उर्दू को ही नुकसान नहीं हो रहा बल्कि सारे अदब को नुकसान हो रहा है। इनसुलर बन रहे हैं, छोटे जाविए ले रहे हैं। लकिन इन बातों से ऊपर उठकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए।

1947 से पहले चाहे आप उर्दू फिक्शन ले लीजिए, चाहे उर्दू पोयट्री ले लीजिए, चाहे फैज अहमद फैज साहब को ले लीजिए, चाहे आप हफीज जालन्धरी साहब को ले लीजिए, इसमें सारी सैकुलर पोयट्री है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। सारी उर्दू पोयट्री में साकी, जिसको मेरी जनर में आप टेबू समझेंगे, लेकिन सब उर्दू में वह साकी है। अगर आप फिक्शन भी लें और आप कृष्ण चन्दर को लें राजेन्द्र सिंह बेदी को लें, सबको लें तो इन्होंने उर्दू अदब की बहुत ज्यादा खिदमत की हैं। ज्यों ही यह इन्सुलर जाबिया पैदा हुआ, बहुत से लोगे इस अदब से दूर हटने लगे। मैं कश्मीर में रहा, कश्मीर में जब पहली टर्म में मैं गवर्नर था तो मैंने खुद फैज अहमद का एक क्लब बनाया था, जिसका मैं खुद चेयरमैन था। सारे कश्मीर के लोग उसमें बहुत खुश थे। सारों को जब हम यह कहते थे कि आपको जो रियल प्राब्लम हैं, वह क्या है, जैसे एक बहुत फेमस पोयम लिखी हुई है, मैं भूल रहा हूं :

'इन गंद सदियों के बेमानम तलस्सम, रेशमों कदम ख्वाब में बनाये हुए,
जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गले हुए नासूरों से।'

इस तरह है। हम यह प्रचार करते थे कि देखिये आपकी प्राब्लम यह नहीं है कि कश्मीर और हिन्दुस्तान अलहिदा नहीं है, आपकी प्राब्लम जहालत की है, आपकी प्राब्लम गरीबी की है, इस मुताहजे की है। तो इस तरीके से आप अगर इस तरक्की पसन्द वाले आइडिया को देश के सामने पेश करते हैं तो देश में सही मायनों में जो हमारे रियल मसायल हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है।

मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि आप इसको जरूर पास करिये, लकिन इसमें यह जरूर देखें कि यह एक इन्सुलर यूनिवर्सिटी बनकर न रह जाय, इसमें कोई ऐसा इदारा नहीं आ जाये जो कि इसमें सैपरेटिस्ट फोर्सेज को एन्करेज करें और फिर इन्सुलैरिटी को और फोकलोरिज्म को एन्करेज करे। उसमें सही मायनों में एक नेशनलिस्ट जो मौलाना आजाद साहब की कैथोलिक व्यू था, एक लिब्रल व्यू था, वह यूनिवर्सिटी सही मायनों में उसका एक रिफ्लैक्शन बने और एक सैंटर आफ न्यू आइडियाज और वह भी तरक्की पसन्द आईडियाज जो हों, उनका यह सेंटर बने, यह मैं आपसे इल्तजा करता हूं।

इसमें आपको कोई लम्बे-चौड़े सजेशन देने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स हैं कि स्टेच्यूट कैसे बनाएंगे, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां पैटर्न काफी एस्टैब्लिशड हैं, लेकिन इसमें मुझे कुछ प्रैक्टीकल डिफीकल्टीज नजर आती हैं। आप एक जगह सारे देश में एक सेंटर लगाना चाहेंगे और वे लोगे वहां से पढ़ेंगे, पार्टिकुलरली टैक्नीकल एजुकेशन लेंगे या वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे, उनके लिए कैसे होगा? अगर सब जगह ट्रांसलेशन ठीक तरीके से वैरियस लेंग्वेजेज में नहीं होगा तो अगर मैं वहां से पास करके आता हूं और किसी जगह नौकरी के लिए एप्लाई करता हूं तो कैसे मैं इसमें रैजिस्ट कर पाऊंगा? मुझे इसमें कोई ज्यादा क्लैरिटी आफ थिंकिंग नजर नहीं आती है। चाहिए तो यह कि जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटीज में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अगर आप अच्छा बनाते हैं और जो उस एरिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके साथ उसको लिंक करते हैं तो तब इससे उर्दू अदब का भी फायदा होगा और एम्प्लायमेंट पाइंट आफ व्यू से भी उन लोगों को फायदा होगा। मैं सोचूंगा कि अगर मैं पढ़ जाता हूं तो मैं उर्दू अदब की थोड़ी सी सेवा कर सकूंगा, लेकिन उसके साथ-साथ रोजगार भी डाल सकूंगा या नहीं, मुझे इसके बार में कुछ संन्देह है।

इन लफ्जों के साथ मैं आपके इस बिल की ताईद करता हूं और उसको सपोर्ट करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बिल, 1996 को आपने हाउस में पेश किया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं।

इसके पहले पहली सरकार ने श्री कुरैसी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई थी। उस टास्क फोर्स ने यह सुझाव दिया था कि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। 1993 में उन्होंने यह सुझाव दिया था, उस सुझाव के बाद आपने इसको हाउस में लाने की कोशिश की है, यह बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। यह हम सबके काम आएगा, इसके लिए आप जरूर बधाई के पात्र हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि हर धर्म में, हर वर्ग में अपनी-अपनी भाषा होती है। ऐसे ही उर्दू भी हमारी भाषा है। हम हिन्दुस्तान में रहते

हैं इस कारण भी हर भाषा से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगला हो, असमिया हो या अन्य कोई भाषा हो। सब भाषाओं के प्रति हमारे मन में आदर है। हमारे देश में उर्दू भाषा को जानने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन हमने कभी इस भाषा के विकास के लिए नहीं सोचा, जबकि यह भाषा बहुत मीठी और मधुर है। वैसे तो हर भाषा में कुछ न कुछ अच्छा होता है, लेकिन उर्दू भाषा की बात ही कुछ और है। यह सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हालांकि मैं उर्दू इतनी अच्छी तरह नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे उर्दू सुनना काफी अच्छा लगता है। इकबाल की शायरी भी अच्छी लगती है। आपने जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी बिल, 1996 पेश किया है, इसमें लेकुना भी हैं। आप इस बिल को जल्द से जल्द पास कराना चाहते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसमें एक बात की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कोर्ट की पावर कम हो गई है और एक्जीक्युटिव कौंसिल की पावर ज्यादा हो गई हैं। इन दोनों में फर्क होने से कोर्ट अच्छा काम नहीं पाएगा। यह बिल सही अर्थों में धर्मनिरपेक्षता को परिलक्षित करता है। इसमें महिलाओं को एजुकेट करने की बात भी है, जो कि सही कदम है।

आप यह युनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जो हमारे देश में पहली युनिवर्सिटी होगी। हमारे देश में करीब 20 प्रतिशत लोग उर्दू बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने राज्य में तो बहुसंख्यक होता है, लेकिन दूसरे राज्य में वह अलपसंख्यक हो जाता है। जैसे मैं बंगाली हूं, मैं बंगाल में बहुसंख्यक हूं, लेकिन महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक हो जाती हूं। मैं बंगलाभाषी हूं, लेकिन मैं और कोई भी भाषा जैसे उर्दू का ही ले, सीखने की कोशिश करती हूं। मैं यह इसलिए कहना चाहती हूं कि कोई यह भी कह सकता है कि यह बिल तो अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जैसे इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी के जो कालेज हैं वे उससे एफिलेटिड हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान इस बिल में नहीं है। इसमें भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यनिवर्सिटी अपने कालेजों को एफिलेशन दे सके। हम चाहते हैं कि उर्दू का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। इससे अल्पसंख्यकों का भी विकास होगा। हमारा जो नेशनल एजुकेशन प्लान था, उसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा का घोर अभाव है, उनको शिक्षित करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उस तरफ कोई प्रयास नहीं किया गया। यह उस तरफ एक उचित कदम है। उर्दू के विकास के लिए कई अकादमी भी हैं। मेरे राज्य में भी उर्दू अकादमी है, लेकिन सिर्फ फांउडेशन ही है, काम कुछ नहीं हुआ है। उर्दू ज्यादा बोलने वाले शहर कानपुर में भी सिर्फ एक या दो उर्दू अकादमी हैं।

एक दो है। बहुत अच्छी बात है। आप नेशनल लैवल पर हैदराबाद में इसको कैम्पस करके करने जा रहे हैं। मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूं। नार्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए आप कलकत्ता में कर सकते हैं कि वहां के लोग कलकत्ता में आ सकते हैं, उर्दू की शिक्षा के लिए। बिहार में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में ज्यादा उर्दू भाषी रहते हैं। इसी प्रकार आपको बम्बई के लिए करना चाहिए। बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में इसको करना चाहिए। हैदराबाद में तो आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए भी ध्यान देना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी से तो नहीं कर सकते हैं, तो आप रीजनल सैन्टर्स बना सकते हैं और यह आपको बनाना चाहिए। यह सच बात है कि ऐसा करके आप उर्दू भाषा का प्रमोट कर सकते हैं। रीजनल सैन्टर्स बनाने की बहुत जरूरत है। इस यूनिवर्सिटी में आपने सेक्युलर करैक्टर रखा है, महिलाओं के लिए शिक्षा को भी रखा है, इंजीनियर और मैडिकल भी रखा है तथा वोकेशनल ट्रेनिंग भी रखा है, लेकिन हमारे रीजन में बहुत समस्या है। एक युनिवर्सिटी में आप एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए रीजनल यूनिवर्सिटी कनैक्टेड करके बना सकते हैं। ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा उर्दू भाषा बोलने वाले भाई-बहन इसमें भाग ले सकते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। जिस जगह पर 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग उर्दू बोलने वाले हैं, वहां फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए। हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है, जो हम जरूर सीखेंगे, राष्ट्रीय भाषा कम्पलसरी है। जिस प्रकार की लैंग्वेज फार्मूला है, जैसी हमारी मदर टंग बंगला है और उसके बाद हिन्दी और अंग्रेजी है। उसी प्रकार जहां उर्दू भाषी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। वह हिन्दी और अंग्रेजी सीख सकता है, लेकिन यह नहीं होने से उसमें थोड़ा फर्क हो गया है। देश में युनिफार्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं है। मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है और उसके बाद फिर उर्दू एकादमी में जाना पड़ता है और इसके बाद फिर युनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। ऐसा होने से ये लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम में भाग नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि हम बहुत अल्ट्रा माड्रन हो गए हैं और इसलिए उर्दू की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप खाली हिन्दी में पढ़ें या आप अंग्रेजी में पढ़ें। देखा जाए, तो हर आदमी हर चीज नहीं सीख सकता है। हर आदमी को मदर टंग पसन्द हैं। इसलिए जहां 20 प्रतिशत उर्दू भाषी भाई रहते हैं, वहां ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बम्बई क्षेत्र में...

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : यह बम्बई नहीं, मुम्बई है।

कुमारी ममता बनर्जी : आपके लिए मुम्बई है पर हमारे लिए बम्बई है।

[हिन्दी]

इसको बोलने में थोड़ा समय लगेगा। ...**(व्यवधान)** ठीक है, हमारे भाई के लिए मुम्बई और हमारे लिए बम्मई तथा उर्दू में बोम्मई है। हमारे मिनिस्टर साहब का नाम भी ..।

मैं कहना चाहती हूं कि मदर टंग के बारे में सोचना जरूरी है। यह मौका बार-बार नहीं आता है। मदरसा में बहुत सारे आदमी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए एक दिक्कत है, इनको एफिलिएशन नहीं मिलता है और एफिलिएशन न मिलने के कारण, मैं कहना चाहती हूं कि इसको इन्वैस्टीगेट किया जाए। हर राज्य में कितने मदरसे हैं और कितनों को एफिलिएशन मिला है और कितनों को एफिलिएशन नहीं मिला है। सच यह है कि हम लोग कामयाबी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो मदरसा है उसको आप ध्यान से देखिए।

महोदय, एक बात और है कि यूनिफार्म एजुकेशन सिस्टम जैसा है, मदर लेंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन सिस्टम ऑफ दी एजुकेशन क्या है? आज एजुकेशन में इतना फर्क हो गया है, दो तरीके से एजुकेशन चलती है। जिसके पास रुपया है उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है और जिसके पास रुपया नहीं है उस बेचारे को छोटे-छोटे स्कूल में जाना पड़ता है। हमारे देश में दो तरीके से भविष्य तैयार होता है। इसमें यूनिफार्म एजुकेशन सिस्टम का फार्मूला सरकार क्यों नहीं बनाती है? आज एजुकेशन में बच्चों पर इतना भार बढ़ गया है कि वे आज आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए कि कोई अच्छा तरीका नहीं है। जिसकी जो मर्जी है वह कर रहा है, कोई सोचता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। छोटे-छोटे चार-चार, पांच-पांच साल के बच्चों के ऊपर इतना भार डाल दिया है। इस पर कोई नहीं सोचता है कि देश में कम से कम एक यूनिफार्म एजुकेशन सिस्टम तो होना चाहिए। हमें लेंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

यद्यपि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाया गया है परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां सभी मौजूद हैं। यह विश्वविद्यालय सभी धर्मों के लिए है।

[हिन्दी]

लेकिन बात यह है कि जो ड्राप-आउट रेट है, जोकि एक जनरल है, जो माइनोरिटीस के हैं महिलाओं को तो शिक्षा के लिए जगह ही नहीं है और अगर है तो उसकी बहुत कमी है। अगर उनको आप शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारे देश की सोश्यो इकोनोमिक कंडीशन कभी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल बनाए जाएं। अगर उसमें कोई मदरसा वगैरह कुछ है तो उसका तरीका निकाल कर आप इस पर ध्यान दीजिए तो यह हमारे देश के लिए अच्छा हो सकता है।

महोदय, इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैंने मदर टंग के लिए महत्व दिया है। लड़कियों और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी दिया है। इसके साथ-साथ में मेडीसिन के बार में और इंजीनियरिंग के बारे में जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें एक दिक्कत होगी कि हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी पुस्तक मिलती है, लेकिन उसके लिए उर्दू की लेंग्वेज का आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके लिए उर्दू लेंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो मेडीसिन में जाएगा और जो इंजीनियरिंग में जाएगा उसके लिए उर्दू की पुस्तक कैसे मिलेगी इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना जरूरी है कि यह किस तरीके से हो सकता है। आप उर्दू लेंग्वेज को भी प्रमोट कर सकते हैं और लोग एजुकेशन भी ले सकते हैं लेकिन अगर उर्दू में उसने एजुकेशन किया और अंग्रेजी उसको मालूम नहीं है तो वह क्या करेगा, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।

महोदय, मैं सिर्फ एक बात ओर कहना चाहती हूं, एक शेर है-

> "बदले-बदले मौसम बदले, जमाना बदले, मौसम की सब चीज बदलती है,
> लेकिन क्यों इंसान की तकदीर नहीं बदलती है।"

इसलिए आप कम से कम जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनके लिए इंसाफ किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं। साथ ही साथ मैं अर्ज करती हूं कि आप उर्दू अकादमी उर्दू मरदसा, हमारी जो रिजनल यूनिवर्सिटी है, जो दो तरीके की एजुकेशन की दिक्कत है उसमें यूनिफार्म एजुकेशन सिस्टम बनाइए इससे हमारे देश का हित हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री एम.वी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री महोदय को न केवल यह विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए ही बधाई देता हूं अपितु इसे नाम, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, देने के लिए बधाई देता हूं। हमारे जैसे लोग इस विधेयक के नाम के बारे में इतने अधिक भावावेश में क्यों हैं? ऐसा इसलिए कि जो उस आदमी ने कहा था, कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से जाना जाता है। मौलाना आजाद ने कई बातें कही हैं, विशेषकर जब वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिख रहे थे, वे एक पत्रकार और महान लेखक थे। मैं उनकी रचना में एक छोटा-सा अंश उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा :

> " यदि मुझे निर्णय दिवस का बिगुल दिया जाता, तो मैं उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता। उससे वज्र जैसी गर्जना और जड़ निद्रा तोड़ने वाली आवाज निकाल कर मैं उन लोगों को जगाता जो बदनामी और अपमान की गहरी निद्रा में सो रहे हैं और बार-बार जोर से चिल्लाता "जागो" क्योंकि तुम बहुत लम्बे समय तक सो चुके हो और जागो क्योंकि तुम्हारी ईश्वररीय इच्छा तुम्हें जगाती है। तो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम विश्व को देख रहे हो फिर भी ईश्वर को नहीं सुन रहे हो जिसने तुम्हें मृत्यु के बजाए जीवन पतन के बजाए उत्थान और अपमान के बजाए सम्मान प्रदान कर रखा है।"

"मेरे विचार से ये शब्द अभी भी और अधिक सार्थक हैं और ये व्यक्ति के मन में स्पन्दित करने वाले विचार उत्पन्न करते हैं।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय को एक बात के लिए बधाई देता हूं।

मैं एक बात उद्धृत करना चाहता हूं। यह एक अखबार में प्रकाशित हुआ था।

> " अंततोगत्वा हमारा देश वास्तव में विरोधाभासों से भरा हुआ है। हम अपनी सहिष्णुता पर गर्व करते हैं। फिर भी उत्तेजना पर एक दूसरे का गला काटने के लिए दौड़ते हैं जिनकी सामान्यता उपेक्षा की जा सकती है। वास्तविक सत्य यह है कि राजनीति का हमारे समय-समय पर होने वाले शत्रुता के प्रदर्शन से गहरा सम्बन्ध है। मंदिरों और मस्जिदों को लेकर हमें काफी परेशानियां हुई हैं। अब क्या हमें हमारी समस्याओं में भाषाई साम्प्रदायिकता जैसी समस्या खड़ी करके उसमें इजाफा करना चाहिए जो बंगलौर के दंगों में देखने को मिली है? यह विचित्र बात है कि कर्नाटक में हुई दुखद घटनाओं के बारे में हमें बुद्धिमता वाली बात सुनने को नहीं मिली। क्या वास्तव में हम असभ्य आचरण के प्रति इतने अधिक असंवेदनशील हो गए हैं कि आपराधिक आचरण के प्रति हम अपनी आखें बन्द कर देते हैं?"

यह प्रेम भाटिया द्वारा लिखा गया था।

बंगलौर में दंगे हुए थे। मैं इतना प्रसन्न हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री एस.आर. बोम्मई जो कर्नाटक से हैं--जहां ये दंगे हुए थे और जिसके कारण हमारा सिर शर्म से झुक गया था- श्री बोम्मई उस राज्य से हैं। इस विधेयक के जरिए इस सभा में कर्नाटक की बात व्यक्त हुई है।

महोदय, मैं विधेयक को पढ़ना नहीं चाहता। मैं प्रष्ठ 4 पर खंड 7 पर टिप्पणी करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि जाति को देखने की जरूरत नहीं है, धर्म पर विचार करने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला है, चाहे कोई किसी भी जाति या वर्ग से सम्बन्धित है। एक अर्थ में यह एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसलिए, हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री एस.आर. बोम्मई ने उन इतिहासकारों या उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है जो इतिहास बनाना या गड़ना चाहते हैं कि वे अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह न करें और विवादों झगड़ों को भूल जाएं और इस अनावश्यक गलतफहमी को कि उर्दू अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है अपितु उर्दू एक राष्ट्रीय भाषा है।

उर्दू एक धर्म की भाषा नहीं है। यह उन लोगों की भाषा है जो इस भाषा को बोलते हैं। महोदय, मैं इस सभा के समक्ष विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म की कोई भाषा नहीं है। क्या संस्कृत हिन्दुओं की भाषा है? क्या अरबी इस्लाम की भाषा है? क्या हिब्रू यहूदियों की भाषा है। पैगम्बरों ने भाषा का प्रयोग किया। लेकिन भाषाएं कभी भी पैगम्बर नहीं बनी। इसलिए, भाषा का कोई धर्म नहीं होता। भाषा का जन्म कभी नहीं होता। भाषा विकास की प्रक्रिया है। भाषा निरन्तर विकास की प्रक्रिया है जो हमारे देश में हुआ है। यह हमारा सृजन है। कई भाषाओं का एक भाषा में विलय हुआ और इसे एक सुंदर भाषा बनाया।

क्या ही अच्छा होता यदि मैं उर्दू में उद्धृत कर सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश में उर्दू अधिक नहीं जानता। मैंने कहा कि यह अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है और न ही यह सैद्धान्ति भाषा है।

जिस राज्य केरल से मैं आया हूं वहां मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? मेरे विचार से हमारे राज्य में 30 लाख मुसलमान हैं। उनमें से कितने उर्दू बोल सकते हैं? पूरे केरल में मैंने केवल एक उर्दू कवि के बारे में सुना है। मेरे विचार से केरल के लोग भी उनके बारे में नहीं जानते हैं।

उनका नाम सरवर है। वे केरल में अकेले ही एक उर्दू कवि हैं। वह उत्तर भारत के नहीं है, लेकिन वे हमारे हिस्सों में भी नहीं जाने जाते। इसलिए, यह अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है। धर्म की कोई भाषा नहीं होती। भाषा एक क्रांति है। उर्दू हमारी सृजना है, एक आश्चर्यजनक सृजना, एक आश्चर्यजनक सम्मिश्रण।

औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह ने, जिसने उपनिषदों का अनुवाद किया है, कहा कि यह संस्कृतियों का एक महान संगम है। अतः हमे केवल भाषा के बारे में ही नहीं बोल रहे हैं। हम उस स्थिति में संस्कृतियों के, सोच के संगम के बारे में बात कर रहे हैं जब सर्वत्र प्रेम व्याप्त हो, जब आपसी समझ हो, लेन-देन हो, सहनशीलता हो, ऐसा वातावरण हो जिसमें लोगों को कुछ भी करने के लिए सोचने विचारने की आजादी हो, किसी भी अद्भुत कार्य के सृजन करने की आजादी हो। यदि विश्व का कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि हमने कौन सा अद्भुत सृजन कार्य किया है तो हम कह सकते हैं कि हमने संगमरमर से 'ताजमहल' बनाया है। परन्तु मैं कहता हूं कि हमने मात्र पत्थरों से ताजमहल नहीं बनाया अपितु एक सुन्दर भाषा का सृजन किया है। यह नफरत की नहीं बल्कि प्यार की भाषा है। यह युद्ध की नही बल्कि सौहार्द की भाषा है। हमारी भाषा हिन्दू-मुसलमान की एकता की भाषा है। इसमें यह भी बात है कि विचारों की कोई सीमाएं नहीं होती। धर्मों के पास कोई पासपोर्ट नहीं होते और भाषा की कोई सीमाएं नहीं होती। ये फूलों की तरह हैं। ये उत्पन्न होते हैं और हुए हैं। ये फूल यहां खिले हैं।

ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार कई विद्वान "भगवान बुद्ध" के पास गये। सुरथन ने उनसे पूछा कि उनके उपदेशों का संस्कृत में प्रचार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि इसे अपनी भाषा में सीखिए। एक ऐसा समय था जब भारत में अधिकांश लोग शौरसेनो, गंद, प्राकृत, मांग्ली एवं पाली भाषा बोलते थे। मैं उन सबके बारे में नहीं बोलना चाहता।

किसी तरह यह बात हमारे मस्तिष्क में डाल दी गई है कि उर्दू भाषा मुसलमानों की भाषा है और यह पूरी तरह से हिन्दू-विरोधी है क्योंकि यह पाकिस्तान की राजभाषा है। महोदय, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि विभाजन के बाद भी पाकिस्तान को राष्ट्र भाषा के रूप में हमारी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है और हम इसे गर्व के साथ कह सकते हैं।

महोदय, मैं उत्तर-दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह आश्चर्यजनक बात है कि उत्तर प्रदेश अथवा अन्य स्थानों पर उर्दू के नाम पर बहुत दंगे हो रहे हैं जबकि कर्नाटक, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, और तमिलनाडु में बहुत से विद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जाती है। यह राष्ट्रीय समरसता को दर्शाती है और यह दर्शाती है कि हम कितने स्वतंत्र विचारों के हैं। जब अंग्रेजों ने हर प्रकार से हमें विभाजित करने की कोशिश की और जब उन्होंने भाषा को हथियार के रूप में प्रयोग किया तब हमने कभी विरोध नहीं किया और न ही कहा कि ऐसा प्रयत्न न करें, इस प्रकार कोई इस मुद्दे पर हमें बांट नहीं सकता।

महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। जहां तक भाषा का संबंध है, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक का कोई प्रश्न नहीं है। भारत बहुसंख्यकों का राष्ट्र नहीं है; बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यक से ही बने हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां विभिन्न संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं और विभिन्न दृष्टिकोण हैं। जो ईसाई धर्म के नहीं है, क्या वे यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी ईसाइयों की भाषा हैं? क्या यह ईसाईयों की भाषा है?

परन्तु यह किसी भी प्रकार से ईसाईसों की भाषा नहीं है। जब हम सम्पूर्ण भारत की बात करते हैं तब क्या हम यह कह सकते हैं कि हम सब आदिशंकर में विश्वास रखते हैं? क्या सभी भारतीय अद्वैतवादी हैं? भारत में, क्या सभी लोग रामानुज के विशिष्ट द्वैतवादी है?, माधव के द्वैतवादी है अथवा लोकायाती, न्यायीकादि वैशैशिकादि योग मीमांसी है? भारत में इस्लाम, ईसाई और अन्य धर्मों का योगदान रहा है और यह नदी विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। इस तरह से भारत एक मनोरम भूमि बनी है।

महोदय, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एस.आर. बोम्मई जी ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। वह उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हमें उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरा विचार है कि इस भूमंडलीकरण के युग में प्रांतीय भाषाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। हम धीरे-धीरे पृथक होते जा रहे हैं। मुझे कहीं पर कोई खतरा नजर आ रहा है। हमें कहीं पर कोई अस्पष्ट आवाज सुनाई देती है। यह आवाज अब बढ़ती जा रही है। यदि यह आवाज और बढेगी तो यह विलोपन की आवाज बन जाएगी। हमें इस विलोपन को रोकना होगा। हमें अनेकता को बरकरार रखना होगा और साथ ही हमें एक होकर रहना होगा। जब हम अनेकता के दर्शन करते हैं तो हम निस्तब्ध हो जाते हैं कि क्या हम एक दूसरे से इतने अलग हैं? परन्तु हम जब थोडी दूरी से देखते हैं तो हमें इसमें एकता के दर्शन होते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि यह अनेकता कितनी आकर्षक है।

महोदय, मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं इकबाल की रचनाओं को नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं है। परन्तु उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है और मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले उसको उद्धृत करना चाहता हूं। कृपया हम यहां पर हिन्दू-मुसलमान का मुद्दे न उठायें। इस राष्ट्र पर पुलिस और सेना नहीं बल्कि केवल मन ही नियंत्रण कर सकता है। हमें यह बात समझनी चाहिए। हमें इतिहास से ऐसे फूल चुनने चाहिए जो हमें और बेहतर और प्यार करने योग्य बनायेंगे। हम ऐसे किसी मलबे को खोदना नहीं चाहते हैं जिससे कि हम कंकाल को ढूंढ निकाल सकें और उससे तलवार बनाकर एक दूसरे की गर्दन काट सकें। मैं सोचता हूं हम धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को समाप्त करना चाहते हैं। यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, एक शुरूआत है।

महोदय, मैं इकबाल की रचना को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं उर्दू में उद्धृत करना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं और इसका मुझे खेद है।

इकबाल कहते हैं

> "आप सोचते हैं कि भगवान केवल पत्थर की मूर्तियों में बसते हैं, पर मेरे लिए मेरे ईश्वर मेरे देश की धूल के कण-कण में व्याप्त है।"

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है, उसकी मुखालफत करना ठीक न होगा। मेरा पर्सनल कुछ रिजर्वेशन्स है क्योंकि इस आईटम के बाद जो आईटम आ रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय और यह बिल है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय। अब उर्दू में तो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और हिन्दी के साथ महात्मा गांधी, मेरी समझ के बाहर है कि किसके दिमाग में यह चीज आई। क्या महात्मा गांधी का नाम उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हो सकता था? क्या मौलाना आजाद कभी हिन्दी के खिलाफ कोई एक शब्द बोले? हम सब लोगों के दिमाग में लैंग्वेज का कम्युनलिज्म बसा हुआ है, बैठा हुआ है।

यह अनकोन्शियस माइण्ड है। कई लोगों के बारे में कह कहते हैं कि वह कोनशियस माइण्ड से करते हैं लेकिन यह हमारी रग-रग में बसा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हो सके तो इस पर सोचिए। इससे यह साबित हो रहा है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। इस चीज को दिलोजान से मानने को मैं हरगिज तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात यह है कि मौलाना आजाद नैशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बिल की क्लोज 5 देखिए। यह राज्य सभा से पारित होकर आया है।

[अनुवाद]

"विश्व विद्यालय का उद्देश्य उर्दू भाषा का संवर्धन और उसका विकास करना और उर्दू के माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।"

[हिन्दी]

और ये हिन्दी यूनिवर्सिटी का देखिए-

[अनुवाद]

"हिन्दी भाषा और साहित्य के संवर्धन और विकास के लिए, अध्यापन और अनुसंधान के माध्यम से, इस दृष्टि से कि उसे प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता और मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके, अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए।"

उर्दू केवल व्यावसायिक भाषा के लिए है और हिन्दी शोध तथा उच्च साहित्य के लिए है। ऐसा भेदभाव क्यों?

[हिन्दी]

अगर दोनों बिल के ओबजेक्ट्स एंड रीजन्स एक होते तो शायद हमें यह बात कहने की जरूरत न पड़ती। माननीय मंत्री जी जवाब देते हुए बताएंगे कि यह फर्क किस लिए हुआ? क्या मुसलमान पिछड़े हुए हैं इसलिए सिर्फ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या हिन्दु ऐडवांस्ड हैं इसलिए वह रिसर्च करें और लिट्रेचर वर्क डैवलप करें।

हिन्दु और मुसलमानों का नाम इसमें जोड़ दिया गया है। जिन लोगों की मादरे जबान उर्दू है, उनके बारे में आपके दिमाग में बसा हुआ है कि वे पिछड़े हुए हैं इसलिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है और हिन्दी बोलने वाले बहुत ज्यादा ऐडवांस हो गए हैं। शायद बिहार और यूपी के गांवों में आप नहीं गए हैं। हिन्दी बोलने वाले इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उनके लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जिससे लिट्रेचर की एडवांसमेंट हो, तरक्की हो और वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक वह पहुंचे। अफसोस है। दो तरह का डिसीजन किसलिए? दो बिल हैं। एक बिल पर चर्चा हो रही है और एक बिल लिस्ट ऑफ बिजनैस में आ चुका है जिसकी चर्चा इसके बाद होगी।

उर्दू और हिन्दी के बारे में भी मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। जगमोहन जी बोलते बोलते रह गए, शायद उनको याद नहीं था। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है-

"उर्दू और हिन्दी में फर्क है इतना,
जो मैं देखता हूं-ख्वाब, आप देखते हैं सपना"

मौलाना अकरम खां बहुत अच्छी हस्ती थे।

उनका भी ख्याल था कि अरबी और फारसी से दबा हुआ उर्दू और संस्कृत से लदी हुई हिंदी आम जनता की मातृभाषा नहीं हो सकती है। इसको सिम्पलीफाई करना ही पड़ेगा। गांधी जी का भी यह सपना था, गांधी जी का भी यही कहना था। जब उर्दू का शब्द और देवनागरी का अक्षर आहिस्ता-आहिस्ता यह दोनों मिल जाएंगे तो मिलकर वह हिंदुस्तानी भाषा होगी। मैं इस चीज को मानता हूं। अगर ऐसी भाषा हो जाए तो यह भाषा आम जनता की भाषा होगी। इसमें हिन्दु-मुसलमान का सवाल नहीं होगा। यह हो गया है और आप इसे रोक नहीं पायेंगे। हिन्दी फिल्म में जो भाषा हम सुनते हैं उसमें 80 प्रतिशत उर्दू शब्द हैं। संस्कृत से दबी हुई हिन्दी से यह नहीं हो सकता है। भाषा की अपनी एक गति होती है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। अभी एक टैक्नीकल यूनीवर्सिटी आप बनायेंगे, उर्दू भाषा में पढ़ायेंगे, क्या पढ़ायेंगे। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करूं-एक टैक्सी ड्राइवर अपना लाइसेंस रीन्यू करता है, उसके बाद गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग पकड़कर क्लच दबाकर स्टार्ट देने की कोशिश करता है, सैल्फ अगर फेल हो गया तो हैंडिल मारता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए क्लच दबाकर गियर चेंज करता है, सामने अगर कोई आ जाए तो ब्रेक मारता है, बैटरी अगर ड्राई हो गई है तो डिस्टिल्ड वाटर देता है। इसी तरह यह उर्दू है, हिंदी है, पूरा का पूरा तो इंगलिश है। एक अनपढ़ गंवार जो ड्राइवर है, उसको भी इतने इंगलिश शब्द मालूम होते हैं। आप जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, यहां पर जो बड़ी-बड़ी हस्ती रहेंगी, इनकी क्या उर्दू की परिभाषा बनायेंगे, मुझे मालूम नहीं है। हिंदी की क्या परिभाषा निकलेंगी, इसका क्या परिणाम निकलेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या नतीजा निकलेगा, यह मुझे मालूम नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं लेकिन पंडितों से बहुत डरता हूं, जो पंडित होते हैं वे अपना कुछ न कुछ दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, डरता इसलिए हूं क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से हूं। मेरी मादरे जबान बंगला है। पार्टीशन से बहुत पहले सन् 1882 में एक हंटर कमीशन हुआ था। इस हंटर कमीशन के सामने ढाका के नवाब श्री अब्दुल लतीफ जब एवीडेंस देने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जो असली मुसलमान है उसकी भाषा उर्दू है और जो बंगाली है जो अतराफ यानी छोटे तबके के लोग हैं, उनकी भाषा है। इन पंडित लोगों के दिल में ऐसा कुछ होता है कि वे थोपने की कोशिश करते हैं। जो बोझ उठा नहीं सकते, उससे ज्यादा थोपने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा नहीं है। आपकी उर्दू यूनिवर्सिटी की एक के बाद एक परिभाषा बनी रहेगी। लेकिन इस बात पर भी थोड़ा सा विचार करना

पड़ेगा। फिर भी मैं इस बिल का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि 'समथिंग इज बैटर दैन नथिंग'। जहां कुछ भी नहीं था वहां आपने शुरूआत तो की और दिमाग से नहीं, दिल से इस बात को समझने की कोशिश करें, उसके बाद सोचें कि ऐसा बिल दोबारा नहीं आएगा और हो सका तो इस पर भी कुछ तब्दीली होंगी। धन्यवाद।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, भाषा विचारों की बाह्य अभिव्यक्ति का माध्यम है। सरकार सदन में जो मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्व-विद्यालय विधेयक लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रो. रावत, आप कल कन्टीन्यू करिए। अब यह सभा ।। दिसम्बर 1996 को ।। बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 दिसम्बर, 1996/20 अग्रहायण, 1918(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।